ISSN : 3049-334X

भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका

(Indian Social Empowerment Research Journal)

Volume : 02 Issue : 01 - January -April 2025 E - Journal

* प्रधान संपादक *

श्री. प्रेमकुमार नाईक

ISSN :3049-334X

भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका

(Indian Social Empowerment Research Journal)

A Peer Reviewed Refereed Journal

वर्ष: 02 अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

विषय: सामाजिक विज्ञान ई - पत्रिका

प्रधान संपादक : (Chief Editor)

श्री. प्रेमकुमार नाईक

अध्यक्ष : सामाजिक सशक्तिकरण बहुउद्देशीय संस्था वर्धा, महाराष्ट्र

सहायक संपादक (Executive editor)

डॉ. नरेश कुमार गौतम

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग,

श्री. रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

संपादक मंडल (Editorial Board)

डॉ. अमित राय

एसोसिएट प्रोफेसर, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता, (महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र)

डॉ. मिलिंद सवाई

प्राचार्य, डॉ. आंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क वर्धा, महाराष्ट्र

डॉ . शम्भू जोशी

एसोसिएट प्रोफ़ेसर दूर शिक्षा निदेशालय (महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा महाराष्ट्र)

डॉ. विनोद जी. गजघाटे

प्राचार्य, डॉ. आम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क नागपूर, महाराष्ट्र

डॉ. आमोद गुर्जर

असिस्टेंट प्रोफेसर, मातृ सेवा संघ सामाज कार्य संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र

डॉ. चित्रा माली

असिस्टेंट प्रोफेसर कोलकाता केंद्र (महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा)

ISSN :3049-334X

सहकर्मी समीक्षा समिति और सलाहकार बोर्ड/ समिति
(Peer Review Committee And Advisory Board)

प्रो. बंशीधर पाण्डेय
निदेशक, वर्धा समाज कार्य संस्थान
(महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा)

डॉ. रमेशकुमार एच. मकवाना
प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय,
वल्लभ विद्यानगर, गुजरात (भारत)

डॉ. सुप्रिया पाठक
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, स्त्री अध्ययन विभाग, प्रयागराज केंद्र
(महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा)

डॉ. सरोज कुमार ढल
असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय

डॉ. माधुरी हरिभाऊ झाडे
असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. आंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क
वर्धा, महाराष्ट्र

डॉ. विवेक कुमार सिंह
प्रोफेसर, सेंटर फॉर सोशल वर्क, प्रो. राजेंद्र सिंह
(रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज उतार प्रदेश।

डॉ. मिथिलेश कुमार तिवारी
सहायक प्रोफेसर समाज कार्य विभाग, प्रयागराज केंद्र
(महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा)

डॉ. गजानन निलामें
असिस्टेंट प्रोफेसर वर्धा समाज कर्या संस्थान
(महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा)

डॉ.जोंगदंड शिवाजी रघुनाथराव
असिस्टेंट प्रोफेसर वर्धा समाज कर्या संस्थान
(महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा)

प्रा. शिरिष मा. सुतार
असिस्टेंट प्रोफेसर श्री. कृष्णदास जाजू ग्रामीण सेवा
महाविद्यालय पिपरी वर्धा, महाराष्ट्र

व्यक्तिगत और संस्थागत सदस्यता

- **वार्षिक सदस्यता**
  (Annual Subscription) Rs. 600
- **द्विवार्षिक सदस्यता**
  (Biennial Subscription) Rs. 1200
- **त्रिवर्षीय सदस्यता**
  (Three Year Subscription) Rs.1800
- **पंचवर्षीय सदस्यता**
  (five year Subscription) Rs. 3000

बैंक खाता विवरण

State Bank of India Wardha (Maharashtra)

Account Name :

samajik sashakteekaran sasthan(ngo)

- **Account No. 41851337167**
- **IFSC No. SBIN0000500**

प्रकाशक

सामाजिक सशक्तिकरण बहुउद्देशीय संस्था वर्धा,महाराष्ट्र
(कपिल वस्ती, सुतगिरणी ले आउट वरूड वर्धा, महाराष्ट्र)

Social Empowerment Multipurpose Organization Wardha, Maharashtr
(Kapil Vasti, Sutgirni Layout Warud Post Sevagram, Wardha, Maharashtra Pin - 442102)

Home Page : http://samajiksashakteekaran.org.in
E-mail : samajik.sashakteekaran.2023@gmail.com

Mobile number : 9130331541, 9960331541

About the Journal:-
https://samajiksashakteekaran.org.in/abouttheJournal

Editorial Board :-
https://samajiksashakteekaran.org.in/editorialboar

Published issues:-
https://samajiksashakteekaran.org.in/publishedissues

Hyperlink:-
https://samajiksashakteekaran.org.in/hyperlink

ISSN :3049-334X

भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका
(Indian Social Empowerment Research Journal)

'भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण' शोध पत्रिका में प्रति वर्ष तीन अंक प्रकाशित किये जायेंगं जिसमें त्रिभाषीय हिंदी, इंग्लिश और मराठी में सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित शोध-पत्र और आलेख को ई-पत्रिका/ऑनलाइन पीयर-रिव्यूड, रेफर्ड, के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है।

'भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण' शोध पत्रिका **2024** से 'सामाजिक सशक्तिकरण बहुउद्देशीय संस्था', वर्धा, महाराष्ट्र द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही हैं।

शोध पत्रिका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामुदायिक स्वास्थ्य, प्रशासनिक पहलुओं पर शोध के माध्यम से जनजागृति/जागृक्ता लाने, नये ज्ञान के प्रचार-प्रसार के साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का आदान-प्रदान एवं ज्ञान के हस्तांतरण को बढ़ावा देने और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए ज्ञान के माध्यम से वैचारिक, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाज को सशक्त बनाने हेतु समर्पित है।

पत्रिका के लिए शोध-पत्र और आलेख और सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित पुस्तक समीक्षाएँ आदि स्वीकार किए जाते हैं।

शोध पत्रिका ज्ञान के विभिन्न आयामों, शोध के नए दृष्टिकोणों और गुणवत्तापूर्वक प्रकाशन करने के लिए समर्पित है।

हमारा प्रयास है कि छात्रों, शोधार्थियों/अध्यापक/शिक्षकों, पाठकों और समाज के सभी नागरिकों के बीच ज्ञान-विज्ञान साझा करने के साथ-साथ सिद्धांत और व्यवहार को बढ़ावा देना, सामाजिक गतिविधियों या सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक मुद्दे, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित जारुकता, सामाजिक वास्तविकता, सामाजिक परिवर्तन, समकालीन शिक्षा, समाज और कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था आदि से संबंधित जानकारी को सहजता से पहुँचाने का एक प्रयास है, 'जिसके परिणाम स्वरूप' नया ज्ञान, नए विचार, नई सोच को प्रोत्साहन मिल सके और वैचारिक, व्यवहारिकता में सकारात्मक बदलाव संभव हो और समाज को नई दिशा प्राप्त हो!

श्री. प्रेमकुमार नाईक

ISSN :3049-334X

भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका

(Indian Social Empowerment Research Journal)

ISSN: 3049-334X वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

अनुक्रमणिका

अ.क्र.		पृष्ठ.क्र.
1.	**A Study of The Factors Affecting the Education of Bhil Tribal Women in Jhabua District** Avinash Dabi Krishnamani Bhagabati	1
2.	**Social Issues Related to Domestic Violence in Gaya District: Challenges and Possibilities** Shubham Raj	25
3.	**Urban Growth and Pattern of Border District of Nadia: A Historical Analysis (1901-1971)** Chaina Debnath	37
4.	**The role of Indira Gandhi in the Indian National Congress** Pijush Bahalia	50
5.	**Budgetary allocation of NER (North-Eastern Region) and its realization of proportional benefits to the women of NER** Dr. Richa Prakash	59
6.	**Socio-Cultural Impact of Urbanization on Tribal Communities** Hembrom Marcel	71

ISSN :3049-334X

7. **Bridging the Skills Gap: Aligning Education with Industry Demands for Better Employment Opportunities** 81

Dr Bhavna Joshi
Dr Abha Gupta

8. **Revisiting Gandhi's Satyagraha: The Relevance of Satyagraha in Contemporary World** 87

Saif Ali

9. **Empowering Women Through Education: A Pathway to Security and Independence** 101

Dr Isha Varshney
Ms. Pooja mishra

10. **India's Economic Inequality – Exploring the Challenges and Unlocking Opportunities** 109

Dr. Md. Ehtesham Khan
Mr. Avinash Kumar Singh

11. **Society on the Screen: Cultural Identity and Social Change in Hindi Films (1950-1970)** 123

Sukhdev Byadwal

12. **Role of ICT in Development of Pedagogy of Pluralism** 130

Mr. Jay Kumar Bharatee
Dr.Lalta Prasad

13. **The Gendered Lens: Women's Development and Political Representation in India** 141

Anubhuti Saxena

14. **Contemporary India: Tribal Social Integration and Political Violence** 155

Ishan Tiru

15. **Trade Union and It's Role** 169

Dr. Naveen Kumar
Dr. Lala Ram Jat

16. **Analyzing Naxalism and Its Cross-Border Ideological and Strategic Alliances: Implications for India's Internal Security.** 189

Sachin Tiwari

17. **शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सामाजिक मुद्दे चुनौतियां और संभावनाएं** 208

डॉ.इलिन कोंगारी

18. **महिला सशक्तिकरण और समाज : एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण** 216

डॉ. अखिलेश कुमार

19. **यूपीए और एनडीए सरकारों के दौरान भारत और अमेरिका में सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे: चुनौतियाँ और संभावनाएँ** 226

सुमित गुप्ता

20. **भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय: अधिकार और चुनौतियाँ** 234

रित्ती कलिता

21. **भारत में शिक्षा के सामाजिक आयाम एवं चुनौतियाँ** 244

रवि रंजन कुमार

22. **बाल अपराध से संबंधित सामाजिक मुद्दे: चुनौतियां और संभावनाएँ** 250

हरीश राम

23. **आदिवासी समुदाय उनकी संस्कृति एवं सांस्कृतिक चुनौतियां: एक सिंहावलोकन** 262

सनी संतोष टोप्पो

24. **बदलते परिवेश और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य : चुनी हुई कहानियों के सन्दर्भ में** 268

अयाना शाइन थॉमस

25. **पूर्णियाँ की आर्थिक समस्या एक बुनियादी मुद्दा** 274

विनीता कुमारी

ISSN :3049-334X

26.	**कानून व्ययस्था से सम्बंधित सामाजिक मुद्दे : चुनौतियां और संभावनाएं** रंजना बागड़े	281
27.	**18 वीं लोकसभा चुनाव 2024 के मुद्दे व परिणाम:- एक विश्लेषणात्मक अध्ययन** बाबूलाल सुंदरियां बलराम	286
28.	**महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सामाजिक मुद्दे: चुनौतियां और संभावनाएं** स्वाति कुमारी प्रो.पूनम कुमारी	295
29.	**महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित सामाजिक मुद्दे: चुनौतियाँ और संभावनाएँ** अंशु कुमारी डॉ. शशिकांत मिश्र	303
30.	**अपचारी किशोर एवं अपराध के कारण** नमिता वर्मा	312
31.	**समकालीन भारत में सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी से सम्बंधित मुद्दे: चुनौतियां और संभावनाएं"** रामलाल कूड़ी	321
32.	**दिव्यांग विद्यार्थियों से संबंधित सामाजिक मुद्दे: चुनौतियां और संभावनाएं** पूजा कुमारी शाह डॉ.हेमचंद्र लक्ष्मणराव ससाने	341
33.	**भारत की जनसंख्या : चुनौतियॉं एवं अवसरों पर अध्ययन** विकास टांक	347
34.	**साइबर अपराध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण** मनीषा प्रो.सुजाता मैनवाल	357

ISSN :3049-334X

35. दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं चुनौतिया और सभावनाएं 368

ओमप्रकाश प्रजापत

A Study of The Factors Affecting the Education of Bhil Tribal Women in Jhabua District

Avinash Dabi
Research Scholar, Indira Gandhi National Tribal University Amarkantak (M.P.)

Krishnamani Bhagabati
Assistant Professor, Department of Social Work Indira Gandhi National Tribal University Amarkantak (M.P.)

Abstract

This study has attempted to depict the factors affecting access to education of tribal women in Jhabua region of Madhya Pradesh. Our life depends a lot on education. Every woman has the same right to get education as every man. Education can give more power to a woman. People of many different castes, religions and cultures live in the vast nation of India. One of them is the tribal community. When we look at its recent history, we can tell that the tribal community in India is socially backward. Tribal communities must be educated to move ahead in our culture. The aim of this study paper is to examine the factors influencing access to education of tribal women in Jhabua region of Madhya Pradesh state.

Due to the lack of education by the tribal society, many populations in tribal areas are left behind. Due to which they are very backward from other communities. Living in small, exclusive communities, the tribal civilization resides in remote and far-flung forests away from the city where there is no facility of transportation and due to which they have no connection with the outside world. According to the final result of the 2011 census, when these tribal groups are taken into account for the educational sector, Jhabua has 10,25,048 inhabitants. 8.97% of the population lives in urban areas, while 91.03% live in rural or village areas.The rural literacy

rate in Jhabua is 48.73% and 29.33% among males and females respectively, while the rural literacy rate of Jhabua is 38.98%. With a literacy rate of 43.3%, Jhabua is ranked 49th out of 50 districts in Madhya Pradesh. With a literacy rate of 43.3%, Jhabua is ranked 628th out of 632 districts in India. The aim of this study is to find out the reasons behind the low literacy rate among tribal women and to offer recommendations to enhance tribal women education in Jhabua district. Secondary data was used to complete this study

Keywords: Bhil tribal women, tribal women's education, influencing factors, women's empowerment,

Introduction

India is the second most populous country in the world, with 6.77 million indigenous people. Most of the tribal community people live in remote forests and hilly areas and are poor and uneducated. Compared to other sections of the population, they are backward in every aspect of life. The Indian government has taken several initiatives to improve welfare and education for the tribal population. Despite these efforts, the literacy rate has not improved. It is very poor among primitive tribes and very low among women. Any segment or region's socioeconomic development depends on its level of literacy. In light of this, this study was carried out to pinpoint obstacles to literacy promotion, particularly for tribal women, and to recommend workable solutions. The inter-tribal literacy scenario, a summary of studies on tribal education, the study's goals and methodology, etc., are all presented in this article. A summary and strategies for promoting literacy among tribal women and development programs implemented for the tribal population of India are presented. The literacy rate among tribal women is low. They experience several problems and challenges that lead to obstacles while acquiring education and appropriately maintaining their living conditions. The system of education in tribal communities is not well-developed. Several areas have discrepancies and limitations. Therefore, measures must be formulated that contribute significantly to improving the overall education system.

When there is improvement, the individual will be able to recognize the meaning and importance of education. Moreover, they will make efforts to acquire an education. In tribal families, different types of problems and challenges hinder the attainment of education among tribal women. The birth of girls is not appreciated in tribal families. Tribal individuals believe that right from childhood, girls should be trained in implementing household responsibilities and taking care of the needs and requirements of family members. They form the viewpoint that they have to get married eventually. In their marital homes, they cannot use their educational qualifications and abilities in any way. Therefore, they should focus on getting trained in terms of different types of household chores. Family members are given the right and responsibility to give girls information regarding various types of household responsibilities and to listen to and obey their family members. When girls focus on learning household chores and responsibilities, they cannot express their wishes in front of their family members. So, in this way, they are not only giving up their hopes and aspirations but also being forced to live their lives according to the wishes of their family members. An aimless life is a meaningless life.

All individuals have goals and objectives to achieve. Girls and women from tribal communities also have goals and objectives. One of the indispensable objectives is to get a quality education. They can achieve their goals and objectives and improve their overall quality of life when they are well-educated. In our present existence, progress is taking place, and with the advent of modernization and globalization, tribal women are making progress. They are bringing about changes in the overall quality of their lives. Tribal women are enrolling in educational institutions to get an education. They are migrating to urban communities to enroll in higher educational institutions. After completing their education, they are getting employment opportunities. Thus, they are contributing significantly to upgrading their career prospects. Individuals are able to understand on a broad basis that when girls and women get an education, they will be able to perform well in their lives, both in personal and professional fields. In this way, one can

accept the meaning and importance of education. Education is the key to strengthening women's empowerment.

Main reason for low literacy rate among tribal women

The overall literacy rate of women in Jhabua is 33.77%. (source) There are several reasons for low literacy in Jhabua. Most of the young population migrates. It is often difficult to ensure girls' safety and access to education in a new city. Also, people often change their place of residence in search of work, thus making enrollment in school almost impossible. Therefore, young girls often work as laborers with their family members or take care of infants in the family. Also, due to the unavailability of secondary schools nearby, the dropout rate of girls in Jhabua is quite high. Young children (13 years of age or older) who migrate with their parents also work as laborers. Thus, a daily wage of Rs 200–300 is preferred over education. If the family is large, girls are often responsible for cooking and caring for younger siblings, which keeps them illiterate. emphasizes that school enrolment is low and dropout rates are high among tribal women from the lower strata, although tribal women hardly manage to go beyond primary education. Due to their struggle to make a living, they are forced to leave education to earn and supplement their family income. Often, a lack of education is also responsible for a low level of awareness; thus, for one reason or another, they cannot avail themselves of the benefits of any government scheme.

Jhabua's literacy rate

- The overall male and female literacy rates of Jhabua are 33.77% and 52.85%, respectively, while the overall literacy rate for the region is 43.3%
- The rural male and female literacy rates in Jhabua are 48.73% and 29.33%, respectively, while the rural literacy rate is 38.98%.
- In Jhabua, the urban literacy rate is 83.49%, whilst the rates for males and females are 89.86% and 76.69%, respectively.

- The literacy rate of Jambua is lower than that of Madhya Pradesh and lower than that of India

Total literacy rate of Jhabua district

Category	Literacy Rate (%)
Male Literacy	33.77%
Female Literacy	52.85%
Overall Literacy	43.3%

rural literacy rate of Jhabua district

Category	Literacy Rate (%)
Rural Male Literacy	48.73%
Rural Female Literacy	29.33%
Overall Rural Literacy	38.98%

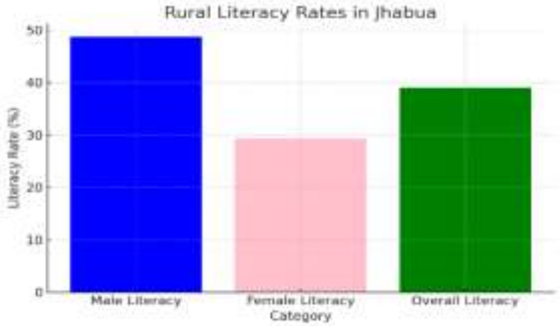

Objective

1. To examine the factors affecting the education of tribal women in the Jhabua district of Madhya Pradesh.
2. To know the challenges faced by tribal women in the Jhabua district of Madhya Pradesh.
3. To find out the domestic problem of tribal women.

Research Methodology:

In a study using secondary information compiled by various authors and researchers, we have studied several books, magazines and websites in depth to gain the required knowledge mentioned in the study. Secondary data was used to complete this study.

Review Of Literature

Rani, G. S., Rajani, N., & Neeraja, P. (2011) analyzed the education of tribal women in India and found that literacy rates among women also increased significantly during the period from 1961 to 2001. The literacy rate among tribal women living in urban areas has increased almost fourfold, from 13.45% in 1961 to 59.87% in 2001. The literacy rate among rural tribal women has also increased from 2.90% to 32.44% during these four decades. The percentage of scheduled tribe girls in higher education is gradually increasing. This is a welcome change. However, there is still a need to provide educational opportunities to tribal women and girls living in rural areas. Moreover, in order to bring them into the mainstream of economic development, appropriate strategies should be adopted to provide vocational and skill training courses to improve the socio-economic condition of the tribal community especially women, who were once isolated and deprived of these facilities and opportunities.

Arya, S., & Chauhan, T. (2012). The approach adopted for educational development among tribal communities fails to adequately address the characteristics of the tribal population. As a result, no meaningful policy has been formulated for tribal education. One of the major obstacles to tribal education at the planning stage is adopting a dual administration system. The Tribal Welfare Department deals with tribal life and culture and manages development work, including education at the local level. However, the Tribal Welfare Department lacks expertise in educational planning and administration in general and academic supervision and monitoring in particular

Education is a powerful means of empowering women, as **Suri (2014)** argues, but systemic and cultural challenges in India have limited its impact. Addressing these challenges requires multi-pronged interventions, including policy reforms, community engagement, and the active participation of civil society. Through such collective efforts, India can ensure that women are not left behind in its march toward social, political, and economic progress.

Ashwini Deshpande and Smriti Sharma (2015) have identified several disadvantages such as gender and caste. This study is one of many that examine the role of women in India's economic development. The study examined the barriers and challenges faced by women in India and found that poverty, child marriage, illiteracy and malnutrition are the major causes of these problems.

The socioeconomic situation and female empowerment of Karnataka's scheduled tribes were the main topics of **Dr. Ramakrishnappa's (2015)** study . The analysis showed notable discrepancies between real tribal women's emancipation and policy and breakthroughs. Women are empowered to the extent that it is determined by their economic, social, and political identity and weight. Among other reasons, tribal women are disproportionately found in rural locations with limited access to healthcare, education, and productivity.

Das and Sahoo (2017) found that despite increases in overall literacy, tribal women remain disproportionately affected due to intersecting barriers such as poverty, geographical isolation, and cultural norms. **Tilak (2018)** points out that states like Kerala have achieved higher tribal literacy rates due to focused interventions. In contrast, states like Jharkhand and Odisha continue to lag due to infrastructural and socio-economic barriers. **Desai (2018)** found that the dropout rate among ST girls increases sharply after primary school, reflecting a lack of support for girls' education beyond elementary.

Kumari (2018) notes that the literacy rate among tribal communities was as low as 8.54% in 1961 but increased significantly to 47.10% by 2001. While this improvement reflects the impact of various government programs, the female

literacy rate among tribal communities remains a concern. Kumari's findings show that only 34.76% of tribal women were literate by 2001, compared to the national average of 59.17% for all women. In addition to cultural factors, economic constraints play a significant role. **Nanda et al. (2019)** found that poverty forces many families to prioritize boys' education while expecting girls to contribute to household chores or engage in wage labor. The absence of scholarships and financial aid targeted at tribal girls further limits their access to education. **UNESCO (2020)** further emphasizes that education initiatives often do not reach tribal populations effectively due to the lack of targeted implementation in remote areas.

Moreover, Patel and Mehta (2019) observed that some tribal-dominated regions have insufficient schools, poorly trained teachers, and cultural differences that hinder effective education delivery. These regional disparities exacerbate the overall gender gap and prevent tribal women from accessing education on equal terms with men. Similarly, **Gupta and Sharma (2020)** argue that these disparities are often rooted in cultural practices prioritizing domestic responsibilities over girls' education. Rani and **Thomas (2021)** attribute these high dropout rates to issues such as inadequate infrastructure, the absence of female teachers, and the lack of safe learning environments.

Importance of literacy Rate

- For a nation's educational and socioeconomic progress, its literacy rate is essential. It shows the proportion of a population that is proficient in both reading and writing. The following justifies the importance of the literacy rate:
- Empowerment: By giving people the knowledge and abilities to make educated decisions and take part in the democratic process, literacy empowers people.

- Economic growth: One of the main forces behind progress and economic growth is literacy. It contributes to the economic growth of the nation by giving people the skills they need to find better employment prospects.
- Enhanced health results: People with higher levels of literacy are more likely to look for and comprehend health-related information, which promotes healthier lifestyles and better healthcare choices.
- Social development: By enhancing communication, social relationships, and general quality of life, literacy fosters social development.
- Poverty reduction: Because literacy allows people to engage in the economy and obtain necessities like healthcare and education, it is essential in eliminating poverty.

Factors affecting the education of Bhil tribal women in the Jhabua district.

The level of education of Bhil tribal women is very low or they are not educated at all. In their lives, they are engaged in different tasks and activities, leading to obstacles during education attainment. When they participate in these tasks and activities, they face many problems and challenges, which lead to obstacles while learning, generating information, and suitably maintaining their life status. In tribal communities, the education system is not well-developed. There are many areas, which have limitations in terms of it. When the education system is not well-developed, it can be clearly understood that girls and women cannot efficiently understand academic subjects and lesson plans. Also, they will be unable to implement academic activities properly and satisfactorily. Tribal women experience many problems in attaining education.

Execution of Domestic Responsibilities

The Bhil tribal society believes that girls should be trained in the execution of domestic responsibilities right from childhood. They have to perform different types of domestic responsibilities after marriage, such as cleaning, washing clothes, cooking food, fetching water, taking care of the needs and requirements of the family members, etc. The tribal individuals believe that girls have to grow

up and get married. So, they cannot use their educational qualifications in marital homes after getting educated. Therefore, they should focus on training in different types of domestic responsibilities. The family members inform the girls about different types of domestic responsibilities and taking care of the elderly members of the family. So, when girls focus on learning all types of domestic work and responsibilities, they face many problems while getting an education. Therefore, the execution of domestic responsibilities is one of the problems tribal women face in getting a comprehensive education.

Marriage at an early age

Marriage at an early age is also the most significant reason affecting the education of Bhil tribal women. In Bhil tribal society, people think about the use of educating a girl. One day, she will get married and go to another house, so they marry girls at an early age. Individuals belonging to tribal communities believe that when marriage occurs at an early age, financial resources will be spent less. Parents are not willing to spend financial resources on their education. They save to spend on marriage. After marriage, if their husband and in-laws allow and support them, they can get an education. Therefore, everyone can understand that, due to marriage at an early age, tribal women face problems while getting an education.

Discriminatory Practices

In Bhil tribal communities, males are given more preference than females. The birth of girls is not appreciated; instead, girls are considered a burden who do not give any return on investment. Instead, it is believed that they will demand various things. On the other hand, boys are considered assets. It is thought that when they are provided with a quality education, they will contribute effectively towards the well-being of their family and community. Due to the prevalence of discriminatory practices, girls are deprived of getting an education and participating in various types of functions and activities.

In some cases, they are not even given food items that are given to boys. It can be clearly understood that when girls are discriminated against, they will not be able

to enroll in educational institutions to get a quality education. Therefore, it can be widely understood that, due to discriminatory practices, tribal women face problems while getting an education.

Poverty Conditions

The Bhil tribal society lives their life in poverty. Due to poverty, the people of the tribal society face many problems. The tribal society can eat only two meals a day by doing labour. How will they provide a good education for their children in such a situation? When tribal individuals have to get a quality education, they need financial resources. Financial resources must be spent on stationery, technology, bags, transportation, etc. Therefore, when individuals are overwhelmed by poverty, it can be clearly understood that they will face problems in fulfilling their needs and requirements. When tribal individuals are living in a state of poverty, they face problems in fulfilling their nutritional requirements. It is necessary to be physically and mentally healthy to participate in various tasks and activities and to get an education. Due to the condition of poverty, the physical and mental health and well-being of individuals are affected. When someone is physically and mentally unwell, he will not be able to focus on his studies systematically and satisfactorily. Therefore, poverty is considered one of the major problems during education attainment.

Inadequate Teaching Strategies

Teaching strategies are considered to be extremely important in facilitating education. Teachers need to focus on upgrading teaching strategies to promote education among individuals. Teachers can provide students with adequate knowledge about academic subjects and lesson plans through teaching strategies. When implementing teaching strategies, teachers must ensure that students understand them well. On the other hand, when teaching strategies are inadequate, teachers face problems in education. Students also face difficulties in learning. Therefore, it is extremely important to focus on upgrading teaching strategies in schools and other educational institutions and upgrading teaching strategies

according to the needs and requirements of students. Therefore, it can be said that when teaching strategies are not well-developed within educational institutions at all levels, teachers and students face problems while gaining an efficient understanding of lesson plans and academic concepts. Apart from this, girls, as well as other students, will also face difficulties in getting an education.

Measures to be implemented to promote education among tribal women

To get a quality education, tribal women need to get help and support from their family members in their maternal and marital homes. Girls need the support of their parents, and when they are married, they need the support of their husbands and in-laws. Education is provided free of charge by the government, but expenses in terms of uniforms, bags, stationery, transportation, etc., must be met, which requires a lot of money. Therefore, financial resources are considered the most important in fulfilling all educational needs, goals, and objectives. Apart from financial resources, other measures need to be put into practice while getting an education; these are enhancing communication skills, reducing conditions of poverty and backwardness, generating awareness among girls about the importance of education, providing equal rights and opportunities to girls; developing the qualities of diligence, resourcefulness, and conscientiousness, and managing stress and anger. These are as follows:

Improving communication skills

The Bhil tribal women need to focus on improving their communication skills. Communication skills are the key to gaining education, achieving personal and professional goals, and improving the overall quality of one's life. These skills significantly enrich the overall quality of life of tribal individuals. Hence, tribal individuals must learn to integrate with mainstream society. Therefore, one can broadly accept that enhancing communication skills is considered one of the fundamental measures to promote education among tribal women.

Providing equal rights and opportunities to tribal girls

There is a need to provide equal rights and opportunities to tribal girls. Tribal women are not able to complete their education due to a lack of equal rights and opportunities. They should be encouraged to get an education and participate in other activities. Tribal society needs to change its attitude in terms of girls and women. They need to understand that girls and boys can contribute significantly to promoting the well-being of their families and communities. When girls are enrolled in educational institutions to enhance their educational skills, they should be provided opportunities to use their educational qualifications, skills, and abilities. Girls should not be discriminated against and should be provided equal rights and opportunities as compared to their male counterparts. This should be implemented in homes as well as educational institutions. Therefore, one can reasonably accept that providing equal rights and opportunities to girls is considered one of the essential measures to promote education among tribal women.

Government Policies and Programmes for Tribal Women Education:

Since independence, many efforts have been made to improve the level of education in India. To make education accessible to all people of all castes, whether male or female, the government has launched various schemes so that education can be accessible to all.

Since the country gained its independence, more has been done to ensure that children under the age of 14 receive a structured, easily available, and required education. The objective outlined in Article 45 of the Indian Constitution was prioritized through a series of five-year programs designed to reach the target of 100% literacy in the nation by offering accessible and required education to children under the age of fourteen. The National Education Policies of 1986 and 1992 placed a high priority on creating a number of programs and incentives to both universalize and improve the standard of elementary education in India, with the ultimate objective being universal elementary education (UEE). However, the goal of universal elementary education has not yet been accomplished even after

sixty-two years of independence, which raises grave concerns. Approximately ten million school-age girls in rural India are unable to attend primary schools for a variety of reasons, including lack of access to education and poverty. In 2001–2002, the Indian government introduced the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) program in cooperation with state and local self-governments to address this issue. The Government of India established this extensive and significant integrated effort to fulfill its long-standing objective of providing elementary education to all citizens. In this manner, several initiatives have been undertaken periodically to raise the standard of education in India in order to make education accessible to all.

The domestic problem of Bhil tribal women

Bhil tribal women, an important indigenous community in India, face many domestic problems rooted in socio-cultural, economic and structural challenges. Which directly impacts their education. Below are some of the major domestic issues faced by Bhil tribal women.

- **Domestic Violence:** Bhil women often face domestic violence, including physical, emotional and verbal abuse, which is often considered culturally normal. Social pressure and limited legal awareness make it difficult for them to report abuse or seek justice
- **Alcoholism:** Alcohol addiction is common among men in Bhil communities, leading to increased cases of violence, abuse and economic difficulties in homes. Alcoholism is the biggest problem in Bhil tribal communities. Alcohol addiction is the main reason for the backwardness of Bhil tribal society.
- **Child Marriage:** Early and forced marriage is common in Bhil tribal communities, Bhil girls are often married in their teens. This not only deprives them of education, but also puts them at risk of premature pregnancies, posing health risks.
- **Lack of education**: Educational opportunities for Bhil women are limited due to poverty, patriarchal norms, and early marriage. This lack of education

limits their access to better livelihoods and their ability to stand up for their rights.

- **Limited access to healthcare:** Bhil women face significant barriers to accessing healthcare services, particularly maternal and reproductive healthcare. Many live in remote areas with inadequate healthcare facilities, and cultural traditions and superstitions often prevent them from seeking medical help.
- **Malnutrition:** Bhil women and children are particularly vulnerable to malnutrition due to food insecurity and poor diets in their communities, resulting in high rates of anemia and other health problems.
- **Economic dependence on men:** Bhil women are often economically dependent on their husbands or male family members. Even when they contribute to agricultural or labour work, their income is typically low, and they lack ownership over resources such as land.
- **Labour exploitation:** Many Bhil women work as unskilled labourers in agriculture or construction, where they face harsh working conditions and wage discrimination. Their contributions to the economy often go unrecognised.
- **Limited social mobility:** Bhil tribal women have limited participation in decision-making processes within their households and communities. Traditional patriarchal norms restrict their social mobility and limit contact with the outside world.
- **Marginalisation:** Being part of an indigenous tribal community, Bhil women often face double marginalisation – both as tribal and as women – making it difficult for them to access government schemes and opportunities for self-improvement.
- **Patriarchy:** Bhil society, like many traditional tribal societies, is deeply patriarchal. Women's roles are generally limited to domestic duties, child rearing and labour-intensive work, while men dominate decision-making and social status.

- **Dowry system:** Dowry system is a major problem in tribal communities. Bhil communities pay bride price (where the groom's family pays the bride's family), but some sections have adopted the dowry system as a means of earning, which further burdens women and their families financially.
- **Seasonal migration:** Many Bhil families are forced to migrate seasonally for work, causing instability in the household. Women, in particular, face increased vulnerability as they are often left behind to take care of the household and children or have to endure difficult living conditions in migrant camps.
- **Land alienation:** Bhil communities are often affected by land alienation due to large-scale development projects. Major government schemes have led to the displacement of Bhil community from their ancestral lands, which has led to a deterioration in their economic and social status, with Bhil women bearing the brunt of domestic crises caused by loss of livelihood and resources.
- **Legal illiteracy:** Bhil women are often unaware of their legal rights related to property, domestic violence or access to government welfare programmes. This lack of awareness makes it difficult for them to claim their rights and seek legal aid when facing domestic issues.

Suggestions for improving tribal education: Some suggestions for improving tribal education are given below:

- **Literacy campaign -** To bring tribal women to schools, the government should run a proper awareness campaign to create awareness about the importance of education. So that the educational level of tribal women living in tribal-dominated areas can be improved and they can go to school.
- **Attitude of tribal parents -** Since one of the primary reasons for the backwardness of tribal girls is the indifference of their parents towards their education, the parents of tribal children are not aware of the education of their children, especially the tribal society is not aware of the education of

women, many parents do not send girls to school. Therefore, the attitude of tribal parents towards education should be improved through awareness programs.

- **Relevant study material in local languages -** Students should be provided with various types of educational aids in the language of their tribes. If students are educated in the local language, they will understand very quickly and not face any problems in understanding.
- **Appointment of local teachers and female teachers -** In this case, teachers from the local area, especially female teachers in all those tribal areas, should be given more importance. If there are local teachers in schools, they will know and understand the students' problems well. It is also important to have female teachers in schools because they will understand the issues of girls studying in school better and will understand the difficulties faced by the students in their education.
- **Different types of stipends and scholarships should be given -** Tribal students should be given various types of scholarships and stipends so that they take more interest in education. Giving scholarships to students will improve their economic condition. They will be able to fulfill their needs themselves.
- **Social security -** Provide social security for tribal and female students. So, in this case, the residential school has to make arrangements for it. Some incident or the other keeps happening with tribal women every day, so the government should take appropriate steps for their safety.
- The attitude of tribal parents towards education should be improved through proper counseling and guidance.
- Building and maintaining close relationships with teachers to develop tribal students.
- Vocational institutes should be established for tribal students to create new pathways.

- Senior officials should frequently review the functioning of schools with teaching methods, working hours, school days and attendance.
- Establish a separate residential school for each district and extend it up to PG level.

Bhil women of Jhabua district in Madhya Pradesh are known for their remarkable skills in various traditional crafts. This is what sets them apart from other tribal communities: these talents contribute to their community's economy and help preserve their cultural identity.

Handicrafts: The Bhil tribal women of Jhabua are adept at making intricate handicrafts from bamboo and cane products that reflect their tribal cultural heritage.

Embroidery: Bhil women are skilled in traditional embroidery techniques, often using vibrant colors and patterns that tell stories of their community.

Art and Painting: Bhil tribal women create stunning murals and artworks such as Warli and Pithora that celebrate their folklore and daily life.

Agriculture: Farming is the main occupation of the Bhil tribal people. Many Bhil tribal women are involved in agricultural activities and know about local crops. Bhil tribal women adopt sustainable practices.

Culinary Arts: Bhil tribal women are adept at preparing traditional dishes using local ingredients and age-old recipes that highlight their culinary heritage

Here are some ideas to increase the income of Bhil tribal women:

- **Skill Development Workshops:** Organize training sessions to enhance existing skills in crafts, embroidery, and other traditional arts to increase the income of Bhil tribal women, as well as develop new skills like digital marketing and financial literacy so that Bhil tribal women can become self-reliant.

- **Cooperatives:** Establish cooperatives for tribal women to collectively produce and market handicrafts, ensuring better prices and shared resources.
- **Online Platforms:** E-commerce platforms are the best medium to sell handicrafts, clothing, and art to a wider audience. Through online platforms, Bhil tribal women can sell their handicrafts, clothing, and all things worldwide from the comfort of their homes.
- **Tourism Initiatives:** Develop eco-tourism or cultural tourism programs in your area that allow visitors to experience Bhil culture, crafts, and cuisine and increase the income of Bhil tribal women through workshops and guided tours.
- **Agricultural Support:** Provide training in sustainable farming techniques and access to better markets for their agricultural produce so that Bhil tribal women can increase yield and income.
- **Microfinance and Credit:** Provide microfinance or small credit facilities to help Bhil tribal women start or expand small businesses related to their skills or local resources.
- **Product Diversification:** Encourage diversification of products for Bhil tribal women by exploring new designs or materials that can appeal to different market segments.
- **Health and Nutrition Programs:** Organize programs that improve health and nutrition in tribal areas, increasing women's productivity and reducing healthcare costs.
- **Networking and Mentorship:** Connect Bhil tribal women with successful women entrepreneurs or artisans for mentorship, guidance, and support in business development to grow their businesses even further.
- **Government schemes and grants:** Facilitate easy access to government schemes to support Bhil tribal women's entrepreneurship and skill development.

By combining these approaches, the economic empowerment of Bhil tribal women can be significantly enhanced while preserving their cultural identity.

Suggestions

Many essential steps can be taken to improve the level of education of Bhil tribal women in the Jhabua district. Here are some practical suggestions:

1. Local and culturally appropriate education

Jhabua district is a tribal district where most of the local Bhil language is spoken. To increase women's education level, primary education should be given in the Bhil language (education in mother tongue) or local dialect so that women can easily understand it.

Culturally appropriate curriculum: Bhil culture, traditions and local lifestyle should be added to the education curriculum. Special courses for women: Practical skills related to agriculture, embroidery, weaving, small business etc. should also be taught. So that women can quickly get employment.

2. Financial assistance and incentives

Financial assistance: To increase education, scholarships and free school materials should be given to girls from poor families. So that girls who are unable to pay their school fees can get help with their studies.

Self-employment and livelihood-related education: Education should be linked to the livelihood of women so that they consider it more useful. They should be given such education and training to earn their livelihood.

3. Improvement in access to schools and infrastructure

Opening schools in nearby villages: Often, women cannot complete their education because the distance from the school to their home is too much. Therefore, they leave their studies in the middle. Thus, schools should be increased in remote areas so women do not have to travel long distances.

Transport facilities: Safe transport services should be provided so female students can easily attend school.

Residential schools (hostels): Hostel facilities should be provided for girls from remote villages. So that they do not have to travel long distances to get to school every day.

4. Community participation and awareness

Parents' participation: Workshops should be organized to educate parents and change their mindset.

Recruitment of women teachers: Women from the tribal community should be made teachers so that the female students feel more comfortable. And girls can get more inspiration for education.

Local leadership and cooperation: Influential persons of Bhil society should be included in the awareness campaign.

5. Digital and alternative education

Mobile education units: Mobile teaching centres (bus or van) should be run in villages without schools. So that women who are unable to reach school can get an education at home.

Online education: Online education material should be available in the Bhil language through a digital platform.

6. Initiatives related to health and nutrition

Expansion of mid-day meals: Nutritious food should be provided to motivate parents to send their daughters to school.

Health awareness campaign: Menstrual hygiene, nutrition, and health-related education should be given to adolescent girls. Along with women's education, they also know health-related things.

7. Balance between marriage and education

Child marriage prevention: Parents should be motivated not to get their children married by explaining the importance of education. In Bhil tribal areas, women are often married at a young age. Due to this, they leave their studies in between.

Livelihood-linked training: Along with educating women, self-employment opportunities should also be provided.
All these measures can be implemented in collaboration with the local community, government schemes and non-governmental organizations (NGOs). If women see the real benefit of education, they will come forward to educate themselves and their families.

Conclusion

Presently, tribal women have recognized the meaning and importance of education. They aspire to acquire quality education, promote better livelihood opportunities, and enhance their personality traits. Tribal women face many problems and challenges. That is why the rate of education among tribal women is low. In tribal communities, there is a need to formulate necessary measures and programs to improve the education system for tribal women. In addition, girls should be encouraged to acquire an education. There are a lot of problems experienced by tribal women in acquiring education, such as the implementation of household responsibilities, early marriage, discriminatory behaviour, poverty conditions, inadequate teaching strategies, inadequate teaching-learning materials, a lack of teachers, a lack of infrastructure, facilities, and amenities, improper assessment strategies, and a lack of academic activities. The measures to be implemented to promote education among tribal women are enhancing communication skills, reducing poverty and backwardness conditions, creating awareness among girls about the importance of education, providing equal rights and opportunities to girls, developing the qualities of diligence, resourcefulness, and conscientiousness; and managing stress and anger.

In conclusion, it can be said that when tribal women are encouraged to gain education, they can achieve personal and professional goals and improve the

overall quality of their lives. And also help make their society aware. That is why tribal women need to be educated.

References:

1. Arya, S., & Chauhan, T. (2012, June). A critical study of tribal education: with special reference to women. In *International Seminar on Tribal Development, in the Pacific University, Udaipur, Rajasthan, India*.
2. All India Survey on Higher Education. (2013 – 2014). Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, New Delhi, Ch.
3. Annual Report (MHRD) Govt. of India.
4. Dr. Rajeshwari M. Shettar, A Study on Issues and Challenges of Women Empowerment in India. Vol.17, Issue 4.Ver. I (Apr. 2015), PP 13-19.
5. https://physicscatalyst.com/graduation/sarva-shiksha-abhiyan/
6. Joshi, Y. G. (2009). Socio-economic Transformation in Tribal areas: A Telescopic Study in Western tribal Belt of Madhya Pradesh. *Tribal Development since Independence*, 138-170.
7. Kumari, S. (2018). Challenging Issue of Tribal Women Education in India. *International Journal of Interdisciplinary Research in Arts and Humanities*, *3*(1), 109-114.
8. Mitra, A. (2007). The Status of Women Among Scheduled Tribes in India. The Journal of SocioEconomics.
9. Majumdar, R. & Sikdar, D. P. (2018).'Participation of Tribal Women in Higher Education in India'. International Journal of Arts, Humanities and Management Studies, ISSN: 2395-0692.
10. National Commission for SCs & STs, Fifth Report & Census, 2011.
11. Rani, G. S., Rajani, N., & Neeraja, P. (2011). An analysis of tribal women's education in India. In *International conference on social science and humanity* (Vol. 5, pp. 507-510).
12. Srivastava,V. K. (2006). Tribal Women and Educational Programmes. *Development of Indian Tribes*, 127.

13. Shukla, P. P., & Shukla, V. B. (2019). Implementation Of Janani Suraksha Yojana In Modi Regime: A Case Study Of Tribal Women In Jhabua District Of Madhya Pradesh. *Think India Journal*, *22*(10), 6704-6719.
14. Scheduled tribe women [Online]. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/17878/4/chp-3.pdf.
15. Taneja, P. V. Taneja, Priti V. & Saxena, Manisha: Nutritional Anthropometry of Bhil Women in Jhabua District of Madhya Pradesh. The Indian Journal of Nutrition and Dietetics. Apr. 1998. 35 (4). p. 98-102.

Social Issues Related to Domestic Violence in Gaya District: Challenges and Possibilities

Shubham Raj
Research Scholar, Department of Economics, Magadh University,
Bodh Gaya, Bihar, India, 824234 shubhamraj466@gmail.com

Abstract
Domestic violence is a critical social issue in Gaya district, Bihar, affecting the physical, mental, and economic well-being of women. This study examines the key social factors contributing to domestic violence and ranks them based on their impact using a structured ranking method. Data was collected through surveys, expert opinions, and secondary sources to identify the most influential causes. The findings indicate that poverty and economic dependence are the primary factors forcing women to remain in abusive relationships, followed by patriarchal norms, low education levels, and alcoholism. Additionally, weak law enforcement, lack of support systems, and social stigma prevent victims from seeking justice or escaping abusive situations. Addressing these issues requires economic empowerment programs, education initiatives, stricter law enforcement, and better rehabilitation services for victims. Community engagement and awareness campaigns are also essential in challenging traditional gender biases and reducing the social acceptance of domestic violence. The study emphasizes the need for multi-sectoral interventions involving the government, NGOs, and local communities to create a safer environment for women. By prioritizing these factors, policymakers can implement targeted strategies to reduce domestic violence in Gaya district.

Keywords: Domestic violence, Gaya district, poverty, patriarchy, education, law enforcement, substance abuse, social stigma, gender equality.

Introduction

Domestic violence is a pervasive social issue affecting millions of women worldwide, with particularly severe consequences in rural and semi-urban regions of India. Despite legal provisions such as the Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005, the issue remains widespread due to deeply entrenched patriarchal norms, economic dependence, and weak institutional support. In Gaya district, Bihar, domestic violence continues to be a significant challenge, with many women facing physical, emotional, and financial abuse within their households. The problem is further exacerbated by low literacy rates, poverty, lack of awareness about legal rights, and societal pressure to remain silent in abusive relationships.

Gaya district, like many other parts of Bihar, follows traditional gender norms that reinforce male dominance and female subservience. Women are often expected to tolerate violence to maintain family honor, and any attempt to seek help is met with resistance from both family members and the community. Many victims do not report abuse due to fear of social stigma, lack of financial independence, and distrust in the legal system. As a result, domestic violence is frequently normalized, and victims are left with little recourse for justice or rehabilitation. The lack of financial independence is a key factor that prevents women from escaping abusive relationships. Many women in Gaya are dependent on their husbands or in-laws for financial support, making it difficult for them to leave violent situations. Limited employment opportunities and lack of vocational training further restrict their ability to achieve self-sufficiency. Additionally, illiteracy among women remains a major barrier, as it prevents them from understanding their legal rights and accessing available support services. Without proper education and awareness, many women continue to suffer in silence, believing that domestic violence is an unavoidable part of their lives.

Weak law enforcement further compounds the issue, as many victims find it difficult to seek legal intervention. Police officers and other authorities often

dismiss domestic violence cases as private family matters, discouraging women from filing complaints. Even when cases are registered, judicial delays and lack of proper legal aid make it difficult for victims to obtain justice. Corruption and gender bias in law enforcement also deter women from reporting abuse, as they fear further victimization rather than protection. To effectively address domestic violence in Gaya, a multi-dimensional approach is needed. Strengthening legal frameworks, providing economic opportunities for women, increasing awareness through education, and improving law enforcement responses are critical steps in combating this issue. Community engagement and support systems, such as self-help groups and crisis centers, can also play a vital role in empowering women and breaking the cycle of violence. By adopting a holistic approach, it is possible to create a safer environment for women in Gaya and ensure their fundamental rights are protected.

Review of Literature

Domestic violence has been widely studied as a significant social issue affecting women across the world. Several researchers have examined the causes, consequences, and legal frameworks related to domestic violence in India, particularly in rural and semi-urban areas like Gaya district. Scholars such as Rao (2019) and Patel (2021) have highlighted that domestic violence in India is primarily rooted in patriarchal social structures that reinforce male dominance and female subordination. Studies suggest that economic dependence, low literacy rates, and cultural norms prevent women from seeking justice, as they fear social stigma and financial insecurity (Kumar, 2020). Research conducted by the National Crime Records Bureau (NCRB) has consistently reported high incidences of domestic violence in Bihar, indicating systemic failures in addressing gender-based violence.

Legal frameworks, including the Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005, have been analyzed in several studies to assess their effectiveness. Sharma and Gupta (2020) found that while the PWDVA provides legal protection, its implementation remains weak due to inadequate law

enforcement and judicial delays. The study emphasized that many women lack awareness of their legal rights, making them hesitant to report abuse. Additionally, Mukherjee (2018) noted that social stigma and family pressures often force women to remain in abusive relationships, limiting the impact of legal interventions.

Community-based interventions and economic empowerment strategies have been explored as possible solutions. Sen (2022) argues that self-help groups (SHGs) and vocational training programs can significantly enhance women’s independence and reduce their vulnerability to domestic violence. Similarly, awareness campaigns and gender sensitization programs have been identified as crucial in challenging traditional gender norms (Das, 2017). Overall, existing literature underscores the need for a multi-dimensional approach to addressing domestic violence, combining legal reforms, social support systems, and economic opportunities to create lasting change.

Objectives of the Study

a) To examine the socio-cultural factors contributing to domestic violence in Gaya district.
b) To rank the social issues related to domestic violence in Gaya district.
c) To explore possible solutions and policy recommendations.

Methodology

Identification of Key Social Issues

Through a literature review, government reports (e.g., NCRB data), and consultations with social workers, law enforcement, and victims, seven key social issues related to domestic violence in Gaya district were identified.

Data Collection

Primary data were collected using Surveys & Questionnaires conducted among domestic violence survivors, women's rights activists, and law enforcement officials.

Secondary Data were collected by government reports, crime records, and academic studies on domestic violence in Gaya.

Assigning Scores to Social Issues

For each issue, respondents in the survey were asked to rate its impact on domestic violence on a scale of 1 to 10 (where 1 = least impact and 10 = highest impact).
100 respondents (including survivors, experts, and community members) provided ratings for each issue.
The average score for each issue was calculated by taking the mean of all responses.
The scores were then normalized to a 100-point scale to ensure comparability.

Final Score Calculation (Formula Used)

The final score for each issue was calculated using the formula:

$$\boldsymbol{Final\ Score} = \left(\frac{\sum \boldsymbol{Individulal\ Ratigs\ for\ Issue}}{\boldsymbol{Total\ Respondents} \times \mathbf{10}}\right) \times \mathbf{100}$$

Where:

$\sum$ Individual Ratings for Issue = Sum of all ratings received for a particular issue
Total Respondents = Number of participants in the survey (100)
10 = Maximum possible rating per respondent
Multiplication by 100 scales the score to a percentage format (0-100)

Ranking the Social Issues

The final scores were ranked from highest to lowest to determine which social issues have the greatest impact on domestic violence in Gaya district.
Higher scores indicate a stronger influence on domestic violence.

Table 1: Survey Data on Social Issues Related to Domestic Violence in Gaya District

Social Issue	Rating										Total Score	Final Score (Out of (100)	Rank
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			

Poverty & Economic Dependence	30	40	20	10	0	0	0	0	0	0	890	**89**	1
Patriarchal Norms & Gender Bias	25	38	25	7	5	0	0	0	0	0	860	**86**	2
Low Education Levels	22	36	28	8	4	2	0	0	0	0	820	**82**	3
Alcoholism & Substance Abuse	20	32	30	10	5	3	0	0	0	0	790	**79**	4
Weak Law Enforcement & Judicial Delays	18	30	28	10	7	5	2	0	0	0	750	**75**	5
Lack of Support Systems & Helplines	15	28	25	12	8	7	3	2	0	0	710	**71**	6
Social Stigma & Fear of Isolation	12	25	22	15	10	8	5	3	0	0	670	**67**	7

Source: Survey Data

Findings and Discussion

The study reveals that poverty and economic dependence with the final score of 89 are the most significant contributors to domestic violence in Gaya district. Many women remain in abusive relationships due to financial insecurity, as they lack independent sources of income and fear economic instability if they leave their partners. Patriarchal norms and gender discrimination rank as the second most critical issue with the final score of 86, as deeply ingrained societal beliefs normalize male dominance and restrict women's autonomy. Traditional

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

expectations often discourage women from reporting abuse or seeking legal assistance, further perpetuating the cycle of violence.

Low education levels among both men and women play a crucial role in sustaining domestic violence. Women with little or no formal education are often unaware of their legal rights and available support systems, making them more vulnerable to abuse. Meanwhile, uneducated men are more likely to adhere to patriarchal attitudes that justify violence against women. Alcoholism and substance abuse also emerge as a major factor, with many cases of domestic violence linked to intoxication. Alcohol consumption often leads to aggression and violent behaviour, increasing the risk of physical abuse.

Figure 1: Social Issues and their final scores

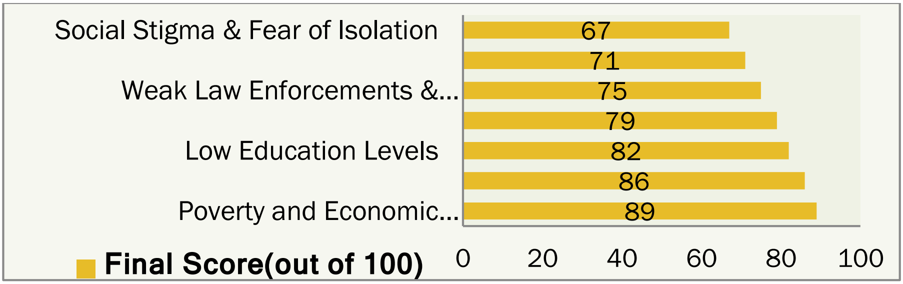

Weak law enforcement and judicial delays significantly discourage victims from seeking justice. Many women hesitate to report domestic violence due to fear of retaliation and a lack of faith in the police and judicial system. The absence of adequate support systems and helplines further worsens the situation, as victims have limited access to safe shelters, counseling, and legal aid. Additionally, social stigma and fear of isolation prevent women from speaking out or leaving abusive relationships, as they worry about family dishonour and societal rejection. These findings highlight the urgent need for economic empowerment, education, awareness programs, and stronger law enforcement to address domestic violence effectively in Gaya district.

Possibilities and Solutions

a). Strengthening Legal Implementation

One of the most effective ways to combat domestic violence in Gaya is to ensure the strict implementation of existing legal provisions. The Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005, and other related laws should be enforced more efficiently, with law enforcement agencies actively addressing complaints without bias or delay. Fast-track courts should be established to expedite cases of domestic violence and ensure timely justice for victims. Additionally, more women-friendly police stations should be set up where female officers can handle cases with sensitivity. Many women hesitate to report abuse due to fear of harassment by authorities; thus, providing legal aid and ensuring fair treatment within the judicial system will encourage more victims to come forward and seek justice.

b). Economic Empowerment of Women

Financial independence is key to helping women escape abusive relationships. The government and NGOs should work together to provide vocational training programs, skill development initiatives, and employment opportunities for women in Gaya. Programs focusing on tailoring, handicrafts, agriculture, and small-scale entrepreneurship can help women generate their own income. Microfinance schemes and self-help groups (SHGs) should also be encouraged to support women in starting small businesses. Ensuring that women have control over their earnings will reduce their financial dependence on abusive partners and empower them to make independent decisions about their lives. Furthermore, increasing women's participation in the formal workforce will promote gender equality and reduce the economic vulnerability that often traps them in violent situations.

c). Awareness Campaigns

Many women in Gaya are unaware of their legal rights and the resources available to them in cases of domestic violence. Awareness campaigns should be conducted at the community level, using local languages and culturally appropriate methods

to educate people about domestic violence laws, support services, and helplines. Schools and colleges should incorporate gender sensitization programs into their curricula to challenge patriarchal mindsets from an early age. NGOs and local government bodies can use street plays, radio programs, social media, and workshops to spread awareness about domestic violence and encourage victims to seek help. Additionally, involving men and boys in these awareness programs can help change societal attitudes and promote healthier gender relations.

d). Community Involvement and Social Support

Since domestic violence is often considered a private family matter, community engagement is crucial in addressing this issue. Religious and community leaders, who hold significant influence in Gaya, should be encouraged to take a stand against domestic violence and spread messages of gender equality and non-violence. Community-based organizations should be formed to provide emotional and logistical support to survivors, such as helping them access legal aid, find shelter, and rebuild their lives. Encouraging the formation of local self-help groups where women can share their experiences and support each other will also create a strong network of resilience. Additionally, promoting positive role models such as women who have successfully escaped abusive relationships and built independent lives can inspire and encourage others to seek help.

e). Expanding Crisis Support Services

To provide immediate relief to victims, Gaya needs more well-equipped crisis centers, shelters, and helplines. Currently, the availability of shelter homes is inadequate, and many of them lack proper facilities to accommodate victims and their children. The government should establish more shelters with trained staff to provide legal, medical, and psychological support to survivors. Counselling services should be made accessible to help victims deal with trauma and rebuild their confidence. Furthermore, round-the-clock helplines with trained professionals who can offer guidance, connect victims to legal aid, and arrange emergency shelter should be expanded and made more accessible. Mobile legal

aid clinics can also be introduced in rural areas to provide on-the-spot legal support to women in distress.

Conclusion

This study highlights the critical social issues contributing to domestic violence in Gaya district and ranks them based on their impact. The findings reveal that poverty and economic dependence are the most significant factors, forcing women to stay in abusive relationships due to financial insecurity. Patriarchal norms, low education levels, alcoholism, weak law enforcement, lack of support systems, and social stigma further exacerbate the problem. Addressing domestic violence requires a multi-faceted approach, including economic empowerment, education, legal reforms, and stronger support networks for victims. Strict enforcement of domestic violence laws, fast-track courts, and community awareness programs are essential to break the cycle of abuse. Government agencies, NGOs, and local communities must work together to challenge deep-rooted gender biases and improve victim support services. By prioritizing these issues, effective interventions can be developed to create a safer and more equitable society for women in Gaya district.

References

1. Agarwal, B. (1997). Bargaining and Gender Relations: Within and Beyond the Household. Feminist Economics, 3(1), 1-51.
2. Ahmed, S. (2020). Legal Remedies for Domestic Violence in India: An Overview. Journal of Law and Policy, 15(2), 45-62.
3. Babu, B. V., & Kar, S. K. (2010). Domestic Violence Against Women in Eastern India: A Population-Based Study on Prevalence and Related Issues. BMC Public Health, 10(1), 1-7.
4. Basu, S. (2015). Gender and Law: Exploring Domestic Violence in India. Oxford University Press.
5. Bhattacharya, R. (2018). Social Stigma and Domestic Violence: The Indian Perspective. Indian Journal of Social Science, 28(3), 78-92.

6. Chakraborty, T. (2019). Women’s Economic Dependence and Domestic Violence: Evidence from Rural India. Economic and Political Weekly, 54(19), 43-50.
7. Das, A. (2017). Role of Awareness Campaigns in Reducing Domestic Violence. Indian Journal of Gender Studies, 24(4), 367-380.
8. Das, M. B. (2018). Gender Gaps and Women’s Empowerment in India. World Bank Report.
9. Desai, M. (2002). The Politics of Domestic Violence in India. Feminist Review, 71(1), 35-52.
10. Dutta, S. (2021). Legal Challenges in Domestic Violence Cases in Bihar. Journal of Indian Law and Society, 18(2), 102-118.
11. Ghosh, A. (2016). Understanding the Nexus of Patriarchy and Domestic Violence. Indian Journal of Women’s Studies, 21(2), 24-39.
12. Government of India. (2020). National Family Health Survey (NFHS-5). Ministry of Health and Family Welfare.
13. Gupta, R. (2019). Community Involvement in Addressing Domestic Violence: A Study of Bihar. Journal of Social Policy and Law, 26(1), 55-70.
14. Human Rights Watch. (2021). “No Escape”: Women and Domestic Violence in India.
15. International Center for Research on Women (ICRW). (2018). Economic Cost of Domestic Violence in India.
16. Jain, N. (2020). Legal Protections for Women: Analyzing the Effectiveness of the PWDVA, 2005. Harvard Human Rights Journal, 32(2), 210-225.
17. Jejeebhoy, S. J. (1998). Wife-Beating in Rural India: A Husband’s Right? Economic and Political Weekly, 33(15), 855-862.
18. Kumar, S. (2020). Impact of Economic Empowerment on Domestic Violence in Bihar. Journal of Development Studies, 45(3), 298-312.
19. Mahapatra, N. (2012). Help-Seeking Behavior of Women Facing Domestic Violence in India. Violence Against Women, 18(2), 178-200.

20. Ministry of Women and Child Development. (2021). Annual Report on Domestic Violence and Women’s Safety. Government of India.
21. Mishra, P. (2019). Role of Law Enforcement in Combating Domestic Violence in Rural India. Journal of Criminal Justice, 47(1), 128-142.
22. Mukherjee, R. (2018). Challenges in Implementing Domestic Violence Laws in India. Journal of Indian Law Review, 14(4), 212-229.
23. National Crime Records Bureau (NCRB). (2020). Crime in India Report 2020: Domestic Violence Cases. Ministry of Home Affairs, Government of India.
24. National Commission for Women (NCW). (2019). Women’s Rights and Domestic Violence: Challenges and Solutions.
25. Patel, R. (2021). Patriarchy and Gender-Based Violence in India: A Sociological Analysis. Social Change, 51(1), 12-28.
26. Rao, N. (2019). Domestic Violence and Women’s Rights in India: A Critical Analysis. Gender, Technology, and Development, 23(3), 321-340.

Urban Growth and Pattern of Border District of Nadia: A Historical Analysis (1901-1971)

Chaina Debnath
Ph.D. Scholar of Bankura University
Email: chainanath@gmail.com

Abstract:
Research of Urban history is a widely expanding integrated field. Since the dawn of civilization, humanity has been familiar with cities, witnessing their emergence centred around various functions, such as administrative hubs, pilgrimage sites, trade centres, and more. In this article, I will attempt to explore the history of a district in West Bengal. Since ancient times, Nadia district has earned global recognition as a prominent centre for Sanskrit studies, often referred to as the 'Oxford of the East.' However, following the establishment of colonial rule, the district's prosperity gradually declined due to various challenges. In the 20th century, advancements in technology, improvements in communication infrastructure, and progress in healthcare played a significant role in the district's population growth. The partition of 1947, which led to the formation of a new Indian state, had a profound impact on Bengal as well. Bengal itself was divided, and countless displaced and fearful individuals sought refuge in the border regions. As Nadia district is located along the border of West Bengal, the influx of refugees significantly altered the course of urbanization in the area, steering it in a new direction.

Keywords: Partition, Demography, Refugees, Fertility, Mortality.

Urbanization is a complex process characterized by significant changes in people's attitudes and lifestyles. It encompasses various elements, including increased

access to higher education, the growth of non-agricultural production, improvements in living standards, and advancements in technology. As urbanisation progresses, individuals from diverse communities often transition from agricultural occupations to careers in trade, manufacturing, or other related fields. This shift not only reflects economic changes but also signifies a transformation in societal roles and expectations.

Now I will discuss the definition of urbanization from the perspective of some social scientists and historians. According to M.S.A Rao [1]Urbanization (as a process) is an important aspect of the social organization of any civilization. Where a city is shown as an arena of development of different dimension of great tradition. In the perspective of David F. Pocock[2]"Urbanization' covers the movement of people permanently or temporarily from village to city; it refers to the effect upon village manners of city habits".Ramakrishna Mukherjee [3] showed the transformation of society through Rural Urban Dichotomy and rural Urban continuum. Ashish Bose[4] showed in his study that apart from caste system, epidemics, pilgrimage centres, and industrial trade played a role in urbanization. MN Srinivas[5] gave importance to the development of road systems in the context of urbanization. Dipsikha Sahoo[6] mentions Demographic, ecological and political economy approaches in her study of the process of urbanization during the British period.

Pre-Partition Bengal comprised five divisions and 28 districts with an area of 72,435 square miles and a total population of 60,059,472 out of which 32,998,164 (54.94 per cent) were Muslims and 27,061,308 (45.05 per cent) non-Muslims, including mainly Hindus. Nadia falls under the presidency district of West Bengal and it is situated between 22°53" and 24° 11" North Latitude and 88° 09" and 88° 48" East Longitude. In the district of Nadia is situated in the heart of the Bengal delta. This paper has mainly tried to show how the pattern and character of population growth changed between 1901 and 1971 in Nadia district and Central Bengal. The preparation of this chapter relies on census data and uses data from

different decades from 1901 to 1971. Firstly, we will discuss how the demographic pattern changed in the Nadia district. various census reports and other supporting materials have been used to understand the position of the Nadia district.

Population growth in different decades, sex ratio, percentage of rural and urban population, population density, and representation in different decades is shown in the tables mentioned below.

Table no. 1: Population statistics of Nadia district Between 1901-1971

Year	Total Population	Percentage of increase	Population density
1901	7,73,202	-5.3	512
1911	7,75,986	0.4	514
1921	7,11,706	-8.0	472
1931	7,21,907	1.4	478
1941	8,40,303	16.4	557
1951	11,44,924	36.3	759
1961	17,13,324	49.65	1135
1971	22,30,270	29.94	1473

Sources: Census of India ,1921, Vol- 5, Census 1951, Census 1961, Census 1971

In 1901 - 1911, the population began to increase in various districts of Central Bengal (Calcutta, 24 Parganas Howrah) centred on industry, trade and commerce. In all these towns common people flocked from outside in search of work, even in Jalpaiguri in North Bengal, Cooch Behar, where the population grew, centred on the production of commercial crops. Even after the 1770s, the situation in Nadia district did not change significantly in terms of depopulation, even due to natural disasters and epidemics organized in the last decade of the 19th century, no significant change was observed in this situation. However, during the period 1911-21, the population growth rate collectively affected the whole of Bengal, but

it is clear that the population growth rate was negative in all the districts of Bengal. This was largely attributed to the unsanitary environment of Bengal, particularly epidemics such as influenza and malaria. These epidemics were responsible for depopulating various districts. According to various contemporary data, about 40% of the people of Bengal died due to malaria and various other diseases. But "A steady and significant population growth rate was observed between 1921-1951, which was the highest between 1931 and 1941 in all the district".[7] In 1941, it was very clarified from Table No. 2 that the population increased in every district belonging to Central Bengal.

Table -2 : Inter District variation of percentage increase in population (1901-1951)

District	1901	1911	1921	1931	1941	1951
Howrah	11.4	10.9	5.7	10.2	35.6	8.1
24 pargana	-16.2	15	11.4	9.6	27	25.6
Calcutta	-	8.4	3.4	10.6	84.9	20.9
Nadia	-5.3	0.4	-8.3	1.4	16.4	36.3
Murshidabad	5.7	1.7	-9	12	19.7	4.6

Sources: Demographic Trends in Western Bengal,1881-1951, A Comprehensive History of Modern Bengal,1700-1950, Vol-2

In focus of the position of Post-Colonial Nadia district, the soil fertility of the district, livelihood opportunities, location of agriculture and industry, public health facilities and size of the district as compared to the entire state must be kept in mind.

In reality, the impact of partition fell on this district as it did not in other districts of West Bengal. As mentioned earlier, the population of Nadia district declined due to epidemics, famines, and various natural calamities. Again, in the second half of the 20th century, this district had to endure the pressure of a large number of refugees.

First Phase (1901-1950)

The main reason for the decline in the population of Bengal was the famine of 1770 AD. As a result of this famine, one-third of the people of Bengal died, half of whom belonged to the peasant class. Those who survived left West Bengal for East Bengal. This was also a reason for the population decline. [8] The uncultivated fertile land of agrarian Bengal was characterized by a lack of people.[9] Radha Kamal Mukherjee was a professor of economics and sociology. His book is 'The Changing Face of Bengal'.

Radha Kamal Mukherjee and his contemporary social ecologists attributed the destruction of property in Bengal to colonial constructions such as the construction of railways, roads, dams, etc. rather than natural causes. Almost two centuries later, Professor Sugata Bose presented a different opinion. Dr. Bose has argued, that land in two Bengals-West Bengal and Bangladesh in the 1970s-had some of the highest densities of population and some of the lowest yields in production in the world.[10] Demographic changes were influenced not only by agricultural production systems but also by river diversion and artificial control. Another reason for the decline in population is the change in the course of the Ganges. Earlier the main stream of river Ganga used to flow in the Bhagirathi, the other in the Padma, but later the main stream of the Ganges shifted entirely to the Padma. Two important commercial cities built around the river Bhagirathi were Kaliganj[11] and Fulia[12]which later lost their former glory due to the change in the course of the river Bhagirathi.

In this context, we will learn about the deterioration of public health in the colonial Nadia district. Some Researchers like Aravinda Samanta,[13] C.A Brentley,[14] Ira Klein [15] blamed that colonial modern technology and fragile medical system. The expansion of the railway from Calcutta to Ranaghat led to a rapid increase in some diseases such as malaria. Due to the combination of all these factors, no development was observed in the district in the first half of the 20th century. In the

1940s, the development of the district started due to inflation, improvement of the medical system, and immigration of people coming from outside.

The population growth of any country state or region depends on its birth rate, death rate and immigration. In the first phase, if we look at the population growth and density of the population in the table of 1931 - 1941, we will see that natural growth was more here. But we will see that population growth during this period was mainly due to immigrants (1941-1951). This reduction in natural growth can be due to various reasons, such as lack of permanent settlement, precarious life, reluctance to marry, unemployment etc. The population growth rate was significantly higher in the border regions, especially in the partition of Bengal. [16]

In 1921, the same picture was observed in the Nadia district. At this time, the initiative to provide purified water to Krishnagar led to rural folk returning to Krishnagar to settle, while Santipur and Navadwip also became attractive to the people due to improved communications, especially the development that took place with the expansion of railways and the construction of bridges. [17] On the other hand in 1941 - 51 the population of all areas under Krishnagar Sadar Division and Ranaghat Subdivision increased, but Tehatta and Karimpur were exceptions.[18]During 1941-51 Nadia registered a phenomenal growth of urban population of 76.96 percentage against the state's urban growth of only 32.52 percentage.[19]

Nadia's density is the second highest for the districts in the presidency division. In 1921, the population density of Nadia per square kilometre was 472 people, in 1951 it increased to 1138 people. [20]Population pressure per square mile was highest in the district towns of Krishnagar, Nabadwip and Santipur. Which enhanced the process of urbanization of the district. Urbanization is a process in which people congregate in specific areas for the purpose of improving their livelihood and quality of life. The prosperity of Nadia's urban centres is also very important in that respect. ''Commercial towns" were built by the river. For example, Chapra by Jalangi river, Chakdaha by Hooghlyriver, Kaliganj by Bhagirathi, Krishnagar by

Mathabanga.[21] Country towns" were developed around Chakda, Krishnagar, Ranaghat, Santipur. we will see the different forms of population density change of different towns of the Nadia district between 1921 and 1951. from the table mentioned below –

Density of population in Krishnagar Sadar division and Ranaghat Sub-division (percentage per square mile)

Year	1951	1941	1931	1921
Ranaghat	888	480	421	439
Chakdaha	934	507	439	492
Santipur	1062	734	620	612
Krishnagar	1141	664	547	518
Nabadwip	2273	1355	994	849

Sources: Census 1951

The population of the new cities (census towns) built in Nadia after independence is also noticeable Kanchrapara Development Area rural colony, Fulia (Baincha Railway Station), colony state Taherpur (For middle-class Hindu).

The overall sex ratio of a population is the combined effects of sex ratio at birth and sex differentials in mortality. A balanced sex ratio is considered to be 952 females per 1000 males because biologically males are more likely to be born as compared to females, though the survival probability of females is more as compared to males.[22] In the 1921s, the death rate in Nadia was higher than the birth rate, but the situation gradually changed. At present, the ratio of men and women in Nadia district has improved significantly in terms of the state. Below is a list of the birth and death ratios of Nadia district.

Fertility and Mortality Rate of Nadia District

Year	Fertility rate	Mortality rate	Female (per 1000 of Male)
1921	34.1	33.0	956
1931	35.6	26.7	951

1941	23.3	23.1	945
1951	22.9	33.0	935
1961	19.5	5.5	948

Source: Various Census Report

Second Phase: Partition and their aftermath (1951-1971)

In the discussion about penetration in West Bengal and Nadia district, the discussion of how the penetration took place deserves relevance. On the partition of India in 1947, out of 39 million people who came from East Bengal, 11 million were Hindus.[22] There was no adherence among the homogenous community of Hindus in East Bengal. Even they were not equally divided. Most of the Hindu settlements can be seen in the southern part of East Bengal such as Khulna, Jessore, Barisal, and Faridpur. Out of these 11 million Hindus, 4 million were belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.[23] India gained independence by breaking up the Indian subcontinent and forming two separate states. Its impact in post-independence India was far-reaching. Research on the partition from different perspectives is proof of this. As a result of partition, West Bengal witnessed the migration of a large number of Hindus from East Pakistan to West Bengal.

First, the people coming from the East were regarded as displaced and then eventually as migrants. They were classified as 'Old' (who were displaced from East Bengal to West Bengal from 1946 to 1958) and 'New' (who came to West Bengal from 1964 to 1972)[24]. They are called 'Refugee'. The word 'refugee' in legal parlance means who's crossing an international border. In the Bengali language, they are called by different names like 'Udbastu (uprooted from home or homeland), 'saranarthi' (someone who seeks refuge and protection), 'Bastuhara (one who has lost his homeland),'chinnomul' (uprooted from the homeland). If we look at the census data from 1951 to 1971 and all the related data, we can understand the population structure of homeless people.

Percentage of Refugees in total population of West Bengal

Years	Total population	Refugees from East Pakistan	Percentage of Refugees
1951	26299980	2104241	8%
1961	34926279	3068750	8.78%
1971	44312011	4293000	9.68%

Source: ChinnomulRajnitirUtshaSandhane, Shibajiprotim Basu, pp.79

As shown in the above table, the number of refugees has increased step by step, the main reason for which is the permanent migration of large numbers of refugees to West Bengal due to the increasing persecution of minorities in East Pakistan, killings, rapes, and liberation war. However, the pressure of refugees fell on the eight districts of West Bengal the most, six of which were border districts. If the census report of 1951 is carefully reviewed, it will be seen that most of the refugees are concentrated in Calcutta, 24 Parganas and Nadia.[25]

Now let's find out how the influx of refugees changed the demographics of Nadia district. Jaya Chatterjee, in her famous book "The Spoil of Partition," cites several reasons behind identifying Nadia with immigrants from East Pakistan. But before discussing that we will know about the undivided Nadia district. The violent upheaval centred on Partition, which divided India on religious grounds but wanted both India and Pakistan to adopt secular policies.[26] Even after 1947, one riot after another continued with religion at the fore. Without going into detail on this topic let us know how partition and post-partition refugees from East Pakistan changed the demographics of Nadia. 1931 there were 6009 people who immigrated to Nadia, in 1941 to10,573, in 1951 it increased to 464, 462.

The undivided Nadia district consisted of five sub-divisions and 25 police stations. The population of the district was 17,59,846 of which 37.8% were Hindus and 61.25% were Muslims.[27] Before the partition of 1947, this district was known to be a Muslim-dominated district. Karimpur and Tehatta, are two major Muslim-dominated areas of Nadia district. These two districts’ people expected to be included in East Pakistan's Kushtia, but the two districts were annexed to Nadia

district through the Ratcliffe Declaration.80 per cent of the Muslim population left the district overnight to save their lives. Two police stations of the Sadar subdivision Tehatta and Karimpur -registered a negative growth rate of -2.3% and -13.4% respectively from 1941 to 1951.[28]

Nadia district, which was a predominantly Muslim majority area before 1947, was converted into a predominantly Hindu Majority area in 1951. In 1947 independent Nadia district was formed with two sub-divisions and twelve police stations. Being a border region, the influx of Refugees in this district was very high. Refugees from East Pakistan flock to the urban areas of Nadia. Population density was highest in areas like Krishnagar, Nabadwip, Santipur etc. Nadia's rural and urban areas prospered by the influx of refugees and their kindness. Rural and urban population (per sq.mile) and percentages of growth -

Year	Rural population	Urban population	Percentage of rural population	Percentage of urban population
1901	473	1815	-	-
1911	475	1824	0.34	0.52
1921	431	1819	-9.20	-2.9
1931	434	1956	+0.66	+7.51
1941	494	2649	+13.83	+35.44
1951	639	4740	+29.39	+78.96
1961	954	7183	+49.23	+51.53
1971	1238	9289	+30.00	+33.00

Source: Nadiyar Janasamikha, Gobinda Bihari Bandopadhyay, pp.108-109

From the writings of Ashok Mitra[29] Hiranmay Banerjee[30] and others, who Inform that in the first phase, the people who migrated to Nadia district were those belonging to the agricultural community. They settled inChakdah, Haringhata, and Nakashipara areas. The middle-class community, artisans, and businessmen took refuge in Ranaghat, Santipur, Krishnagar, and Nabadwip. Ashok Mitra was

surprised to see the radical change in Chakdah police station when he wrote the 1951 census. Uninhabited, sleepy hollow Chakdah, today is one of the most important cities connected to Calcutta.

Needless to say, even after 1971, the population growth rate of this district is very high. Illegal infiltrators from Bangladesh are establishing settlements in all states of eastern India. According to Amalendu Dey the 1980s, the population of West Bengal increased dramatically due to encroachment. However, these demographic changes and patterns of Urbanisation have contributed to the socio-economic development of the Nadia district.

References:

1. M S A Rao, *Urban sociology in India*,Orient Longman, 1992, pp.95.
2. 2.David F. Pocock, From Contribution to Indian *Sociology*, Mouton & Co., 1960, pp.63-81.
3. 3.Ashish Bose, *Six Decades of Urbanization in India 1901-1961*, Orient Longman, 1992. pp.150-177.
4. 4.Ramakrishna Mukherjee, *Urbanization and SocialTransformation*, Orient Longman, 1992, pp.38-90.
5. M N Srinivas, Caste in Modern India and Other Essays, Asia Publishing House, 1962, pp.77-86.
6. Dipsikha Sahoo, *Urbanization in India during the British period* (1857-1947), Taylor & Francis,2017, pp.1.
7. Saswata Ghosh and Gorky Chakraborty, *Demographic Trends in Western Bengal*,1881-1951, Vol -2, A Comprehensive History of Modern Bengal,1700-1950, Vol- 2, pp.586.
8. Asok Mitra, *Parting of ways, partition and after in Bengal*, Economic and Political Weekly, 1990, Vol-25, pp.2441-2444.
9. 9.Arun Bandopadhyay, *Demography, Man and Nature in Bengal, c.1770-1930*,A Comprehensive History of Modern Bengal,1700-1950, Vol- 1, pp.287.
10. Sugata Bose*, Peasant Labour and Colonial Capital: Rural Bengal since 1770*, Cambridge University Press, 2003. pp.8.

11. Ranjan Chakrabarti, *A Tale of Rivers of Bengal: An Environmental History*, A Comprehensive History of Modern Bengal,1700-1950, Vol- 1, pp.316
12. Kumudnath Mallik, *Nadia kahinee*,Pustak Bipanee ,1317(Bengali year)| pp.298.
13. Arabinda, Samanta, *Malaria in the Countryside in Colonial Bengal: Some Demographic Observations*, pp.120-121.
14. C.A. Bentley*, Malaria and Agriculture in Bengal: How to reduce Malaria in Bengal by Irrigation,* Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1925. pp.35.
15. Ira Klein, *Development and Death: Reinterpreting Malaria, Economic and Ecology of British India*, The Indian Economic and Social History Review, Vol. XXXVIII, no.2 April -June 2001, pp.147-79.
16. Saswata Ghosh and Gorky Chakraborty, *Demographic Trends in Western Bengal,1881-1951,* A Comprehensive History of Modern Bengal,1700-1950, Vol -2, pp.590.
17. DurgadasMajumdar, *West Bengal District Gazetteers: Nadia*, Calcutta, 1978. pp.5
18. 18.Ibid’. pp.74.
19. 19.Census 1961, West Bengal District Handbook: Nadia, B. Roy, Calcutta, 1963. pp.27
20. 20.Ibid’, pp.35.
21. 21.Census of India,1921, Vol-V, pp.109.
22. Saswata Ghosh and Gorky Chakraborty, Demographic Trends in Western Bengal,1881-1951, Vol -2, pp.586.
23. Joya Chatterjee, *The Spoils of Partition, Bengal and India, 1947-1967*, Cambridge University Press, 2007. pp.108.
24. Anindita Ghoshal, *The Altered State of Affairs: Hindu Refugees of India and Muslim Returnees in East Pakistan (1947-1977*), Indian History Congress, 2015, Vol - 76, pp 650-651.
25. Joya Chatterjee, *The Spoils of Partition, Bengal and India, 1947-1967*, Cambridge University Press, 2007. pp.119.
26. Joya Chatterjee*, Secularisation and Partition Emergencies: Deep Diplomacy is South Asia,* Economic and Political Weekly, 2013, Vol -48
27. 27.R.A. Dutch, Census of India,1941, pp.4.

28. Census 1951, West Bengal District Handbook: Nadia, A. Mitra, Calcutta, 1953. Pp. xviii
29. 29.Ibid’, pp. xix
30. Hiranmay Bandopadhyay, *Udbastu,* Shishu Sahitya Shamshad Private Limited, Calcutta,1970, pp. 65-69.

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

The role of Indira Gandhi in the Indian National Congress

Pijush Bahalia
University of Kalyani
Email: pijushbahalia14@gmail.com

Abstract:
Various political parties in colonial India participated in the Indian independence struggle against the British imperialist powers. After India became independent, the Congress party gained a majority among the various political parties and Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India. Independent India faced many problems, but the most notable of them were political and economic problems. Then the Prime Minister Jawaharlal Nehru found his daughter Indira Gandhi as an ally in the political field through this problem. Indira Gandhi entered national politics in India based on this formula. In 1955, she became the president of the Congress Working Committee and the AICC National Solidarity Council.[1] In 1958, she was appointed as a member of the Central Parliamentary Board of the Congress. In 1959, Indira Gandhi was elected as the first woman Congress president of independent India. In 1959, she was elected as the first woman president of the Congress in independent India held this position until 1960, and again elected in January 1978. She was able to take on his responsibilities in politics from the time of Pandit Jawaharlal Nehru, the former Prime Minister of India, which paved the way for him to lead national politics in India. In addition to leadership in national politics, he also played an important role in the administrative field. After her father's death in 1964, she was appointed a member of the Rajya Sabha and served as the Minister of Information

[1] https://www.pmindia.gov.in/en/former_pm/smt-indira-gandhi/

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

and Broadcasting in Prime Minister Lal Bahadur Shastri's cabinet.[2] *His administrative achievements as Prime Minister are seen as more centralized. During his time, the Indo-Pakistani War centered on East Pakistan took place, and Bangladesh was born as an independent country. Among the most notable events are the Emergency, which was first seen in Indian political history, and the most constitutional amendments made during the tenure of Prime Minister Indira Gandhi. Even when the integrity of the country was threatened and any extremist organization rose up, she was always ready to confront it. This can be seen in 'Operation Blue Star', conducted by the army to suppress the activities of Sikh extremist organizations in Punjab. Indira Gandhi holds a notable place in the history of independent India for her tact and political genius.*

Key words: Independence, Indian National Congress, Kerala Political Crisis, syndicate, Emergency,

Introduction:-

Indira Gandhi was born on 19 November 1917 in Allahabad to a Kashmir family. Priyadarshani Gandhi was the only child of father Pandit Jawaharlal Nehru and mother Kamla Nehru. Most of her childhood was spent in solitude, as her father, Nehru, was often in jail for his political activities. Kamala Nehru was suffering from Tuberculosis and died of it in 1936. On the other side, at this time, the Indian independence movement was at its peak. Indira Gandhi said in her autobiography 'My Truth' that various big political leaders used to come to meet my father every day and for this my father had to go to jail. Born into a wealthy family, Indira Gandhi immersed herself in the 6 to 8 years of independence movement and began to dream of becoming a 'John of Ark'.On the advice of Gandhiji, 8-year-old Indira established the 'Bal Kargha Club' in Allahabad.[3] The day and night visits of

[2] Gandhi, Indira. (1982) My Truth

[3] Mukherjee, s. (2004).indra gandhi Bahuayami baktito. Delhi:pp-35

political leaders to her house did not create a conducive environment for studies. Pandit Nehru arranged for a tutor at home for her education.

Indira Gandhi as a revolutionary:

This environment and her courage and love for his country forced him to lean towards the independence movement. Anand Bhavan became the site of Indira Gandhi's initial struggle against colonial powers. During this time, she would invite friends to her house and present the speeches of political leaders. Along with her studies, she always kept himself at the forefront of the nationalist struggle. Jawaharlal Nehru used to write letters to his daughter from jail. The letter describes international events and revolutionary sacrifices that inspired Indira Gandhi to join active politics.

In 1930, the Civil Disobedience Movement began under the leadership of Mahatma Gandhi, when Indira Gandhi was 13 years old. The entire family was involved in this movement. At that time, she was interested in participating in the national movement as a full-fledged Congress worker, but her father Jawaharlal Nehru did not allow Indira. In view of this, Indira Gandhi wisely formed an organization with young Men or women between the ages of 12 and 15. This organization is called the 'Banar sena '. This sena mainly worked for the Congress. For this purpose, they would leave Anand Bhavan early every morning and deliver messages from the great leaders involved in the freedom struggle to the freedom fighters. Since the British never suspected children, this sena continued to actively carry out their work and gradually their number reached 6,000. Jawaharlal Nehru praised Indira Gandhi for the success of the 'Banar sena ' operation.[4]

Indira Gandhi and Feroze Gandhi were married on 16 March 1942 at Anand Bhavan in Allahabad. In this year, the 'Quit India Movement' in the history of India's nationalist struggle. At this time, public meetings were banned in various

[4] 'Ibid'. pp.54

sides of India. Nevertheless, Indira Gandhi attended a public meeting in Allahabad, where her husband Feroze Gandhi was also present. Both of them were arrested and imprisoned in Neni Jail. Indira Gandhi met Lal Bahadur Shastri there.

Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India in 1947. At this time, India faced many problems. Notable among them are political problems. Jawaharlal Nehru's daughter Indira was with him on this issue. Indira Feroze Gandhi left home and moved in her father, taking her two sons with her. She continued to acquire all political knowledge while living with her father.

The role of the Indian National Congress president:

Indira Gandhi became a member of the Congress Working Committee in 1955.
In 1956, she became the president of the All India Youth Congress and the AICC Women's Section. Along with being elected as a central member of the party, she was appointed as a member of the Congress Central Board in 1958. In 1959, he was elected as the Congress President in Bangalore. She was the fourth woman president of the All India National Congress and the first woman Congress president of independent India. She held the position until 1960. However, among the many events during this time, the most notable event was the 'Kerala Political Crisis'. The state of Kerala was formed in 1956 under the States Reorganization Act. In 1957, the first elections to the Legislative Assembly were held there and communist government led by E M S Namboodiripad . After this government came to power, it passed laws related to education and agriculture. However, there are some Act in this new bill that have led to demands for the bill's dismissal by opposition political parties, including various social and religious organizations. [5] As protests erupted across the state, the Indian National Congress, led by Indira Gandhi, became vocal in demanding the rejection of the bill. Moreover, it was not possible for Indira Gandhi to accept the communist government established in Kerala. Among the opposition political parties in Kerala, the school and college

[5] Bhardwaj,S.(2012) Kerala Crisis (1957-1959): First Litmus Test of Indian Democracy

student movement led by the National Congress played an important role.On 31 July 1959, on the advice of the Union Cabinet, the President invoked Article 356 of the Constitution to dismiss Kerala’s elected Chief Minister E. M. S. Namboodiripad (EMS) and his cabinet and ordered the dissolution of the State Assembly.[6] Assembly elections were held in 1960 in which the Indian National Congress led by Indira Gandhi won a majority by winning 63 seats. The Communist Party of India failed to form a government after winning 29 seats falling short of a majority.

The journey from Cabinet Minister to Prime Minister:

The death of Jawaharlal Nehru in 1964 left a void in national politics in India. Lal Bahadur Shastri was elected as the Prime Minister and Indira Gandhi was given the post of Minister of Information and Broadcasting. Indo-Pak war in 1965. Lal Bahadur Shastri died a few hours after the Tashkent Treaty in 1966.As a result, questions once again arise about the election of the Prime Minister.During this period, Morarji Desai submitted the nomination of a candidate for this position. But the 'syndicate' within the Congress supported Indira Gandhi as the candidate for this post. Indira Gandhi was 48 years old at that time. Congress voting begins in Parliament, an atmosphere of silence is created over the results, and the boys and girls start shouting. The results of the election were announced, and Indira Gandhi won with 355 votes. Morarji Desai got 169 votes. Indira Gandhi became the first female Prime Minister of India.During her tenure, the general election in India process began in 1967. The Indian National Congress, which had won a single majority in the 1952 elections, saw its vote share fall in this election. The Indian National Congress was contesting its first election without Jawaharlal Nehru. At that time, other regional parties, including the Communist Party of India, performed well in the elections. The Indian National Congress formed a

[6] Ananth . K .V.(2021) The dismissal of the first elected Communist Government in Kerala: An abuse of Article 356 of the Constitution

government with a majority, but lost nine states. The structure of alliance formation in Indian politics first emerged in the 1967 elections. During this period, the ideology of anti-Congressism began to become popular among the opposition parties. Some Congress MLAs left the party and stepped forward to play this role of anti-Congressism. This ideology, however, could not last long in the states. Most of the states where the non Congress government was formed may have been forced to form an alliance with the Congress or President's rule may have been imposed.[7]

The Split of Congress:

Indira Gandhi faced a political challenge from the 'syndicate' within her own party. However, this 'syndicate' played the most important role in getting Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi to become Prime Ministers. Because the syndicate leaders thought that Indira would act like them, but that did not happen. During this period, Indira Gandhi strengthened herself within the Congress, resulting in the 'Indira-Syndicate' conflict within the Indian National Congress. Which was directly observed in the 1969 presidential election? Despite the Prime Minister's objections, the syndicate members nominated the then Lok Sabha Speaker, Sanjiv Reedy, as the Congress Party's candidate for the post of President.But she supported the then Vice President V.V. Giri as his president candidate. If V. V. Giri wins the election, the Congress candidate loses. The then Indian National Congress president expelled Indira Gandhi from the party. In 1969, the Congress (O) was formed by the syndicate members under the leadership of K. Kamaraj and the Congress (R) was formed under the leadership of Indira Gandhi. These two parties are known as the Old and New Congress.[8] During this period, when India's financial situation was in a recession, she nationalized fourteen banks overnight

[7] Robert L. Hardgrave, Jr.(1970).The Congress in India -- Crisis and Split: Asian Survey pp. 256-26

[8] Singh,P.M.(1981).Split in a Predominant Party: The Indian National Congress in 1969

and also carried out many reforms, the most controversial of which was the termination of PV Purse.

Under the leadership of Indira Gandhi, the Congress (R) became popular among the people in a very short time. Her split from the Congress reduced her government to a minority, but he remained in office due to the support of other parties, including the DMK and the Communist Party of India.[9] Indira Gandhi took a courageous in the history of Indian politics in 1970. Her prudent and courageous move led to a landslide victory in the 1971 elections. Indira Gandhi's victory sparked a huge wave of enthusiasm among the people.[10] In 1971, the Indo-Pak War began over the formation of the nation of Bangladesh from East Pakistan. After the war, the new Prime Minister of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto, sent a message to Indira Gandhi asking for peaceful coexistence, and the India-Pakistan Shimla Agreement was signed.

Emergency Period: (1975-1977)

After the war, India experienced a financial crisis and currency devaluation. Among these problems, the Indira Gandhi government was accused of corruption in the Allahabad High Court elections. Opposition parties staged protests and their movement became violent. To deal with this situation, she declared a state of emergency on 26 June 1975 and arrested opposition leaders including Jai Prakash Narayan Morarji Desai. Fundamental rights are terminated.The fundamental right of freedom of the press was abolished. Indira Gandhi announced in the 1977 election. The emergency was lifted and various political parties began to campaign freely. In the 1977 elections, Indira Gandhi's Congress Party won 154 seats, while the opposition parties won a majority of 330 seats. The government was formed on March 23, 1977, under the leadership of Morarji Desai.But this government did

[9] Paul, S (2020). "Crisis and the Congress".

[10] Statistical Report on General Elections, 1971 to.The Fifth Lok Sabha:Volume I

not last long. Morarji Desai resigned in 1979.[11] During this period, Indira Gandhi admitted her mistakes in front of the people and succeeded in gaining sympathy from the people. She became Prime Minister again in the 1989 elections, winning 353 seats. Five months after 'Operation Blue Star' in 1981, on 31 October 1984, her Sikh bodyguard shot him dead.

Conclusion:-

Indira Gandhi's figure as a woman in the history of modern India is above all. Indira Gandhi is renowned as an efficient and effective political leader in Indian national politics. She was a woman who has always been at the forefront of her reputation not only in Indian politics but also in world politics. Success in the Indo-Pak war brought his politics to its peak. As a woman, she showed the nation how it is possible to lead a country out of financial recession and international crisis and move the country forward. She has inspired India's history of women's empowerment as of its brightest moments. This study can be concluded with a song from her Indian National congress president speech.

"... We are the women of India,
do not see us as flower-girls,
we are sparks of fire ..."[12]

References:

1. https://www.pmindia.gov.in/en/former_pm/smt-indira-gandhi/
2. Gandhi, Indira. (1982) My Truth
3. Mukherjee, s. (2004).indra gandhi Bahuayami baktito. Delhi:pp-35
4. 'Ibid'. pp.54

[11] Mankekar,R.D. Mankekar,K. (1977). Indira Gandhi Ka Patan Emergency Ki Lomharshak Kahani: Delhi

[12] https://indiragandhi.in/hi/timeline/index/elected-president-timeline

5. Bhardwaj,S.(2012) Kerala Crisis (1957-1959): First Litmus Test of Indian Democracy
6. Ananth . K .V.(2021) The dismissal of the first elected Communist Government in Kerala: An abuse of Article 356 of the Constitution
7. Robert L. Hardgrave, Jr.(1970).The Congress in India -- Crisis and Split: Asian Survey
8. pp. 256-26
9. Singh,P.M.(1981).Split in a Predominant Party: The Indian National Congress in 1969
10. Paul, S (2020). "Crisis and the Congress".
11. Statistical Report on General Elections, 1971 to.The Fifth Lok Sabha:Volume I
12. Mankekar,R.D. Mankekar,K. (1977). Indira Gandhi Ka Patan Emergency Ki Lomharshak Kahani: Delhi
13. https://indiragandhi.in/hi/timeline/index/elected-president-timeline

Budgetary allocation of NER (North-Eastern Region) and its realization of proportional benefits to the women of NER

Dr. Richa Prakash
Fabric and Apparel Sciences, School of Continuing Education, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. richaprakash@ignou.ac.in

Abstract

The North-Eastern Region (NER) of India, consisting of eight states with distinct socio-economic and cultural identities, faces unique challenges in terms of development, infrastructure, and gender equality. This review paper explores the budgetary allocation for the NER and its impact on women, particularly the realization of proportional benefits. Despite various governmental schemes and initiatives aimed at enhancing the welfare of women in this region, the economic development and empowerment of women have not always been proportional to the resources allocated. This paper synthesizes existing research, policy reports, and statistical data on budgetary provisions for the NER, evaluates how effectively these funds have translated into tangible benefits for women, and offers insights into gaps in the allocation process. It highlights the factors that hinder the equitable distribution of resources, the role of state governments, and the importance of gender-sensitive budgeting. The review also looks at government initiatives such as the NER Vision 2020, Beti Bachao Beti Padhao, and other welfare schemes targeted at women. The findings suggest that while there has been progress, substantial barriers to achieving true gender equity persist. The paper concludes with recommendations for improving the allocation and utilization of resources to ensure more effective and inclusive benefits for women in the NER.

Introduction

The North-Eastern Region (NER) of India, comprising eight states; Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Sikkim, has historically faced unique socio-economic, geographical, and political challenges. Despite its rich cultural heritage and natural resources, the region remains one of the least developed in India, with disparities in infrastructure, healthcare, education, and economic opportunities. One of the most critical areas where these disparities are evident is in the advancement of gender equality, particularly the well-being and empowerment of women. In this context, the role of budgetary allocations in achieving women-centric development becomes pivotal.

Budgetary allocations are an essential tool for governments to implement policies and programs aimed at fostering social, economic, and political change. In the case of the NER, budgetary provisions made for various sectors, including healthcare, education, infrastructure, and women's welfare, are meant to address the developmental challenges faced by the region. However, the effectiveness of these budgetary allocations in translating into tangible benefits for women in the region is a subject that requires detailed examination.

The concept of gender-sensitive budgeting, which involves the allocation of financial resources based on the recognition of gender disparities and the provision of targeted interventions for women, is a relatively recent development in India's policy framework. In the NER, however, gender-responsive budgeting has often been insufficiently integrated into broader financial planning. While there has been some progress in this regard, particularly in certain states, challenges remain in ensuring that financial resources are appropriately directed toward women's health, education, economic empowerment, and safety.

The aim of this study is to critically assess the budgetary allocations made by both the central and state governments for women in the NER and analyze the extent to which these allocations result in proportional benefits for women. Specifically, the

study will explore whether these financial provisions effectively reach women in rural and remote areas, address the region's gender disparities, and improve women's socio-economic status.

By evaluating the realization of benefits from these budgetary allocations, the study aims to offer insights into how policy interventions can be optimized to ensure that women in the NER receive proportional benefits that contribute to their empowerment and improved quality of life.

Literature Review

The Concept of Budgetary Allocation and Gender Equality

The concept of gender-sensitive budgeting, which refers to the process of integrating gender considerations into budgetary decision-making, is crucial for promoting equality and empowering marginalized groups. Gender-sensitive budgeting focuses on the needs of women and aims to allocate resources in ways that will reduce gender disparities. Numerous studies and reports have emphasized the importance of integrating gender considerations into public finances, particularly in developing regions like NER, where women face multiple layers of disadvantage.

Budgetary allocation refers to the process by which governments distribute financial resources across various sectors to achieve specific economic, social, and developmental goals. In the context of gender equality, it involves directing public funds toward programs and policies that address the unique needs of women, promote their empowerment, and reduce gender disparities. Gender-sensitive budgeting is the practice of ensuring that gender considerations are incorporated into the budgeting process, ensuring that women benefit proportionately from government spending.

In the North-Eastern Region (NER) of India, the concept of gender-sensitive budgeting is crucial due to the region's diverse socio-economic challenges and unique cultural dynamics. Women in NER face a range of obstacles, including

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

limited access to education, healthcare, and economic opportunities, compounded by traditional gender roles and regional disparities.

Historical Context of Budgetary Allocations in NER

The budgetary allocations to NER have historically been insufficient and often skewed towards infrastructure and security-related expenditures, leaving limited resources for socio-economic development programs targeting women. Several studies have highlighted the underrepresentation of women in policy-making processes in NER, which has led to gender-blind budgeting practices. Additionally, there has been a lack of consistent monitoring of how funds are allocated and spent on women's development programs.

Historically, the North-Eastern Region (NER) of India has faced significant challenges in terms of economic development and infrastructure, which have shaped the allocation of financial resources. The region's geographical isolation, socio-political complexities, and historical neglect by mainstream economic policies have resulted in disproportionate funding for developmental initiatives. In the post-independence period, the government initiated several schemes to promote regional development, such as the establishment of the North Eastern Council (NEC) in 1971, aimed at fostering regional cooperation and balanced development. However, gender-specific budgetary allocations were not a priority.

Over time, as the importance of gender equality and women's empowerment gained prominence in national policies, the NER began receiving more targeted resources for women-centric programs.

Government Schemes and Initiatives for Women in NER

The Government of India has introduced several schemes and initiatives aimed at empowering women in the North-Eastern Region (NER), addressing their socio-economic challenges and promoting gender equality. These programs are designed to provide women with better access to education, healthcare, financial resources, and social security.

One of the key initiatives is **Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)**, launched to improve the child sex ratio and promote the welfare of girls. In NER, where certain states have witnessed a decline in the sex ratio, BBBP has focused on raising awareness and improving access to education and healthcare for girls.

The **National Mission for Empowerment of Women (NMEW)** seeks to provide women with resources and support for their empowerment, with a special focus on marginalized communities. It works towards ensuring women's participation in decision-making processes and improving their access to socio-economic opportunities.

Another important initiative is the **Mahila Coir Yojana**, which promotes women's participation in the coir industry, offering training and financial support. Similarly, **Self-Help Groups (SHGs)**, particularly prevalent in Assam and Meghalaya, have empowered women economically by providing them with a platform for financial independence and entrepreneurship.

Additionally, programs like **Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)** and **Swachh Bharat Abhiyan** focus on women's health and sanitation, particularly in rural and remote areas of NER. These initiatives aim to improve the quality of life for women and ensure their active participation in economic and social development.

Budgetary Allocations for NER

Central Government Budgetary Allocations for NER

The central government of India has recognized the importance of addressing the developmental challenges faced by the North-Eastern Region (NER) and has made concerted efforts to allocate financial resources for its growth. Historically, NER has received special attention in the national budget through various schemes aimed at improving infrastructure, security, and socio-economic development.

Key budgetary allocations for the region are made under programs such as the **North Eastern Council (NEC)**, which focuses on infrastructure development,

regional cooperation, and human resource development. The **North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS)** was introduced to support critical infrastructure projects, boosting connectivity and economic integration with the rest of India.

Additionally, **Special Package Schemes** like the **Special Central Assistance (SCA)** provide funding for socio-economic development, poverty alleviation, and social welfare programs. These allocations are designed to address the unique needs of NER, considering its geographical challenges and socio-political issues.

State-Level Allocations and Gender-Specific Budgeting

At the state level, budgetary allocations in the North-Eastern Region (NER) have generally been focused on key sectors such as infrastructure, agriculture, and rural development. However, gender-specific budgeting, which is essential for addressing the unique needs of women, has not always been a priority. While some states in the region have made efforts to incorporate gender-sensitive budgeting, the overall focus on women's welfare remains limited in comparison to other areas. States like **Sikkim** and **Meghalaya** have shown a more proactive approach toward gender-sensitive budgeting. These states have allocated funds for women's empowerment programs such as skill development, health initiatives, and education. In contrast, other states like **Nagaland** and **Manipur** face challenges in prioritizing gender-specific programs due to socio-political tensions, limited resources, and governance issues. Furthermore, the lack of clear gender-disaggregation in state budgets makes it difficult to assess the effectiveness of these allocations and their actual impact on women's lives.

Comparative Analysis of Budgetary Allocations across NER States

An analysis of budgetary allocations across different states in NER reveals disparities in the focus on gender equality. For example, states like Assam and Tripura have more established programs for women's health and education, whereas states such as Nagaland and Manipur struggle with lower allocations for

women-specific initiatives. Cultural and political factors also play a significant role in shaping the priority given to women's welfare in these states.

Realization of Proportional Benefits for Women

Challenges in Translating Budgetary Allocations into Benefits

Despite increased budgetary allocations, several factors have hindered the realization of proportional benefits for women in NER:

- **Implementation Gaps:** Bureaucratic inefficiencies, lack of coordination between state and central governments, and poor monitoring mechanisms have led to underutilization of allocated funds.
- **Cultural and Social Barriers:** Traditional gender roles, lack of female representation in decision-making bodies, and gender biases within communities impede the effective implementation of women-centric policies.
- **Conflict and Political Instability:** Areas affected by insurgency and ethnic tensions, such as Nagaland, Manipur, and parts of Assam, face additional challenges in ensuring that resources reach the intended beneficiaries.

Case Studies of Successful Women-Centric Programs in NER

While there are several challenges, certain initiatives have demonstrated success in empowering women in NER:

- Several women-centric programs in the North-Eastern Region (NER) have successfully empowered women, improving their socio-economic status and promoting gender equality. One notable example is the **Self-Help Groups (SHGs)** initiative, which has flourished in states like **Assam** and **Meghalaya**. These SHGs have enabled women to form cooperative groups, access microfinance, and engage in income-generating activities such as handicrafts, farming, and small-scale businesses. The success of SHGs in these states highlights their role in providing financial independence, social security, and community support.

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

- In **Sikkim**, the **Sikkim State Women's Development Corporation (SSWDC)** has facilitated women's involvement in the state's development through skill-building programs in areas such as handicrafts, agriculture, and tourism. These initiatives have led to enhanced economic opportunities for women, reducing poverty and boosting their self-reliance.
- In **Tripura**, the **Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (TTAADC)** has implemented women's health and education programs targeting marginalized communities. These programs have significantly improved women's access to healthcare and education, addressing challenges posed by rural isolation and traditional gender norms.
- These successful programs demonstrate the potential for sustainable development when women are given the tools, resources, and support to participate in economic and social activities. However, replication of such models across NER requires stronger institutional support and better resource allocation.

The Role of Non-Governmental Organizations (NGOs)

Non-Governmental Organizations (NGOs) in the North-Eastern Region (NER) have played a crucial role in addressing women's safety issues, offering support in areas where governmental interventions have been limited or insufficient. Given the region's socio-cultural diversity, geopolitical challenges, and high rates of violence against women, NGOs have emerged as vital actors in providing protection, raising awareness, and advocating for women's rights.

One of the most significant contributions of NGOs is **providing shelter and support services** to women victims of violence, including domestic violence, trafficking, and sexual assault. In states like **Assam**, **Manipur**, and **Meghalaya**, organizations such as **Sanlaap**, **NE Women's Welfare Society** and **North East Network (NEN)** have established crisis intervention centers that offer safe spaces, counselling, legal aid, and rehabilitation for survivors. These organizations act as

a crucial support system, especially in remote areas where women often face social stigma or lack access to justice.

Additionally, NGOs in the NER have been instrumental in advocating for policy change and creating awareness about women’s rights, safety, and gender equality. They work closely with local communities to educate women about their legal rights and access to justice, and they engage with government bodies to influence laws and policies on women’s safety.

Recommendations and Policy Interventions

Enhancing Gender-Sensitive Budgeting

To enhance gender-sensitive budgeting for women’s safety in the North-Eastern Region (NER), the following recommendations and policy interventions are essential:

1. **Dedicated Financial Allocations**: Governments should allocate specific funds for women’s safety initiatives in the region’s budget. This includes financial resources for women’s helplines, shelters, legal aid, and awareness programs aimed at reducing gender-based violence. Gender-disaggregated data should guide these budgetary decisions to ensure targeted and effective spending.
2. **Capacity Building and Training**: Policymakers, local authorities, and law enforcement officials must receive gender sensitivity training to better understand and address women’s safety issues. This will improve the implementation of gender-responsive policies and budgets at the grassroots level.
3. **Engage Local Communities**: In regions with cultural and ethnic diversity, community-based approaches are crucial. Local women’s groups should be empowered to identify safety concerns, participate in decision-making, and ensure that budget allocations meet the region’s specific needs.
4. **Strengthen NGO Partnerships**: NGOs, with their deep community ties, should be integrated into the planning and execution of safety programs.

Collaborating with NGOs can help direct resources to areas that need immediate attention and provide specialized services for survivors of violence.

5. **Regular Monitoring and Accountability**: Establish independent oversight committees to monitor the utilization of funds allocated for women's safety. This will ensure transparency, prevent fund misallocation, and guarantee that women benefit from the allocated resources.

Conclusion

The study on budgetary allocations for the North-Eastern Region (NER) and their realization of proportional benefits to women highlights the importance of effective financial planning and execution in achieving gender equality and women's empowerment. The NER, with its unique socio-cultural dynamics, geographic challenges, and political complexities, faces distinct barriers in addressing gender disparities, particularly when it comes to ensuring that women benefit from government policies and programs. Despite a growing recognition of the importance of women-centric development, the actual impact of budgetary allocations in the region is uneven and often hindered by a combination of implementation challenges, insufficient coordination, and the lack of gender-responsive budgeting.

References:

1. Bhattacharya, S. (2019). *Women's empowerment in Northeast India: Policy and practice*. Economic and Political Weekly, 54(32), 21-29.
2. Bose, A. (2021). *Socio-economic development in Northeast India: A gendered perspective*. Journal of Development Studies, 48(2), 112-134.
3. Das, P., & Roy, M. (2020). *Budgeting for women's welfare in India: A case study of NER*. Indian Journal of Economics, 62(1), 99-115.
4. Government of India. (2022). *Economic survey of India 2021-2022*. Ministry of Finance, Government of India.

5. Gupta, S., & Verma, R. (2018). *Gender-sensitive budgeting in India: Challenges and opportunities*. Public Administration Review, 40(3), 98-117.
6. Kundu, A., & Sharma, P. (2021). *Women's economic participation in India: Role of government policies*. International Journal of Gender Studies, 15(4), 72-91.
7. Ministry of Women and Child Development. (2021). *Beti Bachao Beti Padhao: Annual report 2020-2021*. Government of India.
8. Ministry of Women and Child Development. (2020). *National Mission for Empowerment of Women: Policy framework and impact assessment*. Government of India.
9. Mohanty, B. (2019). *Regional disparities in India: Socio-economic challenges and policy responses*. Economic Policy Journal, 45(2), 33-51.
10. NER Development Council. (2021). *Infrastructure and gender equality in Northeast India: Policy recommendations*. Government of India.
11. North Eastern Council. (2019). *Annual report on development initiatives in Northeast India*. Shillong, India: NEC Publications.
12. Pandey, R. (2020). *Social and cultural issues affecting women's empowerment in Northeast India*. Women's Studies Quarterly, 48(3), 88-104.
13. Planning Commission of India. (2020). *Five-year plan review: Gender-inclusive growth and development strategies*. Government of India.
14. Rajan, K. (2020). *Women's health and sanitation in rural India: Government interventions and outcomes*. Journal of Public Health Policy, 38(2), 114-129.
15. Roy, M., & Das, K. (2019). *Gender budgeting and women's development: A review of Indian policies*. Social Science Research Review, 28(1), 56-74.
16. Saxena, N. (2021). *Empowering women through self-help groups: A study from Northeast India*. Journal of Rural Development, 39(3), 45-62.

17. Sen, A. (2019). *The role of NGOs in women's empowerment: Case studies from India*. Social Work Journal, 44(2), 78-95.

18. Sharma, R., & Patel, D. (2020). *Challenges of implementing women-centric government schemes in Northeast India*. Indian Public Policy Review, 10(4), 99-120.

19. Yadav, P. (2019). *Political participation of women in Northeast India: Challenges and opportunities*. Asian Journal of Political Science, 24(1), 77-93.

Socio-Cultural Impact of Urbanization on Tribal Communities

Hembrom Marcel
Assistant Professor, Department of Geography
St. Xavier's College, Simdega, Jharkhand.
Email: marcelhembrom@gmail.com

Abstract
One of the significant drivers of development is urbanization, which involves population concentration in cities, leading to economic growth, improved infrastructure, and social change. These elements of urbanization can bring social, financial, and environmental changes to people's lives in and around the urban area and, ultimately, to their quality of life. The tribes, on the other hand, live a life that is contrary to the urban way of life. Their socio-cultural and economic activities are different in comparison to the elements that urbanization in the process of development brings to the table. This article is going to put forward how these elemental changes in the process of urbanization bring about changes in the lives of tribal communities and how the process impacts their tribal way of life. The main objective of this study is to present the socio-cultural infringement that is caused by the elements of urbanization.

Keywords: Urbanism, Tribalism, Sustainable, Infringement, Inclusion, Exclusion, Assimilation.

Introduction

Urbanization is a global phenomenon, and 56.9% of the world's population lives in urban areas, which is going to surpass 70% by 2050. Urban areas expand rapidly in terms of demographic and spatial expansion. It shows rapid growth in terms of

infrastructure development for providing services to heterogenous populations, and it brings modernized socio-cultural elements to the play. The tribal community, on the other hand, lives in a common territory, shares a common culture and language, and shows a sense of identity with a distinct social organization. A cultural shock is caused by the occurrence of new socio-cultural norms in the tribal communities and creates a crisis of tribal identity. There is a collision of paradoxical tension between urbanism and tribalism.

Objective

1. To explain the socio-cultural elements of urbanization.
2. To explain the social aspects of tribes and their infringement due to urbanization.
3. To explain the cultural aspects of tribal communities and their infringement due to urbanization.

Data & Methodology

This is an extensive descriptive literature survey collected from different sources including books, research papers, websites, etc. The secondary data on state-wise urban literacy was collected from the Census of India, 2001 and the "Annual Report prepared by the Ministry of Human Resource Development under the Government. of India in *2001".* It has been further divided as per gender and the percentage of urban literates has been calculated.

$$\text{Urban ST Literacy Rate} = \frac{\text{Total Urban ST Literates}}{\text{Total Urban ST Population}} * 100$$

$$\text{Urban Male ST Literacy Rate} = \frac{\text{Total Urban Male ST Literates}}{\text{Total Urban Male ST Population}} * 100$$

$$\text{Urban Female ST Literacy Rate} = \frac{\text{Total Urban Female ST Literates}}{\text{Total Urban Female ST Population}} * 100$$

Discussion

Nuclearism and Kinship

Urban demography has a quality that can shift according to various settings, being emphasized or deemphasized, depending on the desired political outcomes that various actors are employing it for. On the other hand, tribes are a bit rigid and have a strong kinship attachment towards their own, which helps them maintain solidarity, leading to the maintenance of deep-rooted traditional values of tribal communities. As the duration of stay in the urban space increases, these attachments and loyalty towards their kin fade away and the nuclear form of community is all that is left (Firat, M & Tan, M: April 2022).

Forced eviction from their homes and land alienation

Tribes, in general, have a strong symbiotic relationship with forests and the environment which is quite evident from the culture and traditions of the tribal community. One of them is the worship of forests like the Baha, Karma, and Sarhul and the worship of land like the Sohrai festivals of Santhal and Oraon tribes. These festivals show the cultural and religious attachment of the tribal communities towards nature. Since the process of urbanization requires a large area of land for the development of infrastructure like roads, dams, industrial zones and settlement for the urban population, the process requires the acquisition of large plots of surrounding land. As a result, tribal communities are often uprooted from their ancestral lands, disrupting their traditional livelihoods and ways of life and hurting their symbiotic and emotional relationship with it.

Bureaucratic Administration and Tribal Administration

The tribal society has its traditional administrative system which has its orthodox rules and laws which does not go hand in hand with the bureaucratic rules and regulations. The administrative system offered by urban space is bureaucratic where the administrative functions are specialized purely based on the objective (Clegg and Dunkerley, p.80). Bureaucratic organizations are defined by their written protocols, records, role specialization, and sophisticated technology, and

they do not place a high value on personality, kinship, or territory. There are instances where it is possible to view tribal civilizations as nothing more than fascinating remnants of the past, unimportant, and not in need of accommodation. Hence, there is a great risk that bureaucracy may be imperial and committed to eliminating the traits of tribalism and its administrative system despite acknowledging the differences. McFate reports the Coalition Provisional Authority in Iraq in 2003 issued a statement that said that “tribes are a part of the past” and “have no place in the new democratic Iraq”.

Quality of Education

The primary role of education is to provide job security and develop a person as a leader which would raise social status in the community. The number of educational institutions in the urban area is generally more for each stage of the educational system from primary to doctorate. Access to quality education is a significant challenge for urban tribal children. Despite living in urban areas, they often face barriers to education. These barriers include inadequate school infrastructure, limited availability of educational resources, and the lack of transportation options.

Urban Literacy Rates of Scheduled Tribes by Gender			
State	**Urban Male**	**Urban Female**	**Total**
North East			
Mizoram	87.55	96.01	91.8
Nagaland	91.63	85.6	88.6
Meghalaya	88.95	84.58	86.8
East			
Bihar	74.18	55.28	64.7
Orissa	69.8	45.77	57.8
West Bengal	68.57	48.2	58.4
Central			
Madhya Pradesh	67.47	45.89	56.7

West			
Gujrat	71.01	51.78	61.4
Maharashtra	82.98	64.7	73.8
Rajasthan	75.74	42.97	59.4
East			
Uttar Pradesh	60.61	39.54	50.1
Himachal Pradesh	92.03	81.15	86.6
South			
Andhra Pradesh	66.16	45.99	56.1
Kerala	84.96	77.7	81.3
Tamil Nadu	66.56	50.68	58.6
India	**77.77**	**59.87**	**68.8**

Source: Primary Census Abstract: Census of India 2001. Annual Report. Ministry of Human Resource Development, Govt. of India

The 2001 literacy rates for men and women from Scheduled Tribes in a few Indian states are displayed in the table. The urban male and female literacy rates for each tribe are displayed individually. The percentage of India's scheduled tribes who are literate varies significantly by state and location. These discrepancies result from the various tribe’s exposure to the forces of modernization, urbanization, and industry as well as from their disparate economic, social, cultural, religious, and demographic traits. Among the Scheduled Tribe population of urban areas, the literacy rate is highest in the state of Mizoram in northeastern India (91.8%), and the disparity in literacy between males and females of urban areas is about 8.44%. The urban literacy rate is lowest in the states of Uttar Pradesh (50.1%), followed by Andhra Pradesh (56.1%) in southern India, Madhya Pradesh (56.7%) in central India, and Orissa (57.8%) in east India. Urban Tribes in Mizoram have the highest literacy rates in the nation, even higher than those of urban tribes in Kerala, which is regarded as a model state for women's literacy within the nation.

The quality of education provided by urban space is also better because of competition between different institutions. The competition among institutions also indirectly leads to high fees incurred by the institutions, which is generally a hindrance in acquiring education for a tribal student due to economic hardship. The provision of reservation of a specific number of seats for the tribal group offers them the opportunity to enroll themselves in the premier institutions, but the seats go unfilled since most of them fail to enroll due to a lack of adequate primary education.

The limited access to education can perpetuate the cycle of poverty within tribal communities. It is essential to address these disparities and provide equitable educational opportunities to ensure the well-being and prospects of tribal youth. “Traditionally, education has been an area of discrimination against tribals. The classrooms are not free from the traditional social prejudice against tribal children. Such prejudice not only precludes the potential for tribal children learning in the classroom, it also perpetuates discrimination and exclusion” (Ministry of Tribal Affairs Government of India May 2014).

At the same time, in the quest for formal education, the preservation of traditional knowledge is often overlooked. Tribal cultures are rich repositories of knowledge related to biodiversity, traditional medicine, agriculture, and sustainable practices. The preservation of traditional knowledge is crucial for the well-being of both tribal communities and the environment.

Discrimination In Urban Educational Institutions

Tribal kids from the Northeast are frequently called derogatory names. The government protects Indigenous pupils in several ways. However, the majority of the time, the measures are executed inadequately. Tribal pupils from a distinct cultural background are viewed as unwelcome and quaint rather than receiving full sympathy. The anti-tribal psyche is stronger in higher technical institutes. This is revealed by reports of various Government inquiry committees like the Thorat Committee Report on the All-India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New

Delhi (2006) and the Mungekar Committee on Vardhman Mahavir Medical College, New Delhi (2012).

Erosion of Tribal Knowledge

The tribals have their knowledge system where they impart it to the next generations via their tribal language and or via one-on-one personal experiences which is further imparted to future generations. But the urban education system has made it important to learn it for sustenance and because it is relevant to the current urban scenario. This need to be relevant to the current urban scenario has led the tribal communities to focus more on the urban education system, which is one of the prime causes for the erosion of the tribal knowledge system. The erosion is such that the majority of the current working generations of the tribal communities of urban areas have little or no clue about their traditional tribal knowledge system, and it is highly likely that the next generations would hardly have any idea about their forefathers' cultural norms and knowledge.

Quality of Healthcare

The specialized healthcare industry is rapidly expanding with increasing urbanization because of the high demand for the healthcare sector in urban spaces. Urban tribal populations face several challenges, including limited access to medical facilities and services, which can lead to healthcare disparities and a higher prevalence of diseases and health conditions within tribal communities. Mental health is another aspect of health that is frequently disregarded, as the social isolation and cultural displacement that urban tribal populations experience can result in mental health issues like depression and anxiety. Mental health support is an area that needs more attention and resources.

Modernization of Tribal Cultural Traditions

Land is not merely a source of sustenance but also a repository of cultural heritage and traditional knowledge. Since the process of urbanization has acquired a significant amount of land, which is often tribal land, it leads to land alienation and the eviction of the tribes. The tribal communities all around are the worshippers of

nature, i.e., land, forest, etc. As tribal members embrace urban lifestyles and beliefs, indigenous festivals, rituals, and cultural traditions may become less prevalent as a result of urbanization. Tribal communities may be uprooted from their ancestral grounds as a result of urbanization, upending their social structures and cultural customs. The transmission of traditional knowledge and customs may wane when younger generations are lured to metropolitan trends and attitudes.

Tribal Languages

The trend of communication in an urban space has a detrimental effect on the tribal language. Tribal languages may become less common as a result of the migration to cities since younger people may choose to speak the language that is most commonly used there. These would lead to the erosion of both the tribal language and the ethos of the culture.

Tribal Dress

Tribal clothing is one of the most nature-depicting garments, with men's and women's attire resembling various cultural entities. Today's tribal communities, particularly the younger generations, wear dresses influenced by western cultures, which is evident from the urban lifestyle, which clearly affects both the cultural and economic aspects because trendy clothing is costly.

Tribal Folk Songs & Folk Dance

One distinctive aspect of tribal culture that unites a single tribe is their folk songs and dances, which also serve to distinguish them from one another. These serve as both a communication and educational tool, with the songs and dances portraying various aspects of single life. It can be done for cultural events as well as social ones. However, with the present trends of urbanization, globalization, and Westernization, it is constantly in danger of going extinct.

Conclusion

Opportunities for cultural preservation and revival exist despite the difficulties. Tribal languages, customs, and knowledge can be documented and preserved, and cultural awareness and understanding can be fostered. Tribal communities can

preserve their cultural identity and fend off cultural deterioration by being empowered through land rights, economic growth, and education. Harmonious Amalgamation: Mutual respect for one another's cultural values, harmony, and togetherness should all be allowed.

Among the Scheduled Tribes, literacy is regarded as a crucial instrument for raising status. The Scheduled Tribe's low literacy and educational attainment are frequently depicted in a negative light by aggregate statistics. To comprehend the disparate nature of investments in literacy rates and education among Indian tribes, it is important to highlight the differences in economic, social, and cultural backgrounds among the various tribes.

References

1. Clegg, Steward & David Dunkerley, 1980, Organisation, Class and Control, Routledge & Kegan Paul, London.
2. Firat, M & Tan, M, April 2022, "*The Changing Structure Of The Tribe In The Process Of Urbanization*" Volume 14, Issue 1, Journal of Oriental Scientific Research (JOSR).
3. Habbi J. S. and Habbi G. S. "Folk and tribal culture in transition: Exploring challenges and solutions." International Journal of Science and Research Archive, 2024, 13(01), 720–724
4. Jangir, P., and Kumar, A. (2023). Tribal Survival in the Urbanized World: A Paradox of Change. ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 4(1), 957–963. doi: 10.29121/ shodhkosh.v4.i1.2023.2709
5. Sar, S., 2021, "*A Study on The Impact of Education in The Tribal Sector of West Bengal And Its Contribution To Social Development*"; Vol 20 (Issue 2): pp. 3499-3511 http://ilkogretim-online.org doi: 10.17051/ilkonline.2021.02.365.
6. Xaxa, Prof. Virginius, May, 2014, "*Report Of The High Level Committee On Socio-Economic, Health And Educational Status Of Tribal Communities Of India*". Publisher: Government of India, Ministry of Tribal Affairs.

7. Xaxa, V. (2005), "Politics of Language, Religion and Identity: Tribes in India," Economic and Political Weekly, March 26.
8. Mitra Aparna and Singh Pooja "*Trends in Literacy Rates and Schooling among the Scheduled Tribe Women in India*".
9. Census of India (2001).
10. Statistics Division, 2007, "Selected Educational Statistics 2004-05" Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

Bridging the Skills Gap: Aligning Education with Industry Demands for Better Employment Opportunities

Dr Bhavna Joshi
HOD, Department of Education, MIMT
Knowledge Park-2, Greater Noida
bhavnaa101@gmail.com

Dr Abha Gupta
Assistant Professor, MIMT
Knowledge Park-2, Greater Noida
abhapraveen99@gmail.com

Abstract:
The mismatch between education systems and the changing needs of the working place is a pressing concern world over. By addressing the skills gap, this research provides insights into the importance of aligning educational curriculums with industry needs to increase graduate employability. Your educational institution cannot teach you everything you need to know as the learning comes from gaining knowledge, whereas industries have differing expectations. It goes on to explain how vocational education, collaborations with industries, internships, and skill development programs are all helping tackle this deficiency. The paper also suggests tangible solutions for developing a more dynamic, relevant and industries-inclined educational infrastructure that can lead to improved employment outcomes for the students.

Keywords:
Skills Gap, Education System, Employment Opportunities, Vocational Education, Curriculum Reform, Skill Development, Industry-Academia Collaboration.

Introduction:

The world has gone from an abundance of roles requiring a degree to an environment where employers are looking for specialized skills and the ability to solve real-world problems. Unfortunately, education systems, especially in developing countries, cannot prepare their graduates with skills needed in the fast-evolving sectors. This creates a state of disequilibrium, where companies look for well-trained employees, and at the same time multitudes of graduates are unable to find a job that meets their expectations. This article aims to explore the misalignment of graduate outcomes with those expected by industries, and ways to bridge the gap between these to increase job prospects post-graduation.

What is "Bridging the Skills Gap"?

Bridging the Skills Gap – Addressing the skill gap between the workforce requirements and the skill set of job seekers/graduates. It is bridging the gap between what are taught in different educational institution to what is actually needed in corporate industry, so that people are job-ready, employable.

Challenges in Bridging the Skills Gap:

Mismatch Between Curriculum and Industry Requirements:

Humanities and social sciences are not the only area where the curricula do not change as frequently as it should. As a result, graduates have hardly any of the technical skills, practical knowledge, and hands-on experience that are in high demand in industry.

Lack of Practical Training:

Most education systems place more value on knowledge than its applied use. While it's important to know the theory, employers prefer candidates who possess real world experience. So, Universities and colleges should incorporate internships, projects, and case studies as part of their curriculum to fill this gap.

Overshadowing of Development by Rapid Technological Progress:

With technology developing so quickly, many students find themselves graduating with obsolete skills. We are aware that the industries are updated with new tools

and techniques particularly in fields like IT, engineering, and manufacturing have steadily progressed over the last few decades and it is the responsibility of educational institutes to adapt to these changes and educate students accordingly.

Territorial and Socio-economic Disparities:
Students who come from rural or economically-challenged backgrounds typically lack exposure to quality education or industry, creating greater difficulty for them in obtaining the skills necessary for the workforce. This only widens the skills gap and, in turn, restricts the employability of these individuals further.

The Evolution of High-Performance Education:

Curriculum Reforms:
This gap can only be filled with continual updating and revision of the curriculum that brings in new and relevant trends and technologies that are happening around the world in the current job market. Working with the experts in the field to create a curriculum can help to ensure that students are getting the skills that employers want. So, one is what they call Industry.

Development: Industry-Academia Collaboration:
One of the best ways to ensure students are ready for the workforce is through robust connections between educational institutions and industries. Provided students with internship opportunities, workshops and industry-related projects.

Vocational Education and Training (VET):
Vocational education programs focus on providing students with job-specific skills, which can be directly applied in various industries. The higher education system brings in these programs and students would now enter specialized fields of healthcare, engineering and technology — making them job-ready when they graduate.

Emphasizing Soft Skills and Critical Thinking:
Soft skills such as communication, teamwork, problem-solving, and adaptability are valued by employers. Integrating these skills into educational programs, as well

as the curriculum to foster a learning environment that encourages critical thinking and creativity can greatly assist educational institutions in better preparing students for dynamic work environments.

Reskilling and Workforce Development:

As technology changes so rapidly, graduates will likely need to keep updating their skills as they progress throughout their careers. Providing online courses, certifications, and specialized training programs for lifelong learning to support individuals in staying relevant in their fields and enhancing their career prospects.

Alignment of Education with Industry Demands:

University education is aligned with the needs of industry. A well-trained graduate enters this world with market-ready skills and a brighter perspective on job opportunities, with higher potential for a fulfilling, reasonably-paid job. We see lower unemployment, happier employees, and a more qualified workforce that can add value through innovation and productivity. In turn, industries gain a more tailored talent pool better equipped to meet their specific requirements, leading to enhanced business performance and increased global competitiveness.

Conclusion:

The skills gap presents a vexing challenge for both students and industries. We guaranteed better prepare future generations for the workforce. Thus, education becomes a key contributor to minimizing unemployment, spurring economic progress, and producing an adaptable workforce that is equipped to satisfy the requirements of a constantly changing world economy. Collaboration between educational institutions, policymakers, and industries used to build an educational landscape that supports not only theoretical knowledge but also nurtures the practical skills required in the job market becomes of utmost importance.

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

References:

1. **Cedefop (2018).** *The future of vocational education and training in Europe*. European Centre for the Development of Vocational Training.
2. **World Economic Forum (2020).** *The Future of Jobs Report*. World Economic Forum.
3. Autor, D. H. (2014). *Polanyi's Paradox and the Shape of Employment Growth*. NBER Working Paper No. 20485.
4. **Selingo, J. J. (2016).** *There is Life After College: What Parents and Students Should Know About Navigating School to Prepare for the Jobs of Tomorrow*. Houghton Mifflin Harcourt.
5. **OECD (2019).** *Skills Strategy: Skills and Education Systems*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
6. Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2019). *Good Economics for Hard Times*. Public Affairs.
7. **Arum, R., & Roksa, J. (2011).** *Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses.* University of Chicago Press.
8. **Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014).** *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies.* W.W. Norton & Company.
9. **OECD (2020).** *The OECD Skills Strategy 2020: Skills for the Future.* Organisation for Economic Co-operation and Development.
10. **Autor, D. H., & Dorn, D. (2013).** *The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the U.S. Labor Market.* American Economic Review, 103(5), 1553-1597.
11. **Kuczera, M., & Field, S. (2018).** *Learning for Jobs: A Summary of the OECD Reviews of Vocational Education and Training.* OECD.
12. **Carnevale, A. P., Smith, N., & Strohl, J. (2013).** *Recovery: Job Growth and Education Requirements Through 2020.* Georgetown University Center on Education and the Workforce.

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

13. **Harrison, A. (2014).** *Skills for the Future: The Case for a New Approach to Education.* Pearson Education.
14. **Hensher, D. A., & Li, Z. (2015).** *The Skills Mismatch in the Workforce: Evidence from Australia.* Journal of Education and Work, 28(1), 64-81.
15. **World Bank (2019).** *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work.* The World Bank.

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

Revisiting Gandhi's Satyagraha: The Relevance of Satyagraha in Contemporary World

Saif Ali
CAS, Department of History,
Aligarh Muslim University, Aligarh (U.P.)
Email- alikhansaif65@gmail.com

Abstract

Satyagraha, or nonviolent resistance, was developed by Mahatma Gandhi and remains one of the most prominent political ideas of the twentieth century. Satyagraha, which is based on truth (Satya) and nonviolence (Ahimsa), was not only vital in India's war for independence, but it also inspired global movements for civil rights, social justice, and peace. Gandhi's ideology went beyond political resistance, presenting a vision of sustainable existence and ethical administration. At a time when the world is grappling with greed, corruption, violence, and unrestrained consumerism, his lessons are more relevant than ever. This article explores Satyagraha's philosophical foundations, historical significance, and applicability to today's issues. Important movements that demonstrate how Gandhi's philosophy of nonviolent resistance changed the fight against injustice include the Champaran Satyagraha (1917), Kheda Satyagraha (1918), Non-Cooperation Movement (1920–1922), and Civil Disobedience Movement (1930). In addition to contributing in India's independence, his ideas became a model for subsequent campaigns supporting democracy, human rights, environmental sustainability, and world peace. Gandhi's ideas provide workable answers in the globalized world of today, where turmoil in politics, environmental damage, and economic inequality present threats to stability. His support of self-reliance, minimalism, and nonviolent activism opposes contemporary lifestyles that are

fueled by materialism and excessive consumption. Satyagraha persists as an effective tool for social change and resistance in the context of obstacles including economic constraints, disinformation, and authoritarian persecution. The article examines whether Gandhi's ideas may be applied to the problems of the twenty-first century, specifically when it comes to social justice, inequality, and climate change. Satyagraha is a living ideology that continues to inspire and direct movements aiming for a world founded on justice, truth, and long-term nonviolent resistance. It is more than just a historical tactic.

Keywords: Satyagraha, Ahimsa, Civil Disobedience, Social Justice, Gandhi

Introduction

Satyagraha, which means "adherence to Truth" or "belief on Truth" is one of Mahatma Gandhi's most important contributions to political and social struggle today. Satyagraha, which has its roots in truth (Satya) and non-violence (Ahimsa), was a universal ideal for moral resistance to injustice as well as a tactic for India's independence. Global movements for social justice, democracy, civil rights, and environmental action have all been shaped by this concept over the course of time. Gandhi Stated that "Non-violence is embedded in truth and vice versa. Hence has it been said that they are faces of the same coin. Either is inseparable from the other." (Harijan, 13-7-1947)

The relevance of satyagraha is frequently challenged in the modern world, which is characterized by political disputes, economic disparities, ecological catastrophes, and human rights injustices. Is it still possible for Gandhi's nonviolent resistance to be a successful strategy for change in the twenty-first century? The purpose of this study is to reexamine and analyze the philosophical foundations, historical significance, and contemporary applications of satyagraha. This study examines at Gandhi's achievements and limitations in order to assess if his ideas may be applied to contemporary conflicts and offer answers to the world's challenges. Interestingly, Gandhi was experimenting with nonviolent resistance in South Africa and India at the same time that Albert Einstein and his associates

were developing nuclear fission

The Philosophical foundation of Satyagraha Satyagraha is a compound term made up of two components, *Satya* and *Agraha*. *Satya* is derived from *sat*, which means being, abiding, right, wise, self-existent essence, as anything really is, as anything ought to be. Satya means more than just integrity or truth. It can mean many different things, including truthful, genuine, existing, pure, good, effective, and legitimate. Gandhi interpreted Satya, which is derived from the root sat, to indicate that "*everything is illusion, and nothing exists in reality except Truth.*" Gandhi believed that truth was a just higher law. The word "*agraha*" comes from the root "*grah*," which means "to seize or to grasp, to get hold of, to grapple with." These literally mean "holding on to Truth" or "insisting on Truth."

The basic principle of Satyagraha is that the highest value is truth. Gandhi claimed that God and truth were one and stated **"My uniform experience has convinced me that there is no other God than Truth." (Gandhi, 1927, p. 554).** According to him, seeking the truth necessitated active opposition to injustice, which could only be accomplished by moral fortitude rather than direct combat.

Ahimsa, or non-violence, was another fundamental component of Satyagraha. Gandhi saw non-violence as an active force of love and compassion rather than just the absence of bodily damage. He maintained that using violence to combat hatred only served to prolong suffering cycles and that nonviolence may turn enemies into partners. In his words, **"Non-violence in its dynamic condition means pitting of one's whole soul against the will of the tyrant. Working under this law of our being, it is possible for a single individual to defy the whole might of an unjust empire to save individual to defy the whole might of an unjust empire to save his honour, his religion, his soul, and lay the foundation for that empire's fall or its regeneration." (Young India, 11-8-1920).**

Satyagraha also urged self-purification and self-discipline. Gandhi held that people who participated in resistance had to be morally pure and willing to suffer without

seeking revenge. Satyagraha relied heavily on practices like prayer, fasting, and self-control, which strengthened one's ability to defend justice and the truth.

The philosophical foundations of Satyagraha were shaped by a combination of Indian religious traditions and Western ethical thought.

Gandhi's life, which lasted seventy-eight years, was divided into three separate stages, each with its own set of guiding ideas and intellectual inspirations. His moral and spiritual growth was greatly influenced by religious traditions during the first phase, which spanned his youth and adolescence.

Gandhi acquired a deep dedication to *Vaishnavism* from his family, which promoted the idea of love as a tool for social harmony and spiritual development and placed a heavy emphasis on an emotional bond with the Divine. He lived his entire life adhering to these principles. He vacillated between two schools of thought, however, in terms of philosophy: *Ramanuja's Vishishtadvaita*, which suggested a more personal aspect of God, and *Shankara's Advaita,* which maintained the idea of an impersonal, absolute truth.

Gandhi's early life was also significantly impacted by *Jainism*, a faith that was common in the area where he was born and reared. The strict ethical requirements of Jainism emphasized non-violence (*ahimsa*) and non-possessiveness (aparigraha). Gandhi's personal philosophy, especially the ahimsa doctrine, was based on these ideas. Jain doctrines advocated total avoidance of harm in speech, deed, and thought, extending non-violence beyond human interactions to all sentient entities. This struck an essential connection with Gandhi and influenced his conviction that real resistance to injustice must be carried out without harming anyone, not even the oppressors.

Gandhi gained moral understanding from *Buddhism* as well, which complemented his developing dedication to nonviolent struggle. The Buddha emphasized developing patience, self-control, and inner peace as well as eliminating anger with love. Gandhi considered these ideals as reflecting his personal conviction that

moral and spiritual fortitude, not obedient passiveness, was necessary for non-violence.

Gandhi later experienced more spiritual and intellectual influences while he was living in London. The *Bhagavad Gita* gained special significance among them. He considered it an incomparable source of Truth and frequently consulted it for guidance in trying times. He developed his own view of the Gita, understanding it as a doctrine of selfless, non-violent action rather than a call to physical combat, and described it as a source of great strength in times of despair. His belief that genuine *dharma* consisted in duty performed in a spirit of service to humanity, without attachment, was strengthened by the *Gita*. Gandhi wrote **"Non-violence is common to all religious, but it has found the highest expression and application in Hinduism (I do not regard Jainism or Buddhism as separate from Hinduism)". (Young India, 20-10-1927)**
Gandhi was also influenced by Western philosophers, especially Leo Tolstoy, Henry David Thoreau, and John Ruskin.

- **Leo Tolstoy:** Gandhi's conviction in nonviolent resistance was greatly influenced by Tolstoy's book The Kingdom of God is Within You. Gandhi adopted Tolstoy's idea that genuine Christians must abstain from violence and oppose evil with love into his philosophy of satyagraha.
- **Henry David Thoreau**: Thoreau's essay Civil Disobedience offered an effective structure for peacefully opposing arbitrary rules. Gandhi was influenced by Thoreau's claim that people had a moral obligation to oppose oppressive laws.
- **John Ruskin**: Gandhi's social and economic ideas were influenced by Ruskin's work Unto This Last. Gandhi became a champion for self-sufficient village economies and simple living as a result of its emphasis on the value of community well-being and the dignity of labor. Scholars have examined Satyagraha's philosophical depth in great detail. Gandhi viewed Satyagraha

as a lifelong process of moral action and self-improvement rather than just a means of protest, according to well-known political analyst Bhikhu Parekh. This sets it apart from other resistance movements that are just concerned with accomplishing political goals.

"Gandhi's Satyagraha was not merely a method of political resistance but an ethical experiment aimed at transforming both the individual and society" (Parekh, 2001, p. 89).

Another scholar, Gene Sharp, emphasizes that non-violence is not passive submission but an active force for change. In his article "*The Meanings of Non-Violence: A Typology (Revised)*," Sharp writes that **"' Satyagraha, when developed by Gandhi, became unique among the existing types of generic non-violence by being a matter of principle, including a program for social reconstruction and an active individual and group method of attacking what are regarded as social evils.68" (Sharp, 1959, p. 59).**

Satyagraha in Practice: Historical Perspectives

Satyagraha, as developed and carried out by Mahatma Gandhi, was more than just a theoretical concept; it was an effective method of nonviolent resistance that transformed India's war for independence. Gandhi used Satyagraha in several historical campaigns, demonstrating its effectiveness in opposing social, political, and economic inequalities. This chapter investigates significant Satyagraha movements, the strategies and techniques used, and the long-term impact on Indian independence and global resistance movements.

Throughout his life, Gandhi organized and led numerous significant Satyagraha initiatives in South Africa and India. These movements demonstrate Satyagraha's adaptability in several sociopolitical circumstances.

Gandhi first used Satyagraha in South Africa between the Boer War and World War I in response to racial discrimination against Indian immigrants. The most significant the development was *the 1906 Passive Resistance Campaign*, which

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

began in response to *the Asiatic Registration Act,* which forced Indians to carry registration certificates. Gandhi advised Indians to peacefully refuse to comply with the law, resulting in mass arrests.

The campaign continued with *the 1913 Great March*, in which thousands of Indian laborers protested against discriminatory marriage and taxes rules. Despite arrests and brutality by the authorities, the campaign ultimately forced the South African government to negotiate, resulting in the repeal of certain restrictive legislation. This result persuaded Gandhi that nonviolent resistance could constitute an effective political approach.

Mahatma Gandhi returned to India permanently in 1915, after spending more than two decades in South Africa. His first major Satyagraha experiment in India was in *Champaran*, Bihar, where British landlords exploited peasants through indigo planting. Forced to grow *indigo* in terrible conditions, they experienced financial hardship while being denied appropriate payment. Gandhi went to *Champaran*, gathered testimonials, and encouraged peasants to resist through nonviolent civil disobedience. His peaceful measures, which included discussions, petitions, and moral pressure, pushed the British government to form a committee to end the forced farming system. This movement highlighted how Satyagraha may be used to tackle economic exploitation and empower oppressed groups.

In *Kheda*, Gujarat, the British authority envisioned full tax payments from farmers, despite a devastating famine that had badly harmed their livelihoods. Gandhi, along with local leaders, urged farmers not to pay taxes until their demands for relief were granted. Despite the government's efforts to crush the demonstration, the movement remained peaceful and disciplined. Eventually, the British were compelled to cease tax collection, another victory for nonviolent resistance. This success reinforced the notion that a united mass movement based on Satyagraha might force the colonial authority to agree to public demands.

The Non-Cooperation Movement was Gandhi's first national Satyagraha movement. The restrictive Rowlatt Act and the terrible Jallianwala Bagh Massacre

triggered the campaign, which demanded a full boycott of British institutions. Gandhi urged Indians to withdraw from government schools, courts, and jobs while advocating Swadeshi, or the use of local items instead of British ones. Millions took part, making it one of the most momentous mass movements in Indian history. However, Gandhi called off the movement in 1922 after the *Chauri Chaura* incident, in which a violent mob burned down a police station, killing *23 police officers.* Firm in his view that nonviolence was required for authentic Satyagraha, he accepted moral responsibility for the violence, emphasizing that resistance must be founded in discipline and inner strength.

The Salt March of 1930 was one of the most well-known examples of civil disobedience. Gandhi launched a 240-mile march to the seaside village of *Dandi* to protest the British salt monopoly. There, he and his supporters symbolically made salt in in violation of colonial regulations. This act of disobedience fueled protests across the country, with people refusing to pay the salt tax, boycotting British goods, and holding peaceful demonstrations. The British government responded with mass arrests, including Gandhi's, but the campaign had already gained international traction, undermining Britain's moral authority over India. The *Salt March* demonstrated that even the most basic acts of rebellion, when supported by mass involvement, may uproot the foundations of colonial control.

As India's struggle for independence reached a climax, Mahatma Gandhi launched the *Quit India Movement* in 1942, delivering the most direct and urgent call for the end of British rule. With the slogan "*Do or Die,*" he encouraged Indians to participate in massive nonviolent resistance. The British responded quickly, arresting Gandhi and other leaders, but the movement created widespread unrest and fueled the call for independence. British rule ended in 1947, following years of persistent pressure through Satyagraha and growing nationalist feeling, marking the end of a decades-long fight. Although some believe Gandhi's motto *"Do or Die"* appeared to violate his Satyagraha philosophy, it was completely consistent with his nonviolent resistance values. Gandhi did not mean *"Do or Die"* in a violent sense; rather, he encouraged Indians to continue their battle for freedom

without resorting to confrontation. The expression represented either achieving independence via nonviolent resistance or sacrificing oneself in the cause while never retaliating with violence. His uncompromising commitment to nonviolence and truth not only brought India together in its fight for freedom, but also provided a lasting instance for peaceful resistance movements across the world, demonstrating that moral strength and civil disobedience can triumph against injustice.

There are different forms of *Satyagraha*. A Satyagraha campaign can take any of these forms. Those that were most frequently used during the freedom struggle in India under Gandhi's leadership were *Civil Disobedience* (like peacefully breaking unjust laws) and *Non-cooperation* (refusing to engage with oppressive institutions), which may include *Non-Violent Protests* (like marches, sit-ins, and public speeches), *Self-Suffering* (like demonstrating moral superiority through fasting and accepting punishment), *Constructive Programs* (promoting self-reliance and Swadeshi).

Relevance of Satyagraha in the Contemporary World

Gandhi's ideology of nonviolence has been extensively adopted by numerous social and political groups, demonstrating its eternal significance. Several current examples demonstrate the effectiveness of nonviolent resistance. One of the most important examples of Satyagraha's influence is the *American Civil Rights Movement (1950s-1960s)*, led by *Martin Luther King Jr. King* directly recognized Gandhi's influence on his strategy, saying:

"As I read, I became deeply fascinated by his campaigns of nonviolent resistance. I was particularly moved by the Salt March to the Sea and his numerous fasts. The whole concept of "*Satyagraha*" (Satya is truth which equals *love*, and *agraha* is force; *Satyagraha*, therefore, means *truth-force* or *love force*) was profoundly significant to me. As I delved deeper into the philosophy of Gandhi my skepticism concerning the power of love gradually

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

diminished, and I came to see for the first time its potency in the area of social reform." (King, 1959, p. 96).

King and other activists utilized nonviolent protests, sit-ins, and boycotts to oppose racial inequality and discrimination. *The Montgomery Bus Boycott (1955-1956)* and the *March on Washington (1963)* followed Gandhi's lead, demonstrating that nonviolence can be a strong force for social change.

Nelson Mandela and the *African National Congress (ANC)* first advocated nonviolent resistance against apartheid in South Africa, inspired by Gandhi's early involvement in the country. While the campaign eventually became more violent, Mandela consistently acknowledged Gandhi's influence, acknowledging that nonviolence had played an important role in mobilizing international support against apartheid.

Satyagraha ideas are still used in environmental advocacy today. Extinction Rebellion, *Fridays for Future* (led by *Greta Thunberg*), and anti-deforestation rallies in India all use peaceful civil disobedience to urge governments and corporations to adopt more sustainable policies. These movements show how Gandhi's belief in nonviolent resistance may be applied to contemporary world challenges.

Around the world, democratic efforts are still shaped by nonviolent resistance. *The Great March of Return* movements and grassroots initiatives in Palestine, such as the *Arab Spring (2010–2012)* and the pro-democracy protests in *Hong Kong (2019)*, show how resilient nonviolent struggle can be in the face of military crackdowns. *The Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS)* movement has also used diplomatic and economic pressure to demand justice for Palestinians, the *Jasmine Revolution* in Tunisia, and the *India Farmers' Protest (2020–2021)* have used peaceful mass mobilization to demand political reforms. These demonstrations highlight the continued importance of Gandhi's idea of moral resistance in the struggle for democracy and human rights.

Additionally, this principle is evident in modern conflict resolution strategies. Gandhian ideals are frequently used by institutions such as the *United Nations* and *Nobel Peace Prize*-winning mediators to settle disputes via dialogue and diplomacy. Following Gandhi's views on forgiveness and moral justice over retaliation, the *Truth and Reconciliation Commission* was founded in South Africa following the end of apartheid. Gandhian Satyagraha is a model for fostering peace and community harmony in areas where religious and ethnic conflict is a problem. Nonviolent advocacy has been utilized by leaders such as *Desmond Tutu*, the *Dalai Lama*, *Malala Yousafzai*, and *Petra Kelly*, who pioneered the *German Green Peace Movement*, to fight for social justice, women's rights, and religious tolerance. Gandhi's *Constructive Program,* which placed an emphasis on empowerment and self-sufficiency, is also reflected in movements supporting economic justice, labor rights, and indigenous rights. *The Chipko Movement* in India, which aims to conserve forests, and the land rights movements in Latin America both use nonviolent resistance to combat government policies that endanger local communities and corporate exploitation. Also, *Aung San Suu Kyi*, a well-known leader in Myanmar, has been leading a nonviolent movement against Myanmar's cruel military regime since 1988. In 1991, she became the first person to receive the *Nobel Peace Prize* while still being held in detention.

While Satyagraha remains an effective method of resistance, its effectiveness is being tested by contemporary political, economic, and specific realities. Today, the state brutally suppresses a lot of protest movements. Some contemporary regimes use internet censorship, police brutality, and mass surveillance to crush peaceful opposition, in contrast to the British colonial authority, which ultimately gave in to peaceful rallies. Governments and businesses can control narratives in the social media age by depicting peaceful protests as illegal or violent. Propaganda and fake news reduce public support for nonviolent movements, which makes it more difficult for protests based on satyagraha to maintain their momentum. Gandhi's strategy called for selflessness, perseverance, and ethical strength. However, movements frequently aim for immediate results in the fast-

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

paced digital age of today, making sustained non-violent resistance more difficult. Critics contend that a more direct approach could be required in the face of pressing issues like racial injustice or climate change. Gandhi promoted economic independence with his Swadeshi movement. However, communities find it challenging to fend off exploitation by self-dependence alone in a globalized economy due to reliance on consumer culture and multinational corporations. This calls into question how Satyagraha might be modified to address today's challenges.

Conclusion

Satyagraha, as defined by Mahatma Gandhi, has proven to be a timeless and transformational ideology, influencing India's war for independence and inspiring justice movements around the world. Satyagraha, which is based on truth (*Satya*) and non-violence (*Ahimsa*), has proven to be successful in promoting social justice, democracy, civil rights, and environmental action. Its principles still shape international conflicts, demonstrating the continued relevance of moral resistance in addressing contemporary injustices.

However, modern issues like economic globalization, internet false information, and governmental repression provide serious barriers to nonviolent movements. Gandhi's methods depended on moral conviction and collaborative effort, but activists now face a challenging environment where state monitoring, corporate influence, and quick changes in technology affect resistance tactics. Nevertheless, nonviolent resistance is nevertheless a potent instrument for change in spite of these obstacles.

In the long term, Satyagraha's success depends on its ability to adapt to new kinds of conflict. In the era of social media and worldwide connectivity, its effect can be increased and made more accessible through digital action, grassroots mobilization, and interfaith discussion.

Gandhi's principles ultimately serve as an inspiration that nonviolent resistance, truth, and justice are the keys to bringing about sustainable change rather than

using violence. His ideas remain useful as a guide for movements all across the world, confirming that satyagraha is a live principle for the future rather than merely a thing of the past.

References

1. Du Boulay, S. (1988). *Tutu: Voice of the Voiceless*, Hodder and Stoughton.
2. Fayyad, H. (30 Mar 2019). Gaza's Great March of Return protests explained, Al Jazeera. https://aje.io/x8chq
3. Gandhi, M. K. (1927). *An autobiography: The story of my experiments with truth*. Navajivan Publishing House.
4. Gandhi, M. K. (1947). *India of my dreams*. Navajivan Publishing House.
5. Gene S. (Mar., 1959). The Meanings of Non-Violence: A Typology (Revised), *Sage Publications, Inc*., *The Journal of Conflict Resolution,* Vol. 3, No. 1, Studies from the Institute for Social Research, Oslo, Norway , pp. 41-66
6. Jaynes, G. (2005). "Protest, Nonviolent", *Encyclopedia of African American Society, Sage Publications,* https://sk.sagepub.com/ency/edvol/africanamericansociety/chpt/protest-nonviolent
7. King, M. L. Jr. (1958). *Stride toward freedom: The Montgomery story*. Harper & Row.
8. Hardiman, D. (17, Aug, 2013). Gandhi's Adaptable Non-Violence, *Economic and Political Weekly* ,Vol. 48, No. 332013), pp. 4-5. https://www.jstor.org/stable/23528073
9. Harijan, (13-07-1947).
10. Milder, S. and Bruhofener, F. (2019) Realities and Fantasies of German Female Leadership From Maria Antonia of Saxony to Angela Merkel, In Elisabeth Krimmer & Patricia Anne Simpson(ed.) *Petra Kelly: A Green Leader out of Place? from Part III - Women and Political Power in the Twentieth and Twenty-First Centuries,* Cambridge University Press. pp. 281-300.
11. Nanda, B.R. (January-March 2002). Gandhi And Non-Violence: Doctrines of Ahimsa and Satyagraha, World Affairs: The Journal of International Issues, Vol.

6, No. 1, Special Issue: Eternal India: Resounding Voice of Silence— Emerging Image of Future, Kapur Surya Foundation, pp.54-62.

12. Parekh, B. (2001). *Gandhi: A very short introduction*. Oxford University Press.
13. Rajvanshi, A. and Serhan, Y. (February 14, 2024). *What to Know About the Global Boycott Movement Against Israel,* Al Jazeera. https://time.com/6694986/israel-palestine-bds-boycotts-starbucks-mcdonalds/
14. Rai, D. and Tiwari, R. (30 March 2021). Gandhi and Satyagraha— A Quest for Global Transformation: A Review Essay on the International Seminar, *Sage Publication,* Vol.51, Issue.1. https://doi.org/10.1177/00490857211991586
15. Steve Utterwulghe, Asma Bouraoui Khouja (January 15, 2021). *Ten years after the Jasmine Revolution, it's time for the Tunisian garden to bloom again,* UNDP,
16. Tessa Wong, Grace Tsoi, Vicky Wong and Joy Chang (1 December 2024). Silenced and erased, Hong Kong's decade of protest is now a defiant memory, BBC News , https://bbc.com/news/articles/c888jnvq4x4o
17. Young India, (11-08-1920).
18. Ibid. (20-10-1927).

Empowering Women Through Education: A Pathway to Security and Independence

Dr Isha Varshney	**Ms. Pooja mishra**
Assistant Professor	Assistant Professor
Mangalmay Institute of Management Technology Greater Noida	Mangalmay Institute of Management Technology Greater Noida

Abstract

Education is a powerful tool for women’s empowerment, enabling them to develop the skills and confidence necessary to lead independent lives. It is closely related to their social well-being, economic security, and safety. This study looks at how education improves women's security by educating them about digital literacy, self-defense, and legal rights. It examines the impediments to women's education, including social norms, economic constraints, and gender discrimination, while also outlining practical solutions. This study recommends policy makers to strengthen education systems as a means of increasing women's empowerment, emphasizing the role that educational institutions play in creating a gender-sensitive learning environment.

Keywords: Women’s Empowerment, Women’s Security, Women’s Independence, Women’s Education, Gender Equality

Introduction

Imagine a world where every woman has the knowledge, confidence, and freedom to make her own choices—where education is not a privilege but a right that empowers her to stand tall, break barriers, and shape her future. Education is more than just learning; it is the foundation of independence, security, and equality. It enhances their ability to make informed decisions, protects them from exploitation, and ensures their active participation in social, economic, and political spheres.

Mahatma Jyotiba Phule aptly stated, "Education is that which demonstrates the difference between what is good and what is evil" (Bhat, 2015).

For many women, education is the key to stepping beyond societal expectations and creating a life on their own terms. It equips them with the ability to earn, make informed decisions, and protect themselves from discrimination and violence. Yet, despite its undeniable importance, millions of women worldwide are still denied access to education. Deep-rooted social norms, financial struggles, safety concerns, and systemic barriers continue to hold them back.

This study explores how education transforms women's lives—not just by opening career opportunities, but by making them more aware of their rights, helping them navigate challenges, and ensuring their safety. It also looks at the obstacles women face in education and suggests practical ways to overcome them.

If we truly want a society that is fair and progressive, we must ensure that every woman has access to quality education. By doing so, we are not just educating individuals; we are uplifting families, strengthening communities, and shaping a better world for future generations.

The Role of Education in Women's Empowerment

Education is more than just acquiring knowledge; it is a means of breaking conventional barriers that confine women to limited roles. Through education, women:

- Develop cognitive abilities and critical thinking skills.
- Gain financial independence and career opportunities.
- Participate actively in social and political discussions.
- Challenge gender biases and advocate for their rights.

Studies suggest that educated women contribute significantly to economic growth and societal development. When women receive education, they are more likely to invest in their families' well-being, leading to better health, reduced poverty, and improved social conditions.

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

Education and Women's Safety: Building a Secure and Empowered Society

1. Legal Awareness: Empowering Women through Knowledge

One of the most effective ways education contributes to women's safety is by increasing awareness of legal rights and protections. Many women remain vulnerable to violence and discrimination due to a lack of knowledge about laws that safeguard their rights. Education helps bridge this gap by providing critical information on:

- Laws Against Gender-Based Violence: Understanding legal frameworks such as the Protection of Women from Domestic Violence Act (India), the Violence Against Women Act (USA), and international conventions like CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) enables women to recognize and report abuse.
- Workplace Rights and Anti-Harassment Laws: Educated women are more likely to assert their rights in the workplace, demand equal pay, and report incidents of sexual harassment.
- Legal Aid and Support Systems: Schools and colleges can introduce legal literacy programs to inform women about available legal aid services, helplines, and women's protection agencies.

Studies indicate that legal awareness significantly reduces the incidence of domestic violence and workplace harassment, as women who are educated about their rights are more likely to seek justice and protection (United Nations, 2022).

2. Education and Physical Safety: Self-Defense and Risk Prevention

Physical safety remains a significant challenge for women worldwide. Integrating self-defense training into school curricula can equip women with practical techniques to protect themselves in threatening situations. Effective educational strategies for physical safety include:

- Self-Defense Training: Programs focusing on martial arts, escape techniques, and situational awareness can build confidence and reduce vulnerability.

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

- Safe Public Spaces Awareness: Educating women on how to assess their surroundings, identify safe routes, and use emergency helplines enhances their ability to navigate urban and rural environments safely.
- Community-Based Safety Programs: Schools and universities can collaborate with local organizations to implement community-led initiatives promoting safe spaces for women.

3. Digital Literacy and Cyber Security for Women

With the rise of digital technologies, women face increasing threats such as cyberstalking, identity theft, and online harassment. Digital literacy education can help mitigate these risks by:

- Teaching Online Privacy Measures: Educating women about secure passwords, data protection, and safe browsing habits.
- Identifying and Reporting Cybercrime: Raising awareness about cyber laws and mechanisms for reporting online abuse.
- Promoting Digital Entrepreneurship: Encouraging women to use digital platforms for financial independence while ensuring their online safety.

Education as a Path to Women's Independence

1. Financial Independence Through Education

Education opens doors to employment and entrepreneurship, providing women with financial stability and self-sufficiency. Research highlights that women with formal education are more likely to secure stable jobs and higher incomes than those without education (World Bank, 2020). Key benefits include:

- Higher employability and access to diverse career options.
- Economic self-sufficiency, reducing dependency on family or partners.
- Increased decision-making power within households and communities.

2. Education and Leadership Development

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

Educated women are more likely to take on leadership roles in politics, business, and community development. Initiatives such as mentorship programs and leadership training in schools encourage women to break barriers and enter decision-making positions.

Challenges Hindering Women's Education

Despite the evident benefits, several barriers prevent women from accessing education, including:

- Patriarchal Norms: Traditional beliefs restrict women's mobility and opportunities.
- Economic Constraints: Many families prioritize the education of male children over females.
- Safety Concerns: Fear of harassment and violence discourages women from attending educational institutions.
- Lack of Institutional Support: Insufficient policies to promote gender equality and safe learning environments.

Addressing these challenges requires a collaborative effort from governments, educational institutions, and society.

Strategies to Strengthen Educational Systems for Women's Empowerment:

To ensure that education effectively empowers women, strategic interventions must be implemented. The following six strategies, supported by examples, can enhance the impact of education on women's security, independence, and equality.

1. Gender-Inclusive Curriculum Development

A gender-sensitive curriculum should integrate women's rights, leadership, and financial literacy into mainstream education. This fosters awareness and empowers girls with knowledge and skills for self-reliance.

Example: The Kerala government's Gender Awareness Program includes gender studies in school syllabi, promoting equality from an early age.

2. Safe Learning Environments and Infrastructure

Creating safe school and college campuses through strict anti-harassment policies, improved transport facilities, and secure hostel accommodations ensures that girls can study without fear.

Example: Delhi University introduced women-only buses and 24/7 campus security to prevent harassment and encourage female participation in higher education.

3. Skill-Based and Vocational Training Programs

Education should go beyond academics to include practical skills like digital literacy, entrepreneurship, and vocational training to enhance employability and financial independence.

Example: SEWA Bharat provides vocational training in tailoring, IT skills, and financial management to women in rural India, enabling them to start businesses.

4. Financial Support and Scholarship Programs

Providing scholarships, grants, and tuition waivers for female students, especially from marginalized communities, reduces dropout rates and increases access to higher education.

Example: The Beti Bachao Beti Padhao scheme in India offers financial incentives for girls' education, leading to higher female literacy rates.

5. Community and Parental Awareness Programs:

Changing societal perceptions through awareness campaigns encourages families to prioritize girls' education and dismantles traditional gender biases.

Example: In Bangladesh, the BRAC Community Awareness Initiative educates parents about the long-term benefits of educating girls, increasing school enrollments.

6. Digital Literacy and Online Safety Training

With increased internet access, educating women about cyber threats, privacy settings, and safe online practices ensures digital empowerment while minimizing risks.

Example: The Cyber Sakhi Program in India trains young women in cybersecurity, helping them navigate online spaces safely.

By implementing these strategies, education systems can create a secure, inclusive, and empowering environment for women, enabling them to become self-reliant contributors to society.

Conclusion

Education is a transformative tool that empowers women to break societal constraints, enhance their security, and achieve independence. While challenges persist, strategic interventions can foster an inclusive and safe educational landscape. By ensuring equal access to education, society can create a more just and prosperous future where women thrive as leaders, professionals, and changemakers.

Promoting education for women is not just an individual benefit—it is a societal necessity. Investing in women's education leads to stronger economies, healthier communities, and a more equitable world.

References

1. Bhat, R. (2015). The Role of Education in Women's Empowerment. Academic Press.
2. Nussbaum, M. C. (2011). Development Across Individuals and Populations. Harvard University Press.
3. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
4. UNESCO. (2021). Global Education Monitoring Report: Gender Equality and Education.
5. United Nations. (2022). Empowering Women through Education and Economic Participation.
6. World Bank. (2020). Education of Women for Empowerment: A Prerequisite for Economic Development.

7. BRAC. (2022). Empowering Girls Through Education and Awareness Campaigns in Bangladesh. BRAC Publications.
8. Cyber Peace Foundation. (2021). Cyber Sakhi: Digital Safety for Women. Cyber Peace Research Reports.
9. Government of Kerala. (2022). Gender Awareness and Education Reform in Kerala Schools. Department of Education, Kerala.
10. Ministry of Women and Child Development. (2023). Beti Bachao Beti Padhao: An Initiative for Girls’ Education in India. Government of India Publications.
11. Self-Employed Women’s Association. (2020). Vocational Training for Women in Rural India: SEWA Bharat Report. SEWA Publications.
12. Singh, R., & Verma, S. (2021). Women’s Safety in Higher Education Institutions: A Case Study of Delhi University. Journal of Gender Studies, 18(3), 45-60.

India’s Economic Inequality – Exploring the Challenges and Unlocking Opportunities

Dr. Md. Ehtesham Khan	Mr. Avinash Kumar Singh
Professor	PhD Research Scholar
Department of Political Science	Department of Public Administration
Magadh University, Bodhgaya	Magadh University, Bodhgaya
Email: polsc.mekhan@gmail.com	Email: singhpratap.avi@gmail.com

Abstract

India, the world’s most populous democracy and a rapidly growing economy, continues to struggle with persistent inequalities across multiple dimensions. Economic disparity remains stark, with the top 10% of the population holding a disproportionate share of the country’s wealth, while millions still live in poverty. Social inequalities, particularly those rooted in caste, gender, and religion, further deepen exclusion and limit access to essential services such as education, healthcare, and employment. Additionally, regional disparities between urban and rural areas, as well as between different states, contribute to unequal development outcomes.

Despite these challenges, India possesses significant opportunities to bridge these gaps through targeted policy interventions and inclusive growth strategies. Digital transformation, financial inclusion, and skill development programs offer pathways to economic mobility, especially for marginalized communities. Government initiatives such as MSME, Small scale Industries, Home Shelter to women, Direct Benefit Transfers (DBT), rural employment schemes like MGNREGA, and the expansion of healthcare services under Ayushman Bharat have made progress in reducing inequality, but structural reforms are still needed. Strengthening social welfare systems, improving access to quality education

through free and compulsory elementary education to children between 6 to 14, and ensuring equitable opportunities for women and disadvantaged groups can drive more inclusive development.

Furthermore, fostering entrepreneurship by promoting make in India startups, enhancing social infrastructure, and leveraging technology-driven solutions can create a more level playing field. A multi-stakeholder approach involving government, private sector, and civil society is essential to address systemic inequalities and unlock India's full potential. By focusing on sustainable and equitable growth, India can move towards a future where economic progress benefits all sections of society, ensuring long-term social stability and prosperity. This paper examines the complex landscape of inequality in India, the underlying causes, and potential policy solutions to create a more just and inclusive nation.

Keywords: Democracy, Inclusive Development, Inclusive nation, economic inequality etc.

Introduction

Economic inequality refers to the unequal distribution of wealth, income, and opportunities within a society. In India, this issue remains a critical challenge despite rapid economic development. According to the World Inequality Report (2022), the top 10% of India's population holds nearly 57% of the country's total income, while the bottom 50% holds only 13% (Chancel, 2022)[13]. This disparity has profound implications for social cohesion, economic stability, and political dynamics.

---

[13] Chancel, L., et al. (2022). *World Inequality Report 2022*. https://www.google.co.in/books/edition/World_Inequality_Report_2022/DN-VEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Chancel,+L.,+et+al.+(2022).+World+Inequality+Report+2022.+World+Inequality+Lab.&pg=PA2&printsec=frontcover World Inequality Lab.

The roots of economic inequality in India are multifaceted, encompassing historical legacies, structural disparities, and contemporary economic policies. Colonial exploitation exacerbated wealth disparities, while post-independence socialist policies aimed at redistribution had mixed results. The 1991 economic reforms accelerated growth but widened the income gap as benefits disproportionately accrued to the affluent urban class.

This research paper explores the underlying causes of economic inequality in India, its implications for economic and social stability, and strategies to create a more balanced and inclusive economy. By identifying key challenges and unlocking opportunities, this study aims to contribute to the broader discourse on economic justice and sustainable development. As inclusive development and India's striving hard to represent itself as a natural leader in the Global South its more important to elaborate India's potential and its rooted work in democracy where, the country has witnessed inclusive development in the field of economic disparities.

Research Question, Objectives, and Hypothesis

Research Question

How does economic inequality impact India's social and economic development, and despite these challenges, how India possesses significant opportunities to bridge gaps through targeted policy interventions and inclusive growth strategies?

Research Objectives

1. To analyze the key drivers of economic inequality in India.
2. To examine the socio-economic impact of income disparities on marginalized communities.
3. To evaluate the effectiveness of government policies and interventions in addressing inequality.
4. To explore opportunities for inclusive economic growth through financial inclusion, education, and entrepreneurship.

5. To provide recommendations for sustainable and equitable development in India.

Hypothesis

- **H1:** Economic inequality in India is significantly influenced by structural factors such as caste, gender, and regional disparities.
- **H2:** Government policies and financial inclusion initiatives have a measurable impact in reducing economic inequality.
- **H3:** Strengthening education and entrepreneurship opportunities can serve as long-term solutions to reduce disparities in income and wealth distribution

Understanding Economic Inequality in India

Definitions and Key Concepts

Economic inequality encompasses disparities in income, wealth, education, healthcare, and overall living standards. The Gini coefficient, a key metric measuring income inequality, has consistently shown India's economic disparity to be among the highest in the world (World Bank, 2021). Unequal access to resources and opportunities further exacerbates disparities, limiting upward mobility for disadvantaged groups.

Historical Context of Economic Inequality

India's economic inequality has deep historical roots. Colonial rule exacerbated socio-economic divisions, while post-independence socialist policies attempted redistribution but often led to inefficiencies. The 1991 economic liberalization propelled growth but also widened wealth disparities, as gains were concentrated

among urban elites and certain industries (Patel, 2020)[14]. Policies such as land reforms and affirmative action helped some marginalized communities but did not address systemic inequalities effectively.

Challenges Posed by Economic Inequality

Income and Wealth Disparities

India’s income distribution is highly skewed. According to Oxfam (2023), India’s richest 1% owns more than 40% of national wealth (Himanshu, 2023)[15]. In contrast, millions struggle with subsistence wages and poverty. The growing wealth gap results in reduced economic mobility and intergenerational poverty, limiting the potential for inclusive growth.

Regional Disparities

Economic growth in India has been unevenly distributed, with states such as Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu experiencing robust development, while Bihar, Uttar Pradesh, and Odisha lag. This regional divide affects infrastructure, healthcare, and job opportunities (Singh, 2021)[16]. Unequal access to industrial and economic development contributes to persistent poverty in certain regions.

Social and Gender-Based Economic Inequality

Caste and gender disparities contribute significantly to economic inequality. Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) face barriers to employment and education. The gender pays gap remains persistent, with women earning 20%

[14] Bhattacharya, A., & Patel, R. (2020). *Economic liberalization and inequality in India*. Oxford University Press.

[15] Himanshu. (2023) India: extreme inequality in number. https://www.oxfam.org/en/india-extreme-inequality-numbers. OXFAM International.

[16] Singh, V., & Kumar, M. (2021). *Regional disparities in economic development in India*. https://www.indianjournalofeconomics.com/. Indian Journal of Economics, 56(4), 212-230.

less than men on average (ILO, 2022)[17]. Gender-based discrimination limits economic opportunities for women, reducing their participation in formal employment sectors.

Educational and Skill Disparities

Access to quality education remains uneven. Rural schools suffer from inadequate infrastructure and teacher shortages, limiting opportunities for economic mobility. Higher education is often inaccessible to lower-income families, reinforcing generational poverty (Deshpande, 2021)[18]. Without skill development and vocational training, individuals from marginalized backgrounds struggle to compete in the job market.

Access to Financial and Technological Resources

Financial exclusion remains a challenge in rural are While schemes like Jan Dhan Yojana have improved banking access, many still lack financial literacy and credit access (Rajan, 2020)[19]. Limited technological access further widens the digital divide, restricting economic participation in emerging industries.

Government Policies and Interventions

Economic Reforms and Poverty Reduction Policies

The liberalization of 1991 increased foreign investment and growth but also heightened wealth concentration. Policies such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) have provided income security

[17] International Labour Organization (ILO). (2022). *Gender pay gap report: India*. https://www.ilo.org/resource/other/gender-pay-gap. ILO Publications.

[18] Tandale, Deshpande, A. (2021). *Caste and economic inequality in India*. https://www.cambridge.org/core/books/abs/human-rights-and-economic-inequalities/caste-economic-inequality-and-climate-justice-in-india/AD9045358F9966CA2D4D33CF0B37DF81. Cambridge University Press.

[19] Rajan, R. (2020). *Financial inclusion and credit accessibility in rural India*. https://www.brookings.edu/. Brookings Institution.

for rural workers (Commission, 2019)[20]. However, their implementation and impact vary widely across states.

Social Welfare and Inclusive Development Initiatives

Schemes like Ayushman Bharat (healthcare), Pradhan Mantri Awas Yojana (housing), and Beti Bachao Beti Padhao (women's empowerment) have targeted inequality, but implementation challenges persist (Finance, 2021)[21]. Strengthening policy execution can enhance their effectiveness in reducing disparities.

Taxation and Redistribution Measures

India's tax system remains regressive, with a heavy reliance on indirect taxes (GST). Strengthening progressive taxation and wealth redistribution policies can help reduce economic disparities (Chakraborty, 2022)[22]. Increasing direct taxation on high-income groups can contribute to funding social programs.

Unlocking Opportunities for Equitable Growth

Strategies such as financial inclusion, digital access, skill development, and rural economic investment can promote sustainable economic equality. Government and private sector collaboration is crucial in ensuring inclusive development.

Strengthening Financial Inclusion and Digital Access

Expanding digital banking and fintech solutions can empower marginalized communities. The adoption of the Unified Payments Interface (UPI) has enhanced

---

[20] Planning Commission. (2019). *MGNREGA and poverty alleviation in India*. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2037409. Government of India.

[21] Ministry of Finance. (2021). *Annual economic survey of India*. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1793829#:~:text=The%20highlights%20of%20the%20Economic,real%20terms%20in%202022%2D23. Government of India.

[22] Chakraborty, P. (2022). *Taxation and wealth redistribution in India: A policy perspective*. https://www.epw.in/. Economic and Political Weekly, 57(12), 45-52.

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

financial transactions and accessibility (Mehta, 2022)[23]. Promoting digital literacy and financial awareness can further bridge economic disparities. At present India had made significant stride in financial inclusion, increase account ownership from 53% in 2014 to 80% till today. In recent years the financial inclusion index (FI-Index) has surged from 60.1 to 64.2 with substantial progress in extending banking services across the nation. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), which was launched in 2024 has facilitated the opening of over 54 crore bank accounts, marking a significant leap from 53% to nearly 80% of the population having a bank account now.

Promoting Education and Skill Development

Improving access to quality education and vocational training is key to reducing inequality. The National Education Policy (NEP 2020) aims to bridge learning gaps and promote employability (Mukherjee, 2021)[24]. Strengthening technical and vocational education will equip individuals with industry-relevant skills, enhancing economic participation. India includes a large education system consisting of over 1.4 million schools and having about 414 million students. Indian authority has hiked the budgetary allocation to the education sector by 10% from YoY level, amounting to Rs 1,24,638 crore in the 2024-25 Interim Budget (IBEF, 2024)[25].

---

[23] Mehta, K., & Agarwal, S. (2022). *Digital financial inclusion in India: Trends and challenges*. https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview. Financial Inclusion Journal, 8(1), 89-104.

[24] Mukherjee, R. (2021). *Impact of the National Education Policy (NEP 2020) on employment and inequality*. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.unesco.org/en/education-policies/reviews&ved=2ahUKEwjZ9a6ElIqMAxUm4TgGHcATMnYQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw3g7KXUfG671txMLfufjtsl. Education Policy Review, 9(2), 77-94.

[25] IBEF. (JUN 03 2024). Education for all: Initiatives to improve access and quality of education in India. https://www.ibef.org/blogs/education-for-all-initiatives-to-improve-access-and-

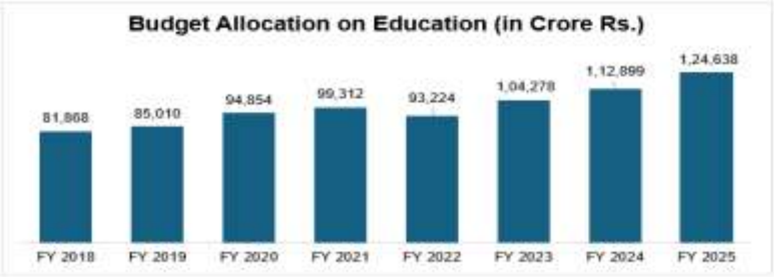

The Government has launched several programmes for expanding access and improving educational quality such as Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), Samagra Shiksha Abhiyan and Sarva Shiksha Abhiyan. The NEP 2020 has introduced an all-inclusive policy structure to reform India's education system completely. It lays down the key principles of ensuring equity, promoting quality education, and lifelong learning for all. Ensuring universalization of education from pre-school to secondary level, aiming for 100% GER (Gross enrollment Ratio) in school education by 2030. Ensuring every child will come out of school adept in at least one skill. Establishing an Academic Bank of Credit to facilitate the transfer of credits. Setting up National Research Foundation to build a strong research culture.

The government of India has launched several flagship programs and policies to address the skill development challenge. At current Kaushalya Karnataka – a state level initiative providing vocational training and employment to youth, Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)- focused on rural youth specially women for gainful employment, Tata Strive- the CSR arm of the tata group providing industry specific skills have been successful in addressing the skill development challenges in India. Skill development is the cornerstone of India's journey towards becoming a global economic powerhouse. India is creating

quality-of-education-in-india#:~:text=The%20government%20has%20launched%20several,Samagra%20Shiksha%20Abhiyan%20and. Education IBEF Publication.

a workforce that is not only employable but also adaptable to the rapidly changing demands of the modern world.

Encouraging Entrepreneurship and MSMEs

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are crucial for employment generation. Supporting startups, improving credit access, and enhancing ease of doing business can drive inclusive growth (Das, 2020)[26]. Government-backed funding initiatives and mentorship programs can help small businesses thrive. As India steadily approaches the threshold of becoming a $5 Tn economy by 2026-27, interest in the nation as an investment destination is soaring. The Indian MSME sector is projected to grow to $1 Tn by 2028. Its many winning advantages encompass a diverse range of investment opportunities across various industries and supply chain ecosystems, including but not limited to textiles, food processing, agriculture, and more. Another distinct advantage that MSMEs offer is the opportunity to invest in enterprises beyond metropolitan cities. Investors can capitalize on the potential of the rapidly expanding rural MSMEs catering to an accelerating consumer base, disposable incomes, and a vibrant domestic market.

Moreover, with the relaxation of the FDI policy allowing a 100% FDI inflow under the automatic route for MSMEs and the various tax exemptions and tax holidays that the sector can avail, investments in Indian MSMEs have much to attract astute investors.

MSMEs and a focus on their growth are critical for the long-term prosperity of India's economy. MSMEs play a crucial role in the GDP growth, industrial production, and job creation in the nation's economy, and the various initiatives and regulatory reforms fostering them are a step in the right direction to ensure that untapped talent, resources, and growth opportunities are brought to the foreground.

[26] Das, S., & Sharma, P. (2020). *Role of MSMEs in reducing economic disparity in India*. Journal of Business and Development Studies, 15(3), 112-130.

Reducing Gender Disparities in the Workforce

Enhancing women’s workforce participation through policy reforms, workplace safety, and equal pay laws can reduce gender inequality (Sen, 2022)[27]. Providing affordable childcare and flexible work opportunities can encourage higher female labor force participation. Promoting female participation in economic activities has played a critical role in economic growth and creating jobs in India and many other countries.

Under the Constitution of India, "equality" is a fundamental right guaranteed to all citizens. The state is prohibited from discriminating against anyone based on race, caste or sex and has the obligation to provide equal opportunities to all citizens. The Equal Remuneration (ER) Act 1976 is the primary legislation on this subject. It is mandatory for employers to ensure equal salaries are paid to men and women doing the same work or work of a similar nature. The ER Act prohibits discrimination against women in matters of recruitment, training, transfers and promotions.

India has also enacted special laws that prohibit discrimination against persons with disabilities and transgender people in any matter relating to employment, and employers are expected to establish a robust complaint redressal mechanism for dealing with complaints in this respect

[27] Sen, G. (2022). *Gender equality and economic empowerment in India*. Sage Publications.

Strengthening Regional Development and Rural Economy

Investment in rural infrastructure, agriculture modernization, and regional industrialization can reduce economic disparities. Sustainable agricultural policies can boost rural incomes (Verma, 2021)[28]. Strengthening rural employment schemes can help bridge the urban-rural economic divide.

India is home to 6.65 Lakh villages, with 2.68 lakh Gram Panchayats and Rural Local Bodies, which form the nation's rural landscape. The current Union budget 2025-26 places a strong upliftment by focusing on key areas such as employment generation, women empowerment, education and infrastructure development in rural India. Total estimate for 2025-26 Budget is Rs 1,88,754.53 Cr. Rural India is making significant strides towards achieving a developed India by 2047, with the Union Budget serving as a key step in making it more self-reliant (Atmanirbhar).

Findings

Despite economic disparities, India has immense potential to bridge inequality through strategic policy interventions. By focusing on inclusive growth, enhancing education and healthcare, boosting financial inclusion, and investing in infrastructure, India can ensure equitable development and long-term prosperity. Economic inequality in India has profound social and economic implications, but the country also possesses significant opportunities to bridge these gaps through targeted policies and inclusive growth strategies.

Opportunities to Bridge Inequality Through Targeted Policies:

1. **Investing in Education & Skill Development:**
   - Expanding quality education, particularly in rural areas, can equip young Indians with employable skills.

---

[28] Verma, R. (2021). *Rural economy and inclusive growth in India*. Journal of Agricultural Economics, 34(2), 145-167.

- Vocational training and digital literacy programs can boost employment opportunities.

2. **Strengthening Social Safety Nets:**
   - Expanding Direct Benefit Transfers (DBTs) and welfare programs (e.g., PM-KISAN, MNREGA) can provide financial security to vulnerable populations.
   - Strengthening public healthcare through initiatives like Ayushman Bharat ensures better health access.
3. **Encouraging Financial Inclusion:**
   - Digital banking (UPI, Jan Dhan Yojana) has already improved financial access, but further efforts are needed to provide credit to small businesses and farmers.
   - Microfinance and self-help groups (SHGs) can empower rural entrepreneurs.
4. **Infrastructure Development in Rural Areas:**
   - Investing in rural roads, electricity, and digital connectivity can bridge the rural-urban divide.
   - Initiatives like Smart Cities and Digital India can boost rural economic participation.
5. **Job Creation through Industrial and MSME Growth:**
   - Strengthening the manufacturing sector and MSMEs through Make in India and PLI schemes can create more employment.
   - Promoting labor-intensive industries can absorb the growing workforce.
6. **Progressive Taxation & Wealth Redistribution:**
   - Implementing fair taxation policies and reducing loopholes can enable better wealth distribution.

- Using increased tax revenues for public welfare can enhance economic mobility.

According to the Ipsos Equalities Index 2024, India has lesser inequality issues as compared to other countries in the world such as Indonesia, Brazil, Colombia, Turkey, Thailand, South- Africa, Mexico, South Korea, Argentina, Hungary, Malaysia, Spain, France etc.

Conclusion and Recommendations

Economic inequality remains a pressing issue in India, exacerbated by historical, social, and structural factors. While government interventions have helped, significant challenges persist. Addressing inequality requires a multi-pronged approach, including financial inclusion, education reforms, progressive taxation, and gender-inclusive policies. Collaboration between the government, private sector, and civil society is essential to achieve sustainable and equitable economic growth. Future research should focus on evaluating policy impacts and exploring innovative solutions to bridge economic disparities.

But on the whole India stands as an example for the other countries in the world to admire the policies that India promotes to strengthen its inequality Index. Being a rooted diversified democratic economy India is all set to teach the world the essence of democracy with inclusive development model.

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

Society on the Screen: Cultural Identity and Social Change in Hindi Films (1950-1970)

Sukhdev Byadwal
Phd Scholar, University Of Rajasthan

Certain genres, such as devotional or mythical films, served as the foundation for early Indian cinema in the 1920s. The struggle between good and evil, as well as the significance of making sacrifices for the sake of truth, are the main components of the mythical narrative. The success of the mythological film was largely attributed to the retelling of oral traditions. The Ram Leela (a celebration and re-enactment of the exploits and adventures of Ram) and the Ras Leela (episodes from Krishna’s life) are said to be of particular influence in Indian cinema. Indian tradition has long included this kind of reconfirmation.

The 1950s in India, particularly in cinema, is often referred to as a "golden age" marked by the rise of Hindi cinema, with influential filmmakers like Raj Kapoor, Bimal Roy, Guru Dutt and Mehboob Khan creating socially relevant and critically acclaimed films. Kaushik Bhaumik, in “*The Emergence of the Bombay Film Industry*”, highlights that during the silent era, adventure romance films were most popular. The main film genre in Bombay cinema with the advent of talkies was romantic melodrama combined with social realism and heavily influenced by music. It is believed that post-independent popular cinema mirrored the Nehruvian state’s social reformist goals.

The films have had a significant impact on the development of the general Indian consciousness and have instilled in viewers ideas of bravery, duty, heroism, modernism, consumerism, and glamour. Recurrent romantic love, stories of male friendships, motherhood, renunciation, fate, reverence for tradition, social injustice, etc, are among the most common themes and subjects in Indian cinema.

These elements all contribute to the "characteristically Indian outlook" of Indian cinema.

Hindi popular cinema has played a key role as a national cinema because it assisted in the imagining of a unified India by addressing a public across the nation-to-be even before 1947.

M.K. Raghavan, in his book, 'Seduced by the Familiar: Narration and Meaning in Indian Popular Cinema', has examined the diverse elements that constitute the "popular" in Indian cinema. He asserted that Indian cinema can be understood through a combination of enduring, culturally rooted elements called 'constants' and evolving, social-cultural influences called 'Variables'.

The 'Constant' element is rooted in the beliefs, worldview, and traditional role of the arts within the Indian subcontinent, which manifests in the recurring codes and conventions of Indian cinema, reflecting the enduring cultural values and artistic traditions. The 'Variable' element is related to India's changing social and cultural landscape. Raghavan critiqued traditional evaluations of popular cinema and asserted that despite its association with entertainment, it resonates deeply with the beliefs and worldviews of Indian society.

There are plenty of methods to approach the Indian popular cinema of the 1950s in academics. In this paper, we will explore **how the Indian Popular Cinema of two decades after independence laid emphasis on the aspects of social reality that are unavailable to high art.**

K. Moti Gokulsing and Wimal Dissanayake, in their book, "Indian Popular Cinema: A Narrative of Cultural Change", examined how Cinema not only reflects culture, it also shapes culture. The authors list how 'popular cinema' was different from the 'artistic' one as around 90% of films released in India belong to the category of Popular cinema while the remaining 10% is Artistic films. Indian popular cinema is known for its 'vividness' with a unique blend of elements, and it has an instrumental role in shaping the "popular imagination".

Ashis Nandy used the phrase "**slum's eye view of Indian politics**" to characterize the way popular cinema in the 1950s, particularly Hindi cinema, captured the realities of Indian society, especially the struggles of everyday life and the political landscape. Nandy suggested that both popular cinema and the lives of people in slums share a common ground: the constant negotiation with the challenges of daily existence.

Awara(1951) is a quintessential Bollywood melodrama. A young boy named Raj is born in the slums of India after his mother was rejected by his biological father (Prithviraj Kapoor) due to the suspicion of having an extramarital affair with another man. While living the life of a petty criminal, Raj has a change of heart when he meets the love of his life, Rita (Nargis), who is his childhood friend but is brought up in a higher social class. The movie represented the villain as a professional criminal. The movie set the landmark for its story and treatment of the subject.

Baazi (1951) depicts the post-independence metropolitan realities of India. It depicts the tale of Madan(Dev Anand), a gambler who becomes enmeshed in a criminal underworld. The movie depicts the post-independence hardships of urban India. Cities are shown in the film as both dreamy and troubled places. In order to exist, the impoverished must take chances. In Baazi, a city is shown as a place full of dreams but also full of problems. Poor people are forced to take risks to survive. In one of the classic songs from Baazi ***Tadbeer se bigdi hui taqdeer bana le apne pe bharosa hai to ye dao laga le*** sung by Geeta Bali – The girl is challenging the guy to change his planned fate by gambling for once trusting himself. By the end of the song, the guy indeed takes up the challenge.

The "angry young man" cliché that Amitabh Bachchan would turn into a lucrative career beginning in the 1970s has roots in both Awaara and Baazi. These kinds of films maintained that stealing and gambling were the only things that had offered these young men a sense of stability, optimism, or success and that few of them committed crimes because they had an inbuilt desire to harm people. Prejudices in

society denied them the opportunity to live a decent life, and anyone who was not born into an educated, upwardly mobile family could never hope to succeed in higher education or the white-collar jobs that followed. The 1950s version of this male hero has a hint of profound sorrow, but by the 1970s, this archetype had transformed, adopting crime and violence as a reaction to psychological trauma and a nation unprepared to deal with millions of young people without jobs.

Bimal Roy's ***Do Bigha Zameen*** defined rural India's realities. The movie was about a poor farmer, Shambhu, who was forced to leave his ancestral land and had to work as a rickshaw puller in Kolkata to repay his debts. The three major thematic concerns of the movie are food security, joblessness and the crisis of urban life. Do Bigha Zameen is considered by many as a precursor of Satyajit Ray's early neo-realism. Dasgupta emphasised that by the sixties, the middle class-oriented films and their effort to hold all audiences together in the work of Raj Kapoor, Guru Dutt and Bimal Roy had died out. The key issue here is that these movies shaped people's collective belief as a whole. Films like ***Mother India*** (1957) and ***Upkar*** (1967) did try to address the same themes in later times.

Mother India epitomizes the strength of women through Radha's character. Mehboob Khan's Mother India has been taken as a cinematic reply to the anti-Indian racist book Mother India, written by Katherine Mayo, an American fundamentalist female historian, in 1927. The key sequence of the movie where the Female protagonist Radha beats Sukhilala (the moneylender) has been much debated. The theme has created various discourses related to the motif of Radha's Chastity.

Aniruddh Deshpande has criticised the pre-globalisation Hindi films as they defined the mainstream and colonised the marginal. Referring to the number of Muslims who contributed to Mother India; Mehboob, Naushad, Nargis and Mohammad Rafi, etc. Deshpande tried to assert that Indian Films often suggested India's normatively Hindu, patriarchal and upper caste nature. (The village in the movie Mother India has no Muslims, but the cast of Mother India Though 1970's

Salim-Javed Angry young man era Contrast such claims of normatively Hindu nature of Indian Popular cinema). ***Dharti kahe pukaar ke*** (1969) and ***Upkar*** (1967) are two such examples used by him. In *Upkar* (1967) the male protagonist belongs to a simple "middle" peasant family upholding the rural "Indian" values with clear patriarchal dimensions.

In the films of Raj Kapoor, Guru Dutt, Bimal Roy and Mehboob, there emerged an intermediate cinema between the reformist zeal of the pre-Independence period and the sex, violence and neo-traditionalism of the popular cinema of today.

Akshay Manwani pointed out that 1957 was a monumental year for Indian cinema as it epitomized the nation-building narratives and the cinema of social responsibility.

The Marginalized Poet (***Pyaasa***) 1957 was an intense critique of the materialistic society, which leads to a sense of ignorance and disillusionment among its inhabitants. The movie revolves around the struggle of the protagonist Vijay, against a society that values possessions over genuine human connection and artistic expression.

In Ashish Nandy's edited volume on Indian cinema, Ziauddin Sardar's essay, '*Dilip Kumar made me do it*' referred to How ***Kaagaz Ke Phool*** (1959) contains all the hallmarks of a Guru Dutt film — a passionate disgust against social inequalities, a hatred of materialism, a longing for the realization of selfless love and an irrepressible idealism. Sardar drew a comparison between the silent message in both the films Pyaas and Kaagaz ke Phool that *art is an integral part of life not just as a source of reflection but also a medium of positive social change.*

"***Naya Daur*** (1957), released a year after the second five-year plan, was an Indian film directed by B.R. Chopra. It is often praised for its social commentary and its exploration of the impact of progress on traditional communities and the struggle for Labor rights. The film's relevance extends beyond its time, prompting discussions about capitalism, socialism, and the human spirit. *Naya Daur* explored

the challenges faced by villagers as they grappled with the arrival of industrialization and the changing social dynamics it brings. In the final scene, Dilip Kumar's character argues that there was a need for a middle path ensuring the co-existence of man and machine to change the fortunes of not only his village but the whole country. The film is simplistic and cliched, but it is a serious look at the policy implications of Nehruvian modernisation.

Bimal Roy, in ***Sujata*** (1959), tried to explore the caste and family dynamics of Indian society. The movie, highlighting its sensitive portrayal of untouchability and the universal desire for love, acceptance, and dignity, is significant in exploring caste discrimination and social inequality. Sujata is one of the earliest Indian popular films with its central theme of untouchability.

It tells the story of a young woman born into the Dalit community but raised by a Brahmin couple, Upen and Charu, played by Tarun Bose and Sulochana, respectively. The untouchable status of Sujata remains an unspoken barrier between her and her adoptive mother, Charu, as well as her foster sister, Rama. Sujata's love affair with Adheer, a well-educated young man from an upper-caste family, complicates the plot and brings up the subject of her untouchable position once more.

Hrishikesh Mukharjee's ***Musafir*** (1957) centres on an old house where three unrelated stories dealing with birth, marriage and death occur in a series. Though the movie was not popular, this gave rise to the theme of middle-class cinema in later times. Another of Hrishikesh Mukahrjee's Classic **Anari**(1959) is **more outspoken about class barriers**, for poor-boy Raj soon encounters and falls in love with the proverbial Rich Girl, Arti (the radiant Nutan). The theme song of the movie *Kisi ki muskurahaton pe ho nisar* resembles a little bit with the *Mera joota hai japani* of **Shree 420(1955).** Though "Anari" is a more nuanced and less frenetic film compared to the "Raju" films like "Shree 420".

The study skillfully illustrates how realistic film influences and shapes societal standards and shapes society. The 1950s Indian cinema, particularly the parallel

cinema movement, laid the groundwork for the social consciousness and realism that characterised the 1960s and 1970s, influencing filmmakers to address socio-political issues and explore the lives of ordinary people. Indian 1950s cinema introduced iconic actors, musical storytelling, and social realism, which continued influencing the industry.

References

1. Bhaumik, Kaushik. The Emergence of the Bombay Film Industry, 1913-1936. 2001
2. Das Gupta, Chidananda. The Painted Face: Studies in India's Popular Cinema. Roli Books, 1991.
3. Deshpande, Anirudh. "Indian Cinema and the Bourgeois Nation State." *Economic and Political Weekly*, vol. 42, no. 50, 2007, pp. 95–103. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/40277057.
4. Gokulsing, K. Moti, and Wimal Dissanayake. *Indian Popular Cinema: A Narrative of Cultural Change*. New rev. ed, Trentham, 2004.
5. Manwani, Akshay. Sahir Ludhianvi: The People's Poet. HarperCollins India, 2013
6. Mehta, Rini Bhattacharya. *Unruly Cinema: History, Politics, and Bollywood.* 1 ed. University of Illinois Press, 2020. *Project MUSE*, https://muse.jhu.edu/book/76688.
7. Nandy, Ashis. The Secret Politics of Our Desires: Innocence, Culpability and Indian Popular Cinema. ZED Books, 1997.
8. Raghavendra, M. K. Seduced by the Familiar: Narration and Meaning in Indian Popular Cinema. Oxford Univ. Press, 2008.
9. Tyagi, Jyoti, and Pankaj Jain. 'Do Bigha Zamin: A Realistic Masterpiece of Indian Cinema'. Visual Anthropology, vol. 33, no. 5, Informa UK Limited, Oct. 2020, pp. 459–465, https://doi.org/10.1080/08949468.2020.1824977.

Role of ICT in Development of Pedagogy of Pluralism

Mr. Jay Kumar Bharatee
Senior Research Fellow, Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi, Email Id: jkindian423@gmail.com

Dr.Lalta Prasad
Professor, Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi, Email Id: Iprasadbhu@gmail.com

Introduction

This paper deals with pluralistic notion that is especially beneficial for Indian researchers investigating facts and verbal exchange technological (ICT) primarily based social modifications from a neighbourhood degree of analysis. It is influenced by way of three theoretical perspectives: social shaping of technology, structuration's view of technological know-how and contextualism. It integrates 4 foremost principles applicable social groups, interpretive frames, negotiation and technology-in-practice geared up in phrases of three dimensions context, system and content. At Present when we can no longer pretend that other persuasions and societies don't live, and we can no longer presume that we've a monopoly on trueness and that others who are different from us are deceived, backward, superstitious, demoralized, or indeed evil. That's generally the first communication that need to convey to scholars in all of religious studies and gender studies courses. We generally don't introduce the term" pluralism" until the end of the Dialog, however. When it comes to producing pluralistic global citizens, talking about pluralism isn't ever as effective as breeding critical appreciation for religious and artistic" others" through particular illustration, classroom atmosphere, and course assignments.

As the have an impact on of ICT on social existence broadens in scope and heterogeneity in phrases of actors involved, range of pastimes and technological

views, researchers want to be counted on conceptual tactics so as to construct a multilevel grasp of the technological phenomena. Nonetheless, the multilevel and pluralistic strategy proposed in this paper is nonetheless below construction. Discussing what theories can be used in ICT4D (ICT for development) research, Researchers proposes a continuum of frameworks of information used in improvement data science lookup to categorize unique methods of theorizing, making the following distinction: theory-based work makes clear use of an recognized theory, both making use of or trying out that theory; framework-based work makes use of a framework that explicitly derives from a physique of theoretical work. Mio et al (1999) define pluralism as the acceptance that there are multiple perspectives that need to be considered when understanding and exploring a particular case and situation. Pluralist pedagogy is based on teaching whose aim is to maximise learning opportunities by expanding awareness of cultures and ideas and putting this knowledge into practise (Simon, 1997; Villegas, 1991). Pluralistic teaching uses discussion as a central element of teaching. Discussions can raise moral and existential issues that bring students to a level of sophisticated thinking that enables them to go beyond memorisation and recitation (Simon, 1997). Indeed, Pluralism denotes the multiculturalism which plays a vital role in development of Plagiarism pedagogy. The ICT plays a significant role in development of Pluralism in classroom. The Pluralism can be developed through ICT in effective way. Therefore, Pluralism is an important instrument for Enhancement of unity of Multi culturalism.

Concept of pluralism

Pluralism is a situation in which people of different social classes, religions and races live together in a society while maintaining different traditions and cultures. In fact, plagiarism education is an important tool for fostering solidarity and multiculturalism in society. Information and communication technology is an important tool for promoting social pluralism so that people, their traditions and cultures can coexist. Technology advances equality, provides people with equal opportunities in all areas of caste, creed, creed, religion, language and culture, and

fosters fraternity and unity in a society for coexistence. Pluralism can play a genuinely important role in developing unity, love, peace and brotherhood in society for the better future development of people and societies.

Monistvs. Pluralist-A Monist approach assumes that a professional should operate within a single paradigm throughout a career. similar Monismmay mean espousing a specific paradigm as the stylish or most correct way for conducting work, or it might also stem from a practical consummation that professionals must operate within a single paradigm to be successful. therefore, the statistician might either believe that qualitative styles are inferior or might acknowledge that they've some value but that dividing heart tension would make her less competitive in her own paradigm. In either case, the result is the same, because the professional concludes that there's only one classic path for them to follow. Conversely, a Pluralist approach assumes that professional should operate within colourful paradigms throughout a career. For case, a pluralist might believe that she should use various styles or publish in a diversity of journals, there by engaging with exploration problems from multiple angles rather than operating from an unwavering fidelity to a single orientation (cf. Tashakkori and Teddlie2003). Methodological pluralism is frequently characterized by the use of both qualitative and quantitative styles, but in a deeper sense, classic pluralism might mean suspending values, beliefs, or foundational assumptions (e.g., epistemological, ontological) to work with in potentially antithetical paradigms at different points in time.

Importance of pluralism in education

The pretensions of nurturing commitment to a common citizenship and reducing conflict arising from deeply held cultural dissensions will best be served by strengthening structural pluralism in education. Pluralism in this sense is to be distinguished from diversity. The ultimate refers to differences among numerous confines present in any ultramodern society, differences whose exploitation presently gives rise to "identity politics... both devoid of and hostile toward institutions. It attributes to people a place grounded on their biology or race, and

so treats their unformed characters as nearly all there's to know"(Levin, 2020, p. 25). Pluralism, by discrepancy, is precisely grounded upon institutions and the part they play in giving form and con- textbook to mortal connections the family, voluntary associations, the whole rich panoply of civil society that, in contrast with government or the request, tends to be stylish at performing tasks that induce little or no profit, demand compassion and commitment to individualities, bear expansive trust on the part of guests or guests, need hands-on, particular

attention, and involve the enforcement of moral canons and individual responsibility for actions. It' s characteristic of authoritarian elites of whatever political achromatism to mistrust these independent civil society institutions and therefore to repel pluralism, important in the spirit of Rousseau's asseveration, in his Social Contract, that there be no partial society in the State. In the current climate of artistic distrust, pluralism "becomes to the pure prejudiced mind an instrument of in- justice and civil liberties a hedge to progress. Because when one is righteous, the veritably actuality of differing communities is proof that justice is baffled and evil exists" (French, 2020.p. 90). Unfortunately, similar tone-righteous in- forbearance has come each too common. This dubitation has extended above all to civil society institutions with a religious character. It's precisely for their capacity to make innocently cohesive and constructive communities that our religious institutions have come decreasingly controversial in contemporary America. The question at the heart of some of our most divisive artistic conflicts has been whether institutions that embody the religious persuasions of their members, leaders, or possessors will be permitted to embody those persuasions when they aren't participated by our society's artistic elites. Culture war now threatens the integrity of these essential forms of association, just when that integrity is most poorly demanded. (Levin, 2020, p.155). Structural pluralism in training rests upon a recognition, on the part of the State, that it possesses neither a monopoly on verity about life's deepest questions, nor a right to use its nonsupervisory authority or its fiscal muscle to favour a sanctioned fallacy. While it may apply reasonable prospects for actions adhering the laws, paying duty- es,

and so forth it may not define the worldview on which similar actions is grounded, and it should fete that numerous of its citizens hold persuasions about life that go all the way down and may differ profoundly with some societal morals, similar as shifting norms for sexual actions. This in turn will beget them to repel the tutoring of those morals to their children as un-questionable sanctioned verity. Educational pluralism is a way to give space for similar profound dis- agreements about ultimate questions, not suppressing them but allowing them free expression, while furnishing a frame work to ensure that every child receives effective instruction in the chops and knowledge needed for life together.

Need of pluralism in teaching and learning

Pluralism is for the maximum component a liberal response despite the fact that of course, now no longer the simplest liberal response to a situation of immigrants coming from poorer nations and previous colonies or lesser advanced minority businesses dwelling in a rustic with a fairly advanced financial system and/or a assured forward-searching élite. Pluralism every now and then additionally emerges from a record of the want for a decided united battle towards colonial domination. Sometimes, how- ever, this will additionally supply upward push to an imperative of uniformity or homogeneity, viewing expressions of distinctness or different traits of minority businesses as separatism, parochialism or, in modern Indian terminology, communalism or linguism, which can be inimical to the not unusual place employer of countrywide independence, cultural identification or even development. The liberal prescription, then, is unity-in-variet adversarial via way of means of extremists at both stop and favouring uniformity (and assimilation) or parochialism respectively.

India has been struggling with dilemmas of this type for as a minimum a century, and can be poised nowadays for a decisive and qualitative re- definition of those questions alongside a couple of dimensions: religious, linguistic or, greater broadly, cultural. Education, clearly, is worried as each reason and effect. The

issues on this area are each well-known and precise to India's very own cultural and historic circumstances

ICT in pluralism

Information and communication technology can play an important role in the development of pluralistic education in classroom teaching and learning. Information and communication technology also helps teachers and students to communicate effectively and effectively. It also provides equal opportunities for learners and fosters multiculturalism and pluralism in the classroom. In fact, information and communication technology plays an important role in the development of plagiarism education in classroom teaching and learning, providing all students an equal opportunity to learn better and acquire effective knowledge.

Role of ICT in enhancement of effective teaching in the respect of Pedagogy of Pluralism

All instructional era experts presently appoint this sort of strategies unaware that how every folk navigates pluralism has actual implications. Specialists quietly, cautiously do their paintings however have problem accomplishing broader audiences or effecting sweeping adjustments. Evangelists advise mono-lithic answers however have problem addressing complicated, actual-international instructional troubles that require complicated understandings and numerous collaborations. Opportunists swiftly innovate and try adjustments however have confined clout in paradigmatic groups for being perceived as sellouts or lightweights, And Multi hyphenates try and address troubles with the aid of using situating themselves deeply in disparate paradigmatic groups however warfare with the complexity that this type of self-contradicting method requires. Despite its difficulties, we endorse that the Multi hyphenate method is the least represented and additionally the maximum useful to the continued improvement of our discipline. We will possibly continually want a few Specialists (e.g., methodologists). Evangelists (e.g., advocates), and Opportunists (e.g.,

entrepreneurs), however all of those methods be afflicted by being both theory-shallower harmfully dogmatic or reductionistic. Practically speaking, coping with paradigmatic pluralism is an essential step for-ward, because of this that that schooling new generations of Specialists and Evangelists is irresponsible. Rather, experts in our discipline need to grapple with pluralism in some way, and they are able to both try this with the aid of using turning into a theoretical pragmatist (through Opportunism) or eccentric self-contradictions (through Multi hyphenatism). The Multi hyphenate course permits us to avoid flabby pluralism" (Bernstein, 1989), with the aid of using acknowledging proper paradigmatic diversity, and additionally allows clear up the troubles of ongoing academic soiling. with the aid of using looking ahead to experts to sense at-domestic in multiple silos. Placement and so on). The safety of rights granted with the aid of using the Convention and the Directive (which include the proper to data and cultural objectives, media pluralism, proper to reply, safety of minors and appreciate for human dignity) and so on.

References:

1. Adam, A. M. (2017). THE CONCEPT OF PLURALISM IN ISLAMIC EDUCATION. Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies, 4(1). https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.126
2. Bajpai, R. (2022). Pluralizing Pluralism: Lessons from, and for, India. Review of Faith and International Affairs, 20(1). https://doi.org/10.1080/15570274.2022 2031046
3. Banks, J. A. (1977a). Pluralism and Educational Concepts: A Clarification. Peabody Journal of Education, 54(2). https://doi.org/10.1080/01619567709538109
4. Banks, J. A. (1977b). Pluralism and Educational Concepts: A Clarification. Peabody Journal of Education, 54(2), 73-78. https://doi.org/10.1080/01619567709538109
5. Benjamin, S., & Kuusisto, A. (2015). 'Identity is experience-My experience is where I'm from'. Towards a wider understanding of worldview pluralism in

educational settings. Journal of Religious Education, 63(2-3). https://doi.org/10.1007/40839-016-0019-z

6. Broadbent, M. (1984). Information management and educational pluralism. Education for Information, 2(3), 209-227. https://doi.org/10.3233/EFI-1984-2304
7. Brunner, J. J. (1992). The new educational pluralism in Latin America. Prospects, 22(2). https://doi.org/10.1007/BF02195545
8. Budiartha, L. N. P. (2020). The legal pluralism in law education in Indonesia. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 11(3). https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).09
9. Caret, C. R. (2021). Why logical pluralism? Synthese, 198. https://doi.org/10.1007/s11229-019-02132-w
10. Colombo, M. (2013). Pluralism in education and implications for analysis. Italian Journal of Sociology of Education, 5(Giugno).
11. Cronin, B. (2007). Educational pluralism for a diversifying profession. Education for Information, 25(1). https://doi.org/10.3233/EFI-2007-25105
12. Davis, A. (2010). Defending religious pluralism for religious education. Ethics and Education, 5(3). https://doi.org/10.1080/17449642.2010.519138
13. Deardorff, M. D. (2013). The Professor, Pluralism, and Pedagogy: A Reflection. Journal of Political Science Education, 9(3). https://doi.org/10.1080/15512169.2013.796252
14. Dizon, M. A. C. (2011). LAWS AND NETWORKS: LEGAL PLURALISM IN INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY. Journal of Internet Law, 15(6).
15. Glenn, C. L. (2022). Educational pluralism and vulnerable children. Revista Espanola de Pedagogia, 80(281). https://doi.org/10.22550/REP80-1-2022-01
16. Gunter, H. M., &McGinity, R. (2014). The politics of the Academies Programme: Natality and pluralism in education policy-making. Research Papers in Education, 29(3). https://doi.org/10.1080/02671522.2014.885730
17. Hodson, D. (1999). Going beyond cultural pluralism: Science education for sociopolitical action. Science Education, 83(6).

https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199911)83:6<775::AID-SCE8>3.0.CO;2-8

18. Imron, A. M. A., &Nugrahani, F. (2019). Strengthening pluralism in literature learning for character education of school students. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(3). https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7332
19. Kimmons, R., & Johnstun, K. (2019a). Navigating Paradigms in Educational Technology. Tech Trends, 63(5). https://doi.org/10.1007/s11528-019-00407-0
20. Kimmons, R., & Johnstun, K. (2019b). Navigating Paradigms in Educational Technology. Tech Trends, 63(5), 631-641. https://doi.org/10.1007/s11528-019-00407-0
21. Kozhikode, R. K., & Li, J. (2012). Political pluralism, public policies, and organizational choices: Banking branch expansion in India, 1948-2003. Academy of Management Journal, 55(2). https://doi.org/10.5465/amj.2010.0370
22. Lele. J. K. (2022). 1. Strategies of Rulership: A Critique of Pluralism in India. Journal of Asian and African Studies, 9(1-2). https://doi.org/10.1163/156852174,00056
23. Levin, Y. (2020). (n.d.). A time to build: From family and community to congress and the campus, how recommitting to our institutions can revive the American dream. Besic Books.
24. Linden, 1. (2016). From Freire to religious pluralism: Exploring dialogue in the classroom. International Studies in Catholic Education, 8(2), https://doi.org/10.1080/19422539.2016.1206404
25. Matusov, E., & Marjanovic-Shane, A. (2016). Radical Proposal for Educational Pluralism and The State's Educational Neutrality Policy, Dialogue Pedagogy: An International Online Journal, 4. https://doi.org/10.5195/Jpj.2016.170
26. McGoldrick, K. (2009). The Handbook of Pluralist Economics Education. International Review of Economics Education, 8(2). https://doi.org/10.1016/s1477-3880(15)30065-7
27. Morris-Jones, W. H., & Brass, P. R. (1993). Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. Pacific Affairs, 66(1). https://doi.org/10.2307/2760037

28. Nichols, J. C., Ferguson, F., & Fisher, R. (2005a). Educational Pluralism: A Compelling State Interest. Journal of College Admission, Fall, 21-28.

29. Nichols, J. C., Ferguson, F., & Fisher, R. (2005b). Educational Pluralism: A Compelling State Interest. Journal of College Admission, Fall.

30. Obeng-Odoom, F. (2019). Pedagogical pluralism in undergraduate urban economics education. International Review of Economics Education, 31. https://doi.org/10.1016/j.iree 2019.100158

31. Paris, D. (2009). "They're in my culture, they speak the same way: African American language in multiethnic high schools. Harvard Educational Review, 79(3), https://doi.org/10.17763/haer.79.3.64j4678647mj7g35

32. Parthasarathy, B., & Srinivasan, J. (2006). Innovation and its Social Impacts: The Role of Ethnography in the Evaluation and Assessment of ICTD Projects, GLOBELICS2006.

33. Ramos, C. T. (2021). The Internet as Public Space: A Challenge to Democracies. Springer Proceedings in Complexity. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62066-0 42

34. Rosenquist, J. (2011). Pluralism and Unity in Education. On Education for Democratic Citizenship and.....

35. Seller, M. S. (1997). Politics, pedagogy, and pluralism-Multicultural education in American public schools in the twentieth century. Revue Francaised Etudes Americaines, 74. https://doi.org/10.3406/rfea, 1997.1704

36. Shukla, S. (1992). Pluralism and education in India-Problems and possibilities. Prospects, 22(2). https://doi.org/10.1007/BF02195546

37. Singh, A. K., & Raza, M. A. (2016). Multicultural Education in Secondary School: Issues and Challenges in Indian Context. Journal of Socio-Educational & Cultural Research, 2(5).

38. Sivaramakrishnan, M., & Patel, V. L. (1993), Reasoning about childhood nutritional deficiencies by mothers in rural India: A cognitive analysis. Social Science and Medicine, 37(7). https://doi.org/10.1016/0277-9536(93)90148-W

39. Śliwerski, B. (2019). Pluralism of pedagogy in Poland. Kwartalnik Pedagogiczny, 63(4(250)). https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.1781

40. Syahrul, S. (2021), Integrating Pluralism and Multicultural Education to Prevent Radicalism at Universitas Muhammadiyah Kupang. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 16(1). https://doi.org/10.21043/edukasia.v1611.8285

41. Tavassoli, T. (2019). Cultural Pluralism and its Effects on Educational Systems. Journal of Philosophical Theological Research, 20(4). https://doi.org/10.22091/pll.2019.2669.1785

42. Taylor, P. C., & Medina, M. (2011a). Educational research paradigms: From positivism to pluralism. College Research Journal, 1(1), 1-16.

43. Taylor, P. C., & Medina, M. (2011b). Educational research paradigms: From positivism to pluralism. College Research Journal, 1(1).

'भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका' ISSN :3049-334X
(Indian Social Empowerment Research Journal) वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

The Gendered Lens: Women's Development and Political Representation in India

Anubhuti Saxena
PhD Scholar, MVGU Jaipur
anubhutisaxena16@gmail.com

Abstract

The question of women's participation in India's vision of growth and development is challenged by an array of issues including gender violence, systemic discrimination, and deep-entrenched patriarchy among others, which are more than just legal concerns; they are deeply intertwined with the space of political power, representation, social dynamics and systemic accountability. Constitutional safeguards provide for women's representation in governance, but their reality is beset with a number of challenges, which are rooted in the socio-cultural context of India.

The passage of the 73rd and 74th Constitutional Amendments made provisions for women's participation in urban and rural self-governance, but their decision-making potential is derailed by patriarchal hegemony, exhibited through the prevalence of Pradhan-Pati Culture. In addition, at higher levels of legislature, executive, and judiciary, women are not adequately represented. The 106th Constitutional Amendment, which makes provisions for reservation of seats for women in Parliament and State Assemblies, has been questioned on the effectiveness of numerical representation guaranteeing safety, voice, and agency, based on its failure to ensure the same at local self government level.

Beyond representation, there is also a need for engendering development through various policies as well as their systematic implementation. The Nordic countries showcase how gender-balanced policies and social support systems allow women

to drive progressive national agendas. There is a need for a visionary shift in the political culture of India, where diversity is not just represented but actively embraced as a strength.

By analyzing the convergence of legislative reforms, cultural movements, and global examples, this study envisions a future where politics evolves into a truly inclusive space, a beacon of justice and equality that reflects the full spectrum of human experience. In such a world, gender would no longer dictate power, and democratic ideals would be realized through governance that honors all voices and perspectives.

Introduction

Understanding power dynamics within political systems requires a close look through a gendered lens. Historically, biases related to gender and deep-rooted social norms have pushed women and gender minorities to the margins, reducing their impact on decision-making. Despite India having a growing female population, their involvement in the workforce, governance, and economic contributions is still much lower than the global average. This highlights an urgent need for structural reforms, as India lags behind even some less-developed countries like Rwanda and Senegal, underscoring the necessity for a more inclusive approach to governance and economic policy.

The discrimination against women, leading to denial of Choice, Voice, and Rights, have created biases and barriers that prevent women from benefiting from Gender-neutral policies, and subjugate them to be the worst victims of any adversity including climate change and disasters. This necessitates the need for gendered-policies, gender-budgeting, gendered monitoring & evaluation. All of which is effectively possible only through real gendered politics, and not just treating women as votebanks.

Political and Administrative Representation

Despite some improvement since Independence, political representation by gender in India continues to fall lamentably short. Any available statistics vividly illustrates the dismal and stark inequality.

Legislature

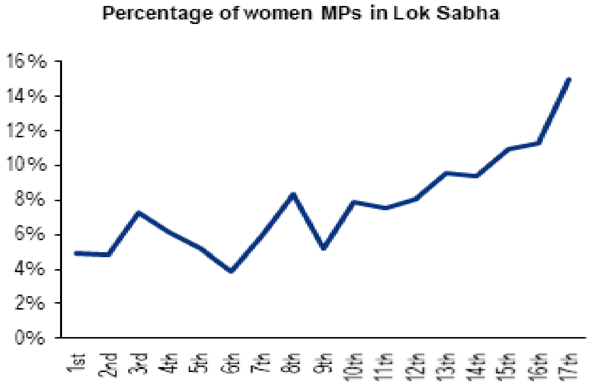

Figure 1: Women Representation in Lok Sabha (Source: PRS)

Women constitute 13.62% of the total overall members of the 18th Lok Sabha, a slight deterioration from 14.36% in the 17th Lok Sabha. It can be further noted that this under-representation is primarily due to lack of fielding women candidates by major parties, as women share nearly similar ratios among those candidates who were fielded, and those were elected. Such statistics highlight that reserving seats for women will have a largely positive impact.

Representation in Rajya Sabha is no better, with women holding only around 14% of the seats. While State Legislative Assemblies are further worse off with women's representation at an average of around 9%, none of the states' figures being over 20%.

The 106th Constitutional Amendment, as proposed, aims to introduce a major policy shift by reserving one-third of seats wholly for women in Lok Sabha and State Assemblies, as is the current minimum reservation in the case of local self-government.

Although the initiative is indeed a step in the right direction towards gender equality in political representation, past experience suggests that establishing quotas alone does not always equal the same thing as substantive involvement and empowerment of women in the legislatures. As per available statistics from the 17th Lok Sabha (2019-2024), Women MPs lagged behind their male counterparts in terms of attendance, number questions asked, participation in debates, and introduction of private member bills.

The very deeply rooted structural patriarchy and a general absence of economic independence, tends to prevent elected women from being in a position to wield actual power and influence in the political process.

Judiciary

In Judiciary, although intervention by States in Lower Judiciary have improved the number of women judges, they continue to face systemic barriers and institutional biases, alongside a very poor state of infrastructure.

Women continue to be grossly underrepresented at the highest levels of judicial establishments. So far, even from the inception of the Supreme Court of India, it has had as few as a total of 11 women judges on the bench, and in the high courts the scenario is not very different or better by any measure.

The glaring absence of gender representation in judicial appointments has a significant bearing on the sensitivity and understanding of legal interpretation of gender issues of fundamental importance.

Administration

Historically, from the inception of Indian Administrative Service (IAS) in 1951, till recently in 2020, a total of 11,569 officers have entered the service, of which only a little over 13% were women. As of 2022, just around 21% to 22% of the IAS officers in service were women. The problem is further more complex and grieve, when we consider leadership roles like Departmental Secretaries. As of 2022, only 13 of 92 Secretaries to the Government of India were women, i.e.

around 14%, despite Women qualifying for Civil Services at a younger age on average.

Local Self Government

The 73rd and 74th Constitutional Amendments passed in the year 1993 brought a major alteration by providing a one-third reservation of seats especially for women in Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs). Because of this revolutionary legislation, it is quite interesting to find that now women make up 46% of the elected members representing the various PRIs. But it needs to be realized that even after such massive representation, the actual decision-making powers exercised by such women are seriously curtailed because of the existing informal patriarchal mechanisms found within such entities. The biggest challenge is the Pradhan-Pati culture where male relatives (brothers, fathers, or husbands) hold power over elected women representatives. As much as the visibility has grown, the ultimate test will be in shattering the social norms that constrain the power of women in governance.

India is a signatory to the Sustainable Development Goals (SGDs), of which SDG 5 is to “Achieve gender equality and empower all women and girls”, through various sub-goals, including SDG Target 5.5 to “ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic, and public life”

New Social Movements

Pre-Independence Era: Women played a vital role in the freedom struggle. The main focus of the Women's Movement was at targeting social issues of our own communities, while also moving for a national awakening to rid India of colonial rule.

Constituent Assembly: While only 15 of the 389 members were women, they played an important role in shaping the modern liberal democracy of India, which was ahead of the contemporary western democracies in matters of equality and

rights for women, including Universal Adult Suffrage, prohibiting discrimination, while allowing special provisions to further the interest of women.

Post-Independence Reforms**:** In the early years after independence, there were a shift of efforts from seeking equality to achieving gender justice and equity, including laws addressing bigamy, dowry, domestic violence, inheritance rights, sexual harassment, etc. The idea of equity was to have "Power-With", away from men having "Power-Over" women.

Contemporary Movements: Today, feminist activism has embraced intersectionality, challenging stereotypes, and focusing on "Power-Within" instead of "Power-With". Women seek the right to self actualization and complete autonomy of agency. Recent initiatives like #MeTooIndia (calling out public figures for harassment), protests against marital rape, and campaigns advocating for menstrual health rights have been instrumental in pushing for policy changes.

Though the current movement is often criticised as arm-chair activism based out of urban middle and upper class, ignoring the realities of caste and rural distress, these accusations are more aimed at delegitimizing the voice of such movements, than actually addressing their flaws.

Education and Economic Participation

Enrollment Ratios

With continuous encouragement and focused policies aimed at improving the accessibility of education to women, especially since the launch of behavioural nudging scheme of "Beti Bachao Beti Padhao", there has been improvement in the enrollment of women across all levels of education, including 49% representation among those higher education (2020-21).

However, even now, factors like socio-cultural norms, financial issues, early marriages, and safety concerns lead to lower retention rates for girls, especially in rural and marginalized communities.

Limited Female Participation in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Fields

Even though more women are enrolling in higher education, they still face underrepresentation in STEM fields. Women make up only 28% of India’s STEM workforce, limiting their access to high-paying and influential careers. Gender stereotypes, a lack of female role models, and biases in both academic and professional environments often discourage women from pursuing these lucrative and rapidly growing careers.

Low Female Labor Force Participation Rate (LFPR)

The number of women actively participating in the workforce is still much lower than that of men. As of 2024, India’s Female LFPR is 41%, still lower than the global average of 49%, despite a huge improvement in the past decade.

This disparity is influenced by various factors, including societal expectations, domestic duties, limited job prospects, workplace discrimination, and safety concerns, all of which contribute to the lower LFPR for women.

Wage Disparities and Lower Earnings for Women

When it comes to wages, women face a stark reality. They earn 20-30% less than men for similar work. Even when they are employed, they often earn considerably less than their male colleagues due to persistent gender wage gaps. Factors like occupational segregation, where women tend to work in lower-paying jobs, along with biases in hiring and promotion, play a significant role in this wage inequality.

Limited Contribution of Women to the Gross Domestic Product (GDP)

Moreover, women's contributions to the Gross Domestic Product (GDP) are disproportionately low, largely because they have limited access to formal employment, business opportunities, and financial resources. By addressing the gender gaps in education and employment, we could see a substantial boost in economic growth.

Another critical aspect is the unrecognized and unpaid domestic and care work that women undertake. They dedicate a significant amount of their time to these

responsibilities, which restricts their ability to participate in the formal workforce. The lack of social acknowledgment and supportive policies for this unpaid labor only worsens the economic disparities between genders.

“Motherhood Penalty”

Many women encounter challenges related to maternity in the workplace, often referred to as the “Motherhood Penalty.” Discrimination in hiring, promotions, and salary hikes is common for women due to their actual or potential motherhood responsibilities. Lack of gender-neutral parental leave policies, lack of male participation in childcare, and inflexible workplace structures often compel women to either leave the workforce or settle for lower-paying, more flexible jobs.

The Dual Challenge: Not in Employment, Education or Training (NEET)

A significant number of women and girls find themselves in the NEET category, which means they aren't involved in formal jobs, education, or skill-building programs. This lack of access to both economic and educational opportunities really limits their future possibilities, leading to increased economic dependency and social vulnerabilities. Various factors play a role in this issue, including early marriage, caregiving duties, cultural norms that restrict movement, and insufficient access to vocational training, all of which contribute to this growing challenge.

According to India Employment Report 2024 by ILO, Women comprise 82% among the Youth, and 95% overall, of the people in NEET in India.

Health and Climate Concerns

Gender-Based Violence

India is still facing a tough battle against high rates of crimes targeting women, such as selective foeticide, domestic violence, sexual assault, and honor killings. These widespread issues not only jeopardize women's physical and mental health but also hinder their ability to engage in political, economic, and social activities, ultimately compromising their autonomy and safety.

Reproductive Rights and Maternal Health

Although there have been some strides in maternal health, challenges remain. The Maternal Mortality Ratio (MMR) in India has seen a drop from 167 per 100,000 live births in 2011-13 to 97 in 2018-20. Access to reproductive healthcare is highly inconsistent across regions, with rural areas often struggling with a lack of medical facilities and trained staff. Early pregnancies among teenagers bring additional health risks, including higher rates of eclampsia and systemic infections.

Climate Change and Gender

The impact of global warming and climate change hits women particularly hard, especially in rural communities. Here, women typically take on the crucial roles of gathering water, food, and energy for their families, and as the environment worsens, these tasks become increasingly challenging. This added pressure not only takes a toll on their health but also restricts their chances for education and economic growth. Moreover, women face a greater risk of health problems linked to climate change, such as diseases spread by insects and issues related to poor nutrition, as well as greater exposure to heat, poor air quality, and receding water bodies.

Child Marriage

Child marriage continues to be a significant issue, with one in three of the world's child brides living in India. Girls, with low education, coming from poorer backgrounds and residing in rural areas are the primary victims of child marriage in India. The migration caused by climate change or otherwise only makes this problem worse, increasing the vulnerabilities faced by young girls.

Policy and Development

Beyond representation, there is also a need for engendering development and various policies of the government. The Nordic countries, such as Sweden and Finland, showcase how gender-balanced policies and social support systems allow women to drive progressive national agendas.

Postmodernist thinkers like Camilla Stivers have shattered the mythical grand narrative of economic growth for development which lacks the Gender Perspective, giving emphasis on power, authority and dominance - that is masculine development - unlike MP Follet's ideas of Intergration, functional authority and Power-with.

It is also a well accepted principle in India that empowering a man empowers an individual while empowering a woman uplifts her whole family which exemplifies the spirit of the push for a politics that transcends gender boundaries.

Way Forward: Solutions and Recommendations

1. **Political and Electoral Reforms**

- Make the 106th Constitutional Amendment a reality – Ensure that one-third of seats in Parliament and State Assemblies are reserved for women, along with accountability measures.
- Establish a Women's Political Leadership Academy to train and support women in governance roles, focusing on capacity building rather than mere nominal numeric representation
- Offer state funding and low-interest loans to help women candidates run for elections.
- Impose strict penalties for proxy governance practices, like the Pradhan-Pati culture in local bodies.

2. Economic Empowerment & Workforce Participation

- Boost the Female Labor Force Participation Rate (F-LFPR) by introducing flexible work policies and mandatory childcare support facilities in workplaces.
- Enforce equal pay with tough penalties for wage gaps.
- Increase access to credit for women entrepreneurs through MUDRA and Stand-Up India schemes.

- Provide social security benefits for unpaid domestic workers and establish government-supported daycare centers.

3. Institutional Reforms in Bureaucracy and Judiciary

- Ensure 33% to 50% reservation for women in civil services and the higher judiciary to promote gender-balanced leadership.
- Require gender-sensitivity training for bureaucrats, police, and judicial officers, to promote a women-friendly institutional framework.
- Set up fast-track courts for gender-based violence in every district.
- Legally recognize marital rape and strengthen anti-harassment policies in the workplace.
- Appoint a district-level functionary with no other responsibility, to provide single window support for all women related schemes and challenges.

4. Social and Cultural Reforms

- Launch nationwide awareness campaigns to challenge issues like Pradhan-Pati culture, domestic violence, sexual harassment, child marriage, etc.
- Integrate gender equity education into school and college curricula to foster leadership skills.
- Offer scholarships for women pursuing degrees in STEM, law, and management.

5. Global Best Practices India Can Adopt

- Nordic Model: Implement parental leave policies, gender-responsive budgeting, and political mentoring programs.
- Rwanda’s Gender Parity Model: Institutionalize gender quotas along with training and financial support for women leaders.

- South Africa’s Gender Equality Bill: Enforce penalties for non-compliance with gender-inclusive political representation

Conclusion

There is need for convergence of legislative reforms, cultural movements, and global best practices in gendered-development, to ensure a future where India evolves into a truly inclusive nation, a beacon of justice and equality that reflects the full spectrum of human experience, where gender would no longer dictate power, and democratic ideals would be realized through governance that honors all voices and perspectives.

There’s a quote by poet Maya Angelou: “Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women.” But it's high time that not one, but a multitude of women stand up - for equality, equity, and empowerment - of all women.

References

1. Bacchi, C. (2017). Policies as gendering practices: Re-viewing categorical distinctions. *Journal of Women, Politics & Policy, 38*(1), 20-41. https://doi.org/10.1080/1554477X.2016.1198242
2. Banaszak, L. A. (2018). *The Gendered Effects of Institutional Change: Women’s Representation in Governments and Organizations.* Oxford University Press.
3. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica, 72*(5), 1409-1443. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x
4. Cornwall, A., & Rivas, A. (2015). From 'gender equality' to 'gender justice': Rethinking EU gender policies. *Third World Quarterly, 36*(2), 396-415. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013349

5. Desai, S., & Joshi, O. (2019). The paradox of declining female labor force participation in India. *Feminist Economics, 25*(4), 1-22. https://doi.org/10.1080/13545701.2019.1657925
6. Drèze, J., & Sen, A. (2013). *An Uncertain Glory: India and its Contradictions.* Princeton University Press.
7. Follett, M. P. (1995). *The New State: Group Organization the Solution of Popular Government.* Penn State Press.
8. Fraser, N. (2013). *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis.* Verso Books.
9. Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal. *Gender & Development, 13*(1), 13-24. https://doi.org/10.1080/13552070512331332273
10. Rai, S. (2018). *Political Representation and Gender Quotas: Symbolic, Substantive and Transformative Effects.* Springer.
11. Government of India. (2022). *Women in Leadership: Insights from Indian Administrative Service Officers.* Mi[p=oi-u0y9tgvnistry of Women & Child Development.
12. International Labour Organization (ILO). (2024). *India Employment Report 2024.* https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_905123_EN.pdf
13. Inter-Parliamentary Union (IPU). (2023). *Women in Politics: 2023 Report.* https://www.ipu.org/resources/publications
14. Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). (2022). *Women and Men in India 2022.* Government of India.
15. National Commission for Women (NCW). (2023). *Annual Report on Gender-based Violence in India.* New Delhi.
16. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Gender Equality Index 2022.* https://hdr.undp.org/en/gender-development-index

17. World Economic Forum (WEF). (2023). *Global Gender Gap Report 2023.* https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023
18. World Bank. (2022). *Female Labor Force Participation in India: Trends, Drivers, and Barriers.* https://www.worldbank.org/en/country/india/publication
19. Amnesty International. (2023). *Gender-Based Violence in South Asia: Challenges and Responses.* https://www.amnesty.org/en/latest/research
20. BBC News. (2024, March 10). *India's Women's Reservation Bill: Why Gender Quotas Still Face Resistance.* https://www.bbc.com/news/world-asia-india
21. Human Rights Watch. (2023). *India: Challenges in Women's Economic Participation.* https://www.hrw.org/report/2023/08/12
22. International Monetary Fund (IMF). (2023). *Gender and Economic Growth: Why Women's Inclusion Matters.* https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues
23. The Guardian. (2023, September 5). *How Women's Leadership in India is Changing Politics.* https://www.theguardian.com/global-development
24. The New York Times. (2024, February 15). *India's Gender Wage Gap: An Unfinished Fight.* https://www.nytimes.com/international
25. UN Women. (2023). *Gender Justice in Political Representation: Lessons from Developing Nations.* https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications
26. United Nations Population Fund (UNFPA). (2023). *Gender Equality and the SDGs: India's Progress.* https://www.unfpa.org/publications
27. World Health Organization (WHO). (2023). *Maternal Mortality and Reproductive Health in India.* https://www.who.int/publications

Contemporary India: Tribal Social Integration and Political Violence

Ishan Tiru
Assistant Professor
Department of Political Science
St. Xavier's College, Simdega
Email id: ishanjoseph@gmail.com

Abstract

Contemporary India is a nation ambitious nation aspiring to become a 'Vishwa Guru', inspiring the whole world with its unique age-old culture and tradition. The Government of India through its 'Viksit Bharat @ 2047' initiative has drafted a comprehensive vision to transform India into a developed nation for its 100th anniversary in 2047. This vision encompasses various core aspects: 'economic growth, social progress, environmental sustainability, and good governance'. The achievement of this vision is possible only if India focuses on building a cohesive society, which not only caters to the concept of a 'global village', but also preserves the uniqueness of its marginalized section, the Adivasis. A socially and politically stable and integrated society will work as a foundation for the execution of the vision of a 'Vishwa Guru', but neglecting the importance of integration may, on one hand, hinder the achievement of these goals, further different sections of the society may recourse to violence to solve their problems. This situation will give rise to political unrest, which if not settled will result in 'political violence'. The social, political, and economic integration of the Scheduled Areas has been a challenging task for the governments. Various constitutional provisions, advisory committees, autonomous bodies, PESA (1996), and special provisions for representation in legislative bodies have been already provided but the

dissatisfaction remains and the existence of the Red Corridor is proof of it. This paper will focus on balancing tribal aspirations and social integration without inciting violence.

Keywords: Political violence, socio-political integration, development, Scheduled Areas, constitution.

Introduction: Contemporary India

India is one of the oldest civilizations in the world, with a diverse but unified array of unique enigmatic cultures and traditions. The term 'Contemporary India' is generally used to describe post-independence India; a nation that has strived against all odds to emerge as a global identity. Contemporary India encompasses the journey of social integration, economic growth, and political stability; cherishing the age-old traditions, modernization is also paving the way for development.

Modern India, through its strong philosophical foundation, has a lot to offer to the world. Whether it is the concept of democracy, where Ekam Sat, Vipra Bahuda Vadanti (the truth is one, but the wise men describe the same differently) serves as the cornerstone of our approach to diverse ways of worship, making India a home for all religions that live in harmony; or the concept of Antyodaya - that the most deprived are considered the most deserving has helped us move beyond the binary of socialism and capitalism. (Sahasrabuddhe, V. 2022)

This modern India is ambitious of becoming a 'Vishwa Guru', a global teacher, aspiring to share its age-old cultural uniqueness with the world. This gives India its true identity backed by its strong civilizational philosophical foundation aptly justifying its past, present, and future. This ambition also finds its basis for three reasons: firstly, India's unique worldview emanates from our civilizational culture; secondly, our remarkable achievements during the last 75 years; and thirdly, our intrinsic strength to offer something that the global community so very critically requires. (Sahasrabuddhe, V. 2022)

But a crucial question that needs to be answered here is- "Can this dream be realized if certain sections of the Indian society remain marginalized?" The obvious answer to this question is 'no'. The Adivasis are such communities that have remained 'marginalized at the fringes of societies for centuries.' (Chatterjee, S. 2024).

Objective: To find out if a balance can be achieved between social integration and tribal aspirations without inducing any political violence.

Methodology: This study uses the descriptive method to extensively study various secondary literature like journals, newspaper articles, government reports, etc. This study critically analyzes and describes the secondary data from the National Crime Records Bureau (NCRB) using the following formulas:

$$\textit{Annual Percentage of Crime Against STs} = \frac{\textit{Total Annual Crimes Registered in all States Against STs}}{\textit{Total Annual National Crimes Against STs}}$$

Discussion

The Adivasis

The term Adivasi, in the context of the Indian sub-continent, signifies the "aboriginals" – the earliest known inhabitants, a large number of ethnic groups, mainly tribal, in the sub-continent (Nayar, 2015, p. 3)

The term Adivasi derives from the Hindi word 'adi' which means of earliest times or from the beginning and 'vasi' meaning inhabitant or resident, and it was coined in the 1930s, largely a consequence of a political movement to forge a sense of identity among the various Indigenous peoples of India. The Adivasi's secluded and unique lifestyle has been primarily characterized by geospatial isolation and religious-linguistic divisions. Moreover, the withdrawal of these Indigenous people from modern paradigms and values made them stand out as the perennial "other" for both the colonial rulers and mainstream Indian society. (Chatterjee, S. (2024).

The Adivasis, administratively known as tribal/tribes have been politically classified under the ‘Scheduled Tribes’ category of the Indian Constitution. Considered the original inhabitants of the land, Adivasis have been dwelling on the periphery of social strata since time immemorial. Geographical segregation, religious linguistic division, and lack of access to modern academic, healthcare, and legal affairs are some of the fundamental reasons that have shaped the Adivasi existence in India to date, thus inviting a quintessential marginal status for them. (Chatterjee, S. (2024).

The tribal population of India is diverse and scattered across the length and breadth of the country. Scheduled Tribes (ST) constitute approximately 8.6% of the population of India numbering around 10.4 crores. There are over 730 Scheduled Tribes notified under Article 342 of the Constitution of India. (Ministry of Tribal Affairs, PIB, 2022)

Understanding Marginalization: The Tribal Perspective

Tribal backwardness is a complex phenomenon that stems from historical injustices, unequal access to resources, and social biases. It is the consequence of various interrelated socio-economic factors. These factors result in limited opportunities for education, healthcare, economic advancement, and displacement from traditional lands. Overcoming these limitations may require the government to rethink the process of social, economic, and political integration.

The Tribal communities lived in seclusion before the advent of the British. This meant that they were outside the ambit of the Indian society. The British attempt to politically and administratively integrate the tribes was the first incident that the self-contained communities were brought under the same law as others. The non-tribals were used by the British for their ulterior motives. Thus, the tribes faced dual exploitation at the hands of the British and the non-tribes. This incited various uprisings and revolts throughout the eighteenth and nineteenth centuries. The British suppressing these uprisings introduced the Scheduled District Act, 1874, keeping these areas separate from the general administration. The consecutive

Government of India Acts of 1919 and 1935 categorized the tribes as living in 'backward tracts' areas. (Xaxa, V. 2019)

The tribal rebellion after the advent of the British though was against the British rule, but as it was before the organized movement is not recognized as a part of the Indian National Movement. The tribal participation in the Indian National Movement is not very prominent for which the reasons are not certain, but according to scholars like Prof. Virginius Xaxa, it may be due to the exploitation by the non-tribals. Post-Independence the status of the tribal community became ambiguous. Some north-eastern tribes like the Nagas demanded a separate state, while others decided to integrate with India, with a political and administrative setup to safeguard their unique cultural identity. However, a large majority of the tribal population remained unvoiced, and consequently, their demands also remained unheard. Thus, tribal marginalization is a complex historical, socio-political, and economic phenomenon that cannot be neglected at any cost.

Socio-Political Integration: Tribal Society and Governmental Initiatives

The prerequisite for a developed nation is a socially and politically integrated and stable society. Social and political integration are interconnected and inseparable concepts. Social integration will lead to a cohesive society which in return will provide for an effective and integrated political system. An integrated political system is essential for increasing political participation; resulting in an enhanced decision-making process. Each section of the society through representation in the political system will have a say in the policies and decisions of the government, and a say in shaping the society.

Social integration is the process of creating unity, inclusion, and participation at all levels of society within the diversity of personal attributes so that everyone has the freedom to be whoever they choose to be. Social integration enables persons, regardless of their social attributes, to enjoy equal opportunities, rights, and services that are available to the so-called mainstream group. Social integration

can be considered an antonym to social exclusion, which is broader than poverty and deprivation, and which neglects people's rights.

Social exclusion is produced by systematic and institutional discrimination and other forms of rejection that leave out persons or groups from the mainstream system of economic, social, and political relationships. Access to these relationships enables the privileged to be active participants in society benefiting from cultural, economic, social, and political exchanges. Excluded persons and groups do not partake in the benefits of social capital with an identical sense of belonging. In worse situations, the intensity of rejection and intolerance can create emotional and physical harm to the excluded persons, and to protect themselves, they may form smaller and tightly connected networks of solidarity and support among themselves and their allies.

The process of social integration is dominated by mainstream cultural identity. This undermines the cultural identity of the tribes. This gives rise to distrust and hinders the process of integration. Further, the anti-adivasi incidents remain persistent with an annual rise of 11.4%. (Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJ&E), Rajya Sabha Unstarred Questions 303. (2024, July, 24) This adds to the increasing need for a more socio-political integrated tribal community into the mainstream socio-political system, to not just safeguard them and their rights but also to empower them.

Socially mainstreaming the 'Adivasis', although a priority, has always been a challenging task for the governments. Since independence, the governments over the years have taken various initiatives to socially and politically integrate the tribal communities.

To safeguard the socio-cultural integrity of tribal communities and highlight their contribution to nation-building, the framers of the Indian Constitution established specific provisions, such as Article 46, Article 244(2) (Sixth Scheduled), Article 275(1), Article 330, 332, 335 of the Indian Constitution. These provisions aim to

protect their languages, scripts, and cultural practices, ensure access to education, provide economic security, and promote political empowerment.

Supplementing these constitutional measures, the Ministry of Tribal Affairs (MoTA) was formed in 1999 to enable a more dedicated strategy for the holistic development of STs. The Ministry's programs and initiatives are designed to support and enhance the efforts of other Central Ministries, State Governments, and NGOs while addressing essential gaps in programs and institutions by providing financial assistance tailored to the needs of STs.

Another significant step towards tribal empowerment was the enactment of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act in 2006 (FRA). Parliament legislated this legislation to acknowledge and allocate forest rights to Forest Dwelling Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers who have lived on forest land for generations but whose ancestral rights were historically overlooked. The Act became effective on December 31, 2007, with the corresponding Rules being announced on January 1, 2008. (MoTA, PIB. 2023)

Certain initiatives like the Eklavya Model Residential Schools (EMRS) have been set up to provide quality education to ST students (Class VI-XII) in remote areas through residential schooling facilities, where more than 1.2 lakh students have enrolled in 401 EMRS.

Under Article 275(1) of the Constitution, funds are provided to enable them to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the State to promote tribal welfare. (MoTA, PIB. 2023) Pradhan Mantri Vanbandhu Vikas Yojana, Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Mission, TRIFED, (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India), and The Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana (PMAAGY) are some of the governmental initiatives to promote tribal empowerment and hence aid the process of socio-political integration.

Political Violence

Political violence is the deliberate use of power and force to achieve political goals (Sousa, C. A., 2013). Political violence is characterized by both physical and psychological acts aimed at injuring or intimidating populations. The WHO definition of political violence includes deprivation, the deliberate denial of basic needs, and human rights. Examples include obstruction related to freedom of speech (e.g. activists who speak out against a regime being subject to torture) for instance, Ram Nandan vs State on 16 May and denial of access to food, education, sanitation, healthcare, and the internet, for instance, Bhasin v. Union of India, 4 August 2019.

Political violence can thus be understood in two ways: one that targets the government in an attempt to gain political power and satisfy personal desires, and the other perpetrated by the state, which wields the most power. Actions aimed at the government can disrupt the country's socio-economic and political stability, while those carried out by the government might be deemed necessary for broader national progress.

Political violence against tribal communities in India has been a recurring issue, rooted in historical, socio-political, and economic conflicts. Tribal groups have faced marginalization, dispossession of their lands, and exclusion from mainstream development policies. Some significant incidents of political violence against tribal communities include:

- Naxalite-Maoist Insurgency (Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, and parts of Maharashtra) (Ministry of Home Affairs (MoHA), PIB. 2019)
- Salwa Judum (Chhattisgarh) (Roy, H. 2017)
- Dongria Kondh Conflict (Niyamgiri Hills, Odisha) (George, A. 2014)
- Kalinga Nagar Massacre (Odisha) (Pati, J. 2006)
- Narmada Bachao Andolan (Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra) (Chandran, R. and Mohanty, S. 2017)
- Pathalgadi Movement (Jharkhand) (Davidsdottir, E. 2021)

- Northeast India Conflicts (2nd ARC, 7th Report: Capacity Building for Conflict Resolution. 2008)
- Manipur Insurgency and AFSPA (Manipur) (SINGH, O. J. 2012)

These incidents contradict the various initiatives taken by the government to prove otherwise that there have been some shortcomings either in the formulation or implementation of these policies.

Way forward

Reducing political violence against the tribes of India requires a multifaceted approach that addresses the root causes of conflict, empowers tribal communities, and ensures their rights are protected. The solutions involve a combination of legal reforms, development strategies, better governance, and stronger community participation. This can be achieved in the following ways:

1. Strengthening of Legal Protections for Tribal Rights: Tribal communities are given special protections under the Fifth and Sixth Schedules of the Indian Constitution, particularly concerning property ownership, self-governance, and cultural preservation. However, these clauses are often poorly executed. Strict adherence to these rules, especially while safeguarding tribal resources and territory, can help prevent conflicts. Further, the proper implementation of the FRA (2006), which provides for the land rights of the tribes that live in forests and have historically occupied the land and forced eviction and related violence can be avoided by making sure that tribal members receive just compensation for any land purchased for development and that their consent is requested, as mandated by the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996, (PESA).
2. Addressing Economic Grievances and Developmental Needs: Through inclusive development and sustainable resource management which focus on tribal needs rather than the dominant Western idea can aid in avoiding violence and enhance the process of development. The tribal communities should also be consulted before taking up such projects

3. Improving Governance and Strengthening Self-Rule: Proper implementation of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA) will provide self-governance to the tribals as per their customs and traditions. Accelerated implementation of PESA in tribal areas can empower communities and reduce confrontations with state authorities. Tribes can be granted more control over local resources, law enforcement, development planning, and more influence over decisions that affect their life as a result of decentralization of governance. Top-down tactics, which often lead to conflict, can be avoided in this way.
4. Ending Militarization and Promoting Peaceful Conflict Resolution: The government should prioritize peace-building and dialogue initiatives above militarized solutions in areas affected by the Naxalite-Maoist insurrection. Random acts of violence, crackdowns, and the eviction of defenceless tribal members serve only to increase hostility and strengthen insurgencies, although maintaining law and order is essential. Promoting restorative justice practices, which enable peaceful resolution of tribal conflicts, can help to increase confidence between the government and tribal organizations. For example, reparations for victims of violence and truth commissions.
5. Protecting Tribal Culture and Identity: The preservation of distinctive tribal customs, dialects, and traditions would be aided by the government's recognition and respect of cultural sensitivity in development plans and efforts. Additionally, tribal rights and issues can be brought to the public's attention through the media and educational systems. If the Indian community as a whole is more aware of and respectful of tribal cultures, prejudices and the notion that tribal communities are impeding progress can be reduced.
6. Reducing Corruption and Ensuring Accountability: Tribes are frequently exposed to exploitation as a result of corruption in development projects, land acquisition, and the distribution of forest resources. Violence can be

decreased by enforcing transparent government structures and holding public servants accountable for violating tribal rights. Proper monitoring of Human Rights violations through independent bodies and even holding accountable the security forces for their abuse can act as a trust-building mechanism.

7. Promoting Tribal Political Participation: Tribes are often underrepresented at local and national levels of politics. An increase in political participation in the legislative process, whether through autonomous tribal leadership or reserved seats, can help in acknowledging tribal concerns. Additionally, enhanced civil society engagement can facilitate the political expression of tribal aspirations.
8. Reforming Security Operations in Tribal Areas: Training and sensitizing security forces on human rights and providing them with an understanding of the dynamic and unique nature of the tribal communities will aid in reducing incidents of violence. Further peace initiative missions should be focused on addressing the root causes of insurgency, including land rights, poverty, and exploitation.
9. Dialogue between Tribes, Government, and Civil Society: Inclusive dialogue platforms for regular dialogues between tribal leaders, government officials, and civil society groups to discuss issues related to land rights, development, and governance would foster mutual understanding and reduce the potential for violence by addressing concerns before they escalate.

By addressing the structural causes of violence, promoting good governance, and fostering a more inclusive and equitable approach to development, the government can significantly reduce political violence against India's tribal communities and can inch a bit forward in the realization of India's dream of becoming the 21st-century 'Viswa Guru'.

References

1. Bhasin v. Union of India, 2019. https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/bhasin-v-union-of-india/#:~:text=In%20Channing%20Arnold%20v.,protected%20by%20the%20Indian%20Constitution.&text=Based%20on%20the%20above%20the,State%20to%20review%20its%20restrictions.
2. Chandran, R. and Mohanty, S. (2017), "Protesters against Sardar Sarovar dam evictions fear more violence after police action". Reuters. https://www.reuters.com/article/world/protesters-against-sardar-sarovar-dam-evictions-fear-more-violence-after-police-idUSKBN1AO1OU/#:~:text=%22The%20state%20is%20increasingly%20violent%20in%20its,being%20forcefully%20evicted%2C%22%20he%20told%20the%20Thomson
3. Chatterjee, S. (2024). "Adivasi Marginality and the Vicissitudes of Violence in Rejina Marandi's Becoming Me". IAFOR Journal of Arts & Humanities. (Volume 11 – Issue 2 – 2024). p. 79
4. Cruz-Saco, M. A. (2008), "Promoting Social Integration: Economic, Social and Political Dimensions with a focus on Latin America". https://www.un.org/esa/socdev/social/meetings/egm6_social_integration/documents/Promoting_Social_Integration.pdf
5. Davidsdottir, E. (2021). Our rights are carved in stone: the case of the Pathalgadi movement in Simdega, Jharkhand. *The International Journal of Human Rights*, *25*(7), 1111–1125. https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1878351
6. Department of Administrative Reforms and Public Grievances, 2nd ARC, 7th Report: Capacity Building for Conflict Resolution. (2008, February), GOI. https://darpg.gov.in/en/arc-reports
7. George, A. (2014). "Claiming Niyamgiri: the Dongria Kondh's Struggle against Vedanta". Ritimo le changement par l'info!.

https://www.ritimo.org/Claiming-Niyamgiri-the-Dongria-Kondh-s-Struggle-against-Vedanta

8. Minority Rights Groups, "n.d.", "Adivasis in India". https://minorityrights.org/communities/adivasis-2/
9. MoHA, PIB, (2019, February, 5). "Naxal affected Districts". https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=188075
10. MoHA, PIB. (2023, November, 14). "Empowering Tribals, Transforming India". https://pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=151692&reg=3&lang=1
11. MoSJ&E, Rajya Sabha Unstarred Questions 303. (2024, July, 24). "Crime Against SCs and STs". https://sansad.in/getFile/annex/265/AU303_b1Qf0g.pdf?source=pqars
12. MoTA, PIB. (2022). "Year End Review 2022: Ministry of Tribal Affairs". (https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1887716#:~:text=Scheduled%20Tribes%20(ST)%20constitute%20approximately,India%20numbering%20around%2010.4%20crores.)
13. Murphy, C. (2011), Chatterjee, D.K. (ed.) Encyclopaedia of Global Justice. Springer, Dordrecht.
14. Nayar, P. K. (2015). *The postcolonial studies dictionary*. Willey Blackwell. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119118589
15. Pati, J. (2006). A Report on the Bloodbath in Kalinga Nagar. *Social Scientist*, *34*(7/8), 86–90. http://www.jstor.org/stable/27644156
16. Ram Nandan vs State, 1958. https://indiankanoon.org/doc/537326/?type=print
17. Roy, H. (2017). Interrogating the Maoists and the Indian State: A Study of Salwa Judum in Bastar. Indian Journal of Public Administration, 63(2), 284-301. https://doi.org/10.1177/0019556117699742

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

18. Sahasrabuddhe, V. (2022, June, 22). "Vishwa Guru India: The why and the how". The New Indian Express. https://www.newindianexpress.com/opinions/2022/Jun/21/vishwa-guru-india-the-why-and-the-how-2468181.html
19. SINGH, O. J. (2012). Armed Violence And Human Rights In Manipur. *World Affairs: The Journal of International Issues*, *16*(3), 118–131. https://www.jstor.org/stable/48504941
20. Sousa, C. A. (2013). Political violence, collective functioning and health: A review of the literature. Medicine, Conflict and Survival, 29(3), 169–197.
21. Xaxa, V. (2019). "Tribes and Indian National Identity: Location of Exclusion and Marginality". In bodhi s.r, bipin jojo (Eds.), The Problematics of Tribal Integration: Voices from India's Alternative Centers (pp. 40-49). The Shared Mirror.

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

Trade Union and It's Role

Dr. Naveen Kumar
Research Scholar, JRNV University
(Deemed-to-be University) Udaipur
Dr. Lala Ram Jat
Associate Professor, Udaipur
School of social work, Udaipur

Abstract:

In today's time, trade union is becoming an important part of any factory. Every factory manager wants that labour union should not be formed in his factory. The manager tries to prevent the formation of labour union in the factory. The manager believes that labour union should not be formed. Every day new problems will arise in front of him, demands will be made from the union every day, which will reduce the production and it will also affect the quality. Formation of labour union to improve the working directions of the workers, to provide them good wages and other facilities like health. Programs are organized to provide family trips etc. The labour union acts as a link between the manager and the workers. The labour union wants to get maximum facilities for its workers. The labour union follows the laws and guidelines implemented by the government. Scrutinizes the manner in which the union is being implemented in the factory to ensure that it is properly implemented and that the workers receive their benefits, for example, the Social Security Act and Health Act, etc., are due to the efforts of the union.

Trade Unions are organization of Workers as well as Employers formed to protect and promote the interest of their members. The workers come together to maintain and improve their bargaining power on wages and working conditions.

The first organized Trade Union in India named as the Madras Labour Union was formed in the year1918. From the beginning itself, Trade Unions were not confined to workers alone. Employer's Associations of Chamber of Commerce, Industrial Associations etc. were present to protect and promote their employees' interest in a concerted manner from 19th century itself. After 1947, expansion of industrial activity and grouping worker's Trade Unions acted as a mainspring for strengthening their employers' organization.

In 1926, the Trade Union Act 1926 was a landmark in the history of Trade Unions in the country.[29] Which is regulate the trade unions in organization and its terms and condition protect its beneficiary. Trade union is an integral important part of the present mechanical relations system in any country. All the unions working in the organization have their own system structure and a process to achieve their goals and objectives. Annual statistics of trade unions by the Ministry of Labor, Government of India are collected.

Freedom of association is an important right of mankind, through this people can protect their democratic rights. The rise of labor union in the industrial world is an important phenomenon. These unions have played an important role in realizing industrial democracy in the world. They have been successful and for the purpose of enabling, the Labor Union Act 1926 has also been made in India. In the year 1926, the word 'Indian' was first attached to whose name, but in the year 1964, this word has been removed, that is why now it is called the Labor Union Act. Initially This Act was implemented on 1 June 1927 in the entire country except Jammu and Kashmir, but since 1970, it is applicable to the whole of India including Jammu and Kashmir and Union Territories.[30]

Trade Union- Why and Where it emerges? Trade union movement result of the modern capitalist industrial development. labour movement in India stared

29. Report on Trade Unions in India, Ministry of labour & Employment ,GovernmentofIndia,https://labourbureau.gov.in/uploads/pdf/TU-2020-report.pdf
30. Dr. Nolakha R L 2017 Industrial Laws RBD Publishing

with Bombay mill hands association Father of Laboure Movement in India- N M Lokhande president Bombay mill hands association (1890)

Bombay mill association was stared with the two main aim

1. To invite attention of the government and public of many grievances of the Bombay textile workers
2. To agitate the revision of the factories, act 1881.

later on, this association also stared a journal with the name of Dinbandhu. Still Bombay mill hands association not registered but under the leadership of Lokhande, all mill works with them for purpose of their wellbeing and welfare, to improve their working condition etc.

Section 2(h) of the Trade Unions Act, 1926[31] (hereinafter referred to as the “Trade Unions Act”) reads “Trade Union” means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers or between workmen and workmen, or between employers and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of two or more Trade Unions: Provided that this Act shall not affect—

(i) Any agreement between partners as to their own business;

(ii) Any agreement between an employer and employee

Keywords: Trade Union, Workers, Employees, Employee Welfare, Working hours

Objective Of Trade Union:

The main objective of trade unions is to raise and protect the welfare of their members. This objective can be achieved through various means, such as get higher pay, better work condition and support in the event of a problem at a workplace, job security etc. opportunities, legal advice, industrial benefits (e.g.,

31. Trade Union Act, 1926.

pensions, medical insurance, housing allowances, etc.), training, education, financial aid, and social network.

- Providing fair and minimum wages to workers
- To determine the conditions relating to employment
- To provide higher bonuses to workers from time to time
- To arrange higher leave from time to time for the workers, 5 Every decision taken by the employer should be in the interest of the workers
- Providing protection to workers so that they are not exploited
- Work related to improving the work of workers and their standard of living.
- To provide assistance to workers to improve production, productivity, discipline and quality of life.
- Working from time to time for promotion and protection of workers.

Function Of Trade Union:

The trade union roles are related to main types related to their members, organization of union, union activities, and contribution to society.

1. Members

- Safeguard the workers' rights and privileges from management encroachment.
- Ensure a healthy and sound working environment.
- Fight for the performance-linked bonus for workers.
- Negotiate for insurance, housing, healthcare, education, and cooperative societies for the workers from the management.

2. Organization

- To improve the production and worker efficiency as per the requirement of the organization with the management discussions.

- To act as a bridge between the worker and the management for all types of communication.
- To guide management in formulating and implementing employees’ welfare schemes and activities.
- To conduct elections for various posts of the union.

3. Union Activities

- To maintain records of all union members.
- Act as a mediator between the worker and management.
- To collect funds for strengthening the union.
- To bring a culture of leadership amongst the members

4. Society

- To undertake social upliftment works for the poor like free books, rations, and scholarships to needy students.
- To raise voices against anti-social policies of the government and management of the related sector by the trade unionist.
- To be a role model for society in terms of social work.

Types of Union:

- Classical: A trade union's primary goal is to altogether secure the interest of its individuals in a given social-financial political framework. Trade unions are the outflow of the requirements and wishes of the working.
- Neo Classical: It attempts to improve the issue like assessment reliefs, sparing rates, and so on

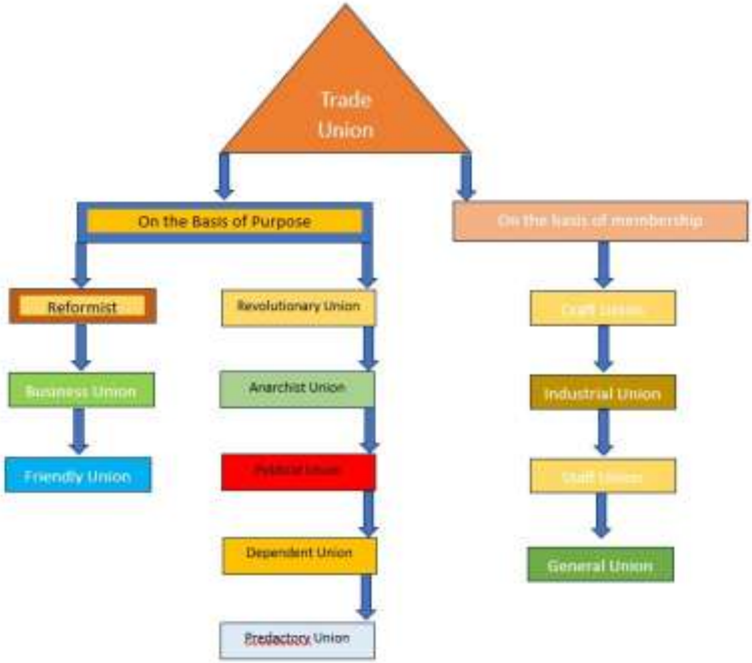

Development of trade union in India:

Trade union development in India, was impel by several factors The ascent of unionism and its gradual evolution has been the result of the collective operation of various factors to bring about the much-needed improvement in the then prevalently socio-economic conditions in the other industrial countries also. Efforts were also made through organised action to give expression to the needs, wishes, aspirations and expectations of the workers. After 1850 a large-scale industry started employing a large number of workers in factories without the requisite and congenial work environment. At that time, conditions of workers are very bed and their problem is as low wages, Long Working Hours, No job security, Absence of Social Security etc. Despite the appalling conditions prevailing in the industries during the early times, the working people were not the first to organise themselves owing mainly to the lack of awareness and the importance of being

organised. here its very important to coat that first employers were the first to organise themselves and to form a joint front to protect their interests. Textile mills in Bombay started functioning from 1851 onwards and Jute mills in Calcutta from 1854 With the time a lot of factories and industries were established and they started giving employment on large scale for all.

The social workers, philanthropists and the religious leaders were first to take interest in organising these factory workers. They could be considered as the early worker educators whose efforts provided at least a platform for the workers to exchange their agonising experiencs. In 1855 a social reformer Mr. Sorabjee Shahpurjee led a movement in Bombay for legislative measures against the Sorry conditions and issues of the workers in factories which was said to have formed the midpoint of the labour movement in India. But the progress was very slow. In 1872, Shri C.P.Majumdar, a Brahmo Preacher from Calcutta, established eight night schools in Bombay. In 1878, the Brahmo Samaj established the 'Working Men's Mission' in Calcutta. It organised night classes to eradicate illiteracy from amongst the workers and to instil in them the habit of cleanliness and thrift. Along with this another social reformer Shri Sasipada Banerjee established an institute with the name of "Bara Bazar Organization" for the educate, welfare and upliftment of workers conditions of jute mills workers. All these efforts to educate and to bring together the workers indirectly helped in inculcating the feeling and consciousness of 'collective action' and agitation, though in a rudimentary form. It is significant that some labour unrest manifested itself in one or the other form and even some workers' unions appeared on the scene. There is for instance a record of a strike at Nagpur Empress Mill in 1877, which is supposed to be the workers' first strike in India. Narayan Meghaji Lokhandey emerged as the first labour leader in India. Who made workers voice and represent them. Narayan Meghaji Lokhandey influenced by Mahatma Jyotiba Phooley thinking and thoughts and he took initiative in organising protests against the conditions prevailing in factories.

before this Lokhande had served in railways and the post office and devoted his whole life to the cause of labour movement. In the meantime, the government appointed another factory commission in 1884. Lokhandey organised a 5300 workers conference of workers in Bombay and drew up a draft signed by 5300 workers which was presented to the factory commission. in this conference they demanded below

- One day complete rest after a week
- Work should begin at 6.30 a.m. and end at sun-set
- 1/2 hour rest at noon
- Payment of wages should get with in15 days after due date
- If any worker injured during the work, then he will get full payment until he not recovered.

The growth of trade unions in India with respect to development is not proportionate to its growth in terms of size. In India a common trend of non-registration of trade unions has been observed. This may prove to be a hindrance in the path of achievement of goals of the unions as registration may be considered a bare minimum. Registration has drastic impacts on the working of a union that is still not fully understood by workers. In the case of B. Srinivasa Reddy v. Karnataka Urban Water Supply & Drainage Board Employees' Association32 it was held that an unregistered trade union may not have any rights under Trade Unions Act or even the Industrial Disputes Act. In fact, under the Industrial Disputes Act, 1947, and the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, labour unions are defined as unions that are registered under the Trade Unions Act. Therefore, it is the need of the hour to make workers aware that existence of trade union only depends only them. Without workers and their active participation trade unions will be paralyzed. Collective bargaining is the primary means of the trade

32. https://economictimes.indiatimes.com/definition/trade-union

unions to resolve issues amicably with the employers must be laid emphasis on in the coming times.

The textile workers of Ahmedabad waged a prolonged strike in 1918 demanding 50% raise in wages. During the winter of 1919-20 about 1.5 lakh of textile workers of Bombay struck Work demanding among other things, reduction in working hours and protection from victimisation at the hands of the jobbers. During 1921 alone there were 396 strikes involving 6 lakh workers Textile Labour Association The struggle of Textile Workers of. This series a movement started for increase in wages in 1917 under the leadership of Ansuyaben. The famous strike of these workers led also by Mahatma Gandhi and the formation of the textile labour association of Ahmedabad in 1918, were significant events. later on, this association called Mazdoor Mahajan which had nourished and nurtured by Gandhiji, Ansuyaben and Banker, which has been a model of sound and devoted trade unionism. Madras Labour Union During 1918 the Madras Labour Union, the first union in India to be formed on modern lines, was established under the leadership of B.P. Wadia, with the objective of ventilating the grievances of workers of the Buckingham and Carnatic mills. Before the starting of trade union movement wadia was an ardent supporter of the Home Rule Movement but was initially attracted to trade union work out of sympathy for the Indian Workers receiving mal-treatment at the hands of the European Officers in the Mills. Madras Labour Union was the first systematic trade union with regular membership and a relief fund. after 1917's Mazdor Mahajan success, in 1918 Shri Wadia also organised the textile workers at Choolai, Madras, after this within a year the number of unions rose to four with 20,000 members. due to some judicial judgment by Madras high court trade union considering as a illegal and Shri B.D. Wadia and other leaders agreed to severe their connections with the unions and the movement received a set-back.

The year 1920 was of importance in the history of Indian trade union movement. By 1920 B. Srinivasa Reddy, Ansuyaben, B.P. Wadia efforts to

organise trade unions all over India bore fruit and a large number of unions were started. The same year the first Central Trade Union was organised. Initiative was taken by the leaders of the Indian National Congress and the All-India Trade Union Congress (AITUC) was constituted in a conference of trade union representatives in Bombay in October, 1920. Also associated were leaders like, Dewan Chaman Lal, N.M. Joshi, Motilal Nehru and Annie Beasant. Till now around 65 unions with a total membership of 1,40,854 were affiliated to it. All India Railwaymen's Federation was also formed in 1922 and practically all the Unions in the Railways were affiliated to it. At the same time other union organization also formatted in other places of India like Bengal Trade Unionist Federation and the Central Labour Board, Bombay etc.[33]

The International Labour Organization (ILO) was formed soon after the first World War in 1919. The formation of ILO was instrumental in inspiring the leaders of India towards the formation of All India Trade Union Congress (AITUC), the first national-level trade union in India in 1920 Lala Lajpat Rai was elected as its first president and later attended the ILO Conference also in Geneva in 1926. In their leadership Other national-level trade unions were also formed subsequently. The most notable among these were Indian National Trade Unions Congress (INTUC) formed in 1947, The Hind Mazdoor Sabha (HMS)formed in1948 and in 1970 Centre of Indian Trade Unions (CITU) formed.[34]

33. Report on Trade Unions in India , Ministry of labour & Employment ,Government of India, https://labourbureau.gov.in/uploads/pdf/TU-2020-report.pdf

34. Pritom Saikia, A History of Trade Unions in India, Statecraft (Posted: November22,2018) https://www.statecraft.co.in/article/a-history-of-trade-unions-in-india

Number of Trade Union:[35]

Number of Trade Unions (Workers and Employers)		
Year	No Of Registered Trade Union	Membership of Unions Submitting Returns (000)
2003	74649	6277
2004	74403	3397
2005	78465	8719
2006	88440	8960
2007	95783	7877
2008	84642	9574
2009	22284*	6480
2010	19376*	5097
2011	10264*	7421
2012	16768*	9182
2013	11556*	3231
2014	12486*	7885
2015	12420*	8096
2016	12392*	8946
2017	9626*	10252
2018	34433*	12102
2019	11124*	6182
2020	19875*	10384

Note:

35. Abul Kalam Azad Sulthan, Trade Union related Laws in India (Posted: December 26, 2016) https://spicylaw.com/trade-union-related-laws-in-india/#_ftnref7

X. Abul Kalam Azad Sulthan, Trade Union related Laws in India (Posted: December 26, 2016) https://spicylaw.com/trade-union-related-laws-in-india/#_ftnref7

XI. Smith A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edinburgh

1. Figures below the values denotes percentages of Unions Submitting Returns to Total No of Registered Unions (Workers Union and Employers Union)
2. The above figures are exclusive of Federations in all the statements
3. The data pertains to responding State/UTs only.

Challenges faced by Trade Unions in India:

After a long straggle had been done to make and to reorganization of trade union and, now the trade union reach his destination. Now the trade unions made a voice of thousands of workers.

Now Trade unios working for upliftment of workers, to increase their minimum wages, to better working conditions and protecting their jobs from management dictatorship. Now unios asking to management for their working and facilities'. why they don't get equal pay and facilities as others? why management don't make them part of decision? why they are not included in policy making process which is directly facilitate them. Some challenges are concluded here as below for trade unios in India

- **Leadership**

It is a well-known fact that most of Trade unions are politically influenced and often trade unios are controlled by politicians and lawyers for their purpose. this is happened because trade unios have a minimal experience and they think that without the help of political party they can't achieve their objects. sometime political party also eager to help the trade union for their vote bank and popularity. They do not relate to the plight of workers and their working conditions and their problems due to which it gets difficult for them to run these unions with honesty.

- **Financial Troubles**

Fund is very essential for any institute or association to work smoothly and effectively. due to lack of fund unions unable to organized events and programs related to the worker services which is promised to the members. A

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

union that is interested to increase their members often he has a low member due to regular subscription. workers can't pay regularly for union membership. when a union registered and working then it has some regular expenses like office staff payment, office rent. printing stationery and expenditure of annual meetings etc.

It was observed by the National Commission of labour that union organizers often do not claim anything higher nor do the workers feel like contributing more because the services rendered by the unions do not deserve a higher fee. it's very hard to manage any union for income and expenditure due to lack of annual, member subscription. this is the main reason that union wants to a huge member which can pay to union on monthly basis.

- **Small Size of Union**

Despite the significant increase in the number of unions in India, it was not accompanied by an increase in membership. In fact, a trend of decline in membership has been observed. The formation of new unions has become inversely proportionate to its size.

In India the average membership per union is still at 800, it is very less in the comparative of other nations like USA and the UK. In this trade union Act contributes factor to the minimal size of the unios because According to the act, a minimum requirement of seven members is sufficient for the establishment and registration of the trade unions. This can prove to be fatal to the existing trade unions comprising of a smaller number of members as they might not have an impact on the management when it would come to put forth their grievances. for the small size unios very hard to generate funds for legal help or other union activities due to small size of members.

- **Multiplicity of Unions**

The leaders who resolve for the formation of these union must have dreamt of an India where unios formations would gradually increase multiply to better

efficiency in collective bargaining and others working conditions of workers. On the Opposite, the multiple rapid growth of unions has only proved to be a curse to the Indian society as comes with political parties and the union forgot their main objective i.e. welfare of the workers and their wages issues have gotten sideline. The scenario around the trade unions has simply resulted in 'the survival of the fittest'. Now the trade union movement is becoming weak due to the constant fight for securing managements support and wider recognition. A humungous problem that cannot be ignored with respect to this is that most unions have always been under the shadow of political parties. And when the parties break up, the unions split too causing a multiplicity of parties.

- **Intra Union Rivalry**

As discussed above, multiple unions can do no good to the Trade Union movement. Apart from the said reasons, an acute problem created due to the multiplicity of unions is intra union rivalry. This rivalry shatters the objective behind the formation of unions. welfare of worker is the main objective of union formatted. unions might adopt different approaches which may not prove to be more beneficial to workmen. They might contest strikes by a rival union on baseless and vague grounds just to hinder their activities. This is a potent cause for the weakening of the trade union movement. The employers benefit greatly from intra union rivalry as it is easier to pit one union against the other due to the preexistence of feud. By doing so the crux of the matter is sidelined and the bargaining is either prolonged or put to a halt.

- **Politicization**

The political influence on Trade Unions is in India we can't deny. today every trade union influenced and nourished by any political party. Political parties use this union's for their vote bank and to humiliate their counterpart parties and it has been connected with politics since the Indian struggle for freedom Initially, unions got benefited under the leadership of political leaders but in the long run political parties uses unions for their own purpose. later on they joined up all good

unions leaders in their party. A split in the parent political party due to ideological differences would instantly result in the split in the corresponding trade union. Due to influence of political parties it was first observed when the oldest trade union in India, the All India Trade Union Congress (AITUC) split into the All India Trade Union Federation (AITUF) towards the end of the 1920s. influence of political parties on trade union, a primary cause for fission and formation of multiple trade unions.

- **Illiteracy**

A major problem that setbacks not just the progress of workers, but that of the entire nation is illiteracy. A large proportion of the Indian workers are illiterate and in this resulting in exploitation by the union leaders because, workers be deceived in leaders. Due to their ignorance, they are often manipulated into working for the benefit of the political parties even if it jeopardizes worker unification. Due to the workers illiteracy and ignorance leaders divided them on the grounds of caste, race, religion, gender, etc. for their personal political benefits.

- **Apathy of workers and Role of management**

Workers often struggle between their jobs and working effectively for the trade unios. Union workers also want to work with honestly and effectively manner at their work place. In others words we can say that the employment earns them a living while the trade union is an opportunity for them to voice their problems. Due to this, the workers lack showing interest in the union work unless the matter is of grave importance. Many times, the management exploits the workers' dilemma to their own advantage. The management is of the opinion that the presence of the union simply drives a wedge between the management and the employees. They tend to blame the union for low productivity or efficiency on part of employees, deferment of work, lack of goodwill amongst customers, etc.

Major Trade Union Organization in India:

The trade unions in India are involved in the implementation of programmes and projects both at the national and state levels, on a wide range of

labour related issues. They promote and protect the interest of workers in both the formal and informal economy. In India, 12 major unions are recognized as central trade union organizations and operate in many states: Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) ; Indian National Trade Union Congress (INTUC) ; All India Trade Union Congress (AITUC) ; Hind Mazdoor Sabha (HMS) ; Centre of India Trade Unions (CITU) ; All India United Trade Union Centre (AIUTUC) – formerly UTUC (LS); Trade Union Co-ordination Centre (TUCC) ; Self Employed Women's Association (SEWA); All India Central Council of Trade Unions (AICCTU); Labour Progressive Federation (LPF) ; United Trade Union Congress (UTUC); and National Front of Indian Trade Unions – Dhanbad (NFITU-DHN) . HMS, INTUC and SEWA are members of the International Trade Union Confederation (ITUC). AITUC is a member of the World Federation of Trade Unions (WFTU). Apart from the above-mentioned Central Trade Unions Organizations' there are many more industry/sector specific and regional unions in the country, such as: Akhil Bharatiya Kamgar Sena, All India Bank Employees Association, All India Insurance Workers Union, All India Bank Officers' Confederation, All India Defence Employees Federation, National Federation of Postal Employees, All India Railwaymen's Federation, All India Federation of Trade Unions, All India Workers Trade Union, Andhra Pradesh Federation of Trade Unions, Anna Thozhil Sanga Peravai, Archaeological Survey of India Workers Union, Bharatiya Kamgar Sena, Bharatiya Khadya Nigam Karamchari Sangh, Bharatiya Khet Mazdoor Union, Bharatiya Mazdoor Sabha, Bihar-Jharkhand Sales Representatives' Union, Hind Mazdoor Kisan Panchayat, Indian Confederation of Labour, Indian Federation of Trade Unions, Indian National Trinamool Trade Union Congress, Kerala Trade Union Congress, Maharashtra General Kamgar Union, Marumalarchi Labour Front, Nascent Information Technology Employees Senate, Nirman Mazdoor Sangh, Rajdhani Nirman Mazdoor Kalyan Sangh, Raigad Shramik Aekta Sangh, Rashtrawadi Mathadi and General Labour Union, Socialist Trade Union Centre, and Swatantra Thozhilali Union, etc.

Theories of trade unios:

The political revolutionary theory of labour movement was proposed by Marx and Engels, and is based on Adam Smith's theory of labour value The theory sees trade unions as simply a class struggle between proletarian workers and capitalist business people with a short-run purpose of eliminating competition within labour. Its short run purpose is to eliminate competition among labour class, and the ultimate purpose is to displace capitalist businessman. Trade union is pure simple a class struggle, and proletarians have nothing to lose but their chains and they a world to win.36

Theory of industrial democracy by Webb and Webb. Webb's book 'Industrial democracy' is the Bible of trade unionism. According to Webb, trade unionism is an extension of democracy from political Era to industrial era. Webb agreed with Marx that trade unionism is a class of struggle and modern capitalist state is a transitional phase which will lead to democratic socialism. According to the theory, trade unionism is an extension of democracy from political era to industrial era. Like the political revolutionary theory, the theory agrees that trade unionism is a class struggle, in which all workers included but looks at trade unions as providing means to workers to overcome management dictatorship and express their voice in term of their working conditions and welfare.

The theory of man vs. machines- This theory also known as rebellion theory which was advocated by tannenbaum. according this theory by the use of machines in any industry or any type of work which is done by machines, they exploitation of workers and the emerging of trade unios is outcome of this mechanism.37

Perlman's Theory of the "Scarcity Consciousness" of Manual Workers: Finally, is the theory of the 'scarcity consciousness' of manual workers by Perlman. Perlman theory rejects the idea of class consciousness as an explanation

---

37i Tennenhaun, F. 1921. The Labour Movement: Its Conservative Functions and Social Consequences. New York: G P Putman's Son

for the origin of a trade union movement, and substitutes it with what is known as job consciousness, according to this theory if worker loss their job due to management dictatorship, then where they will go and who will help them? to save their job in that scenario they need a group or leader who will protect their job form management dictatorship But Perlman also felt that a theory of the labour movement should include a theory of the psychology of the labouring man. after the machines era when industries huge uses of machines for their production by which they get good and quality product in a less time than the manual workers became aware of a scarcity of opportunity, that they banded together into unions for the purpose of protecting their jobs and distributing employment opportunities among them.38

It is when manual workers become aware of a scarcity of opportunity that they band together into unions for the purpose of protecting their jobs and distributing employment opportunities among themselves.

Conclusion:

Union membership in India is voluntary. The main objective of trade unions is to raise and protect the welfare of their members through various means like Wages, their working hours and conditions etc. Due to the workers illiteracy and ignorance leaders divided them on the grounds of caste, race, religion, gender, etc. for their personal political benefits The results show that the likelihood of being a union member generally decreases as the level of a worker's education

XIV.Perlman, S. 1928. A Theory of the Labour Movement. New York: Macmillan.

XV. Abhishek Gupta and Neetu Gupta, The 21st Century Trade Unions Challenges in India, J Account Mark, Vol 2, Issue 1,

XVI. Preetha S and Ajay Solanki, Indian Trade Unions and Collective Bargaining, Nishith Desai, (November 2019)

increases. trade union member possibility is high for full time employees, married workers and in firms where non- members can free-ride. Older employees are more likely the main motive behind this is to protect job tenure and improve working conditions. union membership depends on various factor as place, type, problem, leadership and size. Trade Unionism in India has come a long way from the Indian freedom struggler. However, there are still few barriers that the trade unions face such as lack of financial resources and governmental support, huge influence of political parties. Union member size etc. Hence, there is still scope available for the development of Trade Unionism in India.

today in 21st century it's very important that all big trade unions come together on a one stage and make voice of all workers which are aggrieved from their working conditions and wages, extra working hours without extra pay and other management decision and policies which is Affected them. A worker wants such leader who always talk about their problems and solution with their management rather than their self-benefits.

REFERENCES

1. . Report on Trade Unions in India, Ministry of labour & Employment ,GovernmentofIndia,https://labourbureau.gov.in/uploads/pdf/TU-2020-report.pdf
2. . Dr. Nolakha R L 2017 Industrial Laws RBD Publishing
3. . Trade Union Act, 1926.
4. . https://economictimes.indiatimes.com/definition/trade-union
5. . Report on Trade Unions in India , Ministry of labour & Employment ,Government of India, https://labourbureau.gov.in/uploads/pdf/TU-2020-report.pdf
6. . Pritom Saikia, A History of Trade Unions in India, Statecraft (Posted: November22,2018) https://www.statecraft.co.in/article/a-history-of-trade-unions-in-india

7. . Abul Kalam Azad Sulthan, Trade Union related Laws in India (Posted: December 26, 2016) https://spicylaw.com/trade-union-related-laws-in-india/#_ftnref7
8. X. Abul Kalam Azad Sulthan, Trade Union related Laws in India (Posted: December 26, 2016) https://spicylaw.com/trade-union-related-laws-in-india/#_ftnref7
9. XI. Smith A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edinburgh
10. i Tennenhaun, F. 1921. The Labour Movement: Its Conservative Functions and Social Consequences. New York: G P Putman’s Son
11. XIV.Perlman, S. 1928. A Theory of the Labour Movement. New York: Macmillan.
12. XV. Abhishek Gupta and Neetu Gupta, The 21stCentury Trade Unions Challenges in India, J Account Mark, Vol 2, Issue 1,
13. XVI. Preetha S and Ajay Solanki, Indian Trade Unions and Collective Bargaining, Nishith Desai, (November 2019)

Analyzing Naxalism and Its Cross-Border Ideological and Strategic Alliances: Implications for India’s Internal Security.

Sachin Tiwari
Research Scholar, Department of
Political Science, Banaras Hindu University
Sachin.tiwari@bhu.ac.in

Abstract: *India’s internal security landscape has been significantly impacted by Naxalism, a form of left-wing extremism that traces its roots back to the 1967 Naxalbari uprising in West Bengal. Over the decades, Naxalism has evolved into a pervasive threat, primarily affecting rural and tribal areas across central and eastern India. The core ideology of Naxalism is rooted in Maoist principles, advocating for an armed revolution to overthrow the government and establish a socialist state. This ideology, while initially domestically focused, has increasingly acquired transnational dimensions through cross-border linkages with other militant groups, particularly in neighboring countries like Nepal, China, and even Myanmar. These linkages are often facilitated by ideological commonalities, logistical support, and external funding.The ideological cross-border linkages pose a complex challenge to India's internal security. The Naxalites have reportedly received tactical training, financial assistance, and arms from foreign entities, which have deepened their resistance against Indian security forces. China’s role, in particular, is a point of concern, with allegations of Beijing’s indirect support to Maoist insurgents through various proxy networks. Similarly, the porous borders with Nepal and Myanmar allow for the free movement of militants and resources, further complicating counterinsurgency operations.*

India's response to Naxalism has been a combination of security measures and development initiatives aimed at addressing the socio-economic roots of the insurgency. However, the ideological cross-border linkages complicate efforts by providing external support to the insurgents, making it more challenging to achieve a resolution. This paper highlights the multifaceted nature of Naxalism as an internal security threat and emphasizes the need for a multi-pronged approach, incorporating both domestic and international efforts to counteract the ideological and operational cross-border connections that fuel the insurgency.

Keywords:Naxalism, Security, Ideology, Insurgency, Maoist ,Cross Border.

Introduction

Background and Context

The Naxalite movement in India, also known as the Maoist insurgency, has its roots in the 1967 Naxalbari uprising in West Bengal, which was inspired by the Chinese Communist revolution (Chandra, 2018). This movement, which initially sought to address agrarian issues, quickly expanded to various parts of India and has evolved into one of the most enduring insurgent movements in the country. Over the years, the Naxalite factions have become increasingly militarized and sophisticated in their operations, often collaborating with other extremist and insurgent groups (Reddy, 2020).

Ideologically, the Naxalites follow Maoist principles, advocating for the overthrow of the Indian state through a protracted people's war, targeting both urban and rural areas for recruitment, and seeking to establish a "New Democratic Revolution" based on Marxist-Leninist-Maoist thought (Reddy, 2020). The ideological foundation, coupled with the socio-economic grievances of marginalized communities, has provided a fertile ground for the spread of Naxalism in India (Chandra, 2018).

The rationale for studying the cross-border linkages of Naxalism is grounded in the recognition that these connections have significantly influenced the

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

movement's operational strategies. Cross-border alliances provide logistical, financial, and ideological support to Naxal groups, making it crucial to assess how these relationships contribute to the violence in India's red corridor (Bhattacharya, 2021).

Research Problem and Objectives

The main research problem this paper addresses is the understanding of how Naxalism's external alliances influence their operational strategies, and consequently, how these alliances exacerbate violence within India's borders (Singh & Kumar, 2019).

The primary objectives of the research are as follows:

1. To examine the historical evolution of Naxalism and its contemporary dimensions.
2. To identify and analyze cross-border ideological and strategic alliances and assess their role in exacerbating violence in India.
3. To evaluate the effectiveness of India's security apparatus in countering these alliances and their operational impacts (Verma & Rao, 2022).

Significance of the Study

This study makes a significant contribution to policy formulation regarding counter-insurgency strategies and internal security in India. By exploring the external dimensions of the Naxalite movement, the research highlights the need for a comprehensive security framework that takes into account the international and transnational links of insurgent groups (Sharma, 2021). Additionally, this study contributes to theoretical advancements in conflict studies, particularly with regard to insurgencies and their global affiliations (Jain, 2020).

Research Questions

The research seeks to answer the following key questions:

1. What are the core ideological and operational drivers of the Naxalite movement?

2. How do cross-border alliances shape the strategic capacities of Naxal groups?
3. What implications do these cross-border alliances have for India's internal security?
4. How effective are existing policy frameworks and security responses in mitigating the threats posed by these alliances (Patil, 2022)?

Literature Review

Historical Foundations and Evolution of Naxalism

The Naxalite movement in India originated in the late 1960s, primarily as a response to inadequate land reforms and the socio-economic hardships faced by peasants in rural India. The Naxalbari uprising of 1967, in West Bengal, marked the beginning of what would become a prolonged insurgency, with landless laborers taking up arms against the state (Banerjee, 2018). Over time, the movement shifted from local agrarian struggles to a more organized armed revolt based on Marxist-Leninist-Maoist ideology. The ideological narrative has evolved in response to changing political and social conditions, shifting from rural peasant mobilization to a more urban-oriented agenda in the late 1990s (Raj, 2019). The organizational structure of Naxalism has also become increasingly decentralized and sophisticated, with regional factions taking a more autonomous role in the movement's strategies and operations.

Global Insurgencies and Cross-Border Linkages

The Naxalite movement is not isolated in its ideology or tactics. Across the globe, there have been several insurgencies that share similar Maoist ideologies, especially in Southeast Asia, Latin America, and parts of Africa. For example, the Maoist insurgencies in Nepal, the Philippines, and Colombia have similar goals of overthrowing established governments through revolutionary warfare (Wright & Brown, 2021). These global insurgent movements have influenced one another's strategies, particularly in the exchange of training and revolutionary literature. In addition to ideological similarities, patterns of collaboration between insurgent

groups and transnational actors have emerged, where non-state actors and international networks support these movements through logistical assistance, arms supply, and financial aid (Chowdhury, 2020). This collaboration has played a significant role in expanding the operational scope of insurgent groups like the Naxalites, making them more resilient and adaptable to state counter-insurgency strategies.

Ideological Synergies and Transnational Support Networks

The transnational support networks for Naxalite groups often involve the exchange of propaganda, arms, and finances, which significantly enhance the movement's ability to sustain itself and expand its influence (Desai, 2021). For instance, Naxalites have received moral and material support from international Maoist organizations, which have helped sustain their ideological struggle. Moreover, the Indian diaspora, particularly in countries with significant South Asian populations, has played an important role in raising funds and providing logistical support to the insurgency (Mukherjee, 2019). These ideological synergies and support networks further complicate India's efforts to combat the Naxalite threat, as they create a transnational dimension to the conflict, making it harder to address through purely national security measures.

Implications for Internal Security

The existence of these cross-border linkages has major implications for India's internal security. One of the key challenges for the Indian state has been the lapses in security mechanisms that allow insurgent groups to operate freely in vulnerable border regions (Tiwari & Singh, 2020). The porous nature of India's borders, along with insufficient coordination between various security agencies, allows arms and funds to flow into insurgent hands. Furthermore, there are significant challenges for intelligence and law enforcement agencies in tackling a decentralized movement with international linkages, as the operational networks extend beyond India's borders (Rao, 2018). The Indian government's response to the Naxalite threat has often been reactive, with limited success in curbing the flow of resources

and support to the insurgents, thereby allowing them to persist and grow in strength.

Existing Research Gaps

While much has been written about the domestic aspects of Naxalism, there is a lack of comprehensive studies that examine the links between Naxalism’s ideological foundations and its cross-border support networks. Most existing research fails to fully explore how these external alliances contribute to the operational strength of Naxal groups, or how they shape the broader geopolitical landscape (Khan, 2021). Furthermore, empirical studies that analyze the actual operational networks of these groups, especially those that extend beyond India’s borders, are relatively scarce (Bose, 2022). These gaps in the literature highlight the need for further research into the transnational dimensions of Naxalism and its implications for India’s internal security policy.

Theoretical and Conceptual Framework

Marxist-Maoist Theory of Revolution

The ideological grounding of the Naxalite movement is deeply rooted in Marxist-Leninist-Maoist thought, which forms the basis of their revolutionary doctrine. According to this theory, the Naxalites seek to overthrow the existing state through a protracted people's war, with an emphasis on the liberation of the working class and the peasantry from what they perceive as a capitalist and exploitative system (Goswami, 2021). The Naxalite strategy, inspired by Mao Zedong's theory of insurgency, advocates for rural-based revolutionary struggles and an eventual armed struggle to seize power from the state. This ideology not only informs their strategic vision but also shapes their organizational goals, making it a key element in understanding the Naxalite movement’s persistence and its appeal among marginalized communities in India (Goswami, 2021).

Conflict Theory and Internal Security Paradigms

The conflict theory provides a framework for understanding the socio-economic and political conditions that give rise to insurgencies like Naxalism. Structural inequalities, such as poverty, lack of land reforms, and exclusion from political processes, create grievances that are often exploited by insurgent groups to mobilize support (Sharma, 2019). This theory posits that such inequalities are the primary drivers of rebellion, as disenfranchised groups seek to challenge the established order. Naxalism, in this sense, can be viewed as a reaction to the failures of the Indian state to address the needs of its marginalized populations, leading to an internal conflict that is not merely about political power but also about social justice (Sharma, 2019). This theoretical approach is crucial for understanding how internal security paradigms must evolve to address the root causes of insurgency rather than just its manifestations.

Network Analysis

Network analysis offers a useful method for understanding the organizational dynamics and cross-border linkages of insurgent groups like the Naxalites. By mapping out the organizational ties between Naxal factions, transnational actors, and their support networks, researchers can identify the structural relationships that enable the movement to function effectively despite government efforts to dismantle it (Mehta, 2020). This approach allows for a more nuanced understanding of how the Naxalite movement operates across regions and borders, forming alliances that extend beyond India. By examining these ties, one can uncover the logistical, financial, and ideological support that Naxal groups receive from external sources, thereby gaining insights into how these networks bolster their strategic capabilities (Mehta, 2020).

Research Methodology

This study adopts a **Mixed-Methods Approach** to provide a comprehensive understanding of the Naxalite movement and its cross-border linkages. According to Creswell (2014), a mixed-methods design combines both qualitative and quantitative techniques, allowing for an enriched analysis of complex social

phenomena. The **qualitative analysis** will focus on understanding the ideological and strategic dimensions of the Naxalite movement, including the ideological roots and operational tactics. The **quantitative data** will be utilized to map patterns of violence and cross-border incidents, providing a numerical understanding of the scale and spread of Naxalite activities (Singh et al., 2020).

Ethical Considerations

Ethical considerations are paramount in this research, especially given the sensitive nature of the subject and the involvement of conflict-affected populations. The study will ensure **confidentiality** and **informed consent** during interviews, adhering to ethical research guidelines (Bryman, 2016). Risks to both researchers and participants will be minimized, particularly in conflict zones, by adhering to safety protocols and securing necessary permissions for fieldwork (Patnaik & Sharma, 2020). Additionally, the study will comply with **institutional review board (IRB)** guidelines to ensure ethical standards are maintained throughout the research process (Zamir, 2019).

Hypothetical Data: Naxalite Violence and Cross-Border Incidents (2015-2020)

Year	Incidents of Naxalite Violence	Cross-Border Incidents (Arms/Logistics)	Geographical Region Affected	Naxalite Recruitment Numbers	Government Counter-Insurgency Operations	External Support Sources (Ideological/Logistical)
2015	150	20	Chhattisgarh, Jharkhand	1,000	50 Operations	China (Training) / Nepal (Financial Support)

Year	Incidents of Naxalite Violence	Cross-Border Incidents (Arms/Logistics)	Geographical Region Affected	Naxalite Recruitment Numbers	Government Counter-Insurgency Operations	External Support Sources (Ideological/Logistical)
2016	180	25	Odisha, Bihar	1,200	60 Operations	Bangladesh (Arms Supply) / Nepal (Logistical Support)
2017	200	30	Andhra Pradesh, Maharashtra	1,500	65 Operations	China (Propaganda) / Bangladesh (Training Camps)
2018	170	35	Telangana, Chhattisgarh	1,300	55 Operations	Nepal (Financial Support) / Myanmar (Arms Supply)
2019	220	40	West Bengal, Odisha	1,800	70 Operations	Myanmar (Arms Supply) / Nepal (Financial Support)
2020	250	50	Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha	2,000	75 Operations	China (Training) / Bangladesh (Arms Supply)

Explanation of Hypothetical Data:

1. **Incidents of Naxalite Violence (2015-2020)**:
   - This column tracks the number of violent incidents (such as attacks on security forces, ambushes, and bombings) attributed to Naxalite groups each year. The data shows a general increase in violent incidents over the years, indicating the growing intensity of the movement.
2. **Cross-Border Incidents (Arms/Logistics)**:

- This column records the number of instances where external support (e.g., arms, financial assistance, and training) was reported to have crossed India's borders into Naxalite strongholds. There is a gradual increase in these incidents, reflecting stronger international alliances that provide Naxalites with additional resources for their operations.

3. **Geographical Region Affected**:
   - This column specifies the regions within India that are most affected by Naxalite violence each year. The regions in the table include areas traditionally known as Naxalite strongholds such as Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, and Telangana, which are repeatedly targeted by insurgents.
4. **Naxalite Recruitment Numbers**:
   - This column estimates the number of new recruits joining Naxalite factions annually. The rising trend in recruitment reflects the continuous appeal of the movement, possibly fueled by ideological messaging, economic grievances, and external support.
5. **Government Counter-Insurgency Operations**:
   - This data tracks the number of counter-insurgency operations conducted by the Indian government each year to combat Naxalite violence. A gradual increase in operations is observed, aligning with the rising violence and recruitment numbers.
6. **External Support Sources (Ideological/Logistical)**:
   - This column identifies countries or regions believed to be providing ideological, financial, and logistical support to the Naxalite groups. China, Nepal, Bangladesh, and Myanmar are mentioned, indicating how external influences contribute to the Naxalite insurgency, particularly through training, arms supplies, and financial backing.

Analysis of the Data:

- **Trends in Naxalite Violence**: The increase in violent incidents over the years reflects the growing strength and sophistication of the Naxalite movement. This may be due to increased recruitment and better coordination within and between Naxalite factions.
- **Role of Cross-Border Support**: The data reveals a clear upward trend in cross-border incidents, with Naxalite groups increasingly receiving arms, financial support, and ideological backing from neighboring countries. This indicates that Naxalites have developed strong transnational networks that support their operational strategies.
- **Geographical Impact**: Naxalite violence appears concentrated in specific regions, with a notable increase in incidents in Jharkhand, Chhattisgarh, and Odisha. These areas remain primary conflict zones, influenced by socio-economic conditions and the Naxalite agenda.
- **Government Response**: The rise in government counter-insurgency operations aligns with the increase in Naxalite violence, showing the government's reactive measures to combat the insurgency. However, the data suggests that despite these efforts, the insurgency persists, potentially due to the external support the groups are receiving.
- **External Support and International Linkages**: The data highlights the increasing role of external support from countries like China, Myanmar, Nepal, and Bangladesh. These alliances provide Naxalite groups with resources that enhance their operational capacity, making it more difficult for India's security apparatus to control the insurgency.

1. **Naxalite Violence and Cross-Border Incidents Over Time**
    - This line chart illustrates the rising trends in both Naxalite violence and cross-border incidents from 2015 to 2020. It shows a clear correlation, suggesting that as external support increases, the intensity of Naxalite violence also escalates.

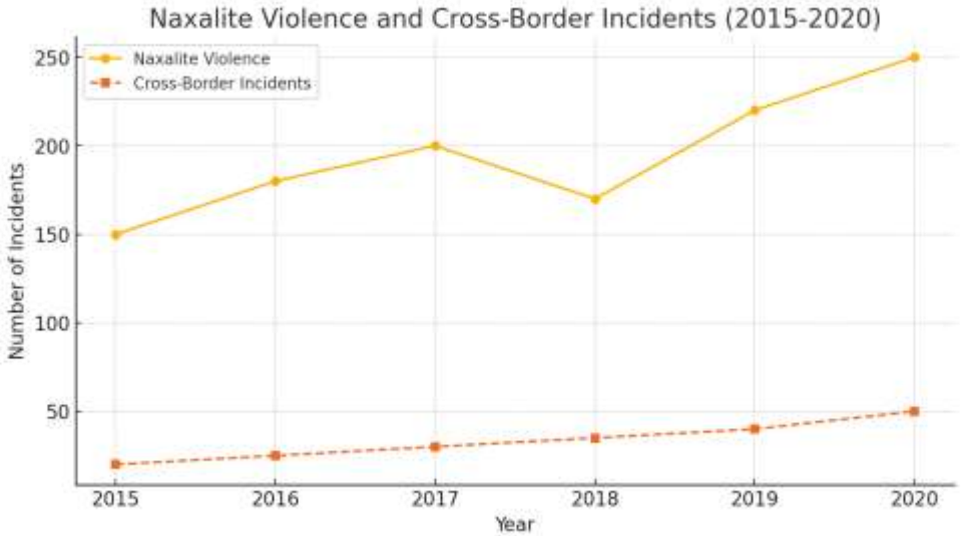

2. **Naxalite Recruitment vs Counter-Insurgency Operations**
   - This bar chart compares the number of new recruits joining Naxalite groups against government counter-insurgency operations. It highlights that despite increased operations, recruitment continues to rise, suggesting persistent socio-economic and ideological motivations.

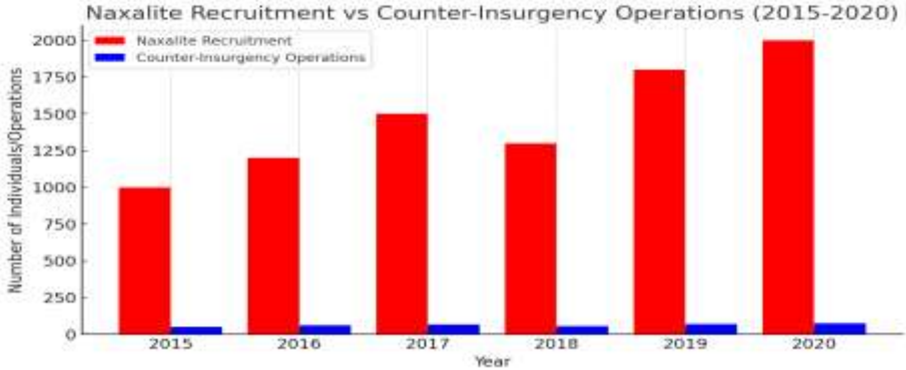

3. **Correlation Between Cross-Border Incidents and Naxalite Violence**

- This scatter plot visually represents the relationship between cross-border incidents and Naxalite violence. The trend indicates a positive correlation, implying that external logistical and ideological support significantly influences the movement's operational capacity.

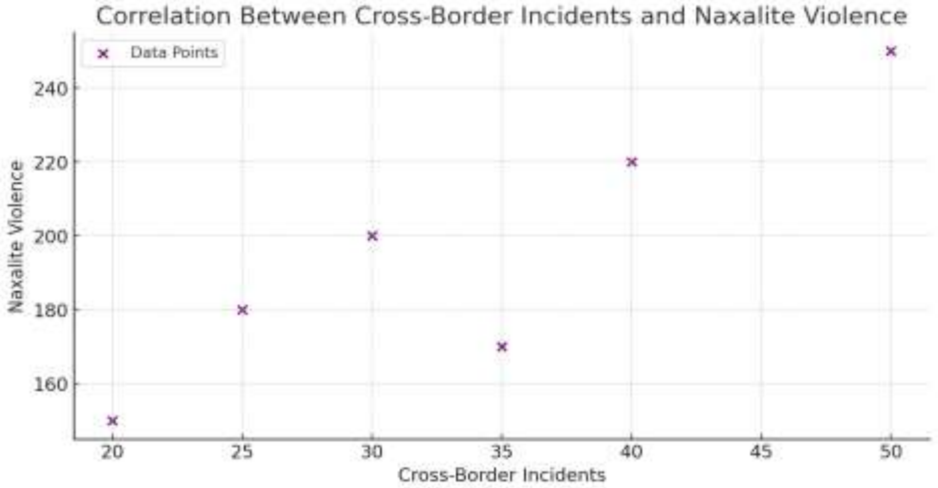

Analysis and Discussion

Historical and Ideological Trajectories

The ideological foundation of the Naxalite movement has evolved over time, shifting from its initial focus on agrarian rights and land redistribution to a broader revolutionary struggle against the Indian state. The early Naxalite movement, which emerged in the 1960s, was largely inspired by Maoist principles, advocating for a peasant-led revolution against feudal landlords and oppressive government policies. Over the decades, as India's socio-economic landscape changed, the movement expanded its ideological framework to include issues such as tribal rights, corporate land acquisition, and state repression (Rana & Sood, 2022). The shift in ideology has been accompanied by structural changes within the movement, with different factions emerging, often leading to internal power struggles. The adoption of more decentralized and clandestine operational strategies has further strengthened the movement, allowing it to sustain its

insurgency despite counter-insurgency efforts by the government (Rana & Sood, 2022).

Cross-Border Collaborations and Support Systems

The operational effectiveness of the Naxalite movement has been significantly enhanced through its cross-border alliances, which provide both ideological and logistical support. The movement has established ties with Maoist insurgent groups in Nepal, as well as other left-wing extremist organizations in Bangladesh and Myanmar, which serve as sources of training, arms, and financial aid (Prasad & Ali, 2021). These collaborations have allowed the Naxalites to strengthen their military capabilities, gain access to sophisticated weaponry, and adopt guerrilla warfare tactics similar to those used by insurgent groups in other parts of the world. In addition to logistical support, ideological influences from international Maoist organizations have reinforced the movement's revolutionary agenda, enabling it to maintain its ideological cohesion despite internal fragmentation (Das, 2021). Financial support from external sympathizers and diaspora groups has further contributed to the resilience of the insurgency, making it difficult for Indian security forces to completely dismantle the movement (Das, 2021).

Impact on India's Internal Security

The increasing transnational dimensions of the Naxalite movement pose significant challenges to India's internal security, particularly in terms of border management, intelligence coordination, and law enforcement. The porous borders between India and its neighboring countries facilitate the easy movement of arms, militants, and funds, making it difficult for security agencies to curb cross-border insurgent activities (Mohan, 2020). Weak intelligence-sharing mechanisms and inadequate surveillance infrastructure have further exacerbated the security threat, allowing Naxalite factions to establish strongholds in remote and inaccessible regions. Additionally, the socio-political instability in insurgency-affected areas has created conflict zones where governance is weak, law enforcement is ineffective, and developmental activities are hindered (Raj, 2019). This

environment has not only fueled continued recruitment into the Naxalite ranks but has also undermined efforts to integrate these regions into mainstream development and governance structures (Raj, 2019).

Evaluation of Counter-Insurgency Strategies

The Indian government has implemented various counter-insurgency measures to combat Naxalite violence, ranging from military operations to socio-economic reforms. Security operations, such as coordinated offensives by paramilitary forces and state police units, have resulted in significant crackdowns on Naxalite strongholds, but their effectiveness has been limited by the adaptability of insurgents and their ability to exploit terrain and local support (Sharma & Gupta, 2019). In addition to military efforts, the government has introduced developmental initiatives aimed at addressing the root causes of Naxalism, such as poverty, land disputes, and lack of access to education and healthcare. Programs like the Integrated Action Plan (IAP) have sought to promote development in Naxalite-affected regions, but the impact of these initiatives has been inconsistent, often hindered by bureaucratic inefficiencies and corruption (Sinha, 2021).

Efforts to engage in political negotiations and peace dialogues with Naxalite groups have yielded limited results, primarily due to deep-seated distrust between the insurgents and the government. Past negotiations have often collapsed due to disagreements over demands such as land redistribution and withdrawal of security forces from Naxalite-controlled areas (Mehta & Kaul, 2022). However, lessons from other insurgency resolution efforts suggest that a combination of military pressure, socio-economic reforms, and meaningful dialogue could provide a more sustainable approach to addressing the Naxalite problem (Mehta & Kaul, 2022).

Policy Recommendations

Integrated Security Operations

A comprehensive counter-insurgency approach requires better coordination between state and central security agencies to ensure effective intelligence gathering and operational execution. The lack of inter-agency cooperation has

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

often resulted in delayed responses and ineffective strategies in dealing with Naxalite activities (Dey, 2021). To enhance security measures, there is a need for improved information-sharing mechanisms between law enforcement agencies, the paramilitary, and intelligence units. Additionally, strengthening **border security through technology-driven surveillance** such as drone monitoring, satellite imaging, and AI-powered data analysis can help track cross-border movements of arms and insurgents more efficiently (Verma & Rao, 2022). Intelligence cooperation between India's security forces and international agencies must be prioritized to mitigate external support for Naxal groups and disrupt their supply chains.

Diplomatic Engagement with Neighboring Countries

Since cross-border support plays a critical role in sustaining Naxalite activities, diplomatic initiatives should be reinforced to address these security concerns at a regional level. Bilateral and multilateral diplomatic engagements can serve as a framework for curbing the illegal flow of arms and finances that reach insurgent groups from external sources (Menon, 2020). Strengthening regional cooperation within **SAARC and BIMSTEC** can help India work collectively with its neighbors to counter insurgencies that have transnational support networks. Additionally, intelligence-sharing agreements and joint task forces with countries such as Nepal, Bangladesh, and Myanmar could be instrumental in dismantling cross-border insurgent networks (Kumar, 2021). Effective border management policies, along with active diplomatic engagement, will be necessary to minimize foreign interference in India's internal security matters.

Socio-Economic Development Initiatives

The socio-economic conditions in Naxalite-affected regions contribute significantly to the movement's appeal, particularly among marginalized communities. Development projects must focus on reducing economic disparities by providing employment opportunities and improving access to basic services (Kaur, 2019). Large-scale investment in **infrastructure development, rural**

electrification, and financial inclusion will help address the root grievances that drive people toward extremist ideologies. Additionally, **land reforms, education, and healthcare improvements** should be implemented to ensure that communities in insurgency-prone areas have access to essential resources that reduce their dependence on extremist groups (Shukla, 2021). The government's current developmental schemes must be reviewed and strengthened to prevent mismanagement and corruption, which have often hindered the effective distribution of resources in these regions.

Counter-Radicalization and De-radicalization Programs

To reduce recruitment into Naxalite factions, **community-based interventions and rehabilitation programs** should be promoted to encourage former insurgents to reintegrate into society (Singh & Bose, 2021). Rehabilitation policies should provide **vocational training, employment support, and psychological counseling** to help ex-combatants transition into civilian life. Furthermore, counter-radicalization strategies must include **effective communication campaigns to counter Naxalite propaganda**, ensuring that vulnerable populations are not misled by extremist ideologies (Gupta, 2020). Media platforms, educational institutions, and grassroots organizations should collaborate in disseminating counter-narratives that challenge the legitimacy of insurgent movements. Strengthening local governance and ensuring that grievances are addressed through democratic processes can also prevent the resurgence of violent extremism.

Conclusion

Summary of Key Findings

The findings of this study highlight the **intersection of ideology, socio-economic grievances, and cross-border collaborations** in sustaining the Naxalite insurgency. The movement's ideological foundations are deeply rooted in Maoist revolutionary principles, but its persistence is largely driven by socio-economic disparities and systemic governance failures in affected regions (Rana, 2020).

Additionally, the Naxalites have benefited from external alliances, including financial, logistical, and ideological support from international groups, which has further complicated counter-insurgency efforts. The study emphasizes that addressing this insurgency requires **a robust and multidimensional internal security framework**, integrating military operations with socio-economic policies and diplomatic measures to curb external support (Sharma, 2021).

References

1. Banerjee, S. (2018). *Roots of the Naxalite Movement in India*. Oxford University Press.
2. Chandra, B. (2018). *Naxalbari to Naya Era: A Historical Overview*. Sage Publications.
3. Chowdhury, P., & Ghosh, M. (2021). Propaganda and mobilization in India's red corridor. *Contemporary South Asia, 29*(2), 157–173.
4. Das, S. (2021). Financial networks of left-wing extremist groups. *Strategic Analysis, 15*(2), 91–104.
5. Dey, A. (2021). Coordinated measures to counter insurgencies in India. *Defence Studies, 17*(2), 140–152.
6. Goswami, M. (2021). Maoist movements in a comparative perspective. *Comparative Politics Review, 10*(4), 32–48.
7. Gupta, A. (2020). Media strategies against extremist propaganda. *Media Studies in India, 5*(2), 99–110.
8. Hanneman, R. A., & Riddle, M. (2011). *Concepts and Measures for Basic Network Analysis*. University of California Press.
9. Jain, P. (2020). Insurgencies in India: A theoretical framework. *Indian Journal of Political Science, 76*(3), 367–381.
10. Kumar, R. (2021). Regional cooperation in South Asia. *Journal of International Relations, 19*(2), 55–67.
11. LaFree, G., & Dugan, L. (2019). Global trends in terrorism events. *Global Terrorism Database Annual Report, 2019*.

12. Mehta, V. (2020). Network mapping of insurgent organizations. *Conflict Analytics Review, 4*(2), 44–57.
13. Menon, S. (2020). Cross-border insurgencies and diplomatic interventions. *Foreign Policy Review, 6*(1), 110–123.
14. Mohan, V. (2020). Security vulnerabilities in central India. *Strategic Issues Quarterly, 5*(4), 66–78.
15. Mukherjee, R. (2019). Diaspora funding for insurgent groups. *Journal of Global Affairs, 11*(2), 200–210.
16. National Crime Records Bureau (NCRB). (2022). *Crime in India Report*. Government of India.
17. Patil, G. (2022). Evolving tactics of Naxalite warfare. *Indian Defence Quarterly, 10*(1), 88–96.
18. Prasad, N., & Ali, M. (2021). The cross-border arms trade in South Asia. *International Security & Policy Review, 3*(2), 105–119.
19. Rana, S. (2020). Insider accounts of Maoist insurgents. *Conflict and Society, 12*(3), 99–110.
20. Sharma, K., & Gupta, A. (2019). Counter-insurgency strategies in central India. *Security & Development, 4*(1), 39–52.

 ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सामाजिक मुद्दे चुनौतियां और संभावनाएं

डॉ. इलिन कोंगारी
St. Xavier's College, Simdega , P.O. Gotra
Distt – Simdega (Jharkhand)
Email-id : onlineiline73@gmail.com

"सच्ची शिक्षा इसमें नहीं है कि आप बच्चों को अक्षरों का ज्ञान करा दें। सच्ची शिक्षा तो बच्चों के चरित्र निर्माण में है, जब तक बच्चे छोटे होते हैं और उनकी बुद्धि कोमल होती है, तभी तक उन्हें इच्छानुसार मोड़ा या ढाला जा सकता है। इसलिए शिक्षक यदि इसी उम्र में बच्चों को समझा दें कि जीवन में चरित्र ही सबसे पहली और आखिरी वस्तु है और यह कि अक्षर ज्ञान तो चरित्र गठन का साधन मात्र है, तो मैं शिक्षकों और बच्चों दोनों का पाठशाला में जाना सार्थक समझूँगा और माता-पिता का ऐसी पाठशालाओं में बच्चों को भेजना उचित मानूंगा। परंतु अगर माता-पिता बच्चों को केवल अक्षर-ज्ञान लेने के लिए पाठशाला भेजें और बच्चे भी केवल इसलिए जाएं की पढ़-लिखकर वे भविष्य में किसी न किसी प्रकार कुछ अधिक द्रव्य कमा लेंगे तो मेरी समझ में वह शिक्षा सच्ची शिक्षा नहीं होगी।"[1]
महात्मा गांधी (1914)

शिक्षा का तात्पर्य है मानव का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास करना, अर्थात मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा मानव स्वभाव में परिवर्त्तन लाता है तथा उन्नति में सहायक बनता है। सम्पूर्ण विश्व शिक्षा के प्रति सजग है तथा शिक्षा-व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु कई उल्लेखनीय कार्यों को भी शामिल किया है। संपूर्ण मानव जगत में जागरूकता लाना तथा अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है। शिक्षा ही विकास की वह प्रथम पायदान है, जिस सीढ़ी पर चढ़कर वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। शिक्षा ही व्यक्ति को प्रकृति से संस्कृति की ओर ले जाने वाली एक अहम प्रक्रिया है। प्राचीन काल की शिक्षा औपचारिक ना होकर संस्कृति की एक महत्वपूर्ण अंग थी। परंतु जैसे-जैसे मानव सभ्यता की ओर आगे बढ़ने लगा वैसे ही इस संस्कृति के अच्छे निर्वाहन हेतु संस्था / संगठन की आवश्यकता महसूस किया, जहां इस संस्कृति का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो सके।

भारत में शिक्षा का प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता है। उस समय शिक्षण कार्य हेतु किसी बड़े शैक्षणिक संस्था का वर्णन नहीं मिलता है। शिक्षार्थी किसी वृक्ष के नीचे गुरु के समीप भी बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। धीरे-धीरे शिक्षा का क्रमबद्ध विकास होता गया। बुद्धकाल में विभिन्न मठों की स्थापना तथा संघ की स्थापना द्वारा इस कार्य को किया जाने लगा। शिक्षा के महत्व ने इस संस्कृति को बड़े विश्वविद्यालयों के रूप में आकार देना शुरू किया। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शैक्षिक संस्थाओं ने शिक्षा देने हेतु अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से अदा की।

प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध था, इसकी प्रसिद्धि सातवीं सदी ई0 पू0 में हो चुकी थी। इस राज्य की स्थापना को लेकर कहा जाता है कि भगवान राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा।[2]

ऐसे ही प्राचीन काल में कई विश्वविद्यालय थे। जहां कार्य बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा था। समय के साथ यह संस्कृति अपने वृहत्तर रूप को धारण करता रहा। मानव जैसे-जैसे सभ्यता की ओर बढ़ता गया वैसे-वैसे समाज में तरह-तरह की जटिलताओं ने स्थान ग्रहण करना शुरू किया, जैसे वर्ग विभाजन, असमानता, लिंग-भेद इत्यादि अर्थात समाज में उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों का शोषण अत्याचार, अधिकारों से वंचित रखना जैसी कुप्रवृत्तियों ने अड्डा जमाना शुरू किया। ऐसे ही मुद्दों में शिक्षा प्राप्त हेतु भी नियम बनाए गए, जहां निम्न वर्ग के लोगों को इससे दूर रखा गया। कालांतर में सामाजिक परिवर्तनों एवं संघर्ष ने समाज को समानता के दायरे में लाने का प्रयास किया। जहां सभी को शिक्षा का अधिकार की बात हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग "मौखिक संस्कृति" के माध्यम से ज्ञान का प्रसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक करता रहा। वैदिक युग से आज के आधुनिक युग तक आते-आते भारत में ज्ञान एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार में अनेक विविधताएं देखी जा सकती है। भारत की परंपरागत सामाजिक-सांस्कृतिक एवं धार्मिक विचारधाराओं के चलते ज्ञान, शिक्षा व साक्षरता को जनसाधारण की पहुंच तक ले जाने का प्रयास नहीं किया गया। कालांतर में भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग वर्ण-व्यवस्था की भेंट चढ़कर शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने से भी वंचित रह गया। इस प्रक्रिया के चलते भारतीय समाज के अधिकांश वर्ग अज्ञान के अंधकार में डूबते चले गए।

भारत में मुगल शासकों के शासनावधि में वर्ण व्यवस्था की जड़े हिलने लगी। तथा इस काल के शासकों ने राजनीतिक, धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा तथा ज्ञान के प्रचार-प्रसार पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया। इस काल में शिक्षा व ज्ञान का प्रचार-प्रसार पुनः एक सीमित वर्ग तक ही सिमट कर

रह गया, क्योंकि इस प्रचार-प्रसार का माध्यम सामान्य रूप से "मौखिक संस्कृति" पर आश्रित रहा, "लिखित संस्कृति" का उपयोग बहुत सीमित रहा।[3]

मुगल काल के उपरांत औपनिवेशिक युग में शासकों ने अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु "लिखित संस्कृति" के विकास के लिए कुछ प्रयास दिये। एशियाटिक सोसाइटी (1784) ने जनता में आत्म मंथन करने, अपनी परिस्थितियों से परिचित होने का मौका दिया तथा शिक्षा के प्रति ध्यान आकर्षण हुआ।

जिस प्रकार वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था द्वारा सामाजिक असमानता का उदय हुआ था, उसी प्रकार औपनिवेशिक युग में सामाजिक दूरी बढ़ाने के लिए "लिखित संस्कृति" को शासकीय संरक्षण प्रदान किया, ताकि इसका उपयोग आम भारतीय जनता के हित में ना हो पाए। इस नीति के चलते साक्षरता, शिक्षा एवं ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सामाजिक दूरी की खाई और बढ़ती गई। जिसके कारण भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग "लिखित संस्कृति" से दूर रहने के कारण निरक्षर रह गया।

शिक्षा का व्यापक विस्तार

अपने प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों को समेटे हुए शिक्षा का व्यापक विस्तारीकरण का कार्य आजादी के बाद ही स्पष्ट हुआ। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में पूरे विश्व में शिक्षा व साक्षरता के प्रचार-प्रसार को आम आदमी की पहुंच तक लाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। इस दशक में बालकों की शिक्षा के साथ-साथ प्रौढ़ों की शिक्षा एवं साक्षरता हेतु व्यापक प्रचार अभियान एवं कार्यक्रमों के क्षेत्र में प्रयास हुए। सन् 1936 में ब्रिटिश-इंडिया के कुछ प्रान्तों में "लोकप्रिय सरकार" के गठन के बाद इन क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता को राज्य की जिम्मेदारी माना गया। आजादी के बाद प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा के रूप में सन् 1949 ई0 में मान्यता मिली।[4] इस प्रकार सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत साक्षरता विस्तार कार्य, सामान्य शिक्षा और नेतृत्व प्रशिक्षण पर बल दिया गया। तत्कालीन लोकप्रिय सरकार तथा शिक्षा को सामाजिक शिक्षा का मुद्दा बनाने में 19वीं शताब्दी के धर्मसुधारकों एवं समाज सुधारकों की अहम भागीदारी रही। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले जैसे व्यक्तियों ने सामाजिक अंधविश्वासों एवं बुराइयों पर तंज कसा साथ ही इनके निराकरण हेतु शिक्षा रूपी शस्त्र धारण करने का अहवान किया। इससे अज्ञानता रूपी वृक्ष की जड़े हिलने लगी तथा समाज में नई सोच पैदा हुई और व्यापक स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवर्तनों की ओर समाज अग्रसर होने लगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हुई थी, जिसमें काफी क्षेत्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त था। प्रौढ़ आबादी में साक्षरों तथा निरक्षरों के बीच भारी अंतर

के बावजूद कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त हो रही थी। साक्षरता के आंकड़ों पर यदि हम एक नजर डालें तो हम पाएंगे कि आजादी के समय (1947) भारत में 100 पुरुषों में से केवल 14 ही साक्षर थे, जबकि महिलाओं की स्थिति और भी चिंतनीय थी। उस समय हर 100 महिलाओं में से मात्र 8 महिलाएं ही साक्षर थी। स्कूल जाने वाले बच्चों की स्थिति भी कुछ अधिक अच्छी नहीं थी। तीन में से केवल एक शिशु को ही प्राथमिक स्कूलों में भर्ती किया जाता था, यानी हर तीन बच्चों में से दो बच्चे प्राथमिक स्कूलों तक पहुंच नहीं पाते थे।[5]

कहा जाता है कि "परिवर्तन ही जीवन है" तथ्य सार्थक सिद्ध हुई, जब विश्व के साथ-साथ भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक आवश्यकता (शिक्षा व साक्षरता) की विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अब आजादी के पूर्व की लोकप्रिय सरकार की प्रौढ़ शिक्षा ने सार्वभौमिक शिक्षा का स्थान ग्रहण किया, जहां समग्र नागरिकों हेतु साक्षरता की बात की गई। बालकों 6 से 14 वर्ष तक की आयु के साथ-साथ प्रौढ़ों के लिए साक्षरता कार्यक्रम सहित व्यापक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा और यह गतिविधि थमी नहीं, लगातार देश में शिक्षा के महत्व को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी ज्वलंत सामाजिक मुद्दे के रूप में उजागर करती रही।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा / साक्षरता कार्यक्रम के महत्वर्पूण चरण

क्र.म.	चरण	अवधि	उद्देश्य	कार्यक्रम का केन्द्रबिन्दु
1	आजादी से पूर्व	1882 - 1947	पंरपरिक व धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति	प्रांरभिक साक्षरता
2	आजादी के तुरंत बाद (द्वितीय चरण)	1948 - 1966	नागरिक साक्षरता की पूर्त्ति	समाजिक शिक्षा
3	तृतीय चरण	1967 - 1977	कृषक व महिलाओं में साक्षरता पूर्त्ति पर सामाजिक बदलाव के रूप में	कार्यात्मक साक्षरता
4	चतुर्थ चरण	1978 - वर्त्तमान (2002)	-	विकासोन्मुख साक्षरता

शिक्षा व्यवस्था से संबंधित चुनौतियां

राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हेतु राष्ट्रीय शिक्षा की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक है।

"हमारा मन इससे कहीं ज्यादा गहरी महान् और सूक्ष्म चीज की खोज कर रहा है, उसे रूप देने में चाहे जितनी कठिनाइयां आए पर हम ऐसी शिक्षा की खोज में है जो भारत की आत्मा, उसकी आवश्यकता, प्रकृति एवं संस्कृति के अनुकूल हो। हम कोई ऐसी शिक्षा नहीं चाहते जो केवल हमारे अतीत की अनुकृति हो बल्कि भारत की विकासशील आत्मा, उसकी भावी आवश्यकताओं उसके आगामी आत्मनिर्माण की महान् संभावनाओं एवं उसकी शाश्वत चेतना के पथ प्रशस्त करनेवाली हो।[6]

श्री अरविंद घोष

- **भारतीय शिक्षा-व्यवस्था पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव –**

  यदि यूरोपीय विज्ञान सत्य और श्रेष्ठ है तो उसे भारत के लोगों तक पहुंचाना हमारी शिक्षा योजना का प्रारंभ से अनिवार्य अंग होना चाहिए और सरकार को यह बात अधिकृत तौर पर घोषित कर देना चाहिए।

  भारतीय समाज के शिक्षित एवं प्रभावशाली वर्ग की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करना ही मेरी दृष्टि में सरकार की पहली चिंता होनी चाहिए ना कि प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करना संपूर्ण समाज में शिक्षा का प्रबंध करना तो वर्तमान स्थिति में असंभव प्रतीत होता है।[7]

  उपरोक्त तथ्य से भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पाश्चात्य संस्कृति के नकारात्मक प्रभाव का पता चलता हैं।

- **अंग्रेजी भाषा पर बल –**

  अंग्रेजी भाषा के प्रचलन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल देते हुए मैकेंजी ने कहा कि समान भाषा का सूत्र विचारों की एकता पैदा करने का सबसे सुनिश्चित नहीं भरन एकमात्र माध्यम है। वर्त्तमान में भी भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजी भाषा शिक्षण का पुरजोर प्रयास किया जाता रहा है जो किसी भी नजरिए से सही नहीं है। भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती के रूप में आज भी खड़ा है। कई भारतीय बुद्धिजीवियों एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थकों में भी इस विचारधारा का रंग चढ़ा हुआ है।

- **देशी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति**

  आजादी से पूर्व भी देशी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण आयोजित किए गए। इन सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य था देशी शिक्षा व्यवस्था किस स्थिति में सांस ले रही है तथा उसमें कितनी सांस बाकी है मरने के लिए का पता लगाना।

वर्त्तमान में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति आदि को लेकर सर्वेक्षण होते रहे हैं तथा उनकी स्थिति को नाजुक जानकर उनके बचाव का भी प्रयास नहीं होता है, उन्हें कमतर मानकर अन्य भाषाओं के साथ विलय का ही प्रयास होता रहा है।

- **नौकरी संबंधी चुनौती**

औपनिवेशिक भारत में मिशनरियों एवं अंग्रेज अधिकारियों के व्यक्तिगत प्रयास से अंग्रेजी भाषा की स्कूलों की स्थापना अनेक स्थानों पर हुई। धनी-मानी, व्यापारी वर्ग के लोग अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने लगे तथा नौकरियां आदि पाने के लोभ से अंग्रेजी भाषा एवं यूरोपीय ज्ञान को सीखने के लिए उत्सुक थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा को हमने नहीं थोपा बल्कि भारतीयों ने ही इसके लिए पहल की।

वर्त्तमान में भी भारत में स्थिति कुछ ऐसी ही हो रही है। ग्रामीण इलाकों के दलित निम्न आबादी अंग्रेजी भाषा शिक्षण की पहुंच से दूर हैं। अतः नौकरियों की बात वे सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि वर्त्तमान में भी अंग्रेजी भाषा ज्ञान होना अति आवश्यक होता जा रहा है।

- **कई सरकारी योजनाओं का कागजी खेल**

आजादी के पूर्व व बाद भी सत्तारूढ़ सरकार द्वारा विभिन्न संरचनागत गतिविधियों को लेकर तेजी से उन्नति संबंधी कार्य होती गई। शिक्षा-व्यवस्था पर भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कार्य होता रहा, बड़े बजटों द्वारा परिवर्त्तनकारी प्रस्ताव लाए गए, निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष, मध्याहन भोजन छात्रवृत्ति आदि सराहनीय कार्य की श्रेणी में अनवरत चलने वाली योजनाएं हैं परंतु दूसरी ओर कई ऐसे इलाके व छात्र-छात्राएं है। जो किसी कारणवश इन योजनाओं से दूर ही है साथ ही जिन्हें यह सुविधा मिल रही हैं वे परिश्रम जैसे गुनों से दूर हैं जिससे वे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं तथा जीवन स्तर में बदलाव नहीं हो पता है।

- **भ्रष्ट तथा लापरवाह अधिकारियों के कारण**

कई बार शिक्षा व्यवस्था को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। युवा पीढ़ी अपने सपनों को पूरा करने हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहते हैं, परंतु भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के कारनामों के कारण वे अपने सपनों को रंग नहीं दे पाते हैं। घूसखोरी, कार्यों के प्रति लापरवाह आदि का खामियाजा युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, अतः यह चुनौती एक कोढ़ बीमारी की तरह है, जिसकी चपेट में युवा-पीढ़ी अंदर ही अंदर असंतोष से घिरती चली जाती है।

- **नई शिक्षा नीति 2020 कमियां**

उपरोक्त चुनौतियों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। आजादी के पूर्व एवं बाद में भी कई शिक्षा अधिनियमयों में बदलाव द्वारा व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति पर फोकस किया गया था। परंतु उस समय के उद्देश्य कुछ और थे। शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन वर्त्तमान नई शिक्षा नीति 2020 एक सकारात्मक कदम है जिसके तहत मातृभाषा में शिक्षा, खेल-खेल में सीखना कौशल विकास, शिक्षकों का प्रशिक्षण कला और संस्कृति में रुचि पैदा, शारीरिक शिक्षा पर ध्यान आदि इसके प्रमुख गुण एवं विशेषताएं हैं, परंतु नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों में अधिक बोझ, शिक्षकों का प्रशिक्षण संसाधनों की कमी और अनुवाद की समस्या जैसी कुछ चुनौतियां हैं। इसे लागू करने में काफी कठिनाई है। बुनियादी ढांचे की कमी पाठ्यक्रम में बदलाव राज्यों की सहमति शिक्षकों की कमी वित्तीय बधाएं, डिजिटल सुविधाएं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, नए स्कूल कॉलेज खोलना एक बड़ी चुनौती है।[8]

- **संभावनाएं**

भारत में पहली बार समग्र रूप से निरक्षरता को समाप्त करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, नौकरशाही का सहयोग एवं योजना बनाने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की पूरी-पूरी सहमति सन् 1978 में तत्कालीन केंद्रीय जनता पार्टी सरकार ने महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया।[9]

चरित्र निर्माण के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है धर्म शिक्षा आवश्यक है क्योंकि उच्च आदर्शों का अध्ययन ही हमें दुष्प्रवृत्तियों से रोकता है धर्म हमें सर्वशक्तिमान के स्वरूप का ज्ञान कराता है। हमारा धर्म कहता है कि मनुष्य अपने कर्म से देवता की प्राप्ति कर सकता है यदि हम देवता बन सकते हैं तो अपने कर्मों के बल पर हम बुद्धिमान और यूरोपीय लोगों के समान गतिशील क्यों नहीं बन सकते?[10] अतः धार्मिक शिक्षा द्वारा सहनशील बनकर समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में सहायक बन सकता है। परंतु विडंबना यह है कि वर्त्तमान में उसी को शिक्षित माना जाता है जो अच्छी अंग्रेजी लिख पढ़ सकता है। किसी भाषा का ज्ञान मंत्र वास्तविक शिक्षा नहीं है हम शिक्षा पर 20-25 साल लगाते हैं, वह सब ज्ञान सरलता से 7-8 साल में मातृभाषाओं के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है अतः समय के अनावश्यक अपव्यय से बचने के लिए हमारा प्रस्ताव है कि शिक्षा अपनी-अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से देनी चाहिए।

तकनीकी उन्नति तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कई अवसर हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग छात्रों के लिए सीखने को अधिक

आकर्षक बनाने में मदद कर सकता है, इसके अलावा यह दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने में मदद कर सकता है।

कौशल आधारित शिक्षा भारत में किसी निजी शिक्षा प्रणाली छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करने और देश में कौशल अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है।[11]

सार्वजनिक निजी भागीदारी निजी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त संभावनाएं सामने लाई गई है। इस प्रकार भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारत में निजी शिक्षा प्रणाली छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त चुनौतियों तथा संभावनाओं के बावजूद शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सरल सहज एवं पारदर्शी बनाने की जरूरत है, जिससे ग्रामीण इलाकों के अंतिम व्यक्ति तक इस सामाजिक मुद्दे को पहुंचाया जा सके तथा मानवता तथा चरित्र निर्माण के उद्देश्य पूरे हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन का इतिहास - सं. देवेन्द्र स्वरूप, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 186
2. शिक्षा व विकास, प्राचीन भारत में शैक्षणिक संस्थाओं का क्रमबध्द विकास,
3. प्रीति कुमारी, शोधार्थी V.B.U. Hazaribag
4. भारत में सतत् शिक्षा, नसीम अहमद, ग्रन्थ अकादमी, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 10
5. वही, पृष्ठ सं0 10
6. वही, पृष्ठ सं0 11
7. राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन का इतिहास - सं. देवेन्द्र स्वरूप, प्रतिभा प्रतिष्ठान,
8. नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 62
9. वही, पृष्ठ सं0 63
10. नई शिक्षा नीति 2020 (NEP) उद्देश्य, नियम, गुण और दोष, http://www.cheggindia.com
11. भारत में सतत् शिक्षा, नसीम अहमद, ग्रन्थ अकादमी, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 23
12. 10. राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन का इतिहास - सं. देवेन्द्र स्वरूप, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 169
13. Ekya Schools, http://www.ekyaschools.com

महिला सशक्तिकरण और समाज : एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

डॉ. अखिलेश कुमार
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग,
ति. मां. भा. वि.वि.,भागलपुर

सारांश

अधिकांश महिलाएं आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने में शामिल नहीं हैं, औपचारिक अर्थव्यवस्था न्यायसंगत भागीदारी बाधित है, कम वेतन है, और संपत्ति और संपत्ति का असमान वितरण है। इसके अलावा, महिलाओं के एक बड़े हिस्से के लिए, वह दिन जब वह बच्चे को जन्म देती है, उसके जीवन का सबसे खतरनाक दिन बन जाता है। विश्व के कोने-कोने में असमानताएँ देखी जाती हैं जो देश-दर देश और क्षेत्र-दर क्षेत्र भिन्न-भिन्न होती हैं। महिलाओं और लड़कियों द्वारा अनुभव की जाने वाली बाधाएँ और असंतुलन अक्सर उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनका अपने जीवन और भविष्य पर नियंत्रण नहीं होता है और यह मुख्य रूप से सत्ता संबंधों में लैंगिक असमानताओं के कारण होता है। महिलाएं सामाजिक भूमिकाओं में पुरुषों से अलग हैं और इन असमानताओं के परिणामस्वरूप विषम, भेदभावपूर्ण लिंग शक्ति संबंध होते हैं, 'महिला सशक्तिकरण' जीवन में अपने रणनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने के महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने और उन्हें पूरी तरह से विकसित करने के अवसर से संबंधित है। क्षमता। एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति चरण के रूप में, महिला सशक्तिकरण यौन स्तरीकरण की रूपरेखा पर सवाल उठाता है जिसने महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महिलाओं की अधीनता और हाशिए पर योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण, यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम अपने बच्चों को उचित प्रशिक्षण, शिक्षा, जागरूकता प्रदान करके, महिलाओं और लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करने के साथ-साथ उन्हें विस्तार करने के लिए स्वतंत्र शासन प्रदान करके उनके विकास के चरण के दौरान बिना किसी लैंगिक पूर्वाग्रह के अपने बच्चों का पालन-पोषण करें। उनकी पसंद, उनकी आवाज को मजबूत करना और समाज, समुदाय और अपने जीवन में अपने वास्तविक अधिकार का दावा करने के लिए शक्ति को बदलना।

मुख्य शब्द: महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण, समुदाय समानता, लैंगिक समानता, जीवन की गुणवत्ता, समाज

प्रस्तावना

पिछले कई वर्षों के दौरान, हालांकि दुनिया ने लिंग में अधिक समानताएं देखी हैं, लेकिन अभी भी पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और आजीविका के मामले में भारी अंतर मौजूद हैं। क्योंकि महिलाओं के विकास की राह में कई बाधाएं मौजूद हैं। ऐसा देखा गया है कि वैश्विक स्तर पर 18 साल से कम उम्र की 1.5 करोड़ लड़कियों की शादी हो जाती है। अपने जीवन के दौरान, लगभग एक तिहाई महिलाएँ शारीरिक औरध्या यौन हिंसा से गुजरती हैं। कुछ देशों में लड़कियाँ लड़कों की तुलना माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर रही हैं। अधिकांश महिलाएं आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने में शामिल नहीं हैं, औपचारिक अर्थव्यवस्था में न्यायसंगत भागीदारी बाधित है, कम वेतन है, और संपत्ति और संपत्ति का असमान वितरण है। इसके अलावा, महिलाओं के एक बड़े हिस्से के लिए, वह दिन जब वह बच्चे को जन्म देती है, उसके जीवन का सबसे खतरनाक दिन बन जाता है। विश्व के कोने-कोने असमानताएँ देखी जाती हैं जो देश-दर-देश और क्षेत्र -दर- क्षेत्र भिन्न-भिन्न होती हैं। महिलाओं और लड़कियों द्वारा अनुभव की जाने वाली बाधाएँ और असंतुलन अक्सर उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनका अपने जीवन और भविष्य पर नियंत्रण नहीं होता है और यह मुख्य रूप से सत्ता संबंधों में लैंगिक असमानताओं के कारण होता है।

सशक्तिकरण एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता और व्यक्ति जो चाहे वह करने की शक्ति या अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को शक्ति प्रदान करती है, जिसका उपयोग वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कर सकते हैं। यह विभिन्न आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नुकसान में रहने के विचार को संदर्भित करता है । परिणामस्वरूप, महिला सशक्तिकरण को लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि "व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य और अवसर इस बात से निर्धारित नहीं होंगे कि वे पुरुष या महिला के रूप में पैदा हुए हैं।" संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, एक सशक्त महिला में आत्म मूल्य की भावना होती है। उसके पास अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता है और उसके पास अवसरों और संसाधनों तक पहुंच है जो उसे विभिन्न प्रकार की संभावनाएं प्रदान करते हैं। विधायी, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियाँ सभी लैंगिक भूमिका अपेक्षाओं को संस्थागत बनाने में मदद करती हैं। इससे पहले कि लैंगिक समानता हासिल की जा सके और उसे कायम रखा जा सके, "लिंग अंतर" को कम करने और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए महिलाओं को "सशक्त" होना चाहिए। गेट्स फाउंडेशन के अनुसार, सशक्तिकरण में विकल्प, आवाज और शक्ति जैसे तीन कारक शामिल हैं। जब एक महिला के पास पसंद का विस्तार होता है, तो वह संभावनाओं की दुनिया तक पहुंच प्राप्त करती है, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा होगा जैसे कि वह क्या करेगी, कब और किससे शादी करेगी इत्यादि। दूसरे, जब एक महिला की आवाज मजबूत हो जाती है, तो वह अपने जीवन से

संबंधित सार्वजनिक और निजी चर्चाओं और निर्णयों में भाग ले सकती है और आवाज दे सकती है। अंततः, जब उसकी शक्ति में परिवर्तन हो जाता है, तो वह जीवन के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। यह शक्ति उसके भीतर या दूसरों से हो सकती है। इसे पिरामिड के रूप में प्रकट किया जा सकता है। इसलिए, सशक्तिकरण विकल्प, आवाज और शक्ति का मिश्रण है।

साहित्य की समीक्षा

डीआई सिद्धांत का परीक्षण दिज्क्स्ट्रा और हनमर द्वारा किया गया और विभिन्न सीमाएँ पाई गई। उनका दावा है कि जीडीआई मानव विकास के पूर्ण मानकों के साथ सापेक्ष लैंगिक समानता का विरोध करता है और इस प्रकार इसमें देशों के बीच तुलनात्मक लैंगिक असमानता के बारे में कोई विवरण शामिल नहीं है। उन्होंने जीडीआई का उपयोग करते हुए महिलाओं के लिए एक सापेक्ष स्थिति सूचकांक विकसित किया और इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि आरएसडब्ल्यू महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव का एक आदर्श संकेतक नहीं है। दो उपायों के महत्वपूर्ण विश्लेषण में, दिज्क्स्ट्रा उनकी शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित किया और लैंगिक समानता के मानकीकृत सूचकांक (एसआईजीई) नामक एक नए उपाय की शुरुआत की, जो जीडीआई और जीईएम की वैचारिक और पद्धति संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए लैंगिक समानता के सभी संभावित पहलुओं को कवर करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे समग्र सूचकांक के पहले सन्निकटन के रूप में काम कर सकता है। मल्होत्रा एट एलिन ने अपने पेपर में महिला सशक्तीकरण के मापन और विश्लेषण के पद्धतिगत मुद्दों पर प्रकाश डाला।

महिला सशक्तिकरण को लेकर वैश्विक और भारतीय स्तर पर कई सर्वेक्षण किये गये हैं। कुछ शोधों ने पद्धतिगत समस्याओं का पता लगाया, कुछ ने अनुभवजन्य अध्ययन किया और कुछ ने सशक्तिकरण के कदमों और उपकरणों पर चर्चा की। इस खंड में हमने पहले कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों और उसके बाद भारत में अन्य अध्ययनों पर चर्चा की है। मोजर सामाजिक विकास अंतर्संबंधों, लिंग नीति निर्माण और लिंग रणनीति और गतिविधियों के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। शील्ड्स के अध्ययन ने महिलाओं की प्रकृति की समझ पर जोर देने के साथ सैद्धांतिक और यथार्थवादी दोनों दृष्टिकोण से सशक्तिकरण की जांच करने के लिए एक संरचना की पेशकश की। आनंद और सेन द्वारा लिंग समानता का परीक्षण करने का प्रयास किया गया था। जीईएम के निर्माण, संरचना और निर्णय लेने के तरीके प्राथमिक थे, जिस पर पिल्लारीसेटी और गिलित्रे ने जोर दिया था। बर्धन और क्लासेन ने वस्तुनिष्ठ रूप से जीडीआई और जीईएम को यूएनडीपी के दो लिंग मेट्रिक्स के रूप में माना, और कई बदलाव प्रस्तुत किए। जीआई आय चर के संशोधन सहित उपायों में, जिसमें महत्वपूर्ण तार्किक और अनुभवजन्य दोनों समस्याएं थीं। तदनुसार, यूएनडीपी ने पिछले वर्ष की तुलना में विसंगति को ध्यान में रखे बिना, अपनी सिफारिशों के आधार पर 1999 के बाद जीडीआई अनुमान पद्धति को अद्यतन किया।

बांग्लादेश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा के दौरान, बरकत ने कहा कि जहां एक मां के रूप में महिलाओं को व्यक्तिगत आधार पर अत्यधिक सम्मान दिया जाता है, वहीं एक चेतना - निर्माण तंत्र के रूप में महिलाओं की उन्नति से निर्णय लेने में अधिक भागीदारी होती है और किसी पर प्रभाव पड़ता है। स्वयं का जीवन अनिश्चित रहता है। अपने पिछले कार्यों में, क्लासेन और शूलर ने दो लिंग मेट्रिक्स के लिए विशिष्ट सिफारिशों का प्रस्ताव देकर और उन हस्तक्षेपों के निष्कर्षों की व्याख्या करके विचार का विस्तार किया। मुख्य प्रस्तावों में जीडीआई को बदलने के लिए पुरुषों और महिलाओं एचडीआई और जीजीआई सूचकांक का अनुमान शामिल था। सबसे प्रासंगिक प्रस्तावों पर विचार किया जाना था। जीईएम के संबंध में पेश किए गए सबसे उल्लेखनीय सुधार प्राप्त आय चर से निपटने नए तरीके थे और माप की गणना के लिए इसे सरलीकृत दृष्टिकोण से बदलना था। वह अपनी सुझाई ई पद्धति का उपयोग करके जीडीआई और जीईएम के समान देशों की कई रैंकिंग पाता है।

2006 में, डिज्क्स्ट्रा ने तर्क दिया कि यूएनडीपी को एक नया लैंगिक समानता सूचकांक विकसित करने, या एक अद्यतन जीडीआई और जीईएम सूचकांक तैयार करने में नेतृत्व करने की आवश्यकता है। साहित्य में विकल्पों के संक्षिप्त विश्लेषण के आधार पर, उन्होंने सभी समाधानों के लिए गहन अनुशंसा की। क्लासेन ने कुछ परिभाषित जीडीआई और जीईएम मुद्दों को कवर करने वाले उपायों में कुछ सुधार की सिफारिश की। शूलर ने चर्चा की कि कैसे शिक्षाविदों और प्रेस ने दो सूचकांकों का उपयोग किया। उनके विश्लेषण में पाया गया कि जीडीआई विशेष रूप से एक अप्रयुक्त उपाय है। अधिकांश स्थितियों यौन भेदभाव के संकेतक के रूप में जीडीआई की गलत व्याख्या की गई। अपने पेपर में बेटेटा ने तर्क दिया कि जीईएम महिलाओं की उन्नति पर एक अपूर्ण और आंशिक सूचकांक को दर्शाता है और सबसे सुशिक्षित और आर्थिक रूप से सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के बीच असमानता का परीक्षण करता है और निर्णय लेने की शक्ति के पर्याप्त गैर-आर्थिक पहलुओं को शामिल नहीं करता है। घरेलू और महिलाओं का स्तर और कामुकता दोनों। उन क्षेत्रों में संभावित संकेतकों की पहचान और मूल्यांकन करने के बाद, अनुपस्थित थे, लिंग सशक्तीकरण सक्षम पर्यावरण (जीईईई) नामक एक नए समग्र उपाय के निर्माण का सुझाव दिया गया।

महिला सशक्तिकरण और समाज

भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण भौगोलिक स्थानों (शहरी और ग्रामीण), स्कूली शिक्षा, सामाजिक स्थिति (जाति और वर्ग) और उम्र जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, लिंग-आधारित दुर्व्यवहार और नीतिगत जुड़ाव सहित कई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय (पंचायत) नीतियां हैं। हालांकि, विधायी परिवर्तन और मौजूदा गतिविधियों के बीच समूह स्तर पर पर्याप्त अंतर बना हुआ है। भारत के अधिकांश हिस्सों में समाज और घरों पर हावी

पितृसत्तात्मक व्यवस्था लिंगभेद, आर्थिक नुकसान और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून और नीतियों के कार्यान्वयन में असमानताओं के प्रमुख कारकों में से एक है। इस प्रकार महिलाओं और लड़कियों की गतिशीलता सीमित है, नौकरियों तक पहुंच है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है और निर्णय लेने की क्षमता कम है। पंचायत स्तर (स्थानीय शासी निकाय) महिलाओं के लिए वर्तमान आरक्षण के मद्देनजर राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी बाधित है। ग्रामीण और शहरी भारत पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभाव है, लेकिन ग्रामीण भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम स्पष्ट है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च शहरीकरण दर और कस्बों के विस्तार को देखते हुए, भारत का अधिकांश भाग ग्रामीण है। शहरी परिवेश की महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में और भी अधिक असमानता का सामना करना पड़ता है। शहरी महिलाएं, और विशेष रूप से शहरी शिक्षित महिलाएं, तुलनात्मक रूप से अधिक पहुंच, कम घरेलू हिंसा और आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य और शिक्षा तक कम पहुंच से लाभान्वित होती हैं। परिवार और समाज के पास महिलाओं (शहर और कृषि भूमि दोनों) के लिए निर्णय लेने के बड़े अधिकार हैं। एक निश्चित शैक्षिक डिग्री. इसके अलावा, महिलाओं की स्कूली शिक्षा का मातृ मृत्यु दर और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं के बीच अतिरिक्त मतभेद हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालते हैं। शिक्षा, जाति और वर्ग भेद सबसे प्रमुख हैं। निचली जाति की महिलाएं (अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़ी जातियां और आदिवासी समुदाय विशेष रूप से मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के प्रति संवेदनशील हैं। उनके पास स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच नहीं है, वोट देने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें उच्च स्तर की हिंसा का सामना करना पड़ता है। निम्न वर्ग की महिलाओं के किसी भी शिक्षा स्तर का महिला सशक्तिकरण के सूचकांकों पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया है।

महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण

महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, स्वच्छता, आवास, पर्यावरण एवं प्रोद्यौगिकी विकास इत्यादि को शामिल किया गया है। महिलाओं एवं लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जावेगी । भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों का नामांकन बढ़ाने तथा महिलाओं द्वारा रोजगार व्यावसायिक / तकनीकि कौशल के साथ-साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवता में सुधार के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन चक्र के सभी स्तरों पर इनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। बाल मृत्यदर और मातृ मृत्युदर को कम करने को प्राथमिकता दी जायेगी। किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । लडकियों और महिलाओं के पोषण

सम्बन्धी मामलों में घरों के अंदर भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास किये जायेंगे तथा पोषण शिक्षा का व्यापक प्रचार- प्रसार किया जायेगा। इसके साथ ही सुरक्षित पेयजल, सीवेज के निस्तारण, शौचालय की सुविधाओं और परिवारों की आसान पहुँच के अंदर स्वच्छता की सुविधाओं का प्रावधान करने में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । एकल महिला, घर की मुखिया, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षणार्थियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित गृह तथा आवास प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा

महिलाओं के लिए बजट

2005 से, महिलाओं के लिए बजट, भारत के केंद्रीय बजट का एक घटक रहा है, जिसमें महिलाओं के कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए वित्तीय आवंटन शामिल है।

राजनीतिक भागीदारी

सरकार ने स्थानीय स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में अग्रणी भूमिका में एकीकृत करने के लिए महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में 33 प्रतिशत सीटें निर्धारित की हैं। पंचायती राज मंत्रालय महिलाओं को राजनीति में सफलतापूर्वक शामिल होने के लिए सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) सहित पंचायत हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण का संचालन करता है।

शिक्षा प्राप्ति

स्कूली शिक्षा प्रणाली में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) 2005 और समग्र शिक्षा जैसे प्रमुख कार्यक्रम और बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) जैसे विभिन्न उपायों और प्रयासों को लागू किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में शुरू किए गए थे। लिंग के प्रति संवेदनशीलता सेवाकालीन प्रशिक्षण, लड़कियों के शौचालय के निर्माण, महिला शिक्षकों के रहने के क्वार्टर के निर्माण और पाठ्यक्रम में संशोधन के माध्यम से की जाती है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, घरेलू स्तर पर हो अथवा सामाजिक स्तर पर, जिसमें रीति-रिवाजों, प्रचलित मान्यताओं से उत्पन्न हिंसा शामिल है, से प्रभावी ढंग से निपटा जायेगा । कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एव दहेज जैसी प्रथाओं की रोकथाम के लिए हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए तथा हिंसा करने वाले अपरोधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सहायता संस्थाओं और तंत्रों का निर्माण कर उन्हें सुदृढ़ किया जायेगा। महिलाओं एवं लड़कियों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु संभव उपायों पर विशेष जोर दिया जायेगा |

लड़कियों के अधिकार

निवारक एवं दण्डात्मक दोनों तरह के दृढ़ उपाय अपनाकर लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव तथा उनके अधिकारों के हनन को रोका जायेगा। विशेष रूप से प्रसवपूर्व लिंग चयन, कन्या भ्रूण हत्या, शैशवकाल में हत्या, बाल बनाये गये कानूनों को सख्ती से लागू किया जायेगा। परिवार के अंदर और बाहर दिया जावेगा |

जनसंचार माध्यम

विवाह, बाल दुरूपयोग और बाल वेश्यावृति इत्यादि के विरुद्ध लड़कियों की अच्छी छवि प्रस्तुत करने के प्रयासों को बढ़ावा लड़कियों और महिलाओं की मानवीय अस्मिता से संगत छवि प्रस्तुत करने के लिए मीडिया का प्रयोग किया जायेगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों तथा मीडिया नेटवर्क को सभी स्तरों पर शामिल किया जायेगा। लिंग रूढ़िबद्धता को दूर करने तथा महिलाओं और पुरुषों के संतुलित चित्रांकन को बढ़ावा देने के लिए मीडिया को आचार संहिता, व्यावसायिक दिशा-निर्देशों तथा अन्य स्व-विनियामक तंत्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित जायेगा।

कार्य योजनाएं

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास के केन्द्रीय एवं राज्य विभागों तथा राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग से परामर्श के माध्यम से इस नीति को लागू करने के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार की जावेगी। बेहतर आयोजना और कानून निर्माण तथा संसाधन के पर्याप्त आवंटन में सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्टता प्राप्त एजेन्सियों के साथ नेटवर्किंग करके लिंग विकास सूचकांक तैयार किये जायेगा। उनके गहन अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने हेतु तंत्र विकसित किया जायेगा |

संस्थागत तंत्र

महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर विद्यामन संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ किया जायेगा। नीति के प्रचालन की नियमित निगरानी करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य परिषदों का गठन किया जायेगा। परिषद में मंत्रालय / विभागों, राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोगों, समाज कल्याण बोर्ड, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, कॉर्पोरेट क्षेत्र, श्रमिक संघ, वितीय संस्थाओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा।

संसाधनों का प्रबंधन

नीति को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त वितीय, मानव तथा बाजारीकृत संसाधनों की उपलब्धता का प्रबंधन संबंधित विभागों, वितीय ऋण संस्थाओं तथा बैंकों, निजी क्षेत्रों, सभ्य समाज तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। नोडल मंत्रालय होने के कारण महिला एवं बाल विकासविभाग योजना आयोग के साथ मिलकर गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों दृष्टि से नीति की निगरानी एवं समीक्षा करेगा।

कानून

केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सभी अपराध मंचों तथा सम्मेलनों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, उनकी घटनाओं, निवारण, जांच तथा अभियोजन की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जायेगी। हिंसा एवं अत्याचार से सम्बद्ध शिकायत दर्ज करने और पंजीकरण, जांच पड़ताल और कानूनी कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए मान्यता प्राप्त, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को प्राधिकृत किया जायेगा । पुलिस थानों में महिला प्रकोष्ठों एवं परिवार न्यायालयो को प्रेत्साहन, महिला न्यायालयों, परामर्श केन्द्रों, कानूनी सहायक केन्द्रों तथा न्याय पंचायतों का विस्तार कर उन्हें सुदृढ़ किया जायेगा । साक्षरता कार्यक्रमों में सूचना के अधिकार कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों तथा अन्य हकदारियों सभी पहलूओं पर सूचना का व्यापक रूप से प्रसार किया जायेगा। पंचायती राज संस्थाएँ भारतीय संविधान के 73 वे तथा 74 वे संविधान संशोधन ने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान भागीदारी तथा सहभागिता दिलाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण सफलता दिलाई है। पंचायती राज संस्थाएं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में केन्द्रीय भूमिका निभा सकती है। अतः महिला नीति के क्रियान्वयन और निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभायेंगी।

स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी

महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी, पुनरीक्षा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से सम्बन्धित काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, संघों, परिसंघों, श्रमिक संघों, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों तथा संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए उन्हें संसाधन और क्षमता निर्माण से सम्बन्धित उपयुक्त सहायता प्रदान की जायेगी तथा महिला अधिकारिता की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाया जायेगा |

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

महिला अधिकारिता के सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं, प्रतिबद्धताओं जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध सभी रूपों के भेदभाव पर अभिसमय बाल अधिकार पर अभिसमय" अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन" तथा इस तरह के अन्य लिखितों को क्रियान्वित किया जायेगा । अनुभवों की हिस्सेदारी, विचारों और प्रद्योगिकी के आदान प्रदान, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ नेटवर्किंग के

माध्यम तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारों के माध्यम से महिलाओं की अधिकारिता के लिए क्षेत्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय सहयोग को प्रेत्साहित किये जाने की नीति को जारी रखा जायेगा

निष्कर्ष

महिलाएं परिवार के निर्णय लेने, वित्तीय समानता, आंदोलन की स्वतंत्रता, असमान लिंग मानदंडों की महिलाओं द्वारा मान्यता, मीडिया प्रतिनिधित्व, प्रशिक्षण तक पहुंच और घरेलू हिंसा के महिलाओं के अनुभव जैसे संकेतकों को महत्व दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक, सरकारी संगठन से लेकर गैर-सरकारी संगठन तक हर कोई लिंग अंतर को कम करने और दुनिया में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हालाँकि, यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपने बच्चों को उचित प्रशिक्षण, शिक्षा, जागरूकता प्रदान करके, महिलाओं और लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करके, उनके विकास के चरण के दौरान बिना किसी लैंगिक पूर्वाग्रह के उनका पालन-पोषण करें, साथ ही उन्हें अपने विस्तार के लिए स्वतंत्र शासन भी प्रदान करें। विकल्प, उनकी आवाज को मजबूत करना और दावा करने की शक्ति को बदलना महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अक्सर मेट्रिक्स का उपयोग करके मापा जाता है जैसे महिलाओं और सांसदों की संख्या. शोध से पता चला कि घरेलू निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रभाव और मुक्त आवागमन उम्र, स्कूली शिक्षा और रोजगार के साथ काफी भिन्न होता है। विधवा या तलाकशुदा को यात्रा की स्वतंत्रता पहले से कहीं अधिक है।

संदर्भ

1. पी. बी. दत्ता और आर. गेली, "सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनानाः भारत में एक महिला सहकारी का केस स्टडी, " एंट्रेपा थ्योरी प्रैक्ट, 2012, कवपः 10.1111. 1540-6520.2012.00505.0.
2. आर. बी. स्वैन और एफ. वाई. वालेंटिन, "क्या माइक्रोफाइनेंस महिलाओंको सशक्त बनाता है? भारत में स्वयं सहायता समूहों से साक्ष्य,"इंटरनेशनला रेव्ह. अप्पल इकोन, 2009, डीओआई:10.108002692170903007540l
3. एस. गरिकीपति, "घरेलू भेद्यता और महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं को ऋण देने का प्रभावः भारत से साक्ष्य," वर्ल्ड डेव., 2008, कवपः 10.1016ध वतसककमअ. 2007.11.008
4. गेट्स फाउंडेशन. "महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण का एक वैचारिक मॉडल"।
5. बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. यूनिसेफ. "बाल विवाह समाप्तिः प्रगति और संभावनाएँ।
6. न्यूयॉकर्ः यूनिसेफ, (2014). 3. विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट. "महिला के विरुद्ध क्रूरता"। (2016)।
7. विश्व आर्थिक मंच. "ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016 | जिनेवाः विश्व आर्थिक मंच (2016)

8. संयुक्त राष्ट्र महिला की वेबसाइटः विश्व की महिलाओं की प्रगति, 2015 20161
9. जीएसएमए कनेक्टेड महिलाएं। "लिंग अंतर को पाटनाः निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मोबाइल पहुंच और उपयोग"। (2015).
10. डेमिरगुक - कुंट, असली., एट अल. "ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2014: दुनिया भर में वित्तीय समावेशन को मापना"। विश्व बैंक समूह, (2015).
11. कैंब्रिज शब्दकोशा "सशक्तीकरण" कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (2022) ।
12. लोहानी एम और अबुरैदा एल. "महिला सशक्तिकरणः सतत विकास की कुंजी | द सोशल आईओएन 6.2(2017):261
13. महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग | "वैश्वीकरण की दुनिया में पूरे जीवन चक्र में महिलाओं के सशक्तिकरण सहित गरीबी उन्मूलन पर सहमत निष्कर्ष"। (2002). संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग
14. सी. एस. बिस्वास, "भारत में महिला सशक्तिकरण, " महिला उद्यमिता और माइक्रोफाइनेंस, 2018 में
15. जे. झा एट अल . "महिला आर्थिक सशक्तिकरण, " ग्रामीण भारत में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण, 2020 में
16. एम. केर्मोड, एच. हेरमैन, आर. अरोले, जे. व्हाइट, आर. प्रेमकुमार, और वी. पटेल, "महिला सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धनः ग्रामीण महाराष्ट्र, भारत में एक गुणात्मक अध्ययन, " बीएमसी सार्वजनिक स्वास्थ्य, 2007, 33: 10.1186/1471-2458-7-2251
17. आर. एन. कदम, "भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण, " अंतर्राष्ट्रीया जे. विज्ञान. रेस. प्रकाशन, 2012.
18. एफ. लीच और एस. सीताराम, "माइक्रोफाइनेंस और महिला सशक्तिकरणः भारत से एक सबक, " देवा प्रैक्ट, 2002, डीओआई:10.108009614520220000175971
19. जेटिर जनवरी 2018, खंड 5, अंक 1 रमजपत. वतह (पैछ-2349-5162)
20. के. सी. मंडल, "महिला सशक्तिकरण की अवधारणा और प्रकार, " इंटा फोरम टीच. अध्ययन, 2013.

यूपीए और एनडीए सरकारों के दौरान भारत और अमेरिका में सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

सुमित गुप्ता
शोधार्थी, राजनीतिविज्ञान विभागभदावर विद्या मंदिर (पी.जी.) कॉलेज,
बाह (आगरा), डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उत्तर प्रदेश)
ई-मेल- sgupta.s125@gmail.com

सारांश :

यह शोध पत्र भारत में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के शासन के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों की जांच करता है। यह धार्मिक और नस्लीय तनाव, जाति और सामाजिक न्याय आंदोलन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, लैंगिक अधिकार और LGBTQ+ समावेशी जैसी चुनौतियों का पता लगाता है। यह शोध पत्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि शासन और राजनीतिक विचारधाराएँ दोनों देशों में सामाजिक सामंजस्य, सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे आकार देती हैं। भारत में, यूपीए (2004-2014) सरकार ने धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक कल्याण और जाति-आधारित आरक्षण पर जोर दिया, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा और शासन की अक्षमताओं जैसे मुद्दों का सामना किया। एनडीए (2014-वर्तमान) सरकार ने कानूनी और आर्थिक सुधारों के साथ-साथ बढ़ते राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण और मीडिया पर प्रतिबंध देखे हैं। अमेरिका में, बुश, ओबामा, ट्रम्प और बाइडन प्रशासन ने समावेशिता और राष्ट्रवाद के प्रति बदलते दृष्टिकोण के साथ नस्ल संबंधों, आप्रवासन नीतियां, मुक्त भाषण बहस और लैंगिक अधिकारों को प्रभावित किया है। यह पेपर नीतिगत सुधारों, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने के माध्यम से इन सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियों का समाधान करने की संभावनाओं की भी खोज करता है। यह निष्कर्ष निकालता है कि राजनीतिक बदलाव सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्यों को प्रभावित करते हैं, लेकिन शासन, अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक भागीदारी के प्रति संतुलित दृष्टिकोण दोनों देशों में सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक लचीलापन बढ़ा सकता है।

मुख्य शब्द: सामाजिक-सांस्कृतिक, संभावनाएं, लोकतांत्रिक, चुनोतियाँ, यूपीए, एनडीए, भारत, अमेरिका, समावेशिता, सामंजस्य, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद।

परिचय:

सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे राजनीतिक शासन, आर्थिक नीतियां और ऐतिहासिक संदर्भों से गहराई से प्रभावित होते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में, सरकारी नेतृत्व ने सार्वजनिक विमर्श, सामाजिक न्याय आंदोलनों और सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न राजनीतिक प्रशासन अपनी नीतियों में बदलाव लाता है जो अल्पसंख्यक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को प्रभावित करते हैं।

भारत में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के शासन में महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। यूपीए ने समावेशी विकास, सामाजिक कल्याण और धर्मनिरपेक्षता पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा और शासन की अक्षमताओं जैसी चुनौतियों का सामना किया। इसके विपरीत, एनडीए सरकार ने राष्ट्रवाद, धार्मिक पहचान और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया है, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण, मीडिया पर प्रतिबंध और जाति और लिंग संबंधी मुद्दों में वृद्धि के लिए इसकी आलोचना भी की गई है। इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका में, बुश (2001-2009), ओबामा (2009-2017), ट्रम्प (2017-2021) और बाइडन (2021-2024) सरकारों में राजनीतिक बदलावों का नस्ल संबंधों, आप्रवासन नीतियों, LGBTQ+ अधिकारों और मुक्त भाषण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ओबामा युग में समावेशिता और नस्लीय न्याय को बढ़ावा देने के प्रयास देखे गए, जबकि ट्रम्प प्रेसीडेंसी में राष्ट्रवाद, अप्रवासी विरोधी नीतियों और मीडिया की दुश्मनी में वृद्धि देखी गई। बाइडन प्रशासन ने विभाजनकारी नीतियों को पलटकर और समानता को बढ़ावा देकर सामाजिक संतुलन बहाल करने का प्रयास किया है।

इस पत्र का उद्देश्य इन विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत भारत और अमेरिका के सामने आने वाली प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियों का विश्लेषण करना है। यह धार्मिक और नस्लीय तनाव, जाति और सामाजिक न्याय आंदोलन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और लैंगिक अधिकारों जैसे मुद्दों का पता लगाएगा। इसके अलावा, यह अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए संभावित समाधानों और नीति सिफारिशों पर चर्चा करेगा। दोनों देशों के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्यों की तुलना करके, यह शोध इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है कि शासन किस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए सामाजिक चुनौतियों को आकार दे सकता है और उनका समाधान कर सकता है।

व्याख्या:

किसी राष्ट्र का सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य उसके राजनीतिक नेतृत्व, ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकार लेता है। यह शोध पत्र भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न राजनीतिक शासनों के तहत सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से भारत में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के शासन के दौरान, और अमेरिका में इसी तरह के प्रशासन के दौरान। अध्ययन धार्मिक और नस्लीय तनाव, जाति और सामाजिक न्याय आंदोलन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और लैंगिक अधिकारों जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

भारत में, यूपीए (2004-2014) शासन के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर ध्यान केंद्रित कर नीतियों द्वारा चिह्नित किया गया था, लेकिन इस शासन को कुछ चुनौतियां जैसे सांप्रदायिक तनाव, भ्रष्टाचार और नीति कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का भी सामना करना पड़ा। एनडीए युग (2014-वर्तमान) ने राष्ट्रवाद, धार्मिक पहचान, आर्थिक सुधारों और मजबूत शासन पर जोर दिया है, लेकिन बढ़ते ध्रुवीकरण, असहमति पर प्रतिबंध और जाति- और लिंग-आधारित हिंसा पर चिंताएं भी उभरी हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, बुश, ओबामा, ट्रम्प, बाइडन के बीच संक्रमण ने सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता को प्रभावित किया है। ओबामा प्रशासन ने समावेशिता और नस्लीय न्याय को बढ़ावा देने की कोशिश की, जबकि ट्रम्प प्रेसीडेंसी में राष्ट्रवाद, अप्रवासी विरोधी नीतियों और नस्लीय तनाव में वृद्धि देखी गई। बाइडन प्रशासन ने विभाजनकारी नीतियों को उलट कर और सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर संतुलन बहाल करने का प्रयास किया है। यह शोधपत्र इन सामाजिक-सांस्कृतिक बदलावों की व्याख्या शासन, पहचान की राजनीति और लोकतांत्रिक लचीलेपन में व्यापक वैश्विक रुझानों के प्रतिबिंब के रूप में करता है। जबकि राजनीतिक नेतृत्व सांस्कृतिक आख्यानों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भेदभाव, असमानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसी सामाजिक चुनौतियाँ दोनों देशों में बनी हुई हैं। हालाँकि, नीति सुधारों, लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने और समावेशी शासन को बढ़ावा देने के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करने के अवसर मौजूद हैं।

भारत और अमेरिका की तुलना करके, यह शोध शासन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो सामाजिक सामंजस्य को प्राथमिकता देता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है और सांस्कृतिक समावेशिता को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष बताते हैं कि यद्यपि राजनीतिक विचारधाराएं और शासन मॉडल अलग-अलग हो सकते हैं, फिर भी एक न्यायपूर्ण, विविध और समावेशी समाज को बनाए रखने की चुनौतियां दोनों देशों के लिए एक समान चिंता बनी हुई हैं।

भारत और अमेरिका में सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे:

सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे किसी देश के शासन, राजनीतिक विचारधाराओं और ऐतिहासिक विरासतों से गहराई से जुड़े होते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने अलग-अलग सरकारों के तहत अपने सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। इन प्रशासनों की नीतियों और राजनीतिक आख्यानों ने धार्मिक और नस्लीय तनाव, जाति और सामाजिक न्याय आंदोलन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, लैंगिक अधिकार और आव्रजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित किया है।

1. भारत मैं धार्मिक और नस्लीय तनाव:

- यूपीए युग (2004-2014): धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन 2008 के कंधमाल दंगों और 2012 के असम दंगों जैसी सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा।
- एनडीए युग (2014-वर्तमान): हिंदू राष्ट्रवाद में वृद्धि, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसी नीतियों का कार्यान्वयन, तथा भीड़ द्वारा हत्या और धार्मिक ध्रुवीकरण के मामलों में वृद्धि।

1.1 संयुक्त राज्य अमेरिका धार्मिक और नस्लीय तनाव:

बुश और ओबामा प्रशासन (2001-2017): 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ ब्लैक लाइव्स मैटर (बीएलएम) आंदोलन।

- ट्रंप प्रशासन (2017-2021): श्वेत राष्ट्रवाद, नस्लीय अशांति, आव्रजन प्रतिबंध और मुस्लिम विरोधी नीतियों का उदय।
- बाइडन प्रशासन (2021-2024): नस्लीय समानता को बहाल करने का प्रयास, लेकिन सामाजिक विभाजन बना हुआ है।

2. भारत मैं जाति, नस्ल और सामाजिक न्याय आंदोलन:

- यूपीए ने जाति-आधारित आरक्षण को मजबूत किया, दलित कल्याण को बढ़ावा दिया लेकिन जाति-आधारित हिंसा का सामना करना पड़ा।
- एनडीए ने उच्च जातियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण की शुरुआत की लेकिन जाति संघर्ष और दलितों पर हमले बढ़ते देखे गए।

2.1 संयुक्त राज्य अमेरिका जाति, नस्ल और सामाजिक न्याय आंदोलन:

- BLM और सकारात्मक कार्रवाई पर बहस जैसे आंदोलन जारी हैं।
- ट्रंप ने सकारात्मक कार्रवाई को वापस लिया; बाइडन ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सुरक्षा बहाल की।

3 भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया:

- UPA के कार्यकाल में मीडिया पर कुछ प्रतिबंध, लेकिन अपेक्षाकृत स्वतंत्र प्रेस।
- NDA के कार्यकाल में बढ़ी हुई सेंसरशिप, राजद्रोह कानूनों का उपयोग, डिजिटल निगरानी (आईटी नियम 2021)।

3.1 संयुक्त राज्य अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया:

- ट्रंप की "फर्जी खबर" कथा बनाम बाइडन का मीडिया की स्वतंत्रता को बहाल करने का प्रयास।

4. भारत में राष्ट्रवाद और पहचान की राजनीति:

- UPA का मध्यमार्गी दृष्टिकोण लेकिन कमजोर राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।
- NDA की मजबूत राष्ट्रवादी नीतियाँ (जैसे- अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण), लेकिन बढ़ते बहुसंख्यकवाद पर चिंताएँ।

4.1 संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रवाद और पहचान की राजनीति:

- ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" नीतियाँ बनाम बाइडन का समावेशिता पर ध्यान।

5. भारत में अधिकार और LGBTQ+ समावेशन:

- UPA कार्यकाल में LGBTQ+ अधिकारों पर बहुत कम प्रगति हुई है।
- NDA कार्यकाल में समलैंगिकता का गैर-अपराधीकरण (2018), लेकिन ट्रांसजेंडर अधिकारों पर बहस हुई।

5.1 संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकार और LGBTQ+ समावेशन:

- ओबामा ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया; ट्रम्प ने ट्रांसजेंडर सुरक्षा वापस ले ली; बाइडन ने उन्हें फिर से लागू किया।

6. भारत में आप्रवासन और शरणार्थी मुद्दे:

- UPA का बांग्लादेशी प्रवासियों पर उदार रुख था।

- NDA ने CAA पेश किया, जिससे धार्मिक रूप से चुनिंदा नागरिकता नीतियाँ बनीं।

6.1 संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासन और शरणार्थी मुद्दे:

- ट्रम्प का मुस्लिम यात्रा प्रतिबंध; बाइडन ने प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियों को उलट दिया।

2. इन मुद्दों से निपटने में चुनौतियाँ:

- राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण धार्मिक और नस्लीय तनाव बढ़ता जा रहा है।
- सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण नीतियों के बावजूद जाति और नस्लीय असमानताएँ बनी हुई हैं।
- मीडिया दमन और सरकारी नियंत्रण के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है।
- राष्ट्रवाद और पहचान की राजनीति सामाजिक विभाजन को और गहरा कर सकती है।
- कानूनी प्रगति के बावजूद लिंग और LGBTQ+ अधिकारों पर अभी भी बहस चल रही है।
- दोनों देशों में आप्रवासन नीतियाँ एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई हैं।

3. सामाजिक सामंजस्य और सांस्कृतिक समावेशिता की संभावनाएँ:

- लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत बनाना: एक स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करना।
- नीति सुधार: अल्पसंख्यक और हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा करने वाली समावेशी नीतियों को लागू करना।
- सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना: शिक्षा, अंतर-धार्मिक संवाद और भेदभाव विरोधी अभियान।
- लिंग और LGBTQ+ अधिकारों को बढ़ाना: भेदभाव विरोधी कानूनों को मज़बूत बनाना और समान अवसर सुनिश्चित करना।
- वैश्विक सहयोग: सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना।

निष्कर्ष:

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में विभिन्न राजनीतिक प्रशासनों के तहत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत में, UPA सरकार (2004-2014) ने सामाजिक कल्याण, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन शासन

की अक्षमता, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना किया। एनडीए सरकार (2014-वर्तमान) ने राष्ट्रवाद, धार्मिक पहचान और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया है, फिर भी बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण, असहमति पर प्रतिबंध और जाति- और लिंग-आधारित भेदभाव पर चिंताएँ बनी हुई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, बुश से ओबामा, ट्रम्प और बाइडन के नेतृत्व में बदलाव ने नस्ल संबंधों, आव्रजन नीतियों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लिंग अधिकारों को प्रभावित किया है। जबकि ओबामा प्रशासन ने समावेशिता और नस्लीय न्याय को बढ़ावा दिया, ट्रम्प युग में राष्ट्रवाद और नस्लीय तनाव में वृद्धि देखी गई। बाइडन प्रशासन ने सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मानदंडों को बहाल करने का प्रयास किया है, हालांकि सामाजिक विभाजन अभी भी बना हुआ है। यह शोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि धार्मिक और नस्लीय तनाव, राष्ट्रवाद, मीडिया की स्वतंत्रता और लैंगिक अधिकार जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे राजनीतिक विचारधाराओं और शासन शैलियों से गहराई से जुड़े हुए हैं। नीतिगत बदलावों के बावजूद, सांप्रदायिक हिंसा, जाति-आधारित भेदभाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसी चुनौतियाँ दोनों समाजों को प्रभावित करती रहती हैं।

हालाँकि, समावेशी नीतियों, लोकतांत्रिक सुधारों और समुदाय-संचालित पहलों के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने की संभावनाएँ मौजूद हैं। संस्थागत ढाँचों को मज़बूत करना, अंतर-धार्मिक और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना इन सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकता है। आखिरकार, भारत और अमेरिका दोनों को सांस्कृतिक पहचान को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संतुलित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि शासन विभाजन को गहरा करने के बजाय सामाजिक सद्भाव का समर्थन करता है। दोनों देशों में मज़बूत, अधिक लचीले समाजों के निर्माण के लिए विविधता, मानवाधिकारों और समावेशी शासन के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।

संदर्भ:

1. गर्ग,बी०के०.(2018),मोदी और ट्रम्प के युग में भारत-अमेरिका संबंध, पेनगन इंडिया, गुरुग्राम.
2. जे. लिंच, टिमोथी.(2022), इंडिया-यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशन्स ड्यूरिंग दी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस(2004-2014).
3. सैमुएल, चेरियन, सिसोदिया, लवॉय, पीटर और रॉबिन.(2008), इंडिया-यूएस रिलेशन्स: एड्रेसिंग दी चैलेंजिस ऑफ दी 21वीं सेंचुरी, मैग्नम.
4. कर्नाड, बी.(2015). भारत(अभी तक) एक महान शक्ति क्यों नही है?, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

5. सिंह, बी.एन.,(2013).सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, प्रवलिका पब्लिकेशन.
6. खुराना, के.एल.(2020).भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल.
7. कुमार, राजीव.(2016). मोदी और उनकी चुनोतियाँ, ब्लूमस्वेरी, दिल्ली.

पत्रिकाएँ/समाचार पत्र-:

1. द हिन्दू.
2. टाइम्स ऑफ इंडिया.
3. इंडियन एक्सप्रेस.
4. हिंदुस्तान टाइम्स.
5. दैनिक जागरण.
6. नवभारत टाइम्स.
7. बिज़नेस स्टैण्डर्ड.
8. लाइव मिंट.
9. इंडिया टुडे.

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय: अधिकार और चुनौतियाँ

रित्ती कलिता
(शोधार्थी)

सारांश :

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का इतिहास अत्यधिक प्राचीन और विविधतापूर्ण है, लेकिन आधुनिक समाज में इन्हें हमेशा हाशिये पर रखा गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति वे होते हैं जो जैविक लिंग से भिन्न मानसिक या सामाजिक पहचान रखते हैं। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही ट्रांसजेंडरों का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जैसे कि हिजड़ा समुदाय को धार्मिक समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती थी। लेकिन समय के साथ समाज में इनकी स्थिति में गिरावट आई और इन्हें सामाजिक और कानूनी दृष्टि से काफी हद तक उपेक्षित किया गया। इस समुदाय को न केवल समाज में असमानता का सामना करना पड़ता है, बल्कि भेदभाव, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, और अवहेलना जैसी समस्याएँ भी प्रमुख रूप से सामने आती हैं। आधुनिकता के साथ इस समुदाय को कुछ अधिकार दिया गया, लेकिन गहराई से विचार करें तो देखने को मिलता है कि, इन अधिकारों का प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी एक बड़ी चुनौती है |

बीज शब्द : ट्रांसजेंडर, अधिकार, चुनौतियाँ, भेदभाव, समाज, भारत, प्राचीन

परिचय

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का इतिहास प्राचीन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में इस समुदाय को विशेष स्थान प्राप्त था, जहाँ उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सम्मानित किया जाता था। भारतीय इतिहास में हिजड़ा समुदाय का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वे विशेष रूप से धार्मिक अवसरों पर अपने गीत-संगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय समाज में इस समुदाय को कभी-कभी 'किन्नर' या 'हिजड़ा' के रूप में जाना जाता था, और इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों जैसे कि विवाह, जन्म और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में आमंत्रित किया जाता था। भारत के विभिन्न हिस्सों में हिजड़ों को समाज में विशिष्ट सांस्कृतिक भूमिका दी जाती थी, जिसमें वे धार्मिक अनुष्ठानों में शुभता लाने के लिए अहम माने जाते थे।किन्नर समुदाय का सांस्कृतिक योगदान, जैसे शुभ अवसरों पर बधाई देना और नेग वसूल करना, भारतीय समाज का हिस्सा था। इस

समुदाय को नाचने-गाने और विभिन्न समारोहों में भाग लेने की भूमिका दी जाती थी[39]। उदाहरण स्वरूप, राजस्थान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में हिजड़ों को विशेष सांस्कृतिक पहचान दी जाती थी। वे विवाहों में आशीर्वाद देने के लिए जाते थे और समाज उन्हें एक धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता देता था। इसी तरह, दक्षिण भारत में भी किन्नरों को धार्मिक आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती थी। हालांकि, समय के साथ इनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई, यह सम्मान समय के साथ घटता गया, और औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव से समाज में ट्रांसजेंडरों की स्थिति कमजोर होती गई। ब्रिटिश शासन ने कई सांस्कृतिक और सामाजिक रीति-रिवाजों को बदला, जिसके कारण ट्रांसजेंडर समुदाय को बाहरी तौर पर उपेक्षित किया गया और उनके सामाजिक अधिकारों में कमी आई और आज यह समुदाय भेदभाव और असमानता का सामना कर रहा है। इस समुदाय का सामना न केवल सामाजिक भेदभाव से होता है, बल्कि इनकी अस्मिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और सामान्य जीवनयापन में भी कई चुनौतियाँ होती हैं।

आज के समय में ट्रांसजेंडर समुदाय को भारतीय समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी संघर्ष करना पड़ता है। इनकी पहचान को लेकर आमतौर पर गलतफहमियाँ और भेदभाव होते हैं, और इन्हें समाज की मुख्यधारा से अलग कर दिया जाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जो जैविक रूप से पुरुष या महिला होते हैं, लेकिन जिनकी मानसिक और सामाजिक लिंग पहचान उनसे भिन्न होती है, अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सार्वजनिक जीवन में भेदभाव का सामना करते हैं।

भारत में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 2014 में दिया गया निर्णय ऐतिहासिक था। इस निर्णय में कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और उनके अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। यह निर्णय भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, और 21 के तहत समानता, गैर-भेदभाव और जीवन के अधिकार की रक्षा करता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडरों को सभी नागरिक अधिकार मिलेंगे, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य के अधिकार, और किसी भी रूप में उनका शोषण या भेदभाव करना असंवैधानिक होगा। इस निर्णय से ट्रांसजेंडरों को समाज में अपनी पहचान स्थापित करने और कानूनी रूप से अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिला।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण था, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अब भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सामाजिक भेदभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और रोजगार के अवसरों की कमी जैसी समस्याएँ अभी भी उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, ट्रांसजेंडरों को मानसिक

[39] अटल, योगेश (2015) समाजशास्त्र पृ० 98, पब्लिकेशन नई दिल्ली।

 ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

स्वास्थ्य के लिए विशेष सेवाएँ प्राप्त करना भी मुश्किल होता है। समाज की मानसिकता में बदलाव लाना और ट्रांसजेंडरों के लिए समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। इस प्रकार, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थिति समाज की संरचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है, जिनका समावेश समाज में समानता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार, भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति पर विचार करते समय यह जरूरी है कि हम न केवल उनके अधिकारों की बात करें, बल्कि उनके साथ होने वाले भेदभाव, शोषण और मानसिक उत्पीड़न को भी समझें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर देने के लिए समाज में गहरे बदलाव की आवश्यकता है। यह बदलाव धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आवश्यक है, ताकि वे भी समाज के पूर्ण और समान सदस्य के रूप में अपनी पहचान बना सकें।

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडरों का ऐतिहासिक स्थान:

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय का ऐतिहासिक स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति में किन्नरों (हिजड़ों) को विशेष सम्मान और धार्मिक भूमिका दी जाती थी। महाभारत, रामायण, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण स्वरूप, महाभारत में अर्जुन ने वनवास के दौरान बृहनला नाम से किन्नर का रूप धारण किया और राजा विराट के दरबार में नृत्य कला सिखाई। राजा विराट ने बृहनला को सम्मानित किया और उसे महल में आश्रय दिया, यह दर्शाता है कि किन्नर समुदाय को विशेष सम्मान मिलता था (त्रिपाठी, 2015)[40]।

औपनिवेशिक काल और ब्रिटिश शासन के दौरान, किन्नर समुदाय के अधिकारों में गिरावट आई और उन्हें समाज से हाशिए पर धकेल दिया गया। यह बदलाव भारतीय समाज की मानसिकता और सामाजिक संरचना में आए परिवर्तनों को दर्शाता है, जहां एक समय तक सम्मानित रहने वाले इन समुदायों को अब भेदभाव और अस्वीकृति का सामना करना पड़ रहा है।

संविधान और ट्रांसजेंडर अधिकार:

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता और सहायता का संकेत हालिया कई पहलुओं से मिलता है। महाराष्ट्र ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना करके इसे स्वीकार किया और समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई पहल की। 2009 में यूएनडीपी ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सहयोग की पहल शुरू की, जिसमें ट्रांसजेंडरों को शिक्षा, रोजगार, और कानूनी सहायता प्रदान

[40] त्रिपाठी, न०, ल०, (2015) "मै हिजड़ा मैं लक्ष्मी पृ०न०, 164,65, पब्लिकेशन वाणी प्रकाशन।

करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इसके बाद 2013 में यूएनडीपी ने सार्वजनिक रूप से ट्रांसजेंडर कल्याण पर चर्चा कर सरकार से महत्वपूर्ण कदम उठाने का आग्रह किया।

इसके अलावा, पटना नगर निगम ने ट्रांसजेंडरों के लिए बसों में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किया गया है, ताकि ट्रांसजेंडरों को समानता और सम्मान प्राप्त हो सके। साथ ही, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दी, जिससे उनके अधिकारों को कानूनी रूप से मजबूत किया गया।

भारतीय संविधान ने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार दिया है। विशेष रूप से, आर्टिकल 14, 15 और 21 ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देकर उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया। इस निर्णय ने ट्रांसजेंडरों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया।

समाज में समावेशिता की दिशा में पहल:

- **महाराष्ट्र का कदम:** ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना
- **यूएनडीपी का योगदान:** शिक्षा, रोजगार और कानूनी सहायता प्रदान करने की नीति
- **पटना नगर निगम:** बसों में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षित सीटें

इन पहलों से यह स्पष्ट होता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार और संस्थाएं गंभीर प्रयास कर रही हैं।

शिक्षा और रोजगार में भेदभाव:

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अधिकांश ट्रांसजेंडर लोग प्रारंभिक शिक्षा तक ही सीमित रहते हैं, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ट्रांसजेंडरों को शिक्षा संस्थानों में भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, जहां उन्हें मानसिक उत्पीड़न और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है[41]। इसके कारण, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता और अवसर सीमित हो जाते हैं, जिससे रोजगार के अवसरों में भी कमी आती है।

[41] Srivastava, R. (2020). *Transgender Rights and Employment in India: Legal and Societal Barriers*. Journal of Social Issues and Development, 12(4), 45-58.

रोजगार के क्षेत्र में भी ट्रांसजेंडरों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर पारंपरिक नौकरियों से बाहर होते हैं और उन्हें सामान्य रूप से रोजगार नहीं मिलता। इसके अलावा, कई बार ट्रांसजेंडरों को नौकरी प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान छिपानी पड़ती है, ताकि वे भेदभाव से बच सकें। हालांकि, हाल के वर्षों में कुछ प्रयास हुए हैं जैसे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार अवसरों की पेशकश, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद, समाज में व्याप्त भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है[42]।

स्वास्थ्य देखभाल की समस्याएँ:

स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे प्रमुख चुनौती यह है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर मेडिकल पेशेवरों से उपेक्षा, मजाक, या गलत इलाज का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अलावा, हार्मोनल उपचार, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (SRS), और अन्य ट्रांस-विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ी बाधा बनती है, क्योंकि ये सेवाएँ उनके लिए आर्थिक रूप से कठिन हो सकती हैं।

मानसिक स्वास्थ्य भी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अवसाद, चिंता, और अन्य मानसिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी और समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गलत धारणाएँ ट्रांसजेंडरों के लिए एक और बड़ी चुनौती हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति को और भी जटिल बना देती हैं[43](Gonzalez, 2019; Pandey, 2020[44])।

सोशल स्टिग्मा और मानसिक स्वास्थ्य:

ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य भारतीय समाज में अक्सर सामाजिक बहिष्कार, मानसिक उत्पीड़न और अपमान का शिकार होते हैं। यह उत्पीड़न न केवल समाज के बाहर, बल्कि उनके परिवारों के भीतर भी होता है, जहाँ कई बार परिवारों द्वारा अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। स्कूलों में उत्पीड़न और

[42] Human Rights Watch (2018). *"They Want Us to Be Silent": Discrimination against Transgender People in India*. Human Rights Watch Report.

[43] गोंजालेज, आर. (2019)। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी असमानताएं: स्वास्थ्य देखभाल में बाधाओं की समीक्षा। जर्नल ऑफ ट्रांसजेंडर हेल्थ, 5(3), 112-120।

[44] पांडे, ए. (2020)। भारत में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ: एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री, 62(2), 85-90।

कार्यस्थलों पर भेदभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में आत्महत्या की दर सामान्य व्यक्तियों के मुकाबले कहीं अधिक होती है, और यह मानसिक तनाव, अकेलापन और सामाजिक अस्वीकृति के कारण होता है।

"इस मानसिक उत्पीड़न को दूर करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जा सके और उन्हें मानसिक शांति एवं समर्थन मिल सके" (Sharma, 2018)[45]।

परिवार और समाज में अस्वीकृति:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर अपने परिवारों से अस्वीकृति और समाज से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। परिवार के सदस्य उनके लिंग पहचान को स्वीकार करने में संकोच करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इस अस्वीकृति का गंभीर प्रभाव उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है, और कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सड़क पर आकर भीख माँगने या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, समाज में ट्रांसजेंडरों के प्रति भेदभाव और घृणा की भावना गहरे तक जड़ें जमा चुकी है, जो उनके सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को और भी दयनीय बना देती है। समाज में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों और पहचान को समझने एवं सम्मान देने की आवश्यकता है, ताकि वे समाज में समानता और सम्मान के साथ रह सकें (Singh, 2020).[46]।

आर्थिक असमानता:

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आर्थिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इस समुदाय में बेरोजगारी दर बहुत अधिक है, और आर्थिक संकट के कारण वे अक्सर शोषण का शिकार होते हैं। अधिकांश ट्रांसजेंडर सदस्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, और उनके पास आर्थिक सुरक्षा का कोई स्रोत नहीं होता। अपनी आजीविका की व्यवस्था करने के लिए वे सड़क पर काम करने, भीख माँगने या अन्य अल्पकालिक और अस्थिर कार्यों पर निर्भर रहते हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए सरकारी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करना आवश्यक है, ताकि

---

[45] Sharma, A. (2018). *The Mental Health Challenges of Transgender Individuals in India*. Journal of Social Issues, 24(3), 113-128.

[46] Singh, R. (2020). *Social Stigma and Family Rejection of Transgender Individuals in India*. Journal of Social Inclusion, 15(2), 45-58.

ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अवसर मिल सके और वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें (Kaur, 2019[47])।

कानूनी और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता:

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और सामाजिक सुधारों की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक, जो इस समुदाय के अधिकारों को कानूनी मान्यता देने के लिए बनाया गया है, लेकिन इन सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन अब भी एक बड़ी चुनौती है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक मजबूत और संपूर्ण कानूनी ढाँचा आवश्यक है, जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। साथ ही, समाज में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है, ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके (Sharma, 2021[48])।

सरकार के कदम और नीतियाँ:

भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ और नीतियाँ बनाई हैं, जिनमें "राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर नीति" प्रमुख है। इस नीति का उद्देश्य ट्रांसजेंडरों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, साथ ही उनके लिए समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हालांकि, इन योजनाओं और नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन अब भी एक बड़ी चुनौती है। सरकारी प्रयासों के बावजूद, ट्रांसजेंडर समुदाय को असमानता, भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है (Bhatia, 2020[49]).

इसके अलावा, भारत सरकार ने 2019 में "ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक" पेश किया, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी सुरक्षा और अधिकारों का विस्तार करता है। इस विधेयक में ट्रांसजेंडरों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय और राज्य स्तर पर बेहतर जागरूकता और संरचनात्मक बदलाव की

---

[47] Kaur, P. (2019). *Economic Inequality and Employment Challenges faced by the Transgender Community in India*. Journal of Gender Studies, 22(4), 213-227.

[48] Sharma, S. (2021). *Legal and Social Reforms for the Protection of Transgender Rights in India*. Indian Journal of Human Rights, 18(2), 89-101.

[49] Bhatia, S. (2020). *Transgender Rights in India: Policy and Implementation*. Journal of Social Justice, 13(2), 52-66.

आवश्यकता है। सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ठोस और ठहराए गए कदम उठाने होंगे ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके (Kumar, 2021[50])।

समाज में जागरूकता और शिक्षा:

समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा देने की अत्यधिक आवश्यकता है। केवल कानूनी बदलाव और नीतियों से इस समुदाय की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता; इसके लिए समाज की मानसिकता में गहरे बदलाव की आवश्यकता है। समाज के विभिन्न वर्गों में ट्रांसजेंडरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए प्रभावी और व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इस दिशा में सरकार और नागरिक समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के बारे में समाज में समझ और सहानुभूति का विस्तार हो सके। इसके अतिरिक्त, स्कूलों और कॉलेजों में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और उनकी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रमों को शामिल करने से युवाओं में इस समुदाय के प्रति समझदारी और समर्थन बढ़ सकता है (Verma, 2019[51]).

समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया, सामाजिक मंचों और सार्वजनिक कार्यक्रमों का उपयोग भी किया जा सकता है। इन माध्यमों से ट्रांसजेंडरों के जीवन और संघर्षों के बारे में सच्चाई को उजागर करने से समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाया जा सकता है। जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो (Patel, 2020[52])।

निष्कर्ष

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके समाज में समावेशन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस समुदाय को भेदभाव, असमानता और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि भारतीय संविधान और कानून में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सुरक्षा और समानता के प्रावधान मौजूद हैं, फिर भी इनका प्रभावी कार्यान्वयन और समाज में व्यापक

---

[50] Kumar, R. (2021). *The Transgender Protection Bill: Legal Reforms and Challenges in India*. Indian Law Review, 29(1), 44-59.

[51] Verma, M. (2019). *Social Awareness and Education on Transgender Rights in India*. Journal of Social Change, 18(1), 102-115.

[52] Patel, R. (2020). *Transforming Public Perception: The Role of Education in Supporting Transgender Rights*. Indian Journal of Social Issues, 24(3), 134-145.

जागरूकता की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडरों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सम्मान जैसे अवसर सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

समाज को इनकी पहचान और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अवसर प्राप्त हों। यह केवल कानूनी बदलाव से नहीं बल्कि मानसिकता में बदलाव के जरिए संभव होगा। इसके लिए सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक को मिलकर कार्य करना होगा। अगर सभी मिलकर यह प्रयास करें, तो ट्रांसजेंडर समुदाय को न केवल अधिकार मिलेंगे, बल्कि वे समाज में सम्मान और समान स्थान प्राप्त कर सकेंगे। यह समग्र दृष्टिकोण ही समाज को सशक्त, समावेशी और समान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

संदर्भ:-

1. अटल, योगेश (2015) समाजशास्त्र पृ० 98, पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2. त्रिपाठी, न०, ल०, (2015) "मै हिजड़ा मैं लक्ष्मी पृ०न०, 164,65, पब्लिकेशन वाणी प्रकाशन।
3. Srivastava, R. (2020). Transgender Rights and Employment in India: Legal and Societal Barriers. Journal of Social Issues and Development, 12(4), 45-58.
4. Human Rights Watch (2018). "They Want Us to Be Silent": Discrimination against Transgender People in India. Human Rights Watch Report.
5. गोंजालेज, आर. (2019)। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी असमानताएं: स्वास्थ्य देखभाल में बाधाओं की समीक्षा। जर्नल ऑफ ट्रांसजेंडर हेल्थ, 5(3), 112-120।
6. पांडे, ए. (2020)। भारत में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ: एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री, 62(2), 85-90।
7. Sharma, A. (2018). The Mental Health Challenges of Transgender Individuals in India. Journal of Social Issues, 24(3), 113-128.
8. Singh, R. (2020). Social Stigma and Family Rejection of Transgender Individuals in India. Journal of Social Inclusion, 15(2), 45-58.
9. Kaur, P. (2019). Economic Inequality and Employment Challenges faced by the Transgender Community in India. Journal of Gender Studies, 22(4), 213-227.

10. Sharma, S. (2021). Legal and Social Reforms for the Protection of Transgender Rights in India. Indian Journal of Human Rights, 18(2), 89-101.

11. Bhatia, S. (2020). Transgender Rights in India: Policy and Implementation. Journal of Social Justice, 13(2), 52-66.

12. Kumar, R. (2021). The Transgender Protection Bill: Legal Reforms and Challenges in India. Indian Law Review, 29(1), 44-59.

13. Verma, M. (2019). Social Awareness and Education on Transgender Rights in India. Journal of Social Change, 18(1), 102-115.

14. Patel, R. (2020). Transforming Public Perception: The Role of Education in Supporting Transgender Rights. Indian Journal of Social Issues, 24(3), 134-145.

भारत में शिक्षा के सामाजिक आयाम एवं चुनौतियाँ

रवि रंजन कुमार
जूनियर रिसर्च फेलो (यू०जी०सी०), दर्शनशास्त्र विभाग
नव नालन्दा महाविहार, संस्कृति मन्त्रालय,
भारत सरकार, नालन्दा, बिहार (803111)
Email- raviraj48162907@gmail.com

शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका ना कोई आदि है न अंत। किसी भी सभ्यता और संस्कृति में शिक्षा उसके नैतिक दृष्टिकोणों और उसके व्यक्तित्व सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व होती है। मानव जन्म से लेकर अपने अस्तित्व के धूमिल होने तक शिक्षारत रहता है। भारत जैसे मानव सभ्यता और संस्कृति के प्राचीनतम उद्गम क्षेत्र में विकसित व्यवस्थाओं और परम्पराओं का सही विश्लेषण यहाँ विकसित शिक्षा प्रणाली और उसकी संस्था के व्यावहारिक पक्ष की विवेचना के बिना सम्भव नहीं है। शिक्षा से जुड़े सामाजिक मुद्दे व्यापक और विविध हैं जो विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना विकास तो करता ही है साथ ही आस पास के क्षेत्र का भी विकास करता है। शिक्षा के द्वारा क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं का भी निदान होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में जीविकोपार्जन के लिए अनेक रास्ते खुल जाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि एक राष्ट्र में एक स्थान का अधिक विकास हो जाता है और कहीं पर कम, इस असमान विकास को शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों का नामांकन प्रतिशत शहर की अपेक्षा कम रहती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के समुचित साधनों का हमेशा से अभाव रहा है। प्रायः यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की समस्या होती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है जिसका प्रभाव उनके बालकों पर पड़ता है परिणामस्वरूप वे शिक्षा से दूर होकर रोजगार की तलाश में भटकने लगते हैं और जिसके कारण वह शिक्षित नहीं हो पाते। परिणामत: ग्रामीण क्षेत्र का शैक्षिक नामांकन प्रतिशत शहर की अपेक्षा निम्न रहता है। भारतीय संदर्भ में शिक्षा का कार्य एक दोहरी जागरूकता पैदा करना भी है। हमें एक तरफ तो विज्ञान और टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में नये आविष्कारों और अवसरों के प्रयोग की सम्भावना पर विचार करना है वहीं दूसरी ओर अपनी प्राचीन नैतिक परम्परा और मानवीय मूल्यों को भी याद रखना है। शिक्षा का उद्देश्य भारतीय समस्याओं के लिए समाधान खोजना है ताकि गरीबी और पिछड़ेपन की विकराल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समाज से कटकर या ऊपर

उठकर नहीं बल्कि उससे जुड़कर सोचने और कार्य करने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही नई पीढ़ी को समाज की संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराया जाता है। नई पीढ़ी इस विरासत में अपना योगदान करती है शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी सामाजिक भावना और सामाजिक गुणों का विकास करना है जिससे वे समाज और राष्ट्र के उपयुक्त सदस्य के रूप में अपना उत्तरदायित्व समझ सके। समाज में शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो की जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। बालकों में सामाजिक गुणों, सामाजिक भावनाओं तथा सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज से परे उसके अस्तित्व एवं विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

भारत में करोड़ों युवाओं के लिए शिक्षा, अनुशासन, विकास, जिज्ञासा, रचनात्मकता, अज्ञानता और गरीबी के चक्र को तोड़ने का मार्ग है जो रोजगार और समृद्धि की ओर ले जाती है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश छात्रों के सीखने के स्तर पर निर्भर करता है। शिक्षा की गुणवत्ता का किसी भी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। अन्य सभी बुनियादी मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण कदम है। शिक्षा गरीबी को कम करने, सामाजिक असमानताओं को कम करने, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले अन्य लोगों को सशक्त बनाने, भेदभाव को कम करने और अंततः व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता से जीवन जीने में मदद कर सकती है। यह रोजगार और व्यवसाय के संदर्भ में बेहतर जीवन के अवसरों तक पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह किसी क्षेत्र में शांति और समग्र समृद्धि भी ला सकता है। इसलिए शिक्षा सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। शिक्षा वह उपकरण है जो अकेले ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित कर सकती है और लोगों को झूठे पूर्वाग्रह, अज्ञानता और प्रतिनिधित्व से मुक्त कर सकती है। शिक्षा उन्हें आवश्यक ज्ञान, तकनीक, कौशल और जानकारी प्रदान करती है और उन्हें अपने परिवार, अपने समाज और बड़े पैमाने पर अपनी मातृभूमि के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने में सक्षम बनाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज की आवश्यकता है क्योंकि यह बौद्धिक कौशल और ज्ञान का विकास है जो शिक्षार्थियों को पेशेवरों, निर्णय निर्माताओं और प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम बनाएगा। शिक्षा देश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई अवसर प्रदान करती है। शिक्षा लोगों को स्वतंत्र बनाती है, आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान पैदा करती है, जो देश के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

शिक्षा ने मनुष्य को श्रेष्ठ सामाजिक-सांस्कृतिक प्राणी बनाने में बड़ा योगदान दिया है। इसने ज्ञान-विज्ञान व समाज को प्रगतिशील बनाया है।[53] भारत में प्रारम्भ से ही शिक्षा और शिक्षक को विशेष

[53] भटनागर, सुरेश, *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास*, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ, 2004.

महत्त्व दिया जाता रहा है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक माध्यम है जो स्वयं विकास प्रक्रिया में एक आवश्यक उत्पादक सामग्री का गठन करती है, जिसे आधुनिक समाज में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन तब हो सकता है जब मनुष्य को परिवर्तन की आवश्यकता हो। कोई भी समाज शिक्षा के माध्यम से ही वांछित परिवर्तन ला सकता है और प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास का सामना कर सकता है। शिक्षा सामाजिक विकास और सुधार की मूल पद्धति है, जो व्यक्ति की स्वयं और दुनियाँ की समझ को समृद्ध करती है। इसका उपयोग व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। समाज में होने वाले परिवर्तन के विश्लेषण में शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा एक ऐसा मजबूत हथियार है जो व्यक्ति और समुदाय दोनों में बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाता है।[54] यह व्यक्तियों के दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाओं को काफी हद तक अद्यतन करता है और जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन में मदद करता है। भारत में लड़कियों की शिक्षा को लेकर ऐतिहासिक रूप से कई बाधाएँ रही हैं, जिनमें सामाजिक मान्यताएँ, बाल विवाह, और घरेलू जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। हालांकि, सरकार द्वारा चलाए गए **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** जैसी योजनाएँ महिला शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही हैं, फिर भी लिंग भेदभाव और लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर एक गंभीर मुद्दा है।[55] भारत में जाति व्यवस्था काफी प्राचीन समय से अपनी जड़े जमाएं रही है जो कि प्रारम्भ से समाज में निष्पादित कार्य या व्यवसाय पर आधारित थी। समाज में निभायें जाने वाली भूमिका व श्रम-विभाजन के आधार पर भिन्न-भिन्न वर्गों का गठन किया गया था। इस प्रकार प्राचीन भारतीय समाज चार वर्णों में विभक्त था- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र। ब्राह्मण अध्ययन-अध्यापन, क्षत्रिय शासन तथा सुरक्षा, वैश्य वाणिज्य एवं व्यापार तथा शुद्र सेवा कार्य के आधार पर विभाजित थे। कालान्तर में यह व्यवस्था कर्मगत न होकर जन्म आधारित हो गई तथा उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण के रूप में समाज में भीषण समस्या के रूप में स्थापित हो गयी।[56] जातीय विभाजन तथा जाति के भीतर उपजाति तथा वर्ग और उनके आधार पर भेदभाव सभी धर्मों के अंदर पाया जाने लगा। कुछ जातियाँ विकास के पथ पर अग्रसर होकर उच्च जाति के रूप में स्थापित हो गई तथा कुछ समाज में सीमान्त रहकर निम्न जाति वर्ग के रूप में दमित एवं शोषित होती रहीं जिसकी परिणति अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुप्रथा के रूप में हुई जिसका

[54] बाशा चंद पी., *सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका*, उन्नत शैक्षिक अनुसन्धान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2017, पृ. 236-240.

[55] Government of India, *National Education Policy 2020*, page 112.

[56] गोरे,एम. एस. एवं देसाई आई. पी., *पेपर्स इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया*, एन. सी. ई. आर. टी., 1967.

एक लम्बे समय तक समाज पर कुप्रभाव रहा।[57] उच्च जातियों द्वारा निम्न जाति के लोगों का शोषण एवं असमान व्यवहार समाज में सीमान्त वर्ग के रूप में एक नए वर्ग को जन्म देकर एक विशाल सामाजिक समस्या के रूप में पनपने लगा। निम्न जाति वर्ग के इसी जाति आधारित विविधता से उपजी असमानता के कारण समाज की मुख्य धारा में अपनी जगह बनाने के लिए शिक्षा की ओर देखता है। भारत में जाति व्यवस्था का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐतिहासिक रूप से, शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था, जिससे समाज में असमानता बनी रही। डॉ० भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम माना और इसे समानता के लिए अनिवार्य बताया ।[58] आज भी दलितों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँचना एक चुनौती बनी हुई है। शिक्षा समाज में बदलाव की इच्छा पैदा करती है जो आने वाली किसी भी तरह के बदलाव के लिए एक पूर्वापेक्षा है। यह वंचितों, दलितों और पिछड़े लोगों को उनकी स्थिति से अवगत कराता है और उनकी स्थिति में सुधार करने की इच्छा को स्थापित करता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।[59] शिक्षा हमारे सामाजिक ढांचे में कमजोरियों, सामाजिक अंतरालों, ज्ञान के अंतरालों की पहचान करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में बहुत मददगार हो सकती है। यदि लोकतंत्र के अनुकूल सामाजिक परिवर्तन लाना है तो भारत में शिक्षा प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त नेतृत्व करने में सक्षम होनी चाहिए । प्रतिभावान नेता शिक्षा से ही पैदा हो सकते हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, टैगोर और अन्य उच्च शिक्षित और प्रबुद्ध भारतीयों ने सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जागरूक स्तर पर प्रयास किए ।[60] हमारे लोगों की व्यापक निरक्षरता, अज्ञानता, खराब स्वास्थ्य और गरीबी से लड़ने और सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए महात्मा गाँधी द्वारा बुनियादी शिक्षा डिजाइन की गई।[61]

शिक्षा के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का निर्वहन

समाज के हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। समाज का वह समुदाय जो किन्हीं

---

[57] चंद्रा, एस. एस. एवं शर्मा आर. के. *सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन*, दिल्ली अटलांटिक पुब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2012.

[58] B. R. Ambedkar, *Education and Social Change* (Delhi: National Publishing House, 1956), page 45.

[59] राम आहूजा, *भारत में सामाजिक समस्याएं*, नई दिल्ली, 2005, पृ. 1-2

[60] पाठक आर. पी., *शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य*, अटलांटिक नई दिल्ली, 2007.

[61] सिंह डी., *नई तालिम की प्रासंगिकता आज के समय में*, भारत सरकार, शिक्षा मन्त्रालय रिपोर्ट, 2019, पृ. 98

कारणों से विकास की प्रक्रिया में मुख्य धारा से पीछे रह गया है, शिक्षा से अपेक्षा रखता है कि उसे सामर्थवान बनाकर राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में शामिल करना हो।

नागरिक जीवन का प्रशिक्षण - समाज के सीमान्त वर्ग शोषण व दमन के कारण समाज में प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने में भी असमर्थ रहते हैं। इन समुदायों की शिक्षा से यह अपेक्षा है कि शिक्षा द्वारा उन्हें नागरिकता का प्रशिक्षण मिले जिससे वह समाज के सक्रिय नागरिक के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी लेकर नई स्थितियों का सामना करने में सक्षम हो सकें तथा स्वयं के एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें।

चरित्र निर्माण- समाज के सीमान्त वर्ग अपनी उपेक्षा से त्रस्त होकर अनेक बार असामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं या कई बार सक्रिय सामाजिक जीवन से पलायन कर एकांकी जीवन जीने लगते हैं। समाज के सीमान्त वर्ग शिक्षा से आशा करते हैं कि वह समाज में व्याप्त असमानता व भेदभाव की दीवार को गिराने में सहायक हो तथा अपने आत्मबल का इस प्रकार विकास करें कि वह समाज में सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने में समर्थ हो सके।

व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास- समाज के शक्तिशाली वर्ग द्वारा सीमान्त वर्ग उत्पीड़ित होने के कारण व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से उपेक्षित रहा है। अतः समाज का सीमान्त वर्ग शिक्षा से शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास की अपेक्षा रखता है। शिक्षा का दायित्व है कि वह समाज के उपेक्षित वर्ग के व्यक्तित्व विकास में मुख्य भूमिका निभाये। इसके लिए पाठ्यचर्या में परिवर्तन की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या में परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षण पद्धति में बदलाव जरूरी है।[62] शिक्षण पद्धति सहभागिता तथा जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए तभी सीमान्त वर्ग के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सम्भव होगा।

सामाजिक कौशलों का विकास- समाज में हर व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन कर समाज का उपयोगी नागरिक बन सके यह शिक्षा की सबसे महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। सामाजिक कौशलों के विकास के बिना यह सम्भव नहीं है।[63] समाज का उपेक्षित और वंचित वर्ग समाज के अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके तथा समाज में स्वस्थ सामाजिक वातावरण का विकास हो सके यह शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण दायित्व है।

[62] राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, दिल्ली, एन० सी० ई० आर० टी०, 2005.

[63] मिश्र एस. के., सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में शिक्षा, प्रबंधन समाजशास्त्र और मानवता के अंतर्राष्ट्रीय अनुसन्धान जर्नल, 2014, पृ. 8-12

सामाजोपयोगी नागरिक का निर्माण- समाज का हर व्यक्ति मानव पूंजी है, मानव पूंजी किसी भी समाज के विकास का मुख्य आधार होती है।[64] शिक्षा के द्वारा समाज के लिए उपयोगी नागरिक का निर्माण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जिसके सम्यक विकास के बिना समाज का विकास सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीयता की भावना का विकास- हमारी पाठ्यचर्या में राष्ट्रीयता के तत्वों को और समृद्ध किया जाना चाहिए जिससे समाज का हर वर्ग अपने आप को राष्ट्र का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग समझे। समाज का सीमान्त वर्ग एक लम्बे समय से उपेक्षित रहने के कारण अपने आप को राष्ट्र की मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस करता है जिसके कारण अलगाववाद व परायेपन की भावना और कुंठा जन्म लेने लगती है। शिक्षा की यह जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक अपने आपको राष्ट्र का समान नागरिक समझे तथा राष्ट्रीयता की भावना से ओत -प्रोत होकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी सहभागिता दें। केवल राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं अपितु विश्व बन्धुत्व का भी बोध हर नागरिक को करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। विश्व बन्धुत्व से ही शांति एवं प्रगति सम्भव है।[65]

निष्कर्ष- प्राचीन काल से ही शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का माध्यम रही है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य संसार में अपना एक निश्चित स्थान बना पाता है। शिक्षा मनुष्य के आत्मिक विकास की वह गति है जो उसके जन्म से लेकर अनुकरण, श्रवण, अध्ययन, मनन तथा पारस्परिक सम्बन्ध स्थापन के द्वारा जीवन के अंत तक चलती रहती है। शिक्षा सोच, विचारधारा, संस्कृति और अंतः क्रिया में परिवर्तन को प्रभावित करती है और यही समाज को गतिशील जीवन्त और समृद्ध बनाती है। शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। यह प्रकाश का स्रोत है जो मनुष्य को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करती है। शिक्षा भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली साधनों में से एक बन गई है। समाज को सही दिशा में बदलना है तो शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देने की आवश्यकता है शिक्षा को इस तरह से नियोजित किया जाना चाहिए जो समग्र रूप से लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हो।

[64] पाटील नमिता पी., सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका, इंटरनेशनल एजुकेशन ई जर्नल, 2012, पृ. 205

[65] राम आहूजा, *सोसाइटी इन इण्डिया कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी एण्ड रिसेन्ट ट्रेंडर्स*, नई दिल्ली, 2005, पृ. 215

 ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

बाल अपराध से संबंधित सामाजिक मुद्दे: चुनौतियां और संभावनाएँ

हरीश राम
असिस्टेंट प्रोफेसर , समाजशास्त्र विभाग हर्ष विद्या मंदिर (पी.जी) कॉलेज
रायसी, हरिद्वार, उत्तराखंड । ईमेल:harishhitaishi1@gmail.com

शोध सारांश

वर्तमान समय में बाल अपराध एक प्रमुख सामाजिक समस्याओं में से एक है। यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है, जो मूल रूप से परिवार और समुदाय के विघटन का परिणाम है। दुनिया के लगभग सभी प्रान्तों में बाल अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है क्योंकि जिन बच्चों पर देश और राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है, वह अपराधी बच्चे बन जाते हैं तो देश का क्या भविष्य होगा? बाल अपराध में विभिन्न प्रकार के असामाजिक कार्य जैसे ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार, चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना, नशा करना, दंगा करना, विश्वासघात करना, विद्यालय से भागना, अनैतिक व दुराचारी व्यक्तियों के संग में रहना, आवारापन इत्यादि ।

बीजक शब्द: बाल अपराध, बंदी गृह, दंड शास्त्र, रिमांड होम, बाल न्यायालय, साइबर अपराध, आत्महत्या, मादक द्रव्य, सामाजिक विघटन, प्रोबेशन और पैरोल, खुले बंदी गृह ।

प्रस्तावना:

बाल अपराध एक विश्वव्यापी सामाजिक समस्या है। एक तरफ विश्व के कई देश लगातार उन्नति और प्रगति कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाल अपराध जो समाज में तीव्रता से वृद्धि कर रहे हैं। आज व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में शिक्षित होने के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन समाज में बाल अपराध तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उन कार्यों को बाल अपराध कहा जाता है जो एक समूह अथवा समाज को हानि पहुँचाते हैं, जिसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना अनिवार्य है। प्रत्येक समाज में सामाजिक प्रतिमान व मूल्यों की वैधानिक व्यवस्था होती है। जब समाज में माननीय नियमों का पालन नहीं किया जाता तो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। बाल अपराध सामान्य अपराधों की तरह ही एक अपराध है जो बालकों के द्वारा किए जाते हैं जिसमें कानून का

उल्लंघन किया जाता है। कानून की दृष्टि से जो अल्प वयस्क हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है जिनके द्वारा समाज में रीति-रिवाजों, प्रथाओं, मान्यताओं का उल्लंघन किया जाता है।

बाल अपराध निश्चित आयु (18 वर्ष से कम की आयु) के द्वारा किया गया किसी नियम में कानून का उल्लंघन है। प्रत्येक बालक के व्यवहार में चंचलता, हठवादिता, और शैतानी अनिवार्य रूप से होती है पर उसका यह व्यवहार जब निर्धारित सामाजिक मूल्यों, नियमों और मानदंड को लांघने लगता है तो उसे बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। जब बालक नियमों को तोड़ता है, आवारागर्दी करता है, आज्ञा का उल्लंघन करने की आदत पड़ जाती है, उसका आचरण इस प्रकार का होता है कि उसके अलावा अन्य लोगों के स्वास्थ्य और नैतिकता को हानि पहुँचती है। वह अपने माता-पिता की आज्ञा प्राप्ति के बिना वैवाहिक संबंध स्थापित करता है।

शोध साहित्य का मुख्य उद्देश्य :

1. समाज में बाल अपराध से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।
2. बाल अपराध को नियंत्रित करने हेतु भारत में कानून व्यवस्था का अध्ययन करना।

शोध पद्धति:

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों जिसमें विभिन्न पुस्तकों, समाचार पत्र पत्रिकाओं, मैगजीनों, वार्षिक रिपोर्टो व लेखों का प्रयोग किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक, वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

साहित्य पुनरावलोकन :

गिलिन व गिलिन के अनुसार- "समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल-अपराधी वह व्यक्ति है, जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए यह उसके द्वारा निषिद्ध होता है।"

फ्राईड लैडन- "जब किसी बालक के व्यक्तित्व मे ऐसी अभिवृत्ति विकसित होती है, जो उसे सामाजिक नियमों व कानूनों को तोड़ने की प्रेरणा देती है तब उसे बाल अपराधी कहेंगे।

जेम्स के अनुसार- "बाल अपराधी का तात्पर्य उस बच्चे से है, जो आदत के रूप मे अपनी निराशाओं को समाज विरोधी कार्यों अथवा हिंसा के रूप मे प्रदर्शित करता है।

बेकर के अनुसार- "बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे हिंसात्मक व्यवहार से है, जिसमे एक बालक द्वारा राज्य व नगर के कानूनों का उल्लंघन होता है।"

राष्ट्रीय प्रोबेशन समिति के अनुसार:

- बाल अपराध वह अपराध है जो राज्य के किसी कानून या धारा को तोड़ता है।
- वह बालक, जो आवारा होने के कारण माता-पिता अथवा संरक्षक आदि के नियंत्रण के बाहर हो।
- वह अपराध, जो बालक को अपनी आदतों के रूप में दूसरे के स्वास्थ्य अथवा नैतिकता को खतरा या नुकसान पहुँचाता है।

बाल न्यायालय अधिनियम 1933 के अनुसार -

- जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम है।
- जो संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी कानून का उल्लंघन करता है।
- जो सुधार से परे, उद्दंड, आदतन अनाज्ञाकारी और अपने माता-पिता, संरक्षक या कानूनी अधिकारी के नियंत्रण से बाहर हो।
- जो आदतन रूप से स्कूल से भागता हो।
- जो माता-पिता, संरक्षक या रक्षक की अनुमति के बिना अपना घर अथवा निवास स्थान छोड़ता है।
- जो किसी ऐसे व्यवसाय में संलग्न है, जिससे कानून का उल्लंघन होता है।
- जो सार्वजनिक स्थानों पर सविनय प्रार्थना करता है और भिक्षा तथा पैसा माँगता है।
- जो अपने को अनैतिक अथवा दुश्रित व्यक्तियों के साथ रखता है।
- जो ऐसी जगह से विचरण करता है, जहाँ प्रवेश करने से कानून का उल्लंघन होता है।
- जो आदतन रूप से अपवित्र और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है।
- जो जानबूझकर किया जाता है, जिससे दूसरे के स्वास्थ्य और नैतिकता को भी ठेस पहुँचती है।

समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बाल अपराध वह अपराध है जहाँ कानूनी धारा का उल्लंघन हो। बाल अपराध जिसमें स्कूल से भागना, अनैतिक व्यक्तियों की संगत करना, माता-पिता के नियंत्रण से बाहर, रेलवे स्टेशन पर घूमने, सार्वजनिक स्थानों या स्कूल में अनैतिक व्यवहार ,अवैध व्यवसाय, मद्यपान करना, नशीली दावों का सेवन , दुर्व्यवहार, भीख माँगना, यौन अनैतिकताओं में भाग लेना, टालमटोल करना, आवारापन, मादक द्रव्य व्यसन इत्यादि आते हैं।

बाल अपराधियों का वर्गीकरण:

- अशाध्यिता उदाहरणार्थ : देर रात तक बाहर रहना।

- स्कूल से भागना।
- चोरी।
- सम्पत्ति की क्षति।
- हिंसा एवं यौन-अपराध।

बाल अपराध के कारण

पारिवारिक दशाएँ : परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, परिवार में ही बालक का समाजीकरण होता है। पारिवारिक दशाएँ जो बालक का भविष्य तैयार करती है। परिवार का बालक के व्यक्तित्व पर गहन प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक दशाएँ जैसे नष्ट घर, अवैध पित्रृता, अनैतिक परिवार, माता-पिता द्वारा उपेक्षा, अति व्यस्त माता-पिता, भीड़भाड़, मनोरंजन के साधनों की कमी, कमजोर पारिवारिक नियंत्रण, भाई बहन का प्रभाव, अत्यधिक प्रेम, पारिवारिक तनाव आदि जो बालक को अपराधी प्रवृत्ति का बना देते हैं।

निर्धनता:- समाज में निर्धनता का बाल अपराध से गहरा संबंध है। सर्वेक्षणों के आधार पर पाया गया है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति निम्न है, उन बच्चों की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती जिसके कारण छोटे-2 बच्चे माता-पिता के संरक्षण से बाहर काम करने जाते हैं, बुरी संगत के कारण वह बाल अपराधी बन जाते हैं।

मानसिक हीनता:- मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्वीकार किया गया है कि मानसिक हीनता बच्चों को अनैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। यह मानसिक हीनता अल्प बुद्धि के कारण आती है, जो जन्मजात होती है। मानसिक रूप से कमजोर लोग अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते, उनमें सोचने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती, ऐसे बच्चे शिक्षण संस्थानों में निर्देश और शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण कई बाल अपराध का शिकार हो जाते हैं।

आवारापन: जब बच्चे बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर घूमते हैं तो उनके इस व्यवहार को ही आवारापन कहा जाता है। आवारापन का तात्पर्य उसे आलसी व्यक्ति से लगाया जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को निरुद्देश्य घूमता है, जिसके पास प्रत्यक्ष रूप से ही आमदनी का कोई साधन नहीं होता, जो किसी प्रकार का कार्य नहीं करता जिसके कारण समाज में बाल अपराध बढ़ाते हैं। जैसे वेश्यावृत्ति, जुआ, भविष्य बताना, शराब पीना, भीख माँगना, छेड़छाड़ करना इत्यादि।

भगोड़ापन: जब कोई बालक बिना किसी सूचना के कक्षा से भाग जाता है तो उसे भगोड़ा कहते हैं। ऐसे बालक युवा होकर बाल अपराध की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।

फेयर चाइल्ड ने कहा है कि वह बालक, जो स्कूल से बिना स्वीकृति अनुमति के अनुपस्थित हो, बाल अपराध की श्रेणी में आता है।

व्यक्तित्व संबंधी कारक: व्यक्तित्व मानव की आंतरिक और बाह्य विशेषताओं का एक पुंज है, व्यक्तित्व संगठन की विशेषताएँ बालक को अपराध की ओर प्रेरित करती हैं। बाल अपराध के प्रमुख कारक शारीरिक और प्राणीशास्त्रीय दशाएँ भी होती हैं जैसे - रंग, बनावट, आकार, सामान्य दिखावट, स्वास्थ्य और बल, भावनात्मक प्रत्युत्तर, आदत एवं रुचि, चरित्र और नैतिक आदर्श आदि।

शारीरिक कारक: बाल अपराध को बढ़ावा देने में शारीरिक कारक मुख्य कारक हैं। शारीरिक कारकों में बालक का दुर्बल स्वास्थ्य जिसके कारण बालक में कमजोरी नियंत्रण और संयम की कमी होती है, जिसके कारण बालक के मन में हीनता की भावना आ जाती है और वह समाज विरोधी कार्यों के प्रति प्रवृत्त हो जाता है। कुछ बालकों में स्थाई कमजोरी, तेज बीमारी, शारीरिक दोष जैसे अंधापन, बहरापन, हकलाना, लंगड़ा कर चलना आदि शारीरिक विकार आते हैं।

मनोवैज्ञानिक कारक: मनोवैज्ञानिक कारक भी बाल अपराध के कारण रहे हैं। जिन बालकों में मानसिक दुर्बलता, मानसिक विरोध या रुकावट, साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, व्यक्तित्व असमंजस्य जैसे लक्षण पाए जाते हैं वही बाल अपराध का कारण बनते हैं।

गोडार्ड ने विचार व्यक्त किया कि मानसिक दुर्बलता अपराध का एकमात्र कारक है, बुद्धिहीनता के कारण बालक अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकता जिसके कारण बाल अपराध होते हैं। यौन अपराध सामान्य तथा निम्न बुद्धि की व्यक्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं।

चरित्र और व्यवहार संबंधी आदतें: चरित्र और व्यवहार संबंधी आदतें भी बच्चों को बाल अपराध की ओर प्रेरित करती हैं। चरित्रहीन बालक ही समाज में रूढ़ियों और कानून की उपेक्षा कर सकता है। व्यवहार तथा आदतें जैसे मद्यपान, शारीरिक व मानसिक असंयम और नशीली दवाइयों का सेवन ,अफीम का सेवन, यौन व्यवहार आदि।

जनसंख्या की गतिशीलता: जनसंख्या वृद्धि एक सामाजिक समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन्नत संसाधनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में पलायन हुआ है जिसको नगरीकरण कहते हैं। नगरों में विभिन्न राज्यों, क्षेत्र, भाषा, प्रजाति के लोग रहते हैं जिसके कारण बच्चों को स्वस्थ पर्यावरण नहीं मिल पाता जिसके कारण नगरों में बाल अपराध अधिक होते हैं, जनसंख्या की गतिशीलता भी बाल अपराध का एक प्रमुख कारण है।

आर्थिक कारक : बाल अपराधों को बढ़ावा देने में एक मुख्य कारक आर्थिक कारक है। समाज में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अधिकतर अपराधी

ऐसे घरों से होते हैं जो निर्धन है जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराध करते हैं। निर्धनता, व्यापार चक्र, भुखमरी, बेकारी, मौसमी बेकारी, आर्थिक असंतोष बाल अपराध के कारक हैं।

पूर्व-अपराधी विशेषताएं: पूर्व अपराधी बालक जो आगे चलकर अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं उनमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। पूर्व अपराधियों में जैसे दुर्व्यवहार, चोरी, आलसीपन, लड़ाकू, आक्रमणकारी, अत्यधिक स्वार्थी, विध्वंसकारी, बेईमानी, डींगमारना, विरोधी, घृणा से पूर्ण, भयंकर भावनात्मक लगाव आदि।

समुदाय तथा बाल अपराध : बालक के सामाजिक जीवन पर परिवार, पड़ोस, स्कूल, संगत, समाज, समुदाय का प्रभाव पड़ता है। चंचलता बालपन का स्वभाव है, जब इस चंचलता का स्वस्थ मनोरंजन के साधनों द्वारा सदुपयोग होता है तो बालक अपराध की ओर नहीं बढ़ता। बालक के जीवन पर चलचित्र, सिनेमा के गीत-नृत्य, ड्रेस का भी प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं में अपराधी सूचनाओं को पढ़ने से भी बाल अपराध बढ़ते हैं। अश्लील साहित्य, कुसंगति भी बाल अपराध को बढ़ाने में मुख्य कारक हैं।

बाल अपराध को नियंत्रित करने हेतु कानून

किशोर न्याय अधिनियम, 1986: भारत में बाल अपराध को नियंत्रित करने के लिए 1986 में किशोर न्याय अधिनियम पारित किया। किशोर न्याय अधिनियम के आने के साथ ही न्याय दृष्टिकोण को कल्याणकारी दृष्टिकोण में बदल दिया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित या अवयस्क किशोरों की देखभाल, संरक्षण ,उपचार विकास और पुनर्वास प्रदान करना था। बाल अपराध के उपचार के लिए इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित जनादेश पारित हुए।

- बच्चों को सभी प्रकार के भेदभाव से बचाए, चाहे उनका लिंग, रंग, राष्ट्रीयता और जाति या प्रजाति पृष्ठभूमि कुछ भी हो। **(अनुच्छेद 2)**
- सभी निर्णय को लेने की प्रक्रिया में प्राथमिक उपचार के रूप में बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करें। **(अनुच्छेद 3)**
- उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम सीमा तक बच्चों के जीवन अस्तित्व और विकास के अधिकारों को सुनिश्चित करें। **(अनुच्छेद 4 और 6)**
- स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने और सुनने का बच्चों का अधिकार सुनिश्चित करें। **(अनुच्छेद 12)**
- बच्चों की देखभाल, भरण पोषण और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके माता-पिता की होगी।

- इस अधिनियम के तहत कमजोर, अपराधी प्रवृत्ति के बच्चों के उपचार के लिए उन्हें परिवार, समुदाय, पहचान का विकास, मिलजुल कर रहने वाला सक्षम वातावरण प्रदान करना भी आवश्यक है।
- किशोर न्याय प्रणाली के तहत, किसी भी बच्चे के सभी पिछले रिकॉर्ड को मिटा दिया जाना चाहिए, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में छोड़कर।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000: वैश्विक दृष्टिकोण से 1986 के किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे किशोर न्याय (बच्चों के देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू किया। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 ने यूएनसीआरसी को सहयोग दिया और लड़कों और लड़कियों में उम्र के अंतर को दूर किया। इस अधिनियम ने 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को अपने संरक्षण के तहत माना। इस अधिनियम के तहत बच्चों की दो श्रेणियाँ मानी जाती है। देखभाल और संरक्षण की जरूरतमंद बालक और कानून का उल्लंघन करने वाले बालक अधिक सफलता लाने के लिए यह अधिनियम 2006 और 2011 में दो बार संशोधित किया गया।

2012 में, अमानवीय निर्भया मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उस मामले में अपराधियों में से एक नाबालिक था, इस बात को दृढ़ता से महसूस किया गया कि बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा अधिनियम में संशोधित किया जाए। 7 मई, 2015 को विधेयक लोकसभा में और 22 दिसंबर, 2015 को राज्यसभा में पारित किया गया। विधेयक को 31 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह 15 जनवरी, 2016 से लागू हुआ और इसके माध्यम से 2000 के अधिनियम को बदल दिया गया।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बाल संरक्षण पर आधारित सभी अधिनियमों के लिए एक संरक्षात्मक वैश्विक छाता है। इस अधिनियम के तहत, किशोर शब्द का उपयोग बच्चों को किसी भी श्रेणी का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता है। इसमें बच्चों की दो श्रेणियां शामिल है- देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालक और कानून का उल्लंघन करने वाले बालक। कई नए शब्द परिभाषित किए गए हैं जैसे "अनाथ","आत्मसमर्पण", "छोटे अपराध", "गंभीर अपराध","जघन्य अपराध"।
इस अधिनियम के तहत कुछ सामान्य सिद्धांत इस प्रकार से हैं।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे:

- कानून का उल्लंघन करने वाला बालक वह है जिसने कोई अपराध किया है।
- उस अपराध के किए जाने की तारीख को उसने 18 वर्ष की आयु पुरी नहीं की है। **धारा 2(13)**

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के बारे में आदेश: किशोर न्याय बोर्ड कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों द्वारा किए गए अपराध की जाँच के बाद अपराध की गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है।

- बच्चों को काउंसलिंग (परामर्श) के बाद घर जाने की अनुमति देना।
- बच्चों के समूह परामर्श गतिविधि में भाग लेने के लिए निर्देशित करना।
- बच्चों को सामुदायिक सेवा करने का आदेश देना।
- बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक को जुर्माना भरने के लिए कहना।
- उचित व्यक्ति/उचित सुविधा के तहत परख कर रिहा करना, जिसकी अवधि 3 वर्ष अधिक नहीं होगी।
- विशेष गृह/सुरक्षा के स्थान पर भेजा जाना।

बाल अपराध को निपटाने में हितधारकों की भूमिका

बाल अपराध को नियंत्रित करने में पुलिस की भूमिका: बाल अपराध से निपटने के लिए हितधारकों में पुलिस की भूमिका अहम भूमिका होती है। पुलिस की भूमिका नियम 8, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, आदर्श नियम, 2016 जो बाल अपराध के संरक्षण के लिए निम्नलिखित भूमिका निभाता है।

- पुलिस के द्वारा बालक के माता-पिता या संरक्षक कोई यह सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, साथ में बालक द्वारा किए गए अपराध के बारे में भी सूचित किया जाएगा।
- संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी जमा कर सके।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक द्वारा किए गए अपराध की सूचना साधरण दैनिक डायरी में दर्ज करेगा।
- बालक को पकड़े जाने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के विषय में ही किया जाएगा, बालक को पकड़े जाने के समय से 24 घंटे के भीतर उसे किशोर न्याय बोर्ड की समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या बेड़ी नहीं पहना जा सकती। बच्चे को प्रेक्षण गृह / उचित सुविधा या उचित व्यक्ति के साथ रखा जाना चाहिए जब तक कि उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पहली बार प्रस्तुत न किया जाए।

- बालक से किसी दस्तावेज या बयान पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहा जा सकता, एफ. आई. आर. दर्ज होने के मामले में उसकी प्रति बच्चे को या उसके माता-पिता को देनी होगी।
- पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को जरूरत पड़ने पर बच्चों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना भी अनिवार्य है।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बिना देर किए बालक को पकड़े जाने के समय से 24 घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करना है।

किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका: किशोर न्याय बोर्ड नियम 10, किशोर न्याय (बच्चों के देखभाल संरक्षण) अधिनियम, आदर्श नियम 2016 में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

- जब कोई बाल अपराधी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन बच्चे द्वारा किए गए अपराध की जानकारी बोर्ड को दी जाती है, तो किशोर न्याय बोर्ड बच्चे को जल्द से जल्द बोर्ड के सामने पेश होने का निर्देश देगा।
- बोर्ड मामले का निपटारा कर सकता है, यदि यह राय है कि आरोप निराधार है या एक छोटा अपराध है।
- बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सोंपें, अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।
- बोर्ड बच्चे को बाल देखभाल संस्थानों में रखने के आदेश पारित कर सकता है, अगर उसे लगता है कि यह विकल्प बच्चों के सर्वोत्तम हित में है।
- जब कानून का उल्लंघन करने वाला बालक जमानत दिए जाने के बाद सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं होता, तब बोर्ड बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बालक को प्रस्तुत करने का निर्देश जारी करेगा।
- बोर्ड बालक से बाल अनुकूल रीति से व्यवहार करेगा।
- 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों द्वारा जघन्य अपराध करने के मामले में प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाताओं की सहायता ले सकते हैं।

बाल कल्याण समिति की भूमिका: बाल अपराध को नियंत्रित करने हेतु बाल कल्याण समिति की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, जो निम्नलिखित हैं।

- अगर किशोर न्याय बोर्ड की राय है कि अधिनियम की धारा 83 के तहत बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो बाल कल्याण समिति को बच्चों के संबंध में निर्णय लेना होगा और बच्चे के पुनर्वसन या पुनर्वास के लिए प्रयास करना होगा।

- बाल कल्याण समिति को बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी भी बच्चे की देखभाल करनी होगी और अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका: जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका नियम 85, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल संरक्षण), आदर्श नियम 2016 निम्नलिखित आदेश पारित करती हैं।

- बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के बारे में बोर्ड द्वारा भेजी गई तिमाही सूचना की रिपोर्ट का रखरखाव।
- बालकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक परामर्श और सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था करना।
- सुरक्षित स्थान पर बालकों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा करना और बाल न्यायालय की रिपोर्ट भेजना।
- बाल देखभाल संस्थाओं से भेजें गए बालकों का अभिलेख सुरक्षित रखना।
- बाल सुझाव पेटिका में मिली बालकों की शिकायतों और उनके सुझावों की जांच तथा उपयुक्त कार्यवाही करना।
- बाल देखभाल संस्थाओं की प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधि होना।
- जिला स्तर पर बाल देखरेख संस्थाओं, उपयुक्त व्यक्तियों, उपयुक्त सुविधाओं, पंजीकृत परवर्ती देखरेख संगठनों और संस्थाओं के डेटाबेस का रखरखाव करना, उसे बोर्ड को भेजना।
- जिला स्तर पर चिकित्सा और परामर्श केंद्रों, नशा मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों, प्रदर्शन कला, ललित कला जैसी मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरत वाले बालकों के लिए सुविधाओं का डेटाबेस का रखरखाव बोर्ड को भेजना।
- राज्य बाल संरक्षण समिति को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- अधिनियम की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर सभी पक्षकारों की तिमाही बैठक आयोजित करना।

गैर सरकारी संगठन की भूमिका: बाल अपराध को नियंत्रित करने में गैर सरकारी संगठन की अहम भूमिका होती है। यदि किसी एनजीओ के पास प्रोबेशन, केस वर्क, काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक सत्र में सहायता प्रदान करने के संसाधन या क्षमताएँ हैं, तो यह सरकार के पैनल में खुद को नामांकित कर सकता है। ऐसा करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्देशित किए जाने पर व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करें और वोट को प्रस्तुत करें। **(नियम 13, 8 (2))**

बाल अपराध के रोकथाम हेतु सुझाव:

- बाल अपराध को रोकने के लिए परिवार में बच्चों का समुचित पालन पोषण सुव्यवस्थित हों।
- माता-पिता के बाद बालक के जीवन में शिक्षकों का अमूल्य योगदान होता है इसलिए शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की एक अहम भूमिका है, बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित हों।
- बाल अपराध पर रोक लगाने के लिए घर का वातावरण प्रेमपूर्ण होना चाहिए ताकि बच्चे बेझिझक किसी भी विषय पर प्रश्न कर सके, उनकी जिज्ञासा शांत हो सके।
- मनोरंजन का बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में बालक अपराधी प्रवृति का हो जाता है, इसलिए बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन करवाना अनिवार्य है।
- बाल अपराधों को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक दोषों का उपचार भी आवश्यक है, इसके लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों से परामर्श लें और उनकी उचित देखभाल करें।
- बाल अपराध के उपचार के लिए परिवार का उचित वातावरण होना आवश्यक है ताकि बच्चे को परिवार में अनुशासन, नैतिक शिक्षा, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा मिल सके।
- बाल अपराध को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है, इसलिए माता-पिता को ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया का बच्चे सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग अर्थात निगरानी रखें।
- बाल अपराध को रोकने के लिए बाल श्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि बच्चे परिवार और माता-पिता के संरक्षण में रहें।

उपसंहार: बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। बाल अपराध बच्चों की अपराधी प्रवृत्ति है जो आज एक सामाजिक चिंतन का विषय है। बाल अपराध को प्राथमिक स्तर पर ही रोका जाना चाहिए जिसमें परिवार, समाज, पड़ोस, अभिभावक, शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। बाल अपराध को रोकने के लिए भारत में बाल संरक्षण कानून के तहत जिसमें किशोर न्याय अधिनियम, पुलिस प्रशासन, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, गैर सरकारी संगठन, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियमों को और अधिक सशक्त कानून बनाकर बाल अपराध को रोका जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. बघेल, डॉ. डी. एस, अपराध शास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली, 110007
2. मुखर्जी नाथ रविंद्र, अग्रवाल भगत, सामाजिक समस्याएं, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2003

3. भटनागर बी0ए0, अधिगमकर्ता का विकास और शिक्षण- अधिगम प्रक्रिया, राधिका कंप्यूटर्स, मेरठ, 2013
4. भारत में बाल संरक्षण कानून का सारांश, ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली,110065
5. https://study.com/learn/lesson/juvenile-delinquency-overview-history-laws.html
6. https://www.kailasheducation.com/2020/08/bal-apradh-kise-kahte-hai.html
7. https://social-work.in/baal-apradh/
8. आहूजा राम, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2012
9. महाजन, संजीव, सामाजिक समस्याएँ, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2010
10. वर्मा सिंह चंचल, बालकों की भावनाओं व व्यक्तित्व का अध्ययन, कल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2011

आदिवासी समुदाय उनकी संस्कृति एवं सांस्कृतिक चुनौतियां: एक सिंहावलोकन

सनी संतोष टोप्पो
असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा, झारखंड।

शोध सारांश

आदिवासी शब्द का उपयोग उन समुदायों के लिए किया जाता है जिनका अपने निवास स्थान के साथ गहरा और ऐतिहासिक संबंध है। यह समुदाय अक्सर अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई विविधताओं के लिए जाने जाते है। आदिवासी लोग अपने जीवनशैली परंपराओं और रीति-रिवाजों के संदर्भ में अनूठे होते हैं और उनकी पहचान उनके पर्यावरण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुडी होती है।

इन समुदायों का प्राचीनतम इतिहास होता है और वे अक्सर बाहरी सभ्यताओं से अलग रहते हैं। कई बार इन्हें स्वदेशी लोग या मूल निवासी भी कहा जाता है जो इस बात का संकेत देता है कि ये लोग अपने क्षेत्र के पहले निवासी रहे हैं। आदिवासी समुदायों के अधिकारों और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना आवश्यक है ताकि उनका अद्वितीय जीवन शैली और परंपराएं सुरक्षित रह सकें। आदिवासी संस्कृति भारत की विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संस्कृति अपनी विशिष्टता, परंपराओं और परिधानों के लिए जानी जाती है। आदिवासी समुदायों का जीवन प्राकृतिक तत्वों के साथ गहराई से जुडा होता है और उनकी संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान और पूजा का बहुत बड़ा स्थान है।

आदिवासी संस्कृति विविधता और धरोहर का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक पहचान में योगदान देती है। इनकी परंपराओं और जीवनशैली को समझना और सम्मान करना समस्त मानवता की जिम्मेदारी है। आदिवासी संस्कृति संपुर्ण विश्व को एक आर्दश समाज का प्रतिबिंब दिखलाती है एवं आदिवासी संस्कृति संपुर्ण विश्व के मंच में समानता, एकता एवं भ्रातृत्व का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है।

मुख्य शब्द:- आदिवासी समुदाय, उनकी सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, सांस्कृतिक चुनौतियां

शोध पत्र का विषय:- ‘आदिवासी समुदाय उनकी संस्कृति एवं सांस्कृतिक चुनौतियां: एक सिंहावलोकन’ है।

प्रस्तावना:-

आदिवासी शब्द से हमारे मस्तिष्क में एक ऐसे मानवजातीय समूह का चित्र उभरता है जो जंगलों, पहाड़ी, पठारी, समुद्रतटीय, मरूस्थल एवं द्वीप समूहों में निवास करता है। इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था बिल्कुल ही सरल एवं सहज होती है।आदिवासी शब्द दो शब्दों ‘आदि और वासी’ से मिलकर बना है और इसका अर्थ मूल निवासी कहलाता है। आदिवासी(आदि-वासी) इन्हे संविधान की पंचम अनुसूची में ‘जनजाति’ इस शब्द से परिभाषित किया गया है साथ ही इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे- वनवासी, गिरिजन, वन्यजाति या आदिम जनजाति।

आदिवासी का अर्थ:-

विश्व के सभी देशों में आदिवासियों का निवास स्थान रहा है। ये देश के मूल एवं प्राचीनतम निवासी है। भारत में ये प्रारंभ से ही दूरस्थ, जगलों एवं निर्जन स्थानों पर निवास करते आए हैं। आदिवासी जंगली परिस्थितियों में अपना जीवनयापन करते दिखाई देते है। विश्व के अधिकांश देशों में आदिवासी निवास करते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा कबीलें अफ्रीका में हैं। आदिवासी एक कबीलाई समूह है, जिनके सदस्य एक सामान्य बोली का प्रयोग करते है। भारत में आदिवासी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंण्ड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, बिहार आदि राज्यों में निवास करते है।

प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय को ‘जनजाति’ कहा गया। देश के मूल निवासी होने के कारण कई विद्वान उन्हे आदिवासी कहना अधिक तर्क संगत मानते हैं। जंगलों, समुद्रतट, द्वीप, मरूस्थल एवं पहाड़-कंदाराओं में नग्न एवं अर्धनग्न जीवन यापन करते है। सभ्यता की दृष्टि से आदिवासी आज भी प्रारंभिक अवस्था में ही होने के कारण इन्हें वनवासी, गिरिजन, आदिमजाति एवं आदिमानव इत्यादि कई नामों से बुलाया जाता है। इन सभी नामों से ‘आदिवासी’ और ‘जनजाति’ शब्दों का सर्वाधिक व्यवहारीक रूप से प्रयोग वर्त्तमान समय में किया जा रहा है।

एम्पीरियल गजेटियर के अनुसार “एक आदिम जाति परिवारों का एक वह समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता हैं, जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा एक सामान्य क्षेत्र में या तो वास्तव में रहते हैं या अपने को उसी क्षेत्र से संबंधित मानते हैं तथा यह समूह अंतर्विवाही भी होते है।“[1]

आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए किया जाना चाहिए, परंतु संसार के विभिन्न भू-भागों जहाँ अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग क्षेत्रों से आकर लोग बसे हो उसे विशिष्ट भाग के प्राचीनतम अथवा प्राचीन निवासियों के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ इंडियन, अमेरीका के आदिवासी कहे जाते है और प्राचीन साहित्य में दस्यु, निषद आदि के रूप में जिन विभिन्न प्रचातीय समूहों का उल्लेख किया जाता है उसके वंशज भारत में आदिवासी माने जाते है।[2]

अध्ययन के उद्देश्यः-

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये है-

1. आदिवासी समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है।
2. आदिवासी समुदाय के सम्मुख सांस्कृतिक चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. वर्त्तमान समय में आदिवासी समाज की स्थिति का जायजा लेना।

शोध प्रविधिः- प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक शोध सामग्री का प्रयोग किया गया है एवं वर्णानात्मक जनजाति शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

आदिवासी संस्कृति एवं चुनौतियाँः-

आदिवासी संस्कृति के अंतर्गत उनके आचरण, रीति-रिवाज, उनके अनुष्ठान एवं धार्मिक क्रियाकलापों से अवगत होते है। आदिवासियों समुदायों के सांस्कृतिक गतिविधियाँ भिन्न-भिन्न होती है परंतु उनके जीवन में उनकी मान्यताएँ समान होती है। उनकी संस्कृति महासागर के समान होती है जिनमें अनेक छोटी-छोटी नदियाँ आकर विलीन होती है।

भारतीय आदिवासियों (जनजातीयों) की सांस्कृतिक विशेषताएँ इस प्रकार हैः-

अखराः- प्रत्येक जनजातीयों में पर्व-त्योहारों एवं वार्षिक पूजा के लिए गाँव में एक सार्वजनिक स्थल होता है जो गाँव के बीचों-बीच होता है इसे छोटानागपूर के क्षेत्रों में 'अखड़ा' कहते है। आदिवासी पुरूष एवं महिलाएँ 'अखरा' में सामुहिक नृत्य करते है। यह आदिवासियों के संस्कृति की एक झलक प्रदर्शित करती है।

सरना स्थलः- यह आदिवासियों का धार्मिक स्थल होती है जहाँ आदिवासी अपने धार्मिक क्रिया-कलाप करते है एवं प्रकृति देवी को खुश करने के लिए पुजा अर्चना एवं बलि देने का कार्य करते है। मुंडा तथा उराँव जनजाति ग्राम में इस स्थान को 'सरना' कहते है तथा संथाल, हो, खड़िया जनजाति में इस स्थल को 'जहेर' कहते है।

युवागृहः- प्रत्येक जनजातिय ग्राम मे एक युवागृह होता है जहाँ जनजातिय नव युवक-युवतियों को आदिवासी संस्कृति जैसेः- विवाह, पारिवारिक जीवन, नृत्य, संगीत, अस्त्र-शस्त्र चलाना तथा गाँव की सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है। इस युवागृह को विभिन्न जनजाति में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है जैसे- मुण्डा और हो जनजातीयों में 'गिटिओरा', उराँव जनजाति में 'धुमकुड़िया', बोडो जनजाति में 'सोलानी डिगो', भोटिया जनजाति में 'रंग-बंग', नागा जनजाति में 'मोरूंग', गारों जनजाति में 'नोकपाते', भुइया जनजाति में 'धनगरवास' एवं मध्य प्रदेश की गौंड़ जनजाति में इसे 'गोटुल' नाम से जाना जाता है।[3]

मृतक संस्कार एवं ससानदिरी:- आदिवासी संस्कृति में मृतक संस्कार एक अत्यंत अवश्यक संस्कार है क्योंकि आदिवासीयों का मानना हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। आदिवासी आत्मा को बोंगा के नाम से पुकारते हैं, उन्हें भगवान की तरह मानते है और उनकी पुजा करते है। उनके सर्वोच्च देवता का नाम ’सिंगबोंगा‘ है। कुछ आदिवासी समुदायों द्वारा मृतक संस्कार के विधियाँ निम्न प्रकार से है:-

मुंडाओं का विश्वास था कि किसी की मृत्यु होने पर पड़ोसियों तथा निकट सम्बंधियों को सूचित किया जाता था और वे आकर मृतक की अंत्येष्टि की तैयारी करते थे। शव को नहला कर तेल लगा कर अरथी पर सजा दिया जाता था। इस बीच युवा लड़के कब्र खोद कर तैयार करते थे। शव को अरथी पर नये वस्त्र से ढँक कर रखा जाता था। ‘ससान’ के रास्ते अरथी को एक जगह रखा जाता था। मृतक द्वारा उपजाये अन्न के कुछ दाने शरीर के चारों ओर जमीन पर विखेर दिये जात थे। अंततः अरथी को कब्र के निकट रखा जाता था। सभी सम्बंधी हल्दी, चावल, और जल मृतक के मुख में डालते थे। तब शव को कब्र के भीतर बने छोटे कब्र में सिर उत्तर दिशा की ओर कर रख दिया जाता था। एकाध बर्तन और मृतक द्वारा काम में लायी कुछ चीजें शव के दायें रखी जाती थीं। शव को बिना स्पर्श करते हुए लकड़ी का तख्ता रखा जाता था। तख्ते पर चटाई बिछाई जाती थी। कुछ मिट्टी छिड़की जाती थी और उस पर मृतक द्वारा उपजाये अन्न छिड़के जाते थे। तब सभी उपस्थित जन थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालते थे और अंततः युवाजन कब्र को मिट्टी से भर देते थे।[4]

उरांवों के मृतक-संस्कार मुंडाओं से बहुत भिन्न नहीं थे। शव को सफेद वस्त्र से ढक कर श्मशान ले जाया जाता था। नियत स्थान पर पहुँचने पर मृतक को पुनः नहलाया जाता था। निकटतम सम्बंधी कुछ चावल छिड़ कर ताम्बे का पैसा चढ़ाता था। तदुपरांत शव को चिता पर रखा जाता था तेल लगा कर पुनः चावल छिड़कते थे। यह काम माता-पिता, पति अथवा पत्नी द्वारा किया जाता था। शव के जल जाने के बाद मित्र तथा सम्बंधी अस्थि एकत्रित करते थे। इसे मिट्टी के पात्र में रखा जाता था। अस्थि लाते समय मार्ग में अक्षत के दाने गिराये जाते थे, जिसका उद्देष्य था मृतक की आत्मा की वापसी का मार्ग निर्धारित करना। घर पहुँच कर अतिथियों को खिला-पिला कर विदा किया जाता था।

संथाल जनजाति में अंत्यष्टि, अस्थि-विसर्जन तथा श्राद्ध मृत्यु-संस्कार से सम्बद्ध प्रमुख कर्मकांड थे। अंत्येष्टि के अंतर्गत् दाह अथवा दफन की दो विधियाँ थीं। दफन में मृतक की निजी उपयोग की वस्तुएँ यथा पात्र, धनुष, लाठी, वाद्ययंत्र तथा कपड़े उसके साथ दफनायी जाती थीं। उनका विश्वास था कि पारलौकिक जीवन में भी इन वस्तुओं की अवश्यकता पड़ती थी। मुर्गी का चूजा, हल्दी, पुआल बिनौले का लावा इत्यादि के साथ शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता था। जलाते समय चिता उत्तर-दक्षिण दिशा में बनायी जाती थी। मृतक का सिर दक्षिण की ओर रखा जाता था। शव को चिता पर रखने

के बाद चिता की खँटी पर चूजे की बलि चढ़ाई जाती थीं मृतक का प्रमुख उत्तराधिकारी मुखाग्नि देता था। वह क्रमश पुत्र, पौत्र, पिता, भाई, भतीजा अथवा चाचा कोई भी हो सकता था। महिलायें मुखाग्नि नहीं दे सकती थीं। मुखाग्नि के बाद उपस्थित पट्टीदार चिता में एक-एक लकड़ी अथवा कब्र में एक-एक मुट्ठी मिट्टी डालते थे। फिर चिता प्रज्वलित की जाती थी या कब्र को भर दिया जाता था। तदुपरांत सभी उपस्थिततजन मुंडन करवा कर स्नान करते थे। राख को जल में बहा दिया जाता था। मृत्यु के पांचवें दिन तेल-नहान किया जाता था इस अवसर पर सभी वृद्ध जन मृतक के घर मुंडन करा स्नान करने जाते थे। फिर मृतक की आत्मा, पितरों तथा मारांग बुरू के नाम पर तीन व्यक्ति मृतक के घर झूमते-झामते थें मृतक की आत्मा से उसकी मौत का कारण पूछा जाता था और भविष्य में आनेवाल विघ्न-बाधाओं का निवारण जाना जाता था। शाम को छोटे पैमाने पर भोज दिया जाता था। इस अवसर पर एक मुर्गे की बलि दी जाती थी तथा बिना नमक की खिचड़ी परोसी जाती थी। मृतआत्मा को भी दी जाती थी।[5]

ससानदिरी; जनजातीय ग्राम संस्कृति मे ससानदिरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनजातीय जीवन में उनका कब्रगाह भी विशेष महत्व रखता है। कब्रगाह को ये लोग ससान या ससानदिरी कहते है। एक गोत्रीय गांवों में एक ही ससान होता है। मुंडा और हो जनजाति के बीच अस्थि कब्रगाह होता है इसे 'ससान' कहा जाता है। जब किसी मुंडा की मुत्यु अपने भुईहारी गांव से बाहर होती है, तब उसकी अस्थि को अपने मूल गांव के ससान में लाया जाता है। पहले अस्थि कब्रगाह में मृतक की यादगारी में एक पत्थर की पट्टीका रखी जाती थी। इसके लिए ग्राम में संगठन की अवश्यकता होती थी। पट्टिका का आकार मृतक की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता था। आजकल गांव के लोग काम की खोज में बाहर चले जाते हैं तथा संगठन में कमी आ जाने के कारण यह प्रथा प्रभावित हो रही है। पहले साथ-साथ रहने वाले लोग संगठित होकर पहाड़ी पर जाते थे तथा वहाँ से पट्टिका तरास कर लाते थे लेकिन अब उनमें सहयोग की भावना खत्म होती जा रही हैं। इससे ससान संस्कृति प्रभावित हो रही है।[6]

जनजातीयों संस्कृति के समक्ष समस्याः-

किसी भी समाज की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति ही उस समुदाय को एक विशेष पहचान प्रदान करती है। संस्कृति, उस समुदाय के अस्तित्व को मिटने से बचाएँ रखती है और विश्व पटल पर एक विशेष पहचान प्रदान करती है किंतू किसी भी समुदाय के समक्ष उसकी अस्तित्व के समाप्त होने की समस्या उत्पन्न होती है जब उस समुदाय की सांस्कृतिक व्यवस्था पर बाह्य संस्कृति का आक्रमन या बाह्य(अन्य) संस्कृति उस पर हावी होने लगती है। आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं। आधुनिकता और बाहरी प्रभावों के कारण उनकी भाषा, रीति-रिवाज, और पारंपरिक जीवनशैली पर खतरा मंडरा रहा है। कई आदिवासी लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई परंपराएं और मान्यताएं गायब हो रही हैं।

जनजातीय संस्कृति के जो मूल पहचान तत्व हैं उन्हें बाह्य संस्कृति के आगमन के कारण संक्रमण के दौर से गुजरना पड़ रहा है इस लिए जनजातीयों के समक्ष आज पहचान की समस्या उठ खड़ी हुई है हिन्दूकरण, इस्लामीकरण, ईसाईकरण, पश्चिमिकरण, नगरीकरण तथा औद्योगीकरण प्रक्रियाओं के कारण भी उन्हें सांस्कृतिक पहचान की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब जनजातियां जनजातियां न होकर हिन्दू, जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई हो गए हैं। जैन, बौद्ध, मुसलमान तथा ईसाई जनजातीयों को लोग जनजाति न कहकर उन्हें इन धर्म के नाम से पहचाना करते है।

निष्कर्ष:-

आदिवासी समुदायों की भूमि पर हमेशा से बाहरी ताकतों के अधिन रहा है। गैर आदिवासी लोगो की सरकार, उद्योग, और निजी कंपनियां आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं, जिसके कारण आदिवासियों को अपनी पारंपरिक भूमि से वंचित होना पड़ता है। इससे न केवल उनकी आजीविका प्रभावित होती है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में पड़ जाती है आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति बहुत कमजोर है। कई आदिवासी इलाके दूर-दराज़ में स्थित हैं, जहाँ शिक्षा सुविधाएं बहुत सीमित हैं। इसके कारण आदिवासी बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, और यह उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और भी खराब करता है।

संदर्भ ग्रंथ:-

1. एम्पीरियल गजेटियर
2. हिन्दी विश्वकोष खंड 1, प्रधान सं0, कमलापति त्रिपाठी पृ0 संख्या - 370
3. पाण्डे गया, भारतीय जनजातीय संस्कृति, कंसैप्ट पब्लिषिंग, नई दिल्ली, 2007, पृ0 संख्या - 301
4. वीरोत्तम बी0, झारखंडः इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2004, पृ0 संख्या - 460-461
5. वही पृ0 - 472-473
6. पाण्डे गया, भारतीय जनजातीय संस्कृति, कंसैप्ट पब्लिषिंग, नई दिल्ली, 2007, पृ0 संख्या- 299

बदलते परिवेश और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य : चुनी हुई कहानियों के सन्दर्भ में

अयाना शाइन थॉमस
Sree Sankaracharya University ofSanskrit, Kalad
Email : ayanashinethomas85@gmail|com

समय के साथ समाज और परिवेश बदलता रहता है। भारतीय समाज दिन-ब-दिन विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नब्बे के दशक के बाद से देश के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन होते आए हैं। देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों में कई तरह के बदलाव हुए। व्यक्ति और समाज दोनों ही इससे प्रभावित हुए। इन बदलते परिवेशों ने बच्चों के जीवन को विविध रूपों में प्रभावित किया है। हर व्यक्ति का बचपन उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश और वातावरण के अनुसार होता है।“वातावरण से अभिप्राय व्यक्ति के जीवन-स्थान (life-span) से है अथवा उन मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से, जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार बालक या व्यक्ति की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति से उसका व्यक्तित्व, भूमिका, सोचने का तरीका एवं चरित्र प्रभावित होता है, उसी प्रकार विद्यालय, कार्यालय, व्यवसाय आदि भी उसकी भूमिका को बहुत प्रभावित करते हैं।”[66] भूमण्डलीकरण के प्रभाव के कारण लोग पाश्चात्य संस्कृति और बाजारीकरण की ओर आकृष्ट हुए ,जिसके फलस्वरूप हमारे समाज और संस्कृति में बदलाव आने लगे ।इसका प्रभाव देश के सामाजिक ,सांस्कृतिक ,राजनितिक ,धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है । तकनीकी क्षेत्र में हुए विकास और ब्रांड संस्कृति ने नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित किया । बदलते मानवीय मूल्यों और संस्कृति के कारण समाज और परिवारों में विघटन होने लगा है । देश की युवा पीढ़ी सोशल मिडिया ,तकनीक और नशे की गिरफ्त में आ चुकी है ।बालक का सामाजिक जीवन परिवार से आरंभ होता है। घर, स्कूल आदि बच्चों के सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि होते हैं। इसलिए इन्हीं परिवेशों का उनके व्यक्तित्व विकास और मानसिक विकास में अहम योगदान होता है।

साहित्य अपने समसामयिक समाज और परिस्थितियों को अंकित करता है। समाज में मौजूद विविध समस्याओं के वैचारिक और भौतिक रूप को अपने पाठकों के सामने लाने का कार्य प्रतिबद्ध

[66]डॉ. वंदना सिंह-मानवीय विकास के विविध आयाम-पृ.सं.-18-19

साहित्यकार करता है। "साहित्य का विषय है मनुष्य, उसका मन, उसकी संवेदनाएँ, उसकी आकांक्षाएँ, उसकी अतृप्ति। मनुष्य के भीतर और बाहर जानने का प्रयास मनोविज्ञान करता है। आज का साहित्य तो इस कदर आगे बढ़ गया है कि उसमें अर्द्ध-चेतन और अति-चेतन की अभिव्यक्ति होती है।"[67]आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हमारी जीवनशैली भी बदल रही है। हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्य भी बदलने लगे हैं। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अभिभावक बच्चों को मॉडर्न स्कूलों में भेजने लगे हैं। सोशल स्टेटस बनाए रखने के लिए बड़ी रकम देकर वहाँ बच्चों का दाखिला कराया जाता है। लेकिन ऐसे स्कूलों में बच्चों पर अत्यधिक शैक्षणिक दबाव डाला जाता है। ज़्यादातर बच्चे इस तरह के दबाव को संभाल नहीं पाते। शैलेन्द्र सागर की कहानी 'आमीन' में भी ऐसे ही एक स्कूल का वातावरण चित्रित किया गया है, जहाँ अनुशासन के नाम पर बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। यूनिफॉर्म सही से न पहनने और अंग्रेज़ी में बात न करने पर बच्चों को सबके सामने सज़ा दी जाती है। प्रिंसिपल छात्र को असेंबली में खड़ा करके कहते हैं -"तुम्हारे पेरेंट्स कितने लापरवाह हैं। यूनिफॉर्म पर कोई ध्यान नहीं है। बस अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाने का शौक है। अपना स्टेटस जो बढ़ाना है। बच्चा सेंट मैरीज में पढ़ता है - भले ही तमीज़ रत्ती भर की न हो।।।"[68] इस तरह का अपमान बच्चों में शर्मिंदगी, आघात, पीड़ा, आशंका और भय उत्पन्न करता है। ऐसी घटनाएँ उनके मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक विकास और आगे चलकर उनके चरित्र निर्माण को भी प्रभावित करती हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर स्कूलों में जो बदलाव हुए हैं, उससे हमारी संस्कृति और मूल्यों का लोप हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र आजकल व्यवसाय बन चुका है। कहानी में शाश्वत के एडमिशन के लिए सिफारिश लेकर जाने के बावजूद, उसके माता-पिता का इंटरव्यू, उनकी शैक्षिक योग्यता, बच्चे की परीक्षा आदि के बाद ही दाखिला मिलता है। कहानी में एक अध्यापक बच्चों को ज़बरदस्ती उनका जन्मदिन मनाने के लिए बाध्य करते हैं और छात्रों से मिले उपहारों के आधार पर भेदभाव करते हैं। कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं, जो पढ़ाई में कमजोर बच्चों का मज़ाक उड़ाते हैं और जबरदस्ती उनसे फीस लेकर स्पेशल ट्यूशन के लिए बुलाते हैं। अध्यापकों द्वारा इस तरह का व्यवहार बच्चों पर बुरा प्रभाव डालता है। स्कूल में ऐसा माहौल बनाए रखना चाहिए, जो उनके चरित्र निर्माण और मानसिक विकास के लिए अनुकूल हो। लेकिन यहाँ स्कूल मैनेजमेंट या अध्यापकों द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। अनुशासन के नाम पर कड़े नियमों और सख्त व्यवस्थाओं के कारण बच्चों के मन में डर पैदा होता है। इस तरह के माहौल में बच्चे अपने आप में सिमट जाते हैं और संकुचित महसूस करते हैं। "अगर कोई छात्र ऐसे छात्रों के बीच रहता है जो अधिक तनावपूर्ण एवं चिंतित इसलिए रहते है कि वे तरह –तरह के प्रतियोगिता से घिरे रहते हैं ,तो उसका परिणाम यह होता है कि वह छात्र भी धीरे –धीरे संवेगिक रूप से अस्थिर हो जाता है और उसमें भी चिंता एवं

[67]डॉ.जयश्री शिंदे-मनोविज्ञान के कटघरे में हिंदी कहानी- पृ.सं.-10

[68]शैलेन्द्र सागर-आमीन-पृ.सं.-9

तनाव करना एक जीवन –शैली बन जाता है। दूसरे तरफ यदि स्कूल का संवेगिक वातावरण यदि हितकर(wholesome)होता है और चूँकि स्कूल में छात्रों को अनेकों वर्षों तक रहना पड़ता है ,इसलिए ऐसा वातावरण उनमें अपने विशिष्ट घरेलु वातावरण के कारण उत्पन्न किसी प्रतिकूल एवं अवांछित संवेगिक पैटर्न को दूर करने में भी मदद करता है ।इस तरह से हितकर संवेगिक वातावरण का छात्रों के व्यक्तित्व पर चिकित्सकीय प्रभाव (therapeutic effect)भी पड़ता है।"[69] मॉडर्न स्कूलों के इस तरह के वातावरण और उनके बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को शैलेन्द्र सागर ने अपनी कहानी के माध्यम से चित्रित करने की कोशिश की है।

किशोरावस्था के बच्चे स्कूल और सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं। उनका सामाजिक जीवन इन्हीं परिवेशों से ज़्यादातर जुड़ा होता है। इस उम्र के बच्चों की परवरिश सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि यह विकास की वह अवस्था होती है, जो उन्हें उनके आगे के जीवन के लिए तैयार करती है। इस उम्र के बच्चे जीवन के प्रति उत्साहित रहते हैं और अपने आपको वयस्क समझते हैं। उन्हें फैशन, सिनेमा, तकनीक, सोशल मीडिया, नशा, यौन संबंधी बातें आदि में दिलचस्पी रहती है। चंदन पांडेय की कहानी 'सिटी पब्लिक स्कूल वाराणसी' में इसी उम्र से गुज़र रहे बच्चों का चित्रण किया गया है। कहानी में तरुण और कुछ बच्चे मिलकर ब्लू फिल्म देखने लगते हैं। इसके प्रति लत लगने के कारण वे स्कूल की कंप्यूटर लैब में, कक्षा के बीच में ही इसे देखने लगते हैं। इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद प्रिंसिपल उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट को बच्चों के नैतिक विकास से ज़्यादा इस बात की चिंता होती है कि कहीं बच्चे स्कूल न बदल लें और उनकी फीस नष्ट न हो जाए। इस बात से अवगत होने के कारण बच्चे इस तरह की गलतियाँ करने से नहीं डरते। जब गलती करने पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती, तो इससे बच्चे और अधिक प्रोत्साहित होते हैं।"अजित सर एट हिज मैक्सिमम विल डू जीरो हार्म टू अस। बस थोड़ी डाँट पड़ सकती है। घर पर शिकायत भी नहीं जाएगी, क्योंकि इससे आफ्टर ऑल स्कूल की ही इमेज खराब होगी।"[70] गलतियों को न सुधारने के कारण बच्चों की मानसिकता ऐसी बन जाती है कि वे अनुशासनहीनता को सामान्य मानने लगते हैं।स्कूल में परीक्षा के समय पढ़ाई में तेज़ सुजीत के साथ तरुण को बिठाया जाता है, ताकि वह फेल न हो जाए। प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की घटनाएँ आम हो गई हैं, जिससे बच्चों को मेहनत करने के बजाय अनुचित तरीकों का सहारा लेने की आदत पड़ जाती है।अभिभावक और अध्यापक बच्चों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। "स्पष्ट हुआ कि कई तरह के शैक्षिक निर्धारक(educational determinants) हैं जिनका व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इन निर्धारकों से व्यक्ति का आत्म –संप्रत्यय सीधे प्रभावित होता

[69]अरुण कुमार सिंह-व्यक्तित्व का मनोविज्ञान-पृ.सं.-72

[70]चन्दन पाण्डेय-भूलना-पृ.सं.-140

है तथा उसमें प्रभाव के अनुरूप अनुकूल या प्रतिकूल शील्गुण विक्सित होते हैं। इन निर्धारकों में आरंभिक स्कूली अनुभूतियाँ ,शैक्षिक संस्थान का संवेगिक वातावरण ,शैक्षिक सफलता ,पाठ्यक्रमेत्तर क्रियाएं(extracurricular activities) ,शिक्षक की मनोवृति तथा व्यवहार तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है।"[71] तरुण की माँ, प्रिंसिपल की पत्नी से बात करके उसे पास करवाती हैं और परीक्षा व असाइनमेंट में भी उसे विशेष मदद मिलती है। इस तरह की व्यवस्था होने से तरुण को अपनी क्षमताएँ बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता, जिसके कारण वह ज़िद्दी, अहंकारी, आत्मकेंद्रित और स्वार्थी हो जाता है। माता-पिता और अध्यापकों की उपेक्षा के कारण ही तरुण ऐसा बनता है। आजकल ज़्यादातर एकल परिवारों में कामकाजी माता-पिता बच्चों की पढ़ाई और परवरिश पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। वे बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में असफल हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में विभिन्न प्रकार की मानसिक विकृतियाँ जन्म ले रही हैं। ब्लू फिल्में और नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध होने के कारण बचपन से ही बच्चों में इनकी लत लगने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें यौन शिक्षा दी जानी चाहिए और नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाना चाहिए। कहानीकार ने बच्चों के बीच बढ़ती इन्हीं प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया है। इसके साथ-साथ उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नकारात्मक पक्ष को भी उजागर किया है।

आजकल बच्चे किसी भी परिवेश में सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वह ग्रामीण हो या महानगरीय। शहरों में ऐसे लोग भी हैं, जो अपनी दैनिक रोज़ी-रोटी तक नहीं कमा पाते, जिससे वे बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में असफल होते हैं। ऐसे बच्चे भीख माँगते हैं, बाल मज़दूरी करते हैं और मानसिक व शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं। कई गैर-सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएँ ऐसे बच्चों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करती हैं।मधु कांकरिया की कहानी 'फाइल'में कोलकाता की एक ऐसी संस्था का चित्रण किया गया है, जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है, जो बाल श्रम, यौन शोषण के शिकार हुए हैं या नशीले पदार्थों की लत से ग्रस्त हैं। कहानी की पिंकी यौन शोषण की शिकार थी। उसकी माँ सोनागाछी में वेश्यावृत्ति करती थी, और उसकी माँ के ग्राहकों ने ही उसका बलात्कार किया।11 से 14 वर्ष की उम्र तक उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ। जिसका सदमे से वह अभी भी मुक्त नहीं हो पायी है और उसके अंतर अपनी माँ के प्रति गुस्सा और घृणा भरा हुआ है।किसी ने जब उससे उसकी माँ के वेश्या होने के बारे में पूछा, तो पिंकी ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। संस्था में वापस आने के बाद भी, वह पूरी तरह से इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। ऐसे परिवेश में पली-बढ़ी होने के कारण उसकी वेशभूषा, चाल-ढाल, हाव-भाव और भाषा सब कुछ उसकी माँ की

[71] अरुण कुमार सिंह-व्यक्तित्व का मनोविज्ञान-पृ.सं.-81

दी हुई परवरिश का प्रतिबिंब थे।धीरे-धीरे उसके भीतर का प्यार, दया और ममता बाहर आने लगे। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी के बारे में फाइल में रिपोर्ट लिखने के लिए पूछा गया, तो पिंकी भावुक हो गई, क्योंकि उसके लिए फाइल उसका बीता हुआ अतीत थी, जिसे वह भूलना चाहती थी। "अब कैसे समझाऊ आपको कि जितना नुक्सान मेरी माँ ने मेरा नहीं किया उससे ज्यादा फाइलों के इन खुले जबड़ों ने किया है । निगल ली हैं इसने मेरी साड़ी खुशियाँ । आप इज्जत की डाल पर झूलते लोग क्या कभी सोच भी सकते हैं यह सत्य कि 11 से 14 वर्ष तक मेरा कई बार बलात्कार हुआ, जब तक इन फाइलों में दर्ज रहेंगा ,समझ लीजिये यह मेरे माथे पर दर्ज रहेंगा।"[72] क्योंकि उसके प्रेमी ने उसकी फाइल पढ़कर उसे छोड़ दिया था। इस तरह यौन शोषण की शिकार हुई बच्चियाँ ज़िंदगीभर इस आघात से मुक्त नहीं हो पातीं। हमारे समाज में ऐसे कई लोग मिल जाएँगे, जो मानसिक रूप से इस तरह के सदमे के साथ जी रहे हैं।बचपन में हुई ऐसी घटनाएँ बच्चों के मानसिक विकास में बाधा बन सकती हैं। उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी, असम्बद्ध ,असुरक्षित और समस्याग्रस्त हो सकता है। केरेन होर्नी के व्यक्तिव सिद्धांत के अनुसार ऐसी वातावरण में जीने वाले बच्चों में मूल चिंता हो सकती है। "इसका स्वाभाविक परिणाम ऐसा होता है कि उनमें विद्वेष(hostility) विकसित हो जाती है जिसका कारण वे दूसरों के प्रति आशंकित रहते हैं जो धीरे –धीरे उन्हें दूसरों के प्रति आक्रमक बना देता है। उनमें दोष भाव(guilt feeling) विकसित हो जाता हैं जिसका पहले तो वे दमन कर देते हैं परन्तु बाद में इससे उनमें चिंता(anxiety) विकसित हो जाता है। इस तरह से होर्नी के अनुसार मूल चिंता विकसित होने का कारण एक ऐसा घरेलु वातावरण बतलाया गया है जिसमें माता –पिता एवं बच्चों के संबद्ध में सच्चा प्यार एवं स्नेह की कमी होती है।"[73] हमारे संविधान में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान हैं और यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानून भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे हमारे समाज में सुरक्षित नहीं हैं।उसी संस्था का भोला, जो नशीले पदार्थों का आदी था, जब उसे नशा नहीं मिलता, तो डेनड्राइड तक पी लेता था। इस तरह, अनाथ और उपेक्षित बच्चे अक्सर नशे और अपराध की राह पर चल पड़ते हैं।प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मधु कांकरिया ने महानगरीय जीवन के विभिन्न परिवेशों में संघर्ष कर रहे बच्चों का चित्रण किया है। पिंकी उन अनगिनत लोगों की प्रतिनिधि है, जो यौन शोषण का शिकार होकर उस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं।

देश की बदलती परिस्थितियों ने लोगों के जीवन मूल्यों और नज़रिए को भी बदल दिया है। बच्चे अब अपने परिवार में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बाल विकास और उनकी समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान करने का पर्याप्त प्रयास नहीं किया जाता। कैलाश सत्यार्थी लिखते हैं:

---

[72]मधु कांकरिया-चिड़िया ऐसा मरती है-पृ.सं.-11

[73] अरुण कुमार सिंह-व्यक्तित्व का मनोविज्ञान-पृ.सं.-229

"दरअसल, हमारे समाज का ताना-बाना वयस्कों, खासकर मर्दों की सुख-सुविधाओं, ज़रूरतों, रुचियों और अधिकारों को ध्यान में रखकर बना है। इसी के इर्द-गिर्द घूमती है हमारी राजनीति, कानून, पढ़ाई, चिकित्सा और यहाँ तक कि आमदनी और संसाधनों का बंटवारा भी। स्वाभाविक तौर पर न तो हम बच्चों के अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं और न ही उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं।"[74] समकालीन कहानीकारों ने विविध परिवेशों में संघर्ष कर रहे बच्चों के व्यक्तित्व विकास, उनकी मानसिकता और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने बच्चों के भीतर की विभिन्न भावनाओं और मनोविकारों का चित्रण किया है।आधुनिकीकरण के दौर में आज के बच्चे टेक्नोलॉजी और मीडिया के गुलाम बन चुके हैं। इनमें अशिक्षित ग्रामीण बच्चे, भीख माँगने वाले बच्चे, अनाथ और उपेक्षित बच्चे, बाल मज़दूरी करने वाले बच्चे, शारीरिक शोषण के शिकार बच्चे और नशीले पदार्थों के सेवन के लिए विवश बच्चे शामिल हैं। कई बच्चों का बचपन अकेलेपन और मानसिक तनाव में बीतता है। गरीबी, अशिक्षा और नशे की लत के कारण कई बच्चे बाल मज़दूरी या बाल अपराध की राह पर चल पड़ते हैं। इस प्रकार, समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ बच्चों के शारीरिक और मानसिक शोषण का कारण बनती हैं।इस तरह का उपेक्षित बचपन हमारे देश के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। इस विषय पर देश और समाज को जागरूक होना चाहिए।

[74]कैलाश सत्यार्थ-आज़ाद बचपन की ओर-पृ.सं.-162

पूर्णियाँ की आर्थिक समस्या एक बुनियादी मुद्दा

विनीता कुमारी
शोधार्थी, इतिहास विभाग, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय,
ई-मेल - kumarivinitaa@gmail.com

सारांश

ऐतिहासिक धरोहर से परिपूर्ण पूर्णियाँ जिला का गौरव भारत देश के एक अलग परिचय को दृष्टिगोचर करती है। प्राचीन समय में यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। गुलामी के जंजीरो की जकड़ने के साथ ही हमारे संसाधनों का ह्रास प्रारंभ हो गया था। स्वतंत्रता पश्चात् आर्थिक स्थिति के जर्जरता में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित हुई, जो स्थिति को सुव्यवस्थित करने में अहम बुनियादी कदम साबित हुई है।

पूर्णियाँ की आर्थिक समस्या कई मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण ना कर पाने के कारण एक बुनियादी मुद्दा बनता रहा है। आर्थिक समस्या तभी उत्पन्न होता है जब अर्थव्यवस्था का सीमित संसाधन मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण ना कर सके। इस समस्या को बुनियादी मुद्दा मानकर कई सरकारी तथा गैर-सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है तथा समय-समय पर होता आ रहा है। आर्थिक समस्याओं से जुड़े कुछ अहम मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी, आय असमानता, भ्रष्टाचार, कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ, निर्यात संबंधी चुनौतियाँ, प्राद्योगिकी का निम्न स्तर, भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक विकास में मंदी आदि हैं। आर्थिक समस्या के निदान के लिए सीमित तथा दुर्लभ संसाधन के ह्रास को कम करना, संसाधन का वैकल्पिक प्रयोग, 'क्या उत्पादन करना है? उत्पादन कैसे करना है? उत्पादन किसके लिए करें?' जैसे बातों से मानव समाज को अवगत करवा कर जागरूक किया जाना चाहिए।

सूचकांक शब्द: आर्थिक समस्या, अर्थव्यवस्था, आवश्यकता, विकास, उत्पादन व बुनियादी मुद्दा।

पूर्णियाँ जिला के विकास के इतिहास में 'कालापानी' कहे जाने से लेकर 'मिनी दार्जिलिंग' कहे जाने तक के सफर में कई विकासशील परिवर्तन को देखा गया है। पूर्णियाँ में मिश्रित अर्थव्यवस्था की मदद से आर्थिक स्थिति को सुधारा जाना ही मानव कल्याण की राह में एक अहम कार्यगर प्रयास हैं। आर्थिक समस्या का विस्तृत रूप मानव समाज में एक अलगाव पैदा कर पूर्णियाँ को जर्जरता की और आसानी से अग्रसर कर मंदी व अराजकता का एक विकराल रूप धारण कर सकता है।

आर्थिक समस्याओं से जुड़े कुछ मुख्य बुनियादी मुद्दों में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, अशिक्षा, निर्यात संबंधी चुनौतिया व अजागरूकता आदि शामिल हैं। अर्थशास्त्र में मूलभूत समस्या संसाधनों की कमी के साथ-साथ असीमित इच्छाओं की समस्या भी हैं। असीमित इच्छाओं को शिक्षा तथा जागरूकता के माध्यम से ही सीमित तथा दुर्लभ संसाधनों के ह्रास को बचत की तरफ संरक्षित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति कम आय, कृषि पर व्यापक निर्भरता, बेरोजगारी, अविकसित बुनियादी ढ़ाँचे और आय व धन में विशाल असमानता आदि कारण पूर्णियाँ में आर्थिक समस्या के मुख्य कारण हैं। आर्थिक समस्या को बुनियादी मुद्दा मानकर ही अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। आजादी से वर्तमान तक स्थिति में बहुत सुधार देखा गया है। आर्थिक समस्या का एकाएक तो नहीं समय के साथ-साथ अंत कुछ हद तक अवश्य ही संभव है।

पूर्णियाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हैं। यहाँ के अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता के कारण जूट की पैदावार काफी उन्नत किस्म की होती है। पूर्णियाँ की अर्थव्यवस्था को जूट का योगदान काफी सुदृढ़ बनाता है। बनमनखी में चीनी मिल व अन्य लघु उद्योग पूर्णियाँ के लोगों को रोजगार प्रदान कर यहाँ के आधारभूत संरचना को विकसित किया परन्तु चीनी मिल बंद होने से किसानी गन्ना बेचने में असमर्थ हो गये, जिस कारण गन्ना की खेती से जुड़े 25000 किसान की संख्या घटकर 200 से भी कम रह गयी। पूर्णियाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 31 से भारत के विभिन्न राज्यों के साथ जुड़े होने के कारण व्यापार क्षेत्र में कुछ सुगमता को देखा गया है। यहाँ की रेलवे नेटवर्क में उन्नति के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति हुई है। मखाना का पैदावार भी यहाँ काफी विस्तृत तौड़ पर होती है, जिसका निर्यात अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती हैं। पूर्णियाँ के अर्थव्यवस्था में कुछ पर्यटक स्थल जैसे- माता पूरण देवी की प्राचीन मंदिर, जलालगढ़ का किला व काझा कोठी का अहम योगदान है। पूर्णियाँ की कृषि क्षमता काफी अच्छी है। यहाँ किसान द्वारा उपयोग की जाने वाली कुल कृषि योग्य भूमि 175728 एकड़ है, जिस पर सालाना 806675 टन विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। 250 साल से बसे मारवाड़ी समाज पूर्णियाँ को व्यापारिक केन्द्र बना दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा ने पूर्णियाँ प्रमण्डल के लिए ऐतिहासिक विकासशील योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 580.87 करोड़ रूपया से अधिक की 62 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अगर दूसरी ओर देखा जाये तो सकल जिला घरेलू उत्पादन के मामले में वर्तमान में पूर्णियाँ का राज्य में 25वाँ स्थान है। जिले में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) 23575 रू० है जो राज्य के औसत 31522 रू० से काफी कम है। यहाँ 56 फीसदी परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। 90 फीसदी ग्रामीण गरीबी का दंश झेल रहे हैं। वित्तीय समावेशन का स्तर 80 फीसदी है।

इन सभी डाटा के आधार पर पूर्णियाँ के आर्थिक स्थिति के स्वरूप को देख सकते हैं।

अध्ययन की आवश्यकता:

किसी भी स्थान की आर्थिक समस्या का समाधान किये बिना वहाँ का विकास असंभव होता है। विकास के सभी क्षेत्र में आर्थिक स्थिति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जन समाज को प्रभावित करती ही हैं। पूर्णियाँ के विकास के लिए जन समाज को आर्थिक स्थिति से अवगत करवाकर ही आर्थिक समस्या से जुड़े बुनियादी मुद्दे का निदान संभव है। इस शोध का लक्ष्य पूर्णियाँ जिल के बेहतर भविष्य को प्रज्वलित करने में दिशानिर्देशित करना है।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य:-

1. आर्थिक समस्याओं से संबंधित मुद्दे से परिचित रहना तथा निदान के उपायों की जानकारियों से अवगत रहना।
2. अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के राह में सरकारी तथा गैर-सरकारी गतिविधि द्वारा व्यावसायिक माहौल तैयार करना।
3. अर्थव्यवस्था के सीमित संसाधन तथा मानव की असीमित आवश्यकताओं में अंतर को स्पष्ट करना।
4. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
5. उपभोग और निवेश मांग को बढ़ावा देना चाहिए।
6. नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
7. खाद्यान्न तथा अन्य उत्पादन में पूर्णियाँ को आत्मनिर्भर कर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व का बोध करवाना, जिससे एक जागरूक भविष्य का बीजारोपण हो सके।

स्वतंत्रता पूर्व पूर्णियाँ की आर्थिक स्थिति:

पूर्णियाँ की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान भी मुख्यतः कृषि प्रधान रही थी, यहाँ के ज्यादा लोग गाँवों में निवास करते थे, अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर थे। इसके बावजूद भी कृषि विकास में ठहराव और अप्रगति होने का ही अनुभव रहा। भू-राजस्व वसूली के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा लायी गई जमींदारी व्यवस्था ने कृषि विकास को एकदम ठप्प सा कर दिया था। इसके अलावा कृषि का वाणिज्यीकरण, निवेश और कल्याणकारी उपायों की उपेक्षा और जानलेवा कर उगाही जैसे कदमों ने भारतीय कृषि का सत्यानाश ही कर दिया। अंग्रेज प्रशासक मेक्स इलेट ने पूर्णियाँ जिले के बड़हरा कोठी प्रखण्ड में किसानों पर दबाव बनाकर वर्ष 1769 में 1400 एकड़ में नील की खेती शुरू करवा कर जमीन की उर्वरकता को नष्ट कर डाला। आज भी वहाँ नील कारखाना के भग्नावशेष देखा जा सकता है। पूर्णियाँ अपनी अनुकूल जलवायु के लिए जाना जाता रहा है इसी कारण यहाँ की कृषि व्यवस्था काफी उत्तम रही हैं। इस सब के बाद भी अंग्रेजों के शासन काल में यहाँ का भरपूर शोषण

ही हुआ। इस काल में पूर्णियाँ की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय रही, कोई खास विकास देखने को नहीं मिला।

स्वतंत्रता पश्चात् पूर्णियाँ की आर्थिक स्थिति:

स्वतंत्रता पश्चात् पूर्णियाँ की आर्थिक स्थिति में काफी अद्भूत बदलाव को देखा जा सकता है। आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में चमत्कारी परिवर्तन देखा गया, जिससे अर्थव्यवस्था को काफी सुदृढ़ता मिली। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर भूमि सीमा अधिनियम बनाया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन के मामले में लोग आत्मनिर्भर बने। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उदारीकरण व निजीकरण की अहम भूमिका रही है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने अनुसंधान एवं विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों का समर्थन करने के पूर्णियाँ में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की ओर कई सकारात्मक कदम उठायी है। जलवायु परिवर्तन और पर्यायवरणीय क्षरण को कम करने के लिए हरित नीतियाँ अपनायी गई, जिससे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। प्रति व्यक्ति कम आय, विशाल जनसंख्या, कृषि पर व्यापक निर्भरता और बेरोजगारी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण हैं, जिसके निदान के लिए कई सकारात्मक कार्यों का संपादन किया गया। जिस क्षेत्र में सरकारी तथा गैर-सरकारी योजनाओं का अहम योगदान रहा है।

गुलाबबाग की मंडी बिहार ही नहीं भारत में भी अहम पहचान रखती हैं। यह मंडी पूर्णियाँ के अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जा सकती हैं। यहाँ के पर्यटक स्थल में काझा कोठी, माँ पूरण देवी का मंदिर व जलालगढ़ का किला की भी अहम भूमिका रही है। पूर्णियाँ में एयरपोर्ट बन रहा है, जिसे स्टेट आफ द आर्ट एयरपोर्ट बनाया जाना है। इस विकासरूपी कार्य से पूर्णियाँ के अर्थव्यवस्था को काफी सुदृढ़ता मिल रही है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो बेरोजगारी में कमियाँ आयेंगी। पूर्णियाँ के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए चीनी मिल का पुनः स्थापना करनी होगी। जूट व्यवसाय के क्षेत्र में भी कारखानों तथा कंपनियाँ की स्थापना करनी होगी क्योंकि जूट पूर्णियाँ की मुख्य नकदी फसल हैं। पूर्णियाँ के पास ना संपदा व ना भू-भाग की कमी हैं। यहाँ के विस्तृत भू-भाग पर व्यवस्थित ढंग से जूट, केला व गन्ना आदि की कृषि कर स्थानीय क्षेत्र में ही फैक्ट्रियाँ की स्थापना की जा सकती हैं, जिसके लिये इस क्षेत्र में सरकारी सहयोग की आवश्यकता हैं। स्वतंत्रता पश्चात् आर्थिक स्थिति में कुछ सकारात्मक सुधार आयी हैं।

आर्थिक समस्या एक बुनियादी मुद्दा क्यों?

पूर्णियाँ के विकास के मार्ग में अवरोध का मूल्य कारण आर्थिक समस्या हैं। पूर्णियाँ के विकास के लिए इस समस्या को बुनियादी मुद्दा मानकर ही इस दिशा में कारगर कदम उठा कर सफलता पायी जा सकती हैं। आर्थिक समस्या का मुख्य कारण गरीबी, बेरोजगारी, निर्यात संबंधी चुनौतियाँ, भू-राजनीतिक

तनाव, आर्थिक विकास में मंदी, कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ अवसंरचना घाटा, भ्रष्टाचार, आय असमानता व प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर आदि हैं। जिसका असर अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर रहा है।

पूर्णियाँ में जूट उत्पादन एक महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इस दिशा में सरकार को निर्यात व्यवस्था सुदृढ़ कर कई कारखानों तथा कंपनियों की स्थापना करनी चाहिए थी। चीनी मिल का भी बंद होने का कारण अव्यवस्थित व्यापार प्रणाली ही थी। किसी भी स्थान के अर्थव्यवस्था को तभी सबल बनाया जा सकता है जब आयात में कमी निर्यात में बढ़ोत्तरी हो। इस दिशा में कल-कारखानों की स्थापना होती तो रोजगार के द्वारा खुलते। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में लगभग 500 अभ्यासरत चिकित्सा पेशेवर हैं, जिस क्षेत्र में कुछ सुधार के साथ ट्रामा सेन्टर, मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल व मेडिकल के जरिये रोजगार प्रदान किये जा सकते हैं। सकल जिला घरेलू उत्पादन में पूर्णियाँ का 25वाँ स्थान राज्य में रहा है, जिससे स्थिति को समझा ही जा सकता है। सम्पूर्ण संसाधन के बावजूद अवसर तथा रोजगार के अभाव में पूर्णियाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

आर्थिक क्षेत्र में सरकारी सहयोग:

- पूर्णियाँ में मेडिकल कालेज का निर्माण किया गया है।
- कृषि के व्यापक विकास के लिए सरकार द्वारा साल 2007 में राष्ट्रीय कृषक नीति लाई गयी।
- सिंचाई की समस्याओं को दूर करने के लिए ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है।
- कृषि उत्पादों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए इ-नैम व्यवस्था और APMC एक्ट भी लाया गया है।
- एयरपोर्ट की व्यवस्था की जा रही हैं।
- कृषि में जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी क्रियान्वित किया जा रहा है।
- रेलवे स्टेशन के विकास में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य संपादित किया गया है।

निष्कर्ष:

पूर्णियाँ की आर्थिक समस्या का समाधान कर जन-समाज में हरियाली लायी जा सकती हैं। आर्थिक समस्या को बुनियादी मुद्दा मानकर इसका समाधान करना चाहिए। आर्थिक समस्या सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। अर्थशास्त्र में मूलभूत समस्या संसाधनों की कमी के साथ-साथ असीमित इच्छाओं की समस्या भी हैं। जनकल्याण के लिए जनता को स्वयं जागरूक होना होगा, सरकारी तथा गैर सरकारी मदद इस दिशा में एक पथ निर्देशित करती है, जिस पर

स्वयं चलना है। जनता को जागरूक होकर सीमित तथा दुर्लभ संसाधन के महत्व को समझना होगा। गरीबी उन्मूलन और सतत् आर्थिक और सामाजिक विकास प्राप्त करने के लिए उत्पादक रोजगार के अवसरों का सृजन जरूरी है। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है जो पूर्णियाँ ही नहीं देश की भी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

आर्थिक समस्या के समाधान के लिए 3 बातों को समझना अति आवश्यक है:-

i. क्या उत्पादन किया जाये और कितनी मात्रा में किया जाय?
ii. उत्पादन कैसे किया जाए?
iii. उत्पादन किसके लिए किया जाए?

इन बातों को समझकर एक व्यवस्थित कार्य-प्रणाली का पोर्टफोलियो तैयार किया जाना चाहिए जो अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में काफी मददगार सिद्ध होगी। अनन्तः मानवीय आवश्यकता और सीमित या दुर्लभ संसाधन ही आर्थिक समस्या को जन्म देता है। पहले इनका समाधान करना अति आवश्यक है। आर्थिक समस्या का समाधान गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निर्यात संबंधी चुनौतियाँ, भू-राजनीतिक तनाव, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर व आय असमानता आदि का निदान करके ही संभव है।

निष्कर्ष:

शोध का मुख्य उद्देश्य पूर्णियाँ के आर्थिक समस्या के स्वरूप से लोगों को अवगत करवाना है, जिस माध्यम से पूर्णियाँ के विकासरूपी पहल से सभी परिचित हो सके।

संदर्भ सूची:

1. Lewis Sydney Steward O'Malley, Bengal District Gazetteers : Purnia, Concept Publishing Company, 2011
2. P. C. Roy Choudhary, Bihar District Gazetteer : Purnia, Superintendent Secretariat Press, Bihar (Patna), 1963
3. District Census Handbook : Purnia, Directorate of Census Operations, Bihar 2011
4. विभिन्न पत्र-पत्रिकाएँ
5. जिला आपदा प्रबंधन योजना, पूर्णियाँ रिपोर्ट – 2022
6. https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/purnia/bihar-news-nitish-kumar-pragati-yatra-expectation-of-industrial-revolution-in-purnia-division/articleshow/118537578.cms

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

7. https://www.livehindustan.com/bihar/purnia/story-purnia-ranks-25th-in-terms- of-gddp-in-the-state-9108704.html
8. https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/purnia/purnia-news-today- nitish-kumar-inaugurated-development schemes/articleshow/117636913.cms
9. https://www.livehindustan.com/bihar/bhagalpur/story-decline-of-sugarcane- farming-in-purnia-farmers-face-economic-challenges 201740851163776.amp.html

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

कानून व्ययस्था से सम्बंधित सामाजिक मुद्दे : चुनौतियां और संभावनाएं

रंजना बागड़े
शोधार्थी, राजनीति एवं लोक प्रशासन अध्ययन शाला,
महानंदा नगर उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
ई-मेल - Contactranjana11@gmail.com

शोध सारांश : -

जब भी हम कानून व्ययस्था से सम्बंधित कोई भी चर्चा करते हैं तब सर्वप्रथम मस्तिष्क में पुलिस आती हैं, जो कि समाज में कानून व्ययस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली के तीनों स्तंभ अर्थात पुलिस, कोर्ट और जेल सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए आवश्यक हैं ऐसा कहा जा सकता हैं कि समाज व्यवस्थाएं इन्ही पर ही टिकी हुई हैं प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समाज में रहना चाहता हैं जहा व्यक्ति को उसके पूर्ण अधिकार मिले , उसके अधिकारों का हनन ना हो और उसका किसी प्रकार से शोषण ना हो एवं किसी भी आसामाजिक तत्वों के द्वारा उसे किसी प्रकार से परेशान ना किया जाये , उसे किसी भी बात का भय ना हो।

प्रत्येक व्यक्ति अपराध मुक्त समाज में तथा शांति से रहना चाहता है ,और शांति से जीवन यापन करना करना पसंद करता है। परन्तु इस तरह के अपराध रहित समाज केवल कल्पना मात्रा है ,क्योंकि अपराध ,घटनाये सभी आदिकाल से ही चले आ रहे है। परन्तु पुलिस इस प्रकार के कार्य कर रही है एवं निरन्तर प्रयासरत है और निरन्तर चुनौतियों का सामना कर रही है समाज में एक व्यवस्था तथा एक क्रमिक व्यवस्था व्याप्त करना एक बड़ा कार्य है। जो कि इस तरह के निरन्तर प्रयासों से ही संभव हो पाएगी।

प्रस्तावना :

कानून व्यवस्था अर्थात समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखना इसमें सबसे पहले मस्तिष्क में पुलिस आती है समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखती है समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसके बगैर समाज में कानून व्यस्था और एक क्रमबद्ध रूप से समाज का विकास होना और समाज में एक व्यवस्था व्याप्त करना बहुत बड़ा कार्य है।

जो कि पुलिस के प्रयासों के बगैर असंभव सा प्रतीत होता है, जैसे ही कानून व्यवस्था का नाम आता है वैसे ही कानून व्यवस्था का बनाये रखने में पुलिस का योगदान नजर आता है।

यदि पुलिस के प्रयास नहीं होते तो हमारा समाज एक कृमबद्ध तरीके से नहीं चल पाता पुलिस के प्रयासों का ही परिणाम है जो आज हम एक सुदृढ़ समाज में रह रहे है जिसके बिना क्रमिक रूप से व्यवस्थित समाज की कल्पना किया जाना कठिन है।

इसके लिए पुलिस को कई सारी चुनोतियो का सामना करना पड़ता है और उन चुनोतियो के सठह वह कार्य करते हुए आगे बढ़ती है तथा समाज की सुरक्षा में सदैव खड़ी रहती है । इनकी चुनोतियो में कई प्रकार की चुनोतिया हो सकती है जैसे समाज में हो रही घटनाओ जैसे चोरी ,डकैती आदि जैसे मामलो में पुलिस को विशेष प्रकार की चुनोतियो का सामना करना पड़ता है।

कई बार चोरी का भी साक्ष्य या चोर का कोई भी नाम निशान नहीं होता है ऐसे में पुलिस को और अधिक जोर लगाना पड़ता है क्योंकि ऐसी स्तिथि में चोर का पता लगाना जब उसका कोई सुराग ना हो या कोई भी चित्र ना हो या उसका कोई भी पहचान चिन्ह ना हो ऐसी स्तिथि और भी कठिन होती है इस स्तिथि में पुलिस को कई सारी चुनोतियो का सामना करना पड़ता है और अधिक एफर्ड लगाने पड़ते है इसमें और अधिक मेहनत करना पड़ती है।

परन्तु आज नविन टेक्नोलॉजी ने काफी कुछ सरल बनाया है ,आजकल हर जगह CCTV कैमरा होने से बहुत सहायता मिली है जिससे पुलिस को सहायता मिल जाती है किसी भी अपराधी तक पहुंचने में यह और अधिक सरल हो जाता है। किसी अपराधी को पकड़ना ,इसके चलते चोर भी शातिर हुए है वह पहले से CCTV कैमरे की जानकारी रखते है फिर अपराध कारित करते है। चोरी भी टेक्नोलॉजी से प्रभावित हुई है और चोर शातिरता से चोरी करने लगे है।

पुलिस और चुनौतियां :

पुलिस को कई चुनोतियो का सामना करना पड़ता है पुलिस कुछ अपराध कारित होने से पहले ही संदिग्ध अपराधियों को या ऐसे व्यक्तियों जो अपराध कारित कर सकते है अथवा ऐसी गतिविधिया करते दिखाई पड़ते है पुलिस उन्हें पहले से ही गिरफ्तार करती है जिससे की कोई अपराध कारित होने से पहले ही टल जाये या ऐसी कोई घटना होने से पहले ही टल जाये अथवा ऐसी स्तिथि ही उत्पन्न न हो। पुलिस के इन प्रयासों से समाज में अपराधों में काफी हद तक कमी आयी हैं और अपराधों का प्रतिशत कम होता जा रहा है। जिससे एक सुरक्षित समाज का विकास हो रहा है। और समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पुलिस के प्रयासों से ही समाज अपने आप को तथा हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता

हैं और पुलिस का समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने और समाज को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान है।

NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अपराध की तुलना में 2024 में अपराध में कमी आयी है जिसमे रेप, गैंग रेप, छेड़-छाड़,पॉक्सो अपराध आदि शामिल है।

जिसे निम्न तालिका में इंगित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में 2023 एवं 2024 में अपराधों को दर्शाया गया हैं।

अपराध	2023	2024
रेप	2583	2319
गैंग रेप	163	132
छेड़-छाड़	2151	1939
पॉक्सो अपराध	2766	2376

इस तालिका के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में 2023 एवं 2024 में अपराधों की तुलना की गयी हैं जिससे स्पष्ट हैं कि 2023 में अपराधों की तुलना में 2024 में अपराध कम दर्ज हुए हैं इनमे गिरावट आयी हैं ।

यह पुलिस के प्रयासों का ही नतीजा हैं जिसके फलस्वरूप अपराधों में कमी आयी हैं. पुलिस अपने इस प्रकार निरंतर प्रयास से अपरधों को कम करती नजर आयी हैं और एक व्यवस्थित समाज की ओर बढ़ते हुए समाज को सुरक्षित अनुभव कराती रही हैं जिस प्रकार से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार छेड़- छाड़ जैसे अपराधों में कमी आयी हैं जो समाज में बहुत अधिक होने वाली घटनाओ में से हैं। पुलिस इस ओर निरंतर प्रयासरत हैं और पॉक्सो एक्ट अपने आप में अलग मुद्दा हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा हैं। POCSO पॉक्सो एक्ट अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स एक्ट हैं जो हिंदी में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम कहलाता हैं। यह कानून साल 2012 लागू हुआ था जिसका उद्देश्य नाबालिक बच्चो को भावनात्मक या यौन शोषण से बचाना हैं। यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चो पर लागू होता हैं।

इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को सख्त सजा का प्रावधान हैं। इसमें अपराधियों को आजीवन कारावास जैसी सजा भी हो सकती हैं। इस कानून के तहत पुलिस की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जैसे इस कानून को लागू करना, पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना, शिकायत दर्ज करना, पीड़ित या गवाह के बयान दर्ज करवाना ,पीड़ित की मेडिकल जांच करवाना,आरोपी को गिरफ्तार करना,पीड़ित

की सुरक्षा सुनिश्चित करना,अपराध की गहन जांच करना इस तरह से पुलिस की इस कानून में कई जिम्मेदारियां हैं , साथ ही अपराध से जुड़े सभी सबूतों को इक्क्ठा करना आदि इसमें शामिल हैं।

यह पुलिस की इस कानून को लेकर इतनी जिम्मेदारियां होने का अर्थ है कि पुलिस के द्वारा ही इस कानून पर इतने कार्य किये जा रहे है तथा इस तरह से हो रहे अपराधों को कम करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है तथा यह कानून व्यवस्था से सम्बंधित सामाजिक मुद्दा है। जिसमे पुलिस को कई तरह कि चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।इन चुनौतियों में पहले अपराध कि गहनता से जाँच करना और पीड़ित एवं गवाह के बयान दर्ज करवाना ,पीड़ित कि मेडिकल जाँच करवाना ,आरोपी कि गिरफ्तारी ,पीड़ित कि सुरक्षा सुनिश्चित करना ,पीड़ितों को न्याय दिलवाना है परन्तु इनमे अपराध कि गहनता से जाँच करना पीड़ित कि सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं पीड़ितों को न्याय दिलवाना सबसे महत्वपूर्ण चुनोतिया है जिससे पीड़ित को न्याय और अपराधी को दंड प्राप्त हो सके।

शोध प्राविधि -

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर उनका अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया . प्राथमिक आकड़ो का संकलन इम्पीरिकल आधार पर किया गया तथा द्वितीयक आकड़ो का संकलन विभिन्न शासकीय दस्तावेजों, समाचार पत्रों , जनरल्स आदि के द्वारा विश्लेषण किया गया हैं।

निष्कर्ष -

जब जब चुनौतियां जन्म लेगी समाधान उसके समांतर आयेंगे चुनौतियों को लगातार स्वीकार करते रहिये समाधान स्वयं ही निकलते जायेंगे जिसने भी चुनौतियों का सामना किया है उसने निश्चय ही उसका हल निकला है और उसके हल कि खोज कि है अगर हनोतिया न होंगी तो समाधान निकलकर कैसे आयेंगे निरन्तर प्रयास करते रहिए समाधान अवश्य प्राप्त होगा यहाँ पर इस तथ्य का अर्थ यह है कि पुलिस के अथक प्रयासों से निश्चय ही एक सुव्यवस्थित समाज कि स्थापना होगी और समाज एक सुरक्षित समाज अनुभव करेगा।

सुझाव -

पुलिस जो VIP की ड्यूटी में हैं उनके लिए अलग पुलिस तथा जो अपराधियों को पकड़ने और अपराध की जांच करने के लिए अलग अलग पुलिस की ड्यूटी लगाना चाहिए क्योकि पुलिस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं कि वह VIP कि ड्यूटी में 24 * 7 खड़े हैं और वही अगर अपराध होता हैं तो वह कैसे मैनेज करे कि अपराधी को पकड़ना भी आवश्यक हैं इसलिए सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए एक अलग पुलिस होना चाहिए तथा VIP कि ड्यूटी के लिए अलग पुलिस लगाना चाहिए.

यदि एक ही व्यक्ति से ही यह काम कराये जाते हैं तो उसे मैनेज करने की समस्या आती हैं तथा उसकी कार्य दक्षता में भी अंतर पड़ता हैं और वह दोनों कार्यो को बेहतर ढंग से नहीं कर पाटा हैं इसलिए आवश्यक हैं कि दोनों को पृथक किया जाए एवं पृथक पृथक कार्य के लिए पृथक से ड्यूटी लगायी जाये. जिससे कि वह अपने कार्य सरलता से कर सके और एक ही कार्य के प्रति समर्पित रहे।

संदर्भग्रंथ सूचि -

1. ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एवं डेवलॅपमेंट जर्नल्स
2. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट
3. समाचार पत्र (दैनिक भास्कर)
4. पुलिस विज्ञानं जर्नल्स जनवरी - जून 2018
5. पुलिस विज्ञानं जर्नल्स जनवरी - जून 2023

18 वीं लोकसभा चुनाव 2024 के मुद्दे व परिणाम:- एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

बाबूलाल सुंदरियां
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान
ईमेलः- babukct1999@gmail.com

बलराम
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान

सांराश:

2024 के भारतीय लोकसभा चुनाव का परिणाम कई मायनों में अभूतपूर्व था। पहली बार भारतीय आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार तीसरी बार लगातार चुनी गई है। दूसरी ओर, भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। इस चुनावों में वे कौनसे मुद्दे थे जिनको लेकर भारतीय मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। विशेष रूप से, भाजपा को इस आम चुनाव में कम सीटें प्राप्त होने के पीछे प्रमुख कारक क्या रहे? यह शोध पत्र चुनाव आयोग की विभिन्न रिपोर्ट, समाचार पत्रों, विभिन्न चुनावीं सर्वेक्षणों, शोध पत्रों और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर उन कारकों के संयोजन की पहचान करता है जिन्होंने सत्तारूढ़ दल भाजपा को अपने बलबूते बहुमत प्राप्त करने से वंचित किया। साथ ही प्रमुख चुनावी मुद्दों, चुनाव परिणाम और इन चुनाव परिणाम के भारतीय शासन व्यवस्था पर प्रभाव को समझने में मदद करता है। मौजूद अध्ययनों के विपरीत जो यह सिद्ध करते है कि भाजपा और उसके सहयोगी एनडीए गठबंधन को मिले बहुमत के आधार पर भाजपा सरकार की कार्यशैली में कोई अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं आएगा। तर्क है कि 2024 के चुनावी परिणामों से सरकार की कार्यशैली में परिवर्तन आएगा।

प्रस्तावना

भारतीय राजनीति में रूचि रखने वाले विद्वान भारत के आम चुनाव के चुनावी नतीजे और भारतीय दलीय व्यवस्था, संघवाद और भारत के विदेश नीति पर इसके प्रभावों की जांच करने में बहुत रूचि रखते हैं। भारतीय आम चुनाव से संबंधित अध्ययनों को मोटे तौर पर तीन अलग-अलग अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली अवधि या दौर जिसको चुनावी विश्लेषकों ने भारतीय राजनीति की एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली कहा है। उदाहरण के लिए रजनी कोठारी और मोरिस जॉन्स के अध्ययनों

ने 1950 और 1960 के दशक में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को कांग्रेस प्रभुत्व के रूप में वर्णित किया है। कुछ विद्वानों ने 1980 के आम चुनाव के चुनाव परिणामों को भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली की वापसी के रूप में इंगित किया है। इस अवधि के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था या विकास की नियोजित प्रणाली अपनाई।

दूसरी अवधि या दौर 1989 के आम चुनाव से शुरू होता है, जब विभिन्न विद्वानों ने कहा कि कांग्रेस प्रणाली का पतन हो गया है। उदहारण के लिए हैविट (1989), पाई (1990) और यादव (1999) के अध्ययनों से यह पता चलता है कि कांग्रेस प्रणाली का पतन हो चुका है।(1) क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब भारत के चुनावी राजनीति पर उस तरह हावी नहीं रही जैसा की आजादी के बाद शुरूआती दशकों में थी।(2) 1990 के दशक के बाद के युग में भारतीय दलीय प्रणाली एक दलीय प्रणाली से बहुदलीय प्रणाली में परिवर्तित हो गई। इस अवधि में क्षेत्रीय दलों का उभार व विस्तार हुआ है। इस अवधि के दौरान भारत ने अर्थव्यवस्था का एलपीजी मॉडल अपनाया यानी खुली अर्थव्यवस्था।

तीसरी और नवीनतम अवधि की पहचान 2014 के आम चुनाव से मानी जा सकती है। 2014 के आम चुनाव के बाद बहुत से विद्वानों का मानना है कि भाजपा प्रभुत्व वाली प्रणाली अभी तक नहीं आई है लेकिन दूसरी ओर सरकार जिस सक्षमता और दृढ़ता से अपने निर्णय लागू कर रही है उससे लगता है कि भारत में एक दलीय प्रणाली की फिर से वापसी हुई है। इस विद्वत्तापूर्ण प्रवृति को जारी रखते हुए यह शोध पत्र 2024 के आम चुनावों के मुद्दों और परिणाम का भारत की राजनीतिक प्रणाली पर इसके प्रभाव की जांच करता है। 2024 के भारतीय आम चुनाव अप्रैल से जून के बीच सात चरणों में सम्पन्न किए गए। इस चुनाव का परिणाम ऐतिहासिक था, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा ने कुल 240 लोकसभा सीटें जीती तथा एनडीए गठबधंन ने 294 सीटें जीती।(3) इस बार भाजपा अपने अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा।

18 वीं लोकसभा चुनाव के मुद्देः-

विकसित भारत 2047:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 03 मार्च 2024 को मंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें विकसित भारत 2047 पर विचार विमर्श हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से 'विकसित भारत 2047 लोगों की आवाज' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।(4) बताया जाता है कि विकसित भारत का रोडमेप 02 साल की तैयारी से बना है। इसमें 20 लाख युवाओं के सुझाव भी लिए गए।(5) विकसित भारत के लक्ष्यों में आर्थिक विकास, सतत् विकास लक्ष्य, जीवन को आसान बनाना, व्यापार करने में आसानी, समाज कल्याण जैसे विषय शामिल है। अपनी 10 मार्च की आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा

कि 'मैं देश को विकसित बनाने के लिए दौड़ रहा हूँ।'(6) भाजपा ने अपनी चुनावी अभियानों में व सोशल मीडिया के माध्यम से विकसित भारत का खूब प्रचार प्रसार किया। इसमें आम लोगों के खुशहाली का वादा किया गया।

जातीय जनगणना:- 18 जुलाई 2023 को जब विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया ब्लॉक का निर्माण किया तो उन्होंने साझा बयान जारी करते हुए जातिगत जनगणना कराने की मांग की। राहुल गांधी ने अपनी 07 मार्च की बांसवाड़ा रैली में कहा कि देश में 90 फीसदी आबादी दलित, आदिवासी पिछडा वर्ग व अल्पसंख्यकों की है, पर उन्हें भागीदारी नहीं मिल पा रही है।(7)

मणिपुर हिंसा:- 04 मई को वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मेरीकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्विट करते हुए लिखा 'मेरा राज्य जल रहा हैं।'(8) मणिपुर में 03 मई 2023 को हिंसा फैल गई इसका कारण हाईकोर्ट द्वारा मैतई समुदाय को आरक्षण देने का आदेश था।

चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल:- विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर आरोप लगाता रहा। राजदीप सरदेसाई ने अपने लेख में 'क्या चुनाव में सभी पार्टियों के लिए समान अवसर है?' में लिखा कि चुनावी हिंसा का कोई इतिहास नहीं होने के बावजूद महाराष्ट्र में पांच चरणों में मतदान क्यों हो रहा है? क्या यह प्रधानमंत्री को भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में हर चरण में प्रचार का अवसर देने के लिए है?(9)

बेरोजगारी- रोजगार इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा। जहां सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियों में रोजगार को गिनाया, वही विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर सरकार की आलोचना की। डेरेक ओ ब्रायन ने अपने लेख में लिखा की भाजपा ने 2014 के घोषणा-पत्र में 25 करोड़ नौकरियां निर्मित करने का वादा किया था। 2023 में केन्द्र सरकार ने माना कि 2014 के बाद से केवल 1.2 करोड नौकरियां निर्मित हुई।(10) सीएसडीएस के सर्वे में 62 प्रतिशत लोगों का मानना है कि पहले की तुलना में अब नौकरी पाना कठिन हो गया था।(11)

सीएए का मुद्दा:- लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केन्द्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत 03 पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान) से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को देश की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। इसका असर देश की तीन से चार करोड़ आबादी पर होगा।(12) सीएए का पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, मेघालय व असम जैसे राज्यों में विरोध हुआ।

इलेक्टोरल बॉन्ड्स- लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फसलें में 2018 में लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। जस्टिस संजीव

खन्ना ने अपने 74 पेज के फैसले में कहा कि गुप्त चंदा दानदाता और पार्टी के बीच मनी लॉन्ड्रिंग की तरह है।(13) 15 मार्च को चुनाव आयोग ने चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा 6060 करोड़ भाजपा को मिला, तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड, कांग्रेस को 1421 करोड का चंदा मिला। सबसे ज्यादा चंदा फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड का चंदा दिया। उसके बाद मेगा इंजीनियर 980 करोड का था।(14)

धारा 370:- सीएसडीएस के एक सर्वे में 50 प्रतिशत मतदाताओं ने 370 के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया।(15) भाजपा सरकार ने अपने चुनावी अभियानों व सोशल मीडिया पर धारा 370 को हटाना अपनी उपलब्धि बताया।

एक देश एक चुनावः- सितंबर 2023 में भाजपा सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव कमेटी की घोषणा की। कमेटी में कुल 08 सदस्य थे। पंचायत से संसद तक एक साथ या चरणों में चुनाव का संभावित रास्ता निकालना कमेटी का मुख्य कार्य था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को सौंपी। कमेटी ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की। कमेटी ने 21,558 आम लोगों की राय ली, जिसमें 80 प्रतिशत एक साथ चुनाव करवाने के पक्ष में थे। 18626 पेज की रिपोर्ट तैयार करने में 191 दिनों का समय लगा। इस बीच कमेटी ने 65 बैठके की। इसको लागू करने के लिए करीब 18 संवैधानिक संशोधन करने होंगे। राय लिए गए 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल एक साथ चुनाव करवाने के पक्ष में थे।(16)

महंगाईः- चुनाव के दौरान सीएसडीएस द्वारा करवाएं गए सर्वे में 70.70 प्रतिशत लोगों ने माना कि पिछले 05 वर्षों के दौरान महंगाई बढ़ी है।(17) चुनाव के दौरान बेरोजगारी के बाद सरकार को परेशान करने वाला मुद्दा महंगाई था।

राष्ट्रीय सुरक्षा:- चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा आज दुनिया में युद्ध के बादल छाए हैं, ऐसे में भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार जरूरी हैं, ऐसा पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार ही कर सकती है।(18) 2019 का चुनाव हिन्दुत्व व राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लड़ा गया था। इस बार जहां विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल को पड़ोसी देशों से संबंध बिगड़ने पर घेरा। वहीं भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना आक्रामक रवैया अपनाया।

ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों की कार्यशैली व पारदर्शिता पर सवालः- सीबीआई द्वारा चुनाव से कुछ दिन पूर्व नेताओं की गिरफ्तारी पर यूएन ने कहा उम्मीद है भारत में सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आरती जेरथ ने अपने लेख ‘चुनाव ना केवल निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे‘ में लिखा की

अमेरिका, जर्मनी व सयुंक्त राष्ट्र महासचिव कार्यालय ने भी भारतीय चुनाव प्रक्रिया में संस्थाओं की भूमिका पर सवाल खड़े किए है।(19) विपक्ष लगातार ईडी, सीबीआई की कार्यशैली पर हमलावर रहा।

18 वीं लोकसभा चुनाव 2024 का परिणामः-

2024 के आम चुनाव का परिणाम अभूतपूर्व था। इतिहास में पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबन्धन तीसरी बार सत्ता में आया। दूसरी ओर कांग्रेस 90 सीट के साथ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरा। एनडीए गठबन्धन को 293 लोकसभा सीटों पर विजय मिली जबकि इंडिया गठबन्धन को 234 सीटों पर विजय मिली।(20) इस चुनाव में भाजपा को 36.56 प्रतिशत मत मिले जबकि कांग्रेस को 21.19 प्रतिशत मत मिले। भाजपा ने अकेले दम पर 240 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जो कि भाजपा के पिछले लोकसभा चुनाव में प्राप्त 303 सीटों से बहुत कम रही।(21)

जनसत्ता अखबार में छपी खबर के अनुसार नतीजा पूर्व सर्वेक्षण में एनडीए को औसतन 365 व इंडिया गठबंधन को 146 सीट का अनुमान था।(22) दैनिक भास्कर ने अपने 30 जुलाई 2024 की पत्रिका में एडीआर की रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए लिखा कि लोकसभा की 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम और 176 सीटों पर 35 हजार वोट ज्यादा गिने गए। एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने कहा कि अंतिम मतदान डाटा जारी करने में देरी, पूर्ण संख्या में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र और मतदान के आंकड़े न देना और अंतिम डेटा के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे या नहीं इन सभी ने चुनावी परिणाम के सत्यता के बारे में चिंता और सार्वजनिक संदेह पैदा किया है।(23)

भाजपा की उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, बंगाल व महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सीटें कम हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा का वोट शेयर देखे तो सबसे ज्यादा 9.23 प्रतिशत की गिरावट राजस्थान में आई। उत्तरप्रदेश 8.18 प्रतिशत की कमी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, सबसे ज्यादा 12 सीटें (8 से 20 हुई) ओड़िशा में बढ़ी। वोट शेयर भी 7 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा। अगर आम चुनाव 2024 के परिणामों की तुलना 2019 के आम चुनाव से की जाए तो निम्नलिखित निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं- 2024 के आम चुनाव में 65.79 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह 2019 के आम चुनाव के मुकाबलें 1.61 प्रतिशत कम रहा। 2019 के आम चुनाव में मतदान 67.40 प्रतिशत था।(24) 2019 के आम चुनाव में भाजपा को 303 सीटें मिली जो इस बार घटकर 240 सीट हो गई। कांग्रेस को 2019 के मुकाबलें 47 सीटों की बढ़ोतरी हुई।

इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ जो भाजपा 400 पार का नारे लगा रही थी, महज 240 सीटों पर ही रूक गई। इसके पीछे निम्न कारण रहे–

1. इस बार के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहे, जिससे क्षेत्रीय दल मजबूत हुए।

2. हर चरण में भाजपा नैरेटिव बदलती रही जिसका उसे नुकसान हुआ।
3. भाजपा पार्टी सिर्फ मोदी के भरोसे बहुमत पाने पर निर्भर रह गई। खुद मोदी कई बार यह कह चुके थे कि सिर्फ मेरे भरोसे न रहे।
4. स्थानीय नेताओं से जनसम्पर्क नहीं किया। टारगेट पर कांग्रेस को रखा, उसी पर हमला करती रही, जबकि असली मुकाबला स्थानीय दलों के साथ था। उत्तरप्रदेश में अगड़ों की नाराजगी ओर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ना भाजपा के खिलाफ गया।
5. किसानों की नाराजगी दूर नहीं कर पाए, जिससे यूपी, हरियाणा व पंजाब में बड़ा नुकसान हुआ। कई स्थानों पर पार्टी ने प्रत्याशी चुनने में चूक कर दी।
6. आरक्षण की काट नहीं ढूंढ पाने के कारण अनुसूचित जाति की व अनुसूचित जनजाति की सीटों का नुकसान हुआ।(25)

निष्कर्षः-

लोकसभा चुनाव के नतीजे पर फ्रांस की पत्रिका ले मांड ने लिखा कि ''पीएम मोदी को इस बार चेतावनी के साथ जनादेश मिला है। मोदी ने जनता से भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीट की मांग की थी। मोदी ने 200 से ज्यादा रैलियां की इसके बावजूद उनका जादू नहीं चला।'' वहीं बीबीसी ने अपनी खबर में कहा कि ''यह जनादेश कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबन्धन के लिए आश्चर्य जनक पुनरूत्थान का प्रतीक है।''(26) जब भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मंत्रिपरिषद का गठन किया, मंत्री परिषद में ज्यादातर चेहरे पुराने ही थे, तो बहुत सारे चुनावी विश्लेषकों ने कहा था कि सरकार उसी तरीके से काम करेगी जैसे उसने पहले दो कार्यकालों में किया है। अब जबकि सरकार को गठित हुए तकरीबन 8 महीने का समय हो गया है, विपक्ष भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एक साथ नजर आ रहा है, एनडीए गठबन्धन में शामिल दलों का मत भी कहीं मुद्दों पर सरकार से अलग है।

आज भारत के समुख बहुत सारी आंतरिक समस्याएं है, जैसे मणिपुर में हालात गंभीर है, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर रहा है , भारत का आयत और निर्यात संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है ,भारतीय शेयर बाजार बहुत तेजी के साथ गिर रहा है। दूसरी तरफ चीन लगातार भारत की सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों की शासन व्यवस्थाएं अस्थिर है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव डाला है कि वह आयत शुल्कों में कमी करें जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार की कार्य शैली का प्रभावित होना निश्चित है।

इस बार के चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी की मांग जैसे मुद्दों ने चुनाव को आकार दिया। भाजपा लगातार 18 वें आम चुनाव के बाद राज्य स्तर के चुनाव में विजय प्राप्त करते

जा रही है, जिससे सरकार की स्थिति मजबूत हुई है। अस्थिर पड़ोस ,आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट भारत की मौजूदा सरकार के सामने चुनौती पैदा करेगी।

सन्दर्भ:-

1. Kumar, R. (2020). An Analysis of the 2019 Indian General Election: Transition in Political Landscape and Its Implications. Asia Review, 9(2), p.132,133. https://doi.org/https://doi.org/10.24987/SNUACAR.2020.02.9.2.131
2. Kumar, R. (2020). An Analysis of the 2019 Indian General Election: Transition in Political Landscape and Its Implications. Asia Review, 9(2).p. 132,133.https://doi.org/https://doi.org/10.24987/SNUACAR.2020.02.9.2.131
3. Jaldi, A. S. (2024). Retrospective Analysis of the 2024 Indian Elections: BJP Wins the General Elections Against the Strengthening Opposition of the INDIA Bloc. Policy Center for the new south p.4. Retrieved from https://www.policycenter.ma/publications/retrospective-analysis-2024-indian-elections-bjp-wins-general-elections-against
4. PM Modi brainstorms over Vision 2047 with ministerial council, sets 100-day agenda for third term in office (Internet). (2024 March 3). The Hindu Bureau. Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/prime-minister-narendra-modi-chairs-Council-of-ministers-meeting-in-new-delhi-on-march-3-2024/article67910572.ece
5. 100 दिन के एजेंडा पर मंथन, मोदी बोले जीत के बाद हम फिर मिलेंगे, (2024, सितंबर 4), दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण
6. भारत को विकसित बनाने के लिए दौड़ रहा हूँ, (2024 मार्च 11), दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण
7. (2024 मार्च 8), दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण
8. My state Manipur is burning: Mary Kom appeals for help amid (Internet). (2024 May 4). The Economic Times. Retrieved 2024 May 4

https://m.economictimes.com/news/india/my-state-manipur-is-burning-mary-kom-appeals-for-help-amid-violence/articleshow/99977773.cms

9. सरदेसाई, (2024 मार्च 21), क्या चुनाव में सभी पार्टियों के लिए समान अवसर हैं? दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण
10. ब्रायन, (2024 मार्च 29), इन गारंटियों की वारंटी आप खुद ही तय करें, दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण
11. Lokniti-Centre for the Study of Developing Society (CSDS). (2024). Social and Political Barometer Pre poll Study 2024-Survey Findings. 3.Retrieved from https://www.lokniti.org/media/PDF Upload/1718270418_74355000_download_report.pdf
12. The Government of India. (2024 March 11). The Gazette Of India, New Delhi. Retrieved from https://indiancitizenshiponline.nic.in/Documents/UserGuide/E_gazette_11032024.Pdf
13. ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS AND ANOTHER,WRIT PETITION (CIVIL) NO. 880 OF 2017. (2024 February). Retrieved 2024 September 11https://www.scobserver.in/wpContent/uploads/2021/10/Justice-Sanjiv-Khanna-Concurring-Opinion-Electoral-Bonds-judgement.pdf
14. नेताओं के चन्दा मामा, (2024 मार्च 15), दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण
15. Lokniti-Centre for the Study of Developing Society (CSDS). (2024). Social and Political Barometer Pre poll Study 2024-Survey Findings. P.8
16. Ministry Law and Justice. (2024 March 14). High level Committee submits its report on One Nation, One Election- Simultaneous Elections core to Aspirational India. Retrieved from https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2014497
17. Lokniti-Centre for the Study of Developing Society (CSDS). (2024). Social and Political Barometer Pre poll Study 2024-Survey Findings. P.8. Retrieved https://www.lokniti.org/media/PDF-upload/1718270418_74355000_download_report.pdf

18. (2024 अप्रैल 20), दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण

19. जेरथ, (2024 अप्रैल 2), चुनाव न केवल निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दें, दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण

20. Maiorano, D. (2024). India’s 2024 Elections: Has Democratic Backsliding Come to a Halt? IaIistituto Affari Internazionali (2532–6570), p. 2,3. Retrieved from https://www.iai.it/en/pubblicazioni/indias-2024-elections-has-democratic-backsliding-come-halt

21. Election Commission Of India. (2024). General Election to Parliamentary Constituencies: Trends & Results June. Retrieved from https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/index.htm

22. राजग को बहुमत, इंडिया शाइनिंग, (2020 जून 5), जनसत्ता, नई दिल्ली संस्करण

23. 538 सीटों पर कुल पड़े वोटों और गिने गए वोटों की संख्या अलगः एडीआर, (2024 जुलाई 30), दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण

24. Maiorano, D. (2024). India’s 2024 Elections: Has Democratic Backsliding Come to a Halt? IaIistituto Affari Internazionali(2532–6570), p. 2,3. Retrieved from https://www.iai.it/en/pubblicazioni/indias-2024-elections-has-democratic-backsliding-come-halt

25. सरकार एनडीए की, चमत्कार इंडिया का, (2024 जून 5), दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण

26. हमारे नतीजों पर देश-दुनिया का रिएक्शन, (2024 जून 5), दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सामाजिक मुद्दे: चुनौतियां और संभावनाएं

स्वाति कुमारी
(Research Scholar) Pol. Science, J.D. Womens College, Patna)
Department of Political Science
Patliputra University, Patna.
Mail Id- swatibasant31@gmail.com

प्रो.पूनम कुमारी
(HOD Pol. Science, J.D. Womens College, Patna)
Department of Political Science
Patliputra University, Patna.
Mail Id- swatibasant31@gmail.com

सारांश:
महिलाएं और पुरुष किसी भी समाज का समान हिस्सा हैं, प्रत्येक योजना में उनकी समान हिस्सेदारी और अधिकार होनी चाहिए| लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं को परिवार और समाज में उनका वास्तविक स्थान नहीं मिल रहा है। महिला सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं: जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और एसिड हमले, मानव तस्करी, दहेज, असमान वेतन, प्रतिबंधित स्वतंत्रता, लिंग भेदभाव, रूढ़िवादी सोच, पितृसत्ता | आज भी महिलाएं सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान को लेकर असुरक्षा की भावना से जूझ रही हैं|

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार समय-समय पर महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समाज में कई योजनाएं बना रही है और उन्हें लागू कर रही है। सरकार ने इन मुद्दों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए निर्भया फंड की स्थापना, यौन अपराधों के लिए जां ट्रैकिंग प्रणाली, यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस, साइबर अपराध पोर्टल, वन स्टॉप सेंटर की स्थापना, महिला हेल्पलाइन की स्थापना, लेकिन जमीनी स्तर पर यह समाज में महिलाओं की जागरूकता की कमी के कारण अधिक प्रभावी नहीं है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले हमें सभी स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और नीचे दिए गए कुछ तरीके हमारे समाज में महिला सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

पाठ्यपुस्तकों और स्कूली पाठ्यक्रम में महिलाओं के प्रति सम्मान सिखाया जाना चाहिए। समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार प्रगतिशील नीतियां बनाई जानी चाहिए। प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए

और उनका उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक भेदभाव जैसी रूढ़ीवादी धारणाओं को बदला जाना चाहिए।

इसलिए महिला सुरक्षा हमारे समाज का सबसे अभिन्न अंग है, और समाज में पुरुष आबादी का योगदान भी आवश्यक है, क्योंकि जब पुरुष महिलाओं की उपस्थिति का सम्मान करेंगे तो महिलाओं का जीवन स्तर उन्नत होगा। और वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे |

प्रस्तावना:-

निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ ऐसे मुद्दे हैं जो लिंग, वर्ग, जाति, आयु, विकलांगता, यौन अभिविन्यास और धर्म के अंतरसंबंधों से प्रभावित होते हैं। ये चिंताएँ घरों, बाज़ारों, सड़कों, परिवहन, कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सहित विभिन्न सेटिंग्स में प्रकट होती हैं। वे पितृसत्तात्मक मानदंडों और मूल्यों द्वारा कायम रहते हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देते हैं।

हालाँकि भारत में महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की परंपरा है, फिर भी यहाँ पितृसत्ता की मजबूत उपस्थिति है, जो लिंग आधारित हिंसा को जन्म देती है। भारत, जिसकी आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 18% है, एक समरूप समाज नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से विविधतापूर्ण समाज है, जो भारत में महिला सुरक्षा के इस मुद्दे को संबोधित करने में और अधिक चुनौतियाँ पैदा करता है। इनमें से कुछ चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

शिक्षा और जागरूकता की कमी : बहुत सी महिलाएँ अपने कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों से अनजान हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें नहीं पता कि अगर उन्हें परेशान किया जा रहा है तो वे कहाँ शिकायत कर सकती हैं या किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। जब महिलाएँ शिक्षित नहीं होती हैं, तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं। ऐसे में उन्हें अक्सर उत्पीड़न सहना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इसलिए महिला शिक्षा उनके सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है

पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड: भारत एक ऐसा देश है जहाँ देवियों की पूजा की जाती है, फिर भी यहाँ पितृसत्तात्मक मूल्य गहराई से समाए हुए हैं जो महिलाओं को अधीनस्थ मानते हैं, जिससे हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को परिवार और समाज के लिए प्रमुख श्रम कार्य पूरा करने वाली माना जाता है। कई कार्यों में मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, उत्तर पूर्व, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को परिवार के लिए मुख्य कार्य शक्ति के रूप में माना जाता है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: विशाखा निर्णय और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बावजूद, यौन उत्पीड़न अभी भी प्रचलित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मलयालम सिनेमा जैसे उद्योगों में महत्वपूर्ण मुद्दों सहित कार्यस्थल पर उत्पीड़न के 400 से अधिक वार्षिक मामलों की रिपोर्ट करता है, जो गंभीर लिंग-आधारित भेदभाव, हिंसा और अपर्याप्त सुरक्षा को उजागर करता है।

सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की कमी: असुरक्षित और खराब रोशनी वाले सार्वजनिक स्थान महिलाओं की भेद्यता को बढ़ाते हैं। 2012 में कुख्यात निर्भया कांड ने अपर्याप्त सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के खतरों को उजागर किया। हाल ही में कोलकाता बलात्कार मामले ने कार्यालयों, अस्पतालों आदि में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ प्रमुख चिंताओं को भी उजागर किया है, जिन्हें आम तौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी: कार्यात्मक पुलिस स्टेशन, विशेष रूप से महिला पुलिस स्टेशन और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण कमी है, जो अपराध जांच को प्रभावित करती है। न्याय में देरी: जटिल कानून, कमजोर कानून प्रवर्तन, अक्षम जांच एजेंसियां न्याय में बाधा डालती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि बलात्कार के मामलों में सजा की दर बेहद कम है, जो 2018 से 2022 तक 27 से 28% के बीच है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति का भाई भी पीड़ित महिला को भरण-पोषण देने के लिए उत्तरदायी है, यदि वह कभी भी उस घर में रहा हो जिसमें महिला संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रह रही हो।

भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित कानून

अनेक न्यायिक घोषणाओं, अनौपचारिक और औपचारिक समूहों जैसे कि दबाव समूहों, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के दबाव के साथ, भारत में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। भारत में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कानूनी प्रावधान हैं:

कर्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013: यह कानून विशाखा दिशा-निर्देशों पर आधारित है, जो 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन का निर्देश देता है। यह यौन उत्पीड़न को भी परिभाषित करता है और शिकायत प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।

निर्भया अधिनियम या आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013: कुख्यात निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद लागू किए गए इस कानून में **2018** में संशोधन किया गया और बारह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट **(FTC)** के माध्यम से तेजी से जांच और त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012: यह अधिनियम बच्चों और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटता है। इसमें अपराधियों के लिए कड़ी सज़ा और त्वरित सुनवाई के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) का प्रावधान है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006: यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि नाबालिगों को बाल विवाह की बुराइयों से बचाया जाए।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: यह अधिनियम निर्देशात्मक होने के साथ-साथ वर्णनात्मक भी है, क्योंकि यह न केवल घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा प्रदान करता है, बल्कि घर के भीतर दुर्व्यवहार के लिए नागरिक उपचार भी प्रदान करता है।

महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986: यह अधिनियम सोशल मीडिया और प्रकाशनों सहित डिजिटल और प्रिंट मीडिया में महिलाओं के अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित करता है।

अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम (आईटीपी), 1956: यह अधिनियम महिलाओं के व्यावसायीकरण और तस्करी को रोकता है, वेश्यालयों और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि वेश्यावृत्ति को विनियमित करता है।

सरकारी पहल:

'निर्भया फंड': सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने वाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 'निर्भया फंड' की स्थापना की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस फंड के तहत वित्तपोषण के लिए प्रस्तावों और योजनाओं की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

'वन स्टॉप सेंटर' और महिला हेल्पलाइन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर शुरू किए हैं। मंत्रालय ने 24X7 आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइनों के सार्वभौमिकरण के लिए एक योजना भी शुरू की है।

महिला पुलिस स्वयंसेवक: इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की तैनाती शामिल है जो पुलिस और समुदाय के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं और संकट में महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं।

स्वाधार गृह योजना: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता करना है जिन्हें अपने पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है। यह योजना आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाएँ प्रदान करती है और इन महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना: सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी संभव हो, उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधाएँ प्रदान करना है, जो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: इस योजना का उद्देश्य लिंग-पक्षपाती लिंग चयन को रोकना और भेदभाव को खत्म करना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी का समर्थन करना है।

यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली: 2019 में, गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 के निर्देशों के अनुसार, यौन उत्पीड़न के मामलों में समय पर जाँच की निगरानी और ट्रैकिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए 'यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली' शुरू की।

आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS): यह एक एकल आपातकालीन नंबर (112) और संकटग्रस्त स्थानों पर क्षेत्रीय संसाधनों का कंप्यूटर-सहायता प्राप्त प्रेषण प्रदान करता है।

सुरक्षित शहर परियोजनाएँ: यह गृह मंत्रालय की एक पहल है, जिसे निर्भया फंड के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त वातावरण बनाना है। जागरूकता कार्यक्रम: सरकार कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रही है।

सुझाव और सुधार प्रक्रिया :

कार्यान्वयन को मजबूत करना: मौजूदा कानूनों और नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए कानून प्रवर्तन कर्मियों के बेहतर प्रशिक्षण, न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट: न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश के अनुसार, फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने चाहिए और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में सज़ा को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए। न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए।

लैंगिक समानता: लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव के मूल कारणों को दूर करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में व्यापक लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

पुलिस प्रशिक्षण में सुधार: लिंग आधारित हिंसा के मामलों को अधिक संवेदनशील और प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में सुधार करना। इसमें बेहतर साक्ष्य संग्रह, पीड़ित सहायता और मामले का दस्तावेज़ीकरण शामिल होगा।

बेहतर उत्तरजीवी सहायता प्रणाली: हिंसा के उत्तरजीवियों के लिए सहायता प्रणाली का विस्तार और संवर्धन करना, जिसमें परामर्श सेवाएँ, पुनर्वास कार्यक्रम और वित्तीय सहायता शामिल हैं, ताकि उन्हें अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू करने में मदद मिल सके।

आर्थिक सशक्तिकरण: शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। वित्तीय स्वायत्तता महिलाओं की हिंसा और शोषण के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकती है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग: महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बेहतर रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएँ। इसमें अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल ऐप और डेटा विश्लेषण के लिए AI-संचालित सिस्टम शामिल हो सकते हैं।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना: विविध दृष्टिकोण लाने और लिंग आधारित हिंसा के मामलों को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना।

नियमित प्रभाव मूल्यांकन: मौजूदा योजनाओं और नीतियों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि उनकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके और आवश्यक समायोजन किए जा सकें।

मीडिया की जिम्मेदारी: मीडिया में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करें, जहाँ वे सनसनीखेज के बजाय प्रणालीगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हालिया निर्देश:

कोलकाता में हाल ही में हुई बलात्कार और हत्या की घटना के मद्देनजर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों को स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों की पहुँच और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मौजूदा कमज़ोरियों को दूर करने के लिए अपने सुरक्षा उपायों में सुधार करने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय के निर्देश में 12 प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं, जिनमें उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना, आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना और महिला स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षित ड्यूटी रूम और परिवहन सुनिश्चित करना शामिल है।

निर्देश में अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड, संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंधित पहुँच और व्यापक आपातकालीन योजनाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय के निर्देश में बेहतर रोशनी, कर्मचारियों के लिए नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण और स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय की भी बात कही गई है।

शोध विधि-

प्रस्तुत शोध विधि का स्वरूप वर्णात्मक है शोध विधि में प्रयुक्त आंकड़े शोध पत्रिकाओं पुस्तकों पत्रिकाओं तथा इंटरनेट के माध्यम से लिए गए हैं।

निष्कर्ष-

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता', अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ भगवान निवास करते हैं। भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को संबोधित करने के लिए इस दुष्ट मुद्दे से निपटने के लिए एक ठोस और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के चौंकाने वाले आँकड़े कानूनों के बेहतर प्रवर्तन, बेहतर लैंगिक संवेदनशीलता और पीड़ितों के लिए बेहतर समर्थन की आवश्यकता को उजागर करते हैं। यदि भारत की कुल आबादी का आधा हिस्सा सुरक्षित नहीं है, तो लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाने की दिशा में सभी हितधारकों की ओर से मिलकर काम करने की दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इस प्रयास को सक्रिय हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों को संबोधित करते हैं। मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करना, लिंग संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और पीड़ितों के लिए व्यापक सहायता सेवाएँ प्रदान करना महत्वपूर्ण कदम होंगे।

भारत में महिलाओं को लक्षित करने वाले अपराधों के खिलाफ लड़ाई के लिए समाज के सभी क्षेत्रों से निरंतर, ठोस और दयालु प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। भारत एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करके सच्ची लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है जहाँ महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा का उल्लंघन न हो।

ग्रंथ सूची (Bibliography):

1. पटेल, विभूति (2002), नई सहस्राब्दी की महिलाओं की चुनौतियाँ, ज्ञान प्रकाशन, दिल्ली
2. मैथ्यू, मिनी (2002), कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, भारत मानवाधिकार एवं कानून केंद्र, मुंबई
3. सोफिया सेंटर फॉर विमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट और इंडिया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लॉ (2003), 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न', समाजशास्त्र विभाग, सोफिया कॉलेज, मुंबई
4. अर्पिता बनर्जी (2013) "भारत में महिलाओं की स्थिति और लैंगिक भेदभाव" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च खंड 3 अंक 2 पृ. 057-064 |
5. डॉ. (सुश्री) रेखा सिंह (2004) "भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति" बोस्टन विश्वविद्यालय के ट्रस्टी |
6. उशे, यू.एम. (2019)। "भारत में राजनीति और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी: चुनौतियाँ और संभावनाएँ " जर्नल ऑफ अफ्रीकन स्टडीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 1(1)।
7. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/addressing-women-s-safety-in-india
8. https://testbook.com/hi/ias-preparation/women-safety-issues-india-provisions-challenges
9. https://www.ncw.gov.in/

महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित सामाजिक मुद्दे: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

अंशु कुमारी
शोधार्थी,जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय
ई मेल anshukalotra428529@gmail.com

डॉ. शशिकांत मिश्र
जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सारांश
महिला समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, इस अंग के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महिला को जगत्जननी भी कहा जाता है। ***यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया: ।।***[1] *अर्थात् जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नही होती है, उनका सम्मान नही होता है वहाँ किए गये समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। आज की महिला, जितनी सशक्त है उतनी ही उत्पीड़न की शिकार भी हो रही है। यही उत्पीड़न, आज कहीं न कहीं सामाजिक मुद्दों के रूप में सामने आ रहा है। जिसके कारण महिलाएं बहुत सी समस्याओं का सामना कर रही हैं, जैसे बलात्कार यां यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, सामाजिक भेदभाव, शिक्षा के साथ-साथ जागरूकता की भी कमी, कानूनी अधिकारों के पालन में कमी आदि। वास्तव में यही समस्याएं, चुनौतियां बन कर सामने आ रही हैं, कहा भी जाता है कि 'जब-जब चुनौती आई है, संग ही चुनौतियों से उभरने के लिए संभावनाएं भी लाई है' इसीलिए हमें आवश्यकता है जागरूक होने की और सख्त कानुनों की ताकि हम महिला और पुरुष यां लड़की और लड़का में कोई भी भेदभाव न करें। दोनों के बिना सृष्टि चलना असंभव है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचना कामायनी में लिखा है- "नारी! तुम केवल श्रद्धा हो/*

विश्वास -रजत- नग पगतल में/ पियूष-स्रोत-सी बहा करो/जीवन के सुंदर समतल में"[2] डॉ. प्रीति समकित सुराना जी कहती हैं कि जब भी मैं इन पंक्तियों को गुनगुनाती हूँ सहज ही रुक जाती हूँ सोचकर कि क्या वाकई 'नारी' तुम केवल श्रद्धा हो,...! आगे बढ़ते हुए मानों कवि ने इन्हीं पंक्तियों का जवाब दिया हो कि "आँसू से भींगे अंचल पर/ मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा।" डॉ. प्रीति जी कहती हैं कि क्या हर रचनाकार सोचता है कि नारी श्रद्धा योग्य है, है तो क्यों?

“नारी
तुम्हें घोषित कर दिया
समाज के कर्णधारों ने
शक्ति स्वरूपा,नारायणी
ममता की मूरत
त्याग की देवी
अब ये कहना बेमानी है
नारी तुम केवल श्रद्धा हो”[3]
सीता गुप्ता जी कहती हैं-
“नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
संसार की ज़रूरत हो
पर.... केवल शब्द जो जुड़ गया,
उससे तुम! कहीं अधूरी हो।”[4]

नारी केवल श्रद्धा नहीं है। आज वर्तमान में **बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ** जैसे उद्बोधनों की बहुत ज़रूरत है, कुछ सीमा में व्यवहारिकता में हो भी रहा है, मगर बहुत ऐसी दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिनकी वजह से बेटी पढ़ तो रही है, पर बच नहीं पा रही है। विकसित भारत में हमें पुनः सोच विचार करने की आवश्यकता है ताकि बेटी पढ़ भी सके और बच भी सके क्योंकि जब एक औरत पढ़ती और आगे बढ़ती है तो कई पीढियां पढ़ती और बढ़ती है। एक औरत अधिक ईमानदार, निष्ठावान, कर्मठ, धैर्यवान और बलिदान करने वाली एक ऐसी जीव है, जिसका मुकाबला दुनिया का दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है। एक औरत का सबसे शक्तिशाली रूप माँ होना है।

बीज शब्द :- चुनौतियाँ, मेटाफिज़िकल सुसाइड, हिंसा, बलात्कार, उत्पीड़न , आर्थिक निर्भरता, कुरीतियाँ, सामाजिक दुर्बलताएं

मूल आलेख

पूरे विश्व में अमानवीय व्यवहार का खतरा मंडरा रहा है, यही खतरा सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मानव के अमानवीय व्यवहार से अगर कोई सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो वो है, औरत/महिला। महिला सुरक्षा के साथ ही उनके सम्मान की लड़ाई वर्षों से चलती आ रही है देश-विदेश के हर कोनों से प्रतिदिन किसी न किसी महिला के पीड़ित होने की खबरे सुर्खियाँ बटोर रही हैं। जहाँ एक महिला सामाजिक ताने-बाने की पहचान करने वाली है, वहीँ आज इसके विपरीत वह अपनी लाज बचाने के लिए लाचार नज़र आ रही है। एक ओर महिलाओं के प्रति समाज का व्यवहार क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है,

वहीँ दूसरी ओर आज के बदलते समय में महिलाएं स्वयं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की होड़ में लगी हुई हैं आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं आंकी जा रही हैं बात चाहे फिर पेपिस्को की सीईओ इंद्रा नोई की हों, वर्तमान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु हों, यां फिर भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी हैं। इनके अलावा भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहीं हैं। दामिनी, निर्भया, कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के बलात्कार आदि बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो मानवीयता को शर्मसार कर देती हैं ऐसे उदाहरण महिला सुरक्षा को छिन्न-भिन्न कर महिलाओं की प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं। महिला अपराध की संख्या कम करने हेतु और देश में महिलाओं को सुरक्षित जीवन देने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। वर्तमान में टेक्निकल सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित समार्टफ़ोन एप्स का विकास किया जा रहा है, आज बहुत से ऐसे एप्स मौजूद भी हैं जो महिलाओं की सुरक्षा में सक्षम सिद्ध होते हैं।

महिला की सुरक्षा एक सामाजिक मुद्दा कब बनती है? जब समाज में महिलाओं को हिंसा, शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है जब वह सार्वजनिक और निजी दोनों ही स्थाओं पर खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे वो फिर यौन उत्पीड़न हो यां घरेलू हिंसा यही सब कुरीतियाँ यां समाजिक दुर्बलताएं महिलाओं की सामाजिक असुरक्षा का कारण बनती हैं। इसके अतिरिक्त जब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता और सख्त कानून की आवश्यकता महसूस होने लगती है तब महिला सुरक्षा एक व्यापक समस्या रूप में सामाजिक मुद्दा बन जाती है।

महिलाओं की सुरक्षा कहीं-न-कहीं समस्त सृष्टि की सुरक्षा के समान है। सर्प्रथम महिलाओं को अपने परिवार में ही बहुत रूढ़ मान्यताओं का सामना करना पड़ता है। हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध विदुषी अल्पना मिश्र जी की रचना ‘अक्षि मंच पर सौ सौ बिम्ब’ की बात करें, उसमें प्रमुख नारी पात्र ‘नीली’ जो कि रंगहीन बीमार आँखों से रंग-बिरंगी दुनिया देखने की कोशिश करती, पैरालिसिस जैसी बीमारियों से जूझ रही होती है ये सिर्फ नीली का ही सच नहीं बल्कि समस्त औरतों का सच है जो किसी न किसी रूप में अपनों- गैरों से जूझ रही है। हिंदी के प्रबुद्ध साहित्यकार मुक्तिबोध कहते भी हैं **“भारतीय समाज तब तक नहीं बदल सकता जब तक परिवार में पड़े हुए सामन्ती मूल्य नष्ट न हों”** परिवार से ही व्यक्ति विश्व यां समस्त सृष्टि तक की यात्रा करता है। उपर्युक्त उपन्यास की पात्र नीली जो बीमार है उसकी बिमारी को बार-बार याद करवाता है उसका परिवार और समाज, क्योंकि नीली बीमार होकर भी सब कार्य स्वयं करती है रंगहीन आँखों से रंग बिरंगे चेहरों को देखती पहचानती है वह स्वयं भी प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। मगर उसका परिवार\समाज आश्चर्यचकित होते हैं ये देखकर कि तुम बीमार हो! ऐसा उनके बार-बार कहने से यही प्रतीत होता है कि बीमार नीली नहीं बल्कि बीमार समाज है। इलाज़ की

आवश्यकता नीली को नहीं, समाज को है। वर्तमान में महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी होकर भी **metaphysical suicide** जैसी बीमारियों का शिकार हो रही हैं ये सुसाइड शारीरिक नहीं,पर मानसिक रूप से सुसाइड ज़रुर है जिसमें नीली की माँ भी इसकी शिकार होती है जिसमें व्यक्ति समस्त इच्छाओं की हत्या कर एक मृतप्राय व्यक्ति के समान जड़ हो जाता है। एक प्रसंग द्रष्टव्य है 'माँ को समझ न आये की क्या और कैसे किया जाये? कुछ भी पूछने पर बेहाल-सी कहतीं-जैसे तुम्हें ठीक लगे। हर परेशानी-भरे सवाल के उत्तर में उनके पास यही शब्द होते....स्नेह के शब्द तो जैसे उनके शब्द भण्डार में विलुप्त हो गयी चीज़ों की तरह थे।'[5]

जीवन का कष्ट और संघर्ष आदमी को रूखा, स्नेहहीन और कई बार क्रूर बना जाते हैं![6]
जयश्री द्वारा लिखित उपन्यास 'औरत जो नदी है' जो संबंधों की शिराओं के सहारे स्त्री-पुरुष मानसिकता के गहरे अन्तस्तल में उतरने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है जीवन के हर क्षेत्र में पीढ़ियों से उपेक्षा और प्रताड़ना के दंश झेलती स्त्री की आत्मचेतना से उद्दीप्त अकुलाहट और अपने ही विषवाणों से बिंधे आत्मप्रवंचना से शल्थ पुरुष की आत्म-स्वीकृतियों के परस्पर कदमताल की अनुगूंजों से भरी यह कृति एक ऐसा आईना है जिसमें हम सब अपने-अपने चेहरे की शिनाख्त कर सकते हैं[7]

रचनाकार स्वयं कहती हैं,"एक बार मेरी बाहों में किसी नदी की तरह सरसराते हुए उसने कहा था- औरत नदी की तरह होती है अशेष, कहीं ठहरती नहीं, मगर अपने किनारों में जीवन को ठहराव देती जाती है। सारी महान सभ्यताओं का इतिहास देख लो, किसी न किसी नदी की देन है। दरअसल, नदी जहाँ भी जाती है, ज़िन्दगी वहीँ चली आती है"[8]

वास्तव में औरत एक नदी के समान ही है जिसमें जितनी भी मलिनता क्यों न भरो, अपने सतत बहाव से वह स्वयं को निर्मल कर आगे बढ़ती ही जाती है। यही आगे बढ़ना उसकी ताकत है।

मुंशी प्रमचंद जिनके उपन्यासों का मूल स्वर 'करुणा' और व्यंग्य है इनके द्वारा रचित **'निर्मला'**[9] उपन्यास की बात करें जिसमें प्रमुख नारी पात्र निर्मला को अपने पिता की आयु के समान अधेड़ावस्था से युक्त आदमी तोताराम से शादी करनी पड़ती है जिसे समाज में 'अनमेल विवाह' की संज्ञा दी जाती है कारण होती है दहेज प्रथा, गरीबी, महिला का स्वावलंबी न होना जिसके पश्चात उसकी ज़िन्दगी नरक से बत्तर हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रेमचन्द जी के ही अन्य उपन्यास **'गोदान'**[10] जिसे किसान/कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है उसमें हम महिलाओं की दूर्देषा का भी स्पष्ट चित्रण देख सकते हैं ग्रामीण महिला पात्र धनिया और यां फिर झुनिया उन्हें कटु परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है इस प्रकार हम इसे किसान जीवन के महाकाव्य के साथ महिला जीवन का दस्तावेज भी कहा जा सकता है।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध

महिला एक माँ, बहन, बेटी आदि है। इन तमाम रूपों में वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, वास्तव में नारी के बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं है। इसके बावजूद महिलाओं का सम्मान एवं सुरक्षा हमेशा से ही दावं पर रही है। वर्तमान परिदृश्य में मानव के अमानवीय व्यवहार से सबसे ज़्यादा महिलाएं ही प्रभावित हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की हम बात करें तो बलात्कार, हत्या, अपहरण, विमेंस ट्राफिकिंग, दहेज उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा आदि शामिल हैं। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी शिकार महिलाएं हो रही हैं **मेटाफिजिकल सुसाइड** आज ये समस्या हर घर में महिला को घेरे है, इसके अंतर्गत महिलाएं सब कार्य सकुशल करती हैं जैसे सब कहते हैं बस करती जाती हैं, पर खुद की इच्छाओं/जिज्ञासाओं का गला घोंट देती हैं। इसका मुख्य कारण हम अवसाद, अधिक तनाव आदि स्थितियों को देख सकते हैं। ये समस्या भी आज एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में मानी जा सकती है। **महात्मा गांधी** जी के कथनानुसार हम समझें, "जिस दिन एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चल सकेगी, उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है" पर बहुत निराशा के साथ कहना पड़ता है कि भारत देश को स्वतंत्रता तो 1947 में ही मिल गई थी, मगर एक औरत आज भी स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र होकर अपना कार्य नहीं कर सकती है कोलकाता के प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार, मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार जैसी और भी न जाने कितनी घटनाएं हैं जो महिला सुरक्षा के साथ ही भारतीय नारी की पराधीनता को उद्घाटित करती है। आज हम आधुनिकता के शिखर प्रद्यौगिकी और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। बहुत चिंतित होकर हमें ये कहना पड़ता है कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्य प्रणाली उन व्यक्तियों (महिलाओं) की रक्षा करने में विफल हो रही है।

एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 [11] में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों की एक दृष्टि डालें:

1. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि आई है 2023 के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 2022 की तुलना में 4% की वृद्धि आई है, जिसमें रिपोर्ट किए गए मामले 2021 में 4,28,278 से बढ़कर 2022 में 4,45,256 हो गए हैं रिपोर्ट बताती है कि प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर 2021 में 64.5 से बढ़कर 2022 में 66.4 हो गई है
2. **महिलाओं के खिलाफ अपराध** रिपोर्ट किए गए अपराधों के सबसे प्रचलित प्रकारों में शामिल हैं:-
   - पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता-31.4%
   - महिलाओं का अपहरण और व्यपहरण- 19.2%
   - महिलाओं पर उनकी शील भंग करने के इरादे से हमला -18.7%
   - बलात्कार-7.1

 ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो इन आंकड़ों में नहीं आ पाती, क्योंकि उनके साथ हुए अपराधों को वह स्वयं ही सामाजिक दबाव, यां पारिवारिक दबावों के कारण सामने नहीं ला पाती हैं।

आखिर, समाज का अभिन्न अंग कहलाने वाली महिला जिससे हम सबका अस्तित्व निर्मित होता है, उसी की सुरक्षा आज समाज के लिए मुद्दा क्यों बनी हुई है? जहाँ एक तरफ महिला हर क्षेत्र में अपना नाम रौशन कर रही है वहीँ दूसरी ओर महिला इस समाज में अमानवीय व्यवहार की शिकार हो रही है! एक तरफ सुनीता विलियम्स जो 9 मास अन्तरिक्ष पर रहकर पृथ्वी पर आती हैं और दूसरी ओर बहुत महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं।

इतिहास की अगर हम बात करें तो अनगिनत ऐसे नाम जैसे रानी लक्ष्मी बाई, रानी द्रोपदी, महारानी तपस्वनी आदि 1857 की क्रान्ति में सहयोगी सिद्ध होती हैं इनके अलावा सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल, कित्तूर रानी चेन्नम्मा और **सावित्रीबाई फूले** जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं वह कहती हैं "यदि आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं" हालांकि उनके पति ज्योतिराव फूले का समर्थन और अपना दृढ संकल्प उन्हें इस शिखर तक लाया इस तरहं अगर हर पुरुष मानसिकता महिला संरक्षण के प्रति जागृत हो जाए तो उपर्युक्त अपराधों की दर स्वतः ही कम हो जाएगा और न ही कोई महिला आत्महत्या, बलात्कार, मेटाफिज़िकल सुसाइड जैसी दुर्घटनाओं का शिकार होंगी।

भारत में महिला सुरक्षा में कमी के कारण :-

- पितृसत्ता का प्रचलन जैसे;- 'लड़का है गलती हो जाती है' (बीमार मानसिकता)
- महिलाओं का वस्तुकरण
- आर्थिक निर्भरता
- जागरूकता और शिक्षा का अभाव
- सार्वजनिक स्थानों पर अपर्याप्त सुरक्षा आदि

बहुत से ऐसे कारण है जो महिला सुरक्षा में बाधित सिद्ध होते हैं।

महिला सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की कुछ पहल :-

- निर्भय फण्ड की स्थापना

- यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली
- यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस
- साइबर अपराध पोर्टल
- वन स्टॉप सेंटर की स्थापना
- मिशन शक्ति
- पुलिस पिंक बूथ
- शक्ति अपराधिक कानून
- मेरी सहेली पहल
- ऑनलाइन आन्दोलन और अभियान

किसी भी संकट की जानकारी समय पर मिलना बहुत आवश्यक होता है ताकि समय रहते ही संकट पर काबू कर लिया जाए इसी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित एप्स का प्रावधान भी किया गया है

महिला सुरक्षा से सम्बंधित कुछ एप्स

जैसे:- स्क्रीम अलार्म, सेंटिनल:विमेन सिक्यूरिटी, आईएम सेफ, फाइट बेक विमेन सेक्योरिटी, विमेन्स सेफ्टी, सर्कल्स ऑफ़ सिक्स, मी अगेंस्ट रेप, दामिनी एवं हिम्मत आदि जैसी तमाम एप्स प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं [12]

महिला सुरक्षा में कुछ चुनौतियाँ

- विलंबित न्याय
- दोषसिद्धी प्रक्रिया में ढ़िलाई
- आधे-अधूरे मन से क्रियान्वियन
- सार्वजनिक धन का अप्रभावी उपयोग
- महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने से हतोत्साहित करना
- परिवार में पुरुषों का अंधराष्ट्रिय रवैया
- सामाजिक दृष्टिकोण के कारण महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं

- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परिणाम
- परिवारों और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव

महिला सुरक्षा से समबन्धित चुनौतियों से उभरने हेतु संभावनाओं पर दृष्टि डालें अगर तो हमें इस नकारात्मकता से उभरने के लिए उचित निराकरण भी मिल सकता है:

- महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने में योगदान देना
- महिलाओं को जागरूक करना
- आर्थिक रूप से सम्पन्नता
- बेटी पढ़ाने के साथ, बचाने पर भी ध्यान देना
- महिला अपराधों के खिलाफ कड़े कानून बनाना
- स्त्री को वस्तु न कहकर, एक जीता जागता इंसान समझना
- घरेलू हिंसा को दूर करना
- महिला पुरुष को सम्मान अधिकार देना
- महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन न समझना
- महिला को अधिक सशक्त करना
- समाज में प्रयोग होने वाली माँ, बहन आदि की गालियों का प्रयोग न करना क्योंकि इन शब्दों से भी आप महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं आदि

उपर्युक्त बिन्दुओं के अलावा भी बहुत संभावनाएं हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है ताकि हर महिला सुरक्षित महसूस कर सके।

निष्कर्ष

हिंदी साहित्य के प्रबुद्ध विद्वान् आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी कहते हैं कि “साहित्य जनता की चित्तवृति का संचित प्रतिबिम्ब है”[13] इसी जनता का एक अभिन्न अंग है महिला जिसके बिना न तो हम साहित्यिक चित्तवृतियों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं और न ही समझ ही सकते हैं भारतीय संस्कृति को और अधिक विकसित करने के लिए सर्प्रथम महिला सुरक्षा को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। डॉ.भीमराव अम्बेडकर जी बार-बार कहते हैं “महिलाओं के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं हैं” महिला सुरक्षा से सम्बंधित एप्स का निर्माण तो किया गया है मगर आज भी बहुत सी महिलाएं इनसे वंचित हैं। दूर दराज, पिछड़े गाँव में आज भी बहुत महिलाएं इन सुविधाओं से वंचित हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://www.samskritabharatiuk.org **मनुस्मृति ३/५**
2. संप डॉ. समकिन सुराना प्रीति, साझा संकलन,अन्तरा-शब्दशक्ति प्रकाशन,15 नेहरु चौक, वारासविनी,जिला बालाघाट (म.प्र.)पृष्ठ 6
3. वही, पृष्ठ 7
4. वही, पृष्ठ 10
5. मिश्र अल्पना,अक्षि मंच पर सौ सौ बिम्ब,वाणी प्रकाशन,नयी दिल्ली पृष्ठ 25
6. वही पृष्ठ 26
7. रॉय जयश्री,औरत जो नदी है,वाणी प्रकाशन,नयी दिल्ली
8. वही
9. प्रेमचन्द मुंशी,निर्मला
10. प्रेमचन्द मुंशी,गोदान, साहित्य पब्लिकेशन्स
11. इंटरनेट से उद्धरित एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अंश
12. इन्टरनेट से उद्धरित https://forumias.com/blog/women-safety-in-india-significance-and-challenges-explained-pointwise/
13. शुक्ल आचार्य रामचन्द्र, हिंदी साहित्य का इतिहास,वाणी प्रकाशन,नयी दिल्ली

अपचारी किशोर एवं अपराध के कारण

नमिता वर्मा
Designation: Research Scholar (Junior Research Fellow)
Institution: Education Department, University of Lucknow, Lucknow
Email-Id: namitaverma110@gmail.com

सारांश

प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के पालन से समाज सुचारू रूप से चलता है। परंतु जब समाज के मान्य नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे 'अपराध' कहते हैं। वयस्कों द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्य 'अपराध' कहलाते हैं और बालकों द्वारा किए गए, समाज विरोधी कार्यों अथवा अपराध को 'बाल अपचार' (बाल अपराध) अथवा 'किशोर अपराध' अथवा ‘अपचारी किशोर’ कहते हैं। अपचारी किशोरों द्वारा किए गए अपराध को ‘अपचारी किशोर' (बाल अपराध) कहते हैं। मनोविज्ञानिकों के अनुसार, बाल अपराधी की न्यूनतम आयु लगभग 7 या 8 वर्ष और उच्चतम आयु 18 वर्ष से काम हो। ***Delinquent*** *शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है-* ***de+ linquere -delinquere=delinquent*** *जिसमें* ***De*** *का अर्थ है-* ***Away*** *और* ***Linquere*** *का अर्थ है-* ***to leave or to abandon*** *अर्थात् जो किशोर किसी भी प्रकार के अपराध जैसे- हिंसा, यौन अपराध, बलात्कार, चोरी, सेंधमारी, हत्या तथा अन्य प्रकार के असामाजिक व्यवहार में सम्मिलित होते हैं, उन्हें किशोर अपराधी के रूप में जाना जाता है। बर्ट के अनुसार-“ हम उस बालक को अपराधी समझेंगे जिसकी समाज-विरोधी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ जाती है कि प्रशासन को उसके विरुद्ध कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ती है।“*

हीली के अनुसार- “वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है, बाल अपराधी कहलाता है।“

भारत में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम- 2000) में कहा गया है कि- कोई भी व्यक्ति चाहे वह लड़का/लड़की हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो और जिसने कोई अपराध किया हो, किशोर न्यायालय द्वारा संदर्भित या दोषी ठहराया गया हो, उसे 'किशोर अपराधी' या 'बाल-अपराधी' माना जाएगा। अपचारी किशोरों के अपराध प्रवृत्ति में लिप्त होने के कई कारण है, जो इनको अपराध की ओर ढकेलते हैं। अतः इन अपराध के कारणों की रोकथाम करना अतयंत आवशयक है। नई शिक्षा नीति-

2020 में प्रत्येक बालक के लिए समावेशी अधिगम की बात की गई है। जिससे सभी का विकास हो सके। सामाजिक -आर्थिक रूप से वंचित(एसईडीजी) बालकों को इसमें रखा गया है। सामाजिक रूप से वंचित बालकों में अपराधी बालक आते हैं। जिनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उनको एक नई दिशा दे जा सकती है।

मुख्य शब्द- *अपचारी किशोर, अपराधी प्रवृत्ति, अपराध के कारण, नई शिक्षा नीति-2020*

अपचारी किशोर- अपचारी बालक वह बालक है जो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक अथवा शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके इस प्रकार के व्यवहार को 'बाल-अपराध' तथा बालक को 'अपराधी-बालक' कहा जाता है। जैसे चोरी करना, विद्यालय से भाग जाना, विद्यालय में अनुशासनहीनता, कक्षा में साथियों के साथ आक्रामक व्यवहार, घर से समय पर विद्यालय के लिए निकलना परंतु विद्यालय नहीं जाना आदि बाल अपराध के प्रमुख उदाहरण है। **(सिंह,2013)**

अपचारी किशोरों का असामान्य व्यवहार- अपचारी किशोरों के असामान्य व्यवहार को गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों रुपों में देख सकते हैं। उनके व्यवहार अधिकांशतः नकारात्मक दिशा की ओर होते हैं। अतः अपचारी किशोरों के असामान्य व्यवहारों को विभिन्न रुपों में देखा जा सकता हैं, जो इस प्रकार है- **(सिंह, 2001)**

- **सूझपूर्ण व्यवहार का अभाव-** अपचारी किशोरों के असामान्य व्यवहार में सूझपूर्ण व्यवहार का अभाव होता है। अपचारी किशोर को नैतिक एवं अनैतिक, सही और गलत में अंतर की सूझबूझ का अभाव रहता है। ऐसे किशोरों द्वारा किया गया कोई भी कार्य उन्हें हमेशा सही लगता है। चाहे वह नैतिक एवं गलत कार्य ही हो। अपचारी किशोरों में निर्णय लेने की क्षमता का भी अभाव रहता है।
- **संतुलित सामाजिक समायोजन का अभाव-** अपचारी किशोरों में संतुलित सामाजिक समायोजन का अभाव होता है। असामान्य व्यवहारों वाला किशोर सामाजिक नियमों और रीति-रिवाजों पर ध्यान नहीं देता है। अपचारी किशोरों में सामाजिक कुसमायोजन तीव्र होता है। ऐसे अपचारी किशोर एक- दूसरे के साथ मिल-जुल सहयोग के साथ कार्य करना पसंद नहीं करते है।
- **वास्तविकता की ज्ञान का अभाव**- अपचारी किशोरी के असामान्य व्यवहारों में एक प्रमुख व्यवहार यह है कि उनमें वास्तविकता के ज्ञान का अभाव होता है। सामाजिक मानक पर वह ध्यान नहीं देते हैं। वह काल्पनिक जगत में खोए रहते हैं। ऐसे किशोरों का व्यवहार भ्रम, विभ्रम, व्यामोह, संभ्राति से ग्रस्त होता है।

- **सांवेगिक परिपक्वता एवं नियंत्रण का अभाव-** अपचारी किशोर के असामान्य व्यवहारों में सांवेगिक परिपक्वता एवं नियंत्रण का अभाव होता है। ऐसे किशोर में अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। परिस्थिति के अनुसार संवेग की अभिव्यक्ति का भी इनमें अभाव रहता है।
- **विचित्र एवं उटपटांग व्यवहार-** अपचारी किशोरों का असामान्य व्यवहार आत्म-विरोधी होता है एवं अपनी गलतियों के लिए उनमें पश्चताप का भाव भी नहीं होता है। ऐसे किशोरों का व्यवहार सामाजिक मान्यताओं के विपरीत और असंगत होता है। अतः उनका असमान व्यवहार बेतुकरण और पतंग तथा संबंधित होता है अनौपचारिक शुरू किया असामान्य व्यवहार बेतुका एवं ऊटपटांग तथा **असनवित** होता है।

अतः अपचारी किशोरों के असामान्य व्यवहारों में अंतर गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों रुपों में पाए जाते हैं।

अपचारी किशोर की पहचान- अपचारी किशोरों की पहचान उनके शारीरिक गुणों, स्वभावगत गुणों, मनोवृति संबंधी गुणों, सामाजिक-सांस्कृतिक गुणों एवं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर ऐसे किशोरों की पहचान की जा सकती है। जो इस प्रकार है- (सिंह,2013)

- **शारीरिक गुण-** अधिकांशत अपचारी किशोर शरीर से हष्ट-पुष्ट होते हैं, उनकी शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डी समान उम्र के अन्य बालकों से अधिक विकसित होती है।
- **स्वभावगत गुण-** ऐसे अपचारी किशोर का व्यवहार आक्रमक, संवेगिक रूप से अस्थिर, बेचैन, आवेगशील और विध्वंशक होते हैं।
- **मनोवृत्ति संबंधी गुण-** ऐसे अपचारी किशोरों की मनोवृत्ति विद्यालय के प्रति नकारात्मक होती है। वे प्रायः शक्की, बैरपूर्ण, अवज्ञाकारी मनोवृति से युक्त होते हैं। माता-पिता, विद्यालय एवं शिक्षकों के प्रति वे प्रायः नकारात्मकता से भरे होते हैं।
- **सामाजिक- सांस्कृतिक गुण-** ऐसे अपचारी किशोरों में दूसरों के प्रति कोई स्नेह, प्यार और अनुकंपा नहीं होती है। ऐसे किशोरों में नैतिक स्तर निम्न कोटि का होता है। जिसके परिणामस्वरूप ऐसे किशोरों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियमों के प्रतिकूल काम करने में कोई समस्या नहीं होती है।
- **मनोवैज्ञानिक गुण**- ऐसे अपचारी किशोर किसी समस्या के समाधान में मात्र सीधा एवं सुगम रास्ते को अपनाते हैं। उनमें सांकेतिक बौद्धिक अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त गुणों के आधार पर अपचारी किशोरों की पहचान की जा सकती है।

अपराधी व्यवहार के प्रकार- अपराधी व्यवहार के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। ऐसे किशोरों के असामान्य व्यवहार के दृष्टिगत उनके प्रकारों को इस प्रकार बताया गया है- (सिंह,2013)

- **लोभी प्रवृत्ति-** लोभी प्रवृत्ति के व्यवहार के अन्तर्गत ऐसे किशोरों द्वारा आकर्षक और प्रिय वस्तु की चोरी करते हैं। इस प्रकार की चोरी का प्रारंभ आरंभ में अपने घर से करते हैं और यदि उन्हें नहीं रोका गया तो है तो विद्यालय आकर अपनी कक्षा में चोरी करते हैं।
- **यौन अपराध-** अपराधी व्यवहार का यह प्रकार किशोरों द्वारा किया जाता है। जिसके अंतर्गत समलैंगिकता, विषमलिंगता, गंदे चित्रांकन एवं लेख, बलात्कार और साथियों को लैंगिक सुझाव देना तथा लेना आदि मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं।
- **आक्रामक प्रवृत्ति-** आक्रामक प्रवृत्ति जो अधिकांशतः किशोरों में पाई जाती है। आक्रामकता दिखाकर अपने मन की उत्तेजना को शांत करते हैं। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत- दूसरे बच्चों को तंग करना, लड़ाई झगड़ा करना, विद्यालय की संपत्ति निष्ट करना, क्रोध में छत से कूद जाना आदि।
- **भाग जाने की प्रवृत्ति-** अधिकांशतः किशोर जब वास्तविकता का सामना नहीं कर पाते है, तो वह विद्यालय और घर से बिना बताए भाग जाते हैं।

अतः बाल अपराध भारत के कई प्रकार है, जिनमें विभिन्न प्रकारों के माध्यम से असामान्य व्यवहार ऐसे किशोरों का दिखता है।

अपचारी किशोर के असामान्य व्यवहार की विशेषताएं- अपचारी किशोर के असामान्य व्यवहार से तात्पर्य सामान्यतः ऐसा व्यवहार है, जो सामाजिक मानक और प्रत्याशाओं के अनुकूल नहीं होता है तथा अनुकूलित होता है। अत: अपचारी किशोर के असामान्य व्यवहार की विशेषताओं को निम्न रूपों में देखा जा सकता है- (सिंह, 2001)

- **समाज- विरोधी व्यवहार-** अपचारी किशोरों का व्यवहार समाज-विरोधी होता है। समाज के द्वारा मान्य नियमों, सामाजिक मानकों एवं मूल्यों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। **जैसे-** चोरी करना, बलात्कार, हत्या आदि। ऐसे व्यवहार है, जो असामान्य व्यवहार को दर्शाते हैं, जो समाज विरोधी हैं।
- **मानसिक असंतुलन-** अपचारी किशोर का मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर एवं मानसिक रूप से, असंतुलित होता है। ऐसे किशोरों में सोचने और व्यवहार करने में असंगतता को देखा जा सकता है।

- **कुसमायोजित व्यवहार-** अपचारी किशोर का व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में कुसमायोजित होता है। समाज में समायोजन नहीं कर पाने के कारण ऐसे किशोर तिरस्कार अथवा बहिष्कृत कर दिए जाते हैं।
- **सूझपूर्ण व्यवहार की कमी-** अपचारी किशोरों में सामान्य व्यवहार सूझबूझ की कमी होती है। असामान्य किशोर को सही-गलत, नैतिक- अनैतिक का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे किशोर गलत कार्यों को करने में हिचकिचाते नहीं है।
- **विघटित व्यक्तित्व-** अपचारी किशोर का व्यक्तित्व विघटित होता है। उनमें संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों में किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं होता है।
- **आत्मज्ञान और आत्मसम्मान की कमी-** अपचारी किशोरों में आत्म ज्ञान तथा आत्म सम्मान की कमी देखने को मिलती है। ऐसे किशोर स्वयं का आकलन अनादर एवं हीनता के भाव से स्वयं को देखते हैं। साथ ही साथ आत्मसम्मान की भी कमी प्रायः देखने को मिलती है।
- **असुरक्षा की भावना-** अपचारी किशोरों में असुरक्षा की भावना प्रबल रूप से होती है, जिससे वह स्वयं को समाज का एक स्वीकृत हिस्सा नहीं स्वीकार करते हैं। दूसरे व्यक्तियों को वे संदेह की दृष्टि से देखते हैं।
- **संवेदनात्मक अपरिपक्वता-** अपचारी किशोरों में संवेदनात्मक अपरिपक्वता विशेषतय: देखने को मिलती है। जिसके फलस्वरुप उनमें संवेदनात्मक रूप से कुसमायोजित की भावना पाई जाती है। ऐसे किशोरों को अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। पस्थिति के अनुकूल संवेग को नियंत्रण कर उसकी अभिव्यक्ति का इनमें अभाव पाया जाता है।
- **सामाजिक अनुकूलन की क्षमता का अभाव-** अपचारी किशोरों में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता का अभाव होता है। वह अपने परिवार, पास-पडोस के साथ संतोषजनक सामाजिक संबंध बनाने में कुशल नहीं होते हैं क्योंकि यह सामाजिक रूप से अस्थिर रहते हैं, इसलिए इनकी मानसिक अवस्था में निरंतर परिवर्तन होता रहता है।
- **तनाव एवं अतिसंवेदनशीलता-** अपचारी किशोरों में तनाव एवं अतिसंवेदनशीलता देखने को मिलती है। ऐसे किशोरों का अपने संवेग एवं भाव पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे किशोर छोटे से छोटी घटना में भी अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। वह बेचैन दिखाई देते हैं। ऐसे किशोरों में अपनी गलतियों हेतु पश्चात्ताप का भी अनुभव नहीं होता है।

अत: अपचारी किशोरी के असामान्य व्यवहार की उपयुक्त प्रमुख विशेषताएं है, जिसके माध्यम से उन्हें पहचाना जा सकता है।

अपचारी किशोरों के अपराध के कारण- अपचारी किशोरों के अपराध प्रवृति में लिप्त होने के कई कारण हो सकते हैं। जिनमें मुख्य कारण इस प्रकार है-(शाश्वत, 2001)

1. **व्यक्तिगत करण**- अपचारी किशोर के अपराध के उसके स्वयं से संबंधित व्यक्तिगत कारण होते हैं। जिससे वह अपराध प्रवृति की ओर लिप्त हो जाते हैं। यह व्यक्तिगत कारण आनुवांशिक कारण और शारीरिक दोष के रूप में होते हैं, जो इस प्रकार हैं-
2. **आनुवंशिककारण**- सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि अपराधी प्रवृत्ति अपने माता-पिता से वंशानुक्रम द्वारा भी प्राप्त होती है। सामान्यतः अपराधी माता-पिता के बच्चे भी अपराधी होते हैं।
3. **शारीरिक दोष**- शारीरिक दोष के कारण अपचारी किशोरों में अपराध की प्रवृत्ति प्रबल होती है। शारीरिक दोष/ कमी के कारण वह अपने आप को सामाजिक परिवेश में समायोजित नहीं कर पाता है, तो वह अपराध की ओर बढ़ता है। जैसे- अस्वस्थ शरीर एवं रोग, शारीरिक दोष तथा अभाव, जन्मजात तथा अर्जित लक्षण आदि।
4. **सामाजिक कारण**- अपचारी किशोर के अपराध के प्रमुख कारणों में सामाजिक कारण भी है। जिसमें सामाजिक रूप से संबंधी कारण इस प्रकार है-
   a) **पारिवारिक परिस्थितियां**- विभिन्न पारिवारिक परिस्थितियों भी अपचारी किशोरों हेतु उत्तरदायी हैं। जिनमें –
   b) **भगन परिवार**- जिन परिवारों की सुख शांति, संगठन तथा व्यवस्था- पारिवारिक कलह, मतभेद ,तलाक, पृथक्करण आदि कारणों से भगन हो जाती है तो उन परिवारों के बच्चे प्राय: अपराधी प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं ।
   c) **माता पिता द्वारा अपेक्षा**- अधिक संतान होने के कारण या किसी अन्य कारण से यदि बालक का तिरस्कार होता रहता तो वह अपने को असहाय पाता है। वह प्रायः घर से भागकर अपराधी बन जाता है।
   d) **माता-पिता का चरित्र व आचरण**- बालक पर माता-पिता के अनैतिक चरित्र और आचरण व्यवहार का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बालक उनकी सब बातों का अनुकरण करता है जिससे उन्हें भी अनैतिक व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है।
   e) **अपराधी क्षेत्र**- अपराधी क्षेत्र बाल व्यवहार का एक महत्वपूर्ण कारण है। जिसके अंतर्गत ऐसे स्थानों के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले बालकों पर इसका प्रभाव पड़ता है इसके अतिरिक्त गरीबी और निवास स्थान की कमी के कारण कुछ अस्थिर प्रकार की

 ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

बस्तियां भी होती है। वहां पर भी अनेक प्रकार के अपराध होते रहते हैं। इस प्रकार इन अपराधी क्षेत्रों का दूषित प्रभाव वहां के बालकों पर पड़ता है।

f) **बुरी संगति-** यदि बालकों की संगति अपराधी बालको से हो जाती है तो वह भी अपराधों की ओर प्रवृत्ति होने लगते हैं। घर से बाहर उन्हें दो प्रकार के लोग मिलते हैं मित्र मंडली और मुहल्ले के दल। प्रायः: बालक जब इनके संपर्क में रहता तो वह सद्गुणों की अपेक्षा उनके दु गुणों को शीघ्र ग्रहण कर लेता है।

g) **मनोरंजन-** बालकों के विकास के लिए स्वस्थ मनोरंजन का होना बहुत आवश्यक है। यदि बालकों को अवकाश के समय अच्छे मनोरंजन के साधन करने होते तो वह अपना खाली समय घूम कर, सस्ते उपन्यास, पत्रिकाएं पढ़कर, या गंदी या अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं।

h) **विद्यालय का वातावरण**- विद्यालय के वातावरण का बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में अपराधी बालकों की संगति, अध्यापक द्वारा कठोर दंड या अनुचित व्यवहार, अध्यापन विधि का अरुचिकर होना, सामर्थ से अधिक गृहकार्य देना, बालक का किसी विषय में कमजोर होना, मनोरंजन के साधनों का अभाव आदि कारण बालकों को कक्षा छोड़कर भागने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।

मनोवैज्ञानिक कारण- प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण इस प्रकार है-

- **मानसिक हीनता या दुर्बलता-** मानसिक हीनत, अपराध का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। मानसिकता हीनता से युक्त व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित साधन ढूंढने में असमर्थ रहते है।
- **मानसिक रोग** - मानसिक रोग भी बालक को अपराधी बनाने में सहायक होते हैं। उनके अनुसार अपराधी एक प्रकार का मानसिक रोगी होता है।
- **संवेगात्मक संघर्ष**- अपराध के लिए संवेगात्मक संघर्ष भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कठोर नियंत्रण, असुरक्षा की भावना, प्रेम और सहानुभूति की कमी, विद्रोह करने की भावना के कारण बालक का व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है।
- **आर्थिक कारण-** स्थिति अपराध के लिए उत्तरदाई होती है उनके मतदान से अपराधी विशेष रूप से निर्धन वर्ग से संबंधित होते हैं निर्धन परिवारों के बच्चों की जब परिवर्तन पुरी की हो पाती है तो उन्हें अपने सब प्रकार की इच्छाओं का दामन करना पड़ता है।

अपचारी किशोरों के अपराध हेतु रोकथाम के उपाय- - अपचारी किशोरों के अपराध हेतु रोकथाम अति आवश्यक है। अपचारी किशोरों का उपचार करने तथा उनहें समुचित शिक्षा प्रदान करने के कई उपायों का वणन किया गया है, जो इस प्रकार है-

- आत्मसम्मान के विकास हेतु शिक्षा
- अच्छी आदतों के निर्माण हेतु शिक्षा
- समस्या समाधान हेतु शिक्षा
- समाजीकरण हेतु शिक्षा
- नैतिक विकास हेतु शिक्षा
- नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु शिक्षा
- अध्ययन की उत्तम आदतों के विकास हेतु शिक्षा
- सामाजिक अधिगम हेतु शिक्षा
- सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षा
- शैक्षिक निदान हेतु शिक्षा

अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपचारी बालकों हेतु उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से उनको नई दिशा दी जा सकती है।

समतामूलक और समावेशी शिक्षा: सभी सभी के लिए अधिगम- नई शिक्षा नीति- 2020 में प्रत्येक बालक के लिए समावेशी अधिगम की बात की गई है। जिससे सभी का विकास हो सके। शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साथ साधन है। सामाजिक -आर्थिक रूप से वंचित(एसईडीजी) बालकों को इसमें रखा गया है। सामाजिक रूप से वंचित बालकों में अपराधी बालक आते हैं। जिनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उनको एक नई दिशा दे जा सकती है। शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। अर्थात् समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है। जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। **(नई शिक्ष नीति-2020)**

निष्कर्ष

अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपचारी किशोरों हेतु उनके संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, नैतिक आदि के लिए सही दिशा देना आवश्यक है। जिसके लिए प्रारंभ से ही ऐसे किशोरों को प्राय: पहचान कर उनका समुचित नैदानिक

उपचार किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए विभिन्न प्रविधियां है। इन प्रविधियों का उपयोग करके अपचारी बालकों में सुधार लाया जा सकता है और समाज में उनको जोड़ा जा सकता है क्योंकि छोटे-छोटे अपराध आगे चलकर बड़े-बड़े अपराध में परिवर्तित हो जाते हैं। जो समाज के लिए बहुत अहितकारी है। जिसके लिए यह अति आवश्यक है कि ऐसे किशोरों के असामान्य व्यवहार को पहचान कर उनका नैदानिक उपचार करके उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, जिससे वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके और समाज में अपनी भूमिका का सकारात्मक रूप से निवेदन कर सके। किशोरों की मनोदशा एवं उनके व्यवहार को यदि सही दिशा मिल जाती है, तो समाज के लिए विशेष लाभ पहुंचाते हैं और यदि उनको सही दिशा नहीं मिल पाती है, तो वह समाज के अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं, जिससे वह समाज हेतु हानि पहुंचते हैं। अर्थात् अपचारी किशोरों के असामान्य व्यवहारों के कारणों की रोकथाम करना अति आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. सिंह, अरुण कुमार (2001), आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन
2. सिंह, अरुण कुमार (2013) , शिक्षा मनोविज्ञान, भारती भवन, पब्लिसर एडं डिस्ट्रीब्यूटर्स
3. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.
4. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%B0_%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A7
5. https://www.bncoerplus.com/course/welcome-to-juvenile-delinquency/#1534237108626-c64bfcac-6055

समकालीन भारत में सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी से सम्बंधित मुद्दे: चुनौतियां और संभावनाएं

रामलाल कूड़ी
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय,
कोटा (एफिलिएटेड टू डायरेक्टरेट ऑफ़ रिसर्च कोटा विश्वविद्यालय)
Email-ramlal.koodi@gmail.com

शोध सारांश:-
इस लेख में सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति से अभिप्राय, प्रकृति, उपलब्धता हेतु वित्तीय व अन्य संसाधनों का अनुकरण, न्यूनतम भलाई के साथ साथ राज्य पर कानून द्वारा अनिवार्य सिद्धांत, राज्य की भूमिका, सार्वजनिक सेवाएँ तथा आर्थिक विकास की संकल्पना, सार्वजनिक सेवाओं से सम्बंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के क्षेत्र में बुनियादी पहुँच प्रदान करने के क्षेत्र में विभिन्न संस्थागत, प्रणालीगत, अनौपचारिक आदि वैधानिक प्रावधान व अधिनियम और भारत में सार्वजनिक सेवा प्राप्ति के क्षेत्र में कारणों/सीमाओं तथा सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रभावी और कुशल बनाने के उपाय, 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में सेवा वितरण के नागरिक-शक्त प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

संकेताक्षार: सूचना का अधिकार 2005, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट-1 एवं मिशनमोड परियोजनाएं तथा ई-जिला कार्यक्रम 2006, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, NEGP-II (डिजिटल इंडिया), NESDA Frame Work 2019, मिशन कर्मयोगी 2020, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जीजीआई GGI 2021, NESDA New Frame Work 2023

परिचय

सार्वजनिक सेवाओं से अभिप्राय राजकीय सेवाओं तक लोगों की सीधी पहुँच से हैं, ये सेवाएं व्यक्ति के जीवन-पद्धति से सीधी जुड़ी होती है और व्यक्ति की समाज, राज्य आदि में आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक आयाम को सुनिश्चित करती है। सार्वजनिक सेवाएँ नागरिकों और राज्य के बीच सर्वाधिक अन्तराफलक (Interface) प्रदान करती है।

भारत ने सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने में तकनीकी व संस्थागत स्तर पर व्यापक कार्य किया है, परंतु गुणवत्ता ,विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के मानकों से अभी कोसों दूर है। सार्वजनिक सेवाओं को समयानुकूल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार अपेक्षित होते हैं। ब्रिटिश युग में प्रशासन का प्राथमिक कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा सार्वजनिक सेवाओं का वितरण द्वितीयक लक्ष्य था। स्वतंत्र भारत में सामाजिक-आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लक्ष्य को प्रथम दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक सेवाओं के सुधारों को व्यपाक पुनर्गठित किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को नवनिर्मित भारत राष्ट्र के संदर्भ में ढालना दूरह कार्य था जहां एक ओर नौकरशाही की मानसिकता ब्रिटिश भारत से विरासत में प्राप्त संभ्रांत-वर्गीय थी, वहीं दूसरी ओर इसके लिए आवश्यक संस्थागत प्रयास पूर्व में नाकाफी था। देश की विस्तृत भौगोलिक स्थिति के कारण ज़िला-पंचायत स्तर पर सेवा-प्रदाता (संस्थागत पर्याप्त आकार) संस्थाओं का अभाव था। धर्म व जाति में विभाजित इस सामाजिक व्यवस्था में न्याय पूर्ण वितरण एक चुनौतीपूर्ण कार्य था।

सार्वजनिक सेवाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए (स्वतंत्र भारत की विशाल आबादी जिसका 80% भाग ग्रामीण था) पंचायत स्तर पर संस्थागत प्रयास को प्रथम दृष्टया अनुभव किया गया, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में इसकी नींव पंचायती राज के रूप में रखी। 1960 के मध्य देश की स्थिति और विकट हो गई थी। अकाल, सामुदायिक कार्यक्रम की विफलता, 1962 का भारत-चीन युद्ध, 1965 का भारत-पाक युद्ध आदि कारक इसके लिए उत्तरदायी थे, फलस्वरुप सार्वजनिक सेवाओं के वितरण हेतु संस्थागत प्रयास मंथर गति से होते रहे।

80 के दशक में पूंजीवादी देशों में सार्वजनिक सेवाओं के संस्थागत वितरण के तंत्रों में प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश को अनुमति मिली इस समय तक स्वतंत्र भारत भी 80 के दशक तक वैश्विक पटल पर अपनी भूमिका सुनिश्चित कर चुका था। अतः इन सुधारों का प्रभाव भारत में पडना भी अपेक्षित था, इसकी परिणति 1991 के आर्थिक सुधारों से शुरू होकर 73वें, 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज व स्थानीय शहरी निकायों को संवैधानिक आधार मिला। फलस्वरुप मात्रात्मक रूप से बढ़ती जनसंख्या के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच के संस्थागत आयाम विस्तृत होते गए जो बीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कंप्यूटरीकृत होते हुए सूचना प्रौद्योगिकी युग में राजकीय फाइलों से निकलकर नवीन आयामित हुए। बीसवीं शताब्दी में इन सेवाओं के वितरण में और तेजी को गति इंटरनेट-सुगमता के प्रयासों से मिली फलस्वरुप नए संस्थागत प्रयास सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इंटरनेट हेतु राष्ट्रीय आधार, नेशनल ई-गवर्नंस प्रोजेक्ट (NEGP) आदि समयागत

आवश्यकताओं के संदर्भ में जुड़ते गए, जो पूर्ववर्ती संस्थागत प्रयासों का प्राइवेट सेक्टर के सम्मिलित प्रयास से डिजिटल प्रौद्योगिकी का वर्तमान स्वरूप है।

सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति से अभिप्राय सरकार द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से जो सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से या सेवाओं के निजी प्रावधान के वितपोषण द्वारा होती है। सार्वजनिक सेवा की प्राप्ति सार्वजनिक जीवन या कल्याण को आसान बनाती है। लाभार्थियों द्वारा ग्रहण और स्वागत के लिए अनुकलता अनिवार्य होती है। सामाजिक सहमति का सिद्धांत भी इसकी वकालत करता है और राज्य से अपेक्षा करता है कि कुछ सेवाएँ सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति के लिए सार्वभौमिक प्रावधान की गांरटी की अपेक्षा की जाती मूलभूत मानवाधिकार की विचारधारा भी इसका समर्थन करती

इसके लिए संसाधनों को युक्तिसंगत बनाना, योजना को मानव संसाधनों के आधार पर वितरित करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है।

सार्वजनिक सेवाएँ निर्धनों के लिए अत्यावश्यक होती है जो अपनी उत्तरजीविता और निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर आने के लिए इन पर आश्रित होते है। गुणवत्ता विश्वसनीयता और प्रभावशीलता इनके उच्च स्तरीय प्रदर्शन हेतु आवश्यक होती है। सार्वजनिक क्षेत्र को सेवा प्राप्ति में एक निष्क्रिय वाहन के रूप में देखा गया है। महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति व वितरण राज्य की मूल जिम्मेदारी समझी जाती है। इनकी उपलब्धता हेतु वित्तीय व अन्य संसाधनों का अनुकरण किया जाता है। न्यूनतम भलाई के साथ साथ राज्य पर कानून द्वारा अनिवार्य सिद्धांत भी आरोपित किया जाता है। इस प्रकार राज्य की भूमिका, निर्वाचित प्रतिनिधियों और सार्वजनिक अधिकारियों को सेवा प्राप्ति में केन्द्रीय भूमिका में लाती है।

अल्प आय वाले देशों में सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति मुक्त अथवा रियायती प्रावधान का व्यापक उद्देश्य गरीब व वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालती है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त असमानताओं को दूर करने में भी सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जैसे आर्थिक असमानता, लैगिंक असमानता, जाति आधारित भेदभाव आदि। इस प्रकार शासन की गुणवत्ता का आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पडता है और लोक प्रशासन की प्रभावशीलता सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर है।[1] सार्वजनिक सेवाओं का वितपोषण वस्तुतः कराधान (Taxation) द्वारा फंड़ प्राप्ति से होता है, वित्तीय मुनाफा इनका उद्देश्य नही होता है। प्रकृति गैर-वाणिज्यिक स्वरूप में होने से इनमें बाजार प्रतिस्पर्धा को महत्व नही दिया जाता है। आधार साम्ययुक्त होने पर राज्य में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर धन आवंटन होता है।[2] सार्वजनिक सेवाओं के वितरण (सेवा प्राप्ति) व विकास के विभिन्न आयामों में सीधा सम्बन्ध होता है। ये पैमाने

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि स्तरों पर मापे जाते है। अधिकांश अल्प विकसित व विकासशील राष्ट्रों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे कम लागत वाले भोजन का सार्वजनिक प्रबन्धन गरीबों को अल्पपोषण, अल्परोजगार तथा गरीबी के दुष्चक्र से बचाने में मदद करता है।

सार्वजनिक सेवाओं से सम्बंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में संवैधानिक व वैधानिक प्रावधानों को प्रस्तावना, संविधान की अनुसूचियों, मूल अधिकारों के साथ-साथ नीति-निर्देशक तत्वों में उचित स्थान दिया-

a. अनुच्छेद 15(1) धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के विरूद्ध विभेद का विरोध करता है।
b. अनुच्छेद 16(1) नागरिकों के लिए नियत नियुक्ति व नियोजन से सम्बंधित अवसर की समानता का समर्थन करता है।
c. अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपबन्ध है।
d. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(A) के अनुसार, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता को अधिकार देता है।
e. अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है।
f. अनुच्छेद 226 देश के उच्च न्यायालयों को मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
g. नीति-निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 39(1) राज्यों को निर्देश- सभी नागरिकों के हेतु समान जीवीकोपार्जन के साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है।
h. अनुच्छेद (45) में बाल्यावस्था में देखरेख में शिक्षा देने का 6 वर्ष तक का प्रावधान सम्मिलित है।
i. अनुच्छेद (47) में नागरिकों के पोषण व जीवन स्तर को उत्तम स्वास्थ्य सुधार द्वारा प्राप्त करने से सम्बंधित है।

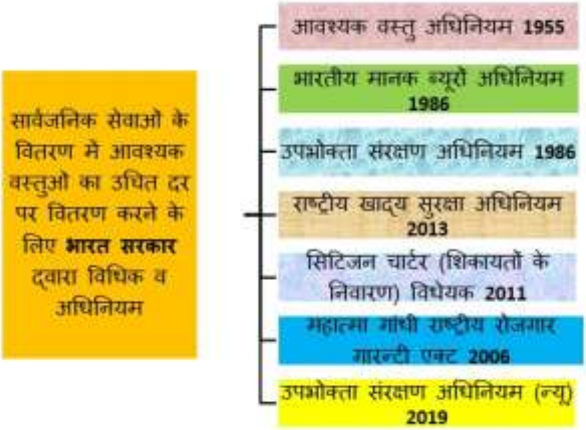

21वीं सदी के शुरुआती दशकों में सेवा वितरण के नागरिक-शक्त वैधानिक प्रावधान

1.सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार को सूचना पाने की आजादी का अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19(1)A के साथ पढा जाता है। भारत में इसे 2005 में लागू किया गया था। यह सरकारी दस्तावेजों के प्रकटीकरण का आधार है जो यह बताता है कि सरकार क्या व कैसे सरकारी प्रक्रिया को करती है। यह सुशासन की आधारभूत कुंजी है, जो नागरिक सशक्तिकरण के पथ-पदर्शक के रूप में ज्यादा खुलेपन, जवाबदेही, अनुक्रियाशीलता के रूप में जन-हितेषी शासन को जन्म देता है। संवेदनशील सूचना की गोपनीयता, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सरकारों में दक्ष प्रचालन, लोकहित के बीच सांमजस्य यह अधिकार बनाए रखता है।[3]

सूचना के अधिकार के समक्ष चुनौतियों को निम्नलिखित स्वरूप में इस शोध अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है-

- जागरूकता की कमी
  - अधिकार के बारे में जनअनभिज्ञता।
  - जागरूकता हेतु नोडल एजेंसियों के सीमित कार्य।
- प्रदत्त सूचना की खराब गुणवत्ता
  - 75 प्रतिशत कार्यकर्ता सूचना से संतुष्ट नही।
  - अनावश्यक सूचना की भरमार।
  - आवश्यक सूचना के तथ्यों का मैनीपुलेशन जिससे सूचना में भ्रामकता।

  समय पर सूचना का प्राप्त न होना।
  - सूचना का कुप्रबन्धन।
- सूचना पूरक कानून ''व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम'' का अप्रभावी क्रियान्वयन।[4]
- सूचना आयोग के संस्थागत ढांचे में अपर्याप्त अवसंरचना/मानव संसाधनों का अभाव।
- नौकरशाही की अभिलेख-रिकार्ड संरक्षण की परम्परागत कुव्यवस्था जिससे सूचना प्रकटीकरण में अनावश्यक विलम्ब।
- 2019 में इस एक्ट में किए गए संशोधन जिसमें केन्द्र व राज्यों में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन-भत्तो, सेवा शर्तो का केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीकरण जिससे इस संभावना को प्रबल बल मिला है कि नवनियुक्त पदाधिकारी वफादारी के लिए जनसामान्य हितों के उपर सताधारी दल के हितों को वरीयता देगें।

2. लोक सेवा गांरटी अधिनियम

पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय के भीतर सार्वजनिक सेवा तक पहुँच, ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने, सेवा प्रदान न करने या विलम्ब पर जुर्माना आरोपित करने के कानूनी प्रावधान इसके प्रमुख स्तम्भ है। भारत में राज्यों में बनाए गए लोकसेवा गारंटी अधिनियमों में पारदर्शिता, तटस्थता और विश्वासनीयता को समानता, निरन्तरता, परिवर्तनशीलता और पहुँच में कानूनी गारन्टी मिलती हैं।

इस अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सामान्य सेवाएँ जो राजपत्र में उल्लेखित है को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।[5] तय अधिकारी द्वारा तय सीमा में सेवा प्रदान करने से विफल या इनकार पर पीडित व्यक्ति को प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील करने का अधिकार है। अपील को स्वीकार या अस्वीकार करने का आवेदन को सूचना देने की बाध्यता आरोपित की गई है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से संतुष्ट न होने पर द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है, जिससे अनुशासनात्मक कार्यवाही, जुर्माना लगाना, दस्तावेजों की प्रस्तुति और निर्दिष्ट अधिकारियों और अपीलकर्ताओं को समन जारी करने की सिविल कोर्ट को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है।

अधिनियम की समीक्षा -लोक सेवा गारन्टी अधिनियम की कुछ बाधक कारकों व उपायों को निम्नानुसार सुझाया गया है यथा-[6]

- राज्यों द्वारा सभी सेवाओं को इस अधिनियम में शामिल न करना- अधिनियम में सम्मलित सेवाओं का दायरा बढाना चाहिए।
- शिकायतों की पहचान में एकरूपता का अभाव- सार्वजनिक समस्या पहचान टूल्स। (आईडेटिफिकेशन टूल्स का प्रयोग)
- शिकायतों के निवारण में एक रूपता का अभाव - एक समान शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता।
- सेवा वितरण में गुणवत्ता सुनिश्चित न कर पाने के प्रावधानों का शामिल न होना- अधिनियम का उद्देश्य सेवा से आगे जाकर गुणवत्तापूर्वक वितरण सुनिश्चित करना।
- कमजोर प्रवर्तन तंत्र- अपने ही जूनियर अधिकारी (प्रथम अपीलीय) के विरूद्ध सीनीयर अधिकारी (द्वितीय अपीलीय) के कदम पर नागरिक अविश्वास-ब्यूरोक्रेसी से अलग अपने प्रवर्तन तंत्र की आश्यकता जैसे राज्यीय ट्रिब्यून।
- नागरिक चार्टर अधिनियम के साथ इस अधिनियम की संयुक्तता वर्तमान समय की मांग- क्रियान्वयन और प्रतिक्रिया के बेहतर तंत्र की आवश्यकता।
- अधिनियम के क्रियान्वित अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता

- अन्य प्रशासनिक और संस्थागत बाधाएं-
    - बुनियादी ढांचे की कमी।
    - मानव संसाधन व उन तक पहुँच की कमी।
    - अधिनियम के बारे में जनजागरूकता का अभाव।
    - समय सीमा का कड़ाई से पालन का अभाव।

वर्तमान समय की मांग इस कानून में संशोधन अधिनियम लाकर इसे प्रभावी जनोन्मुखी, पारदर्शी, सरल आदि बनाने की है। इसके लिए मनरेगा की तरह सोशल ऑडिट, आधुनिक संचार, प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रवर्तन तंत्र में उपयोग किया जा सकता है।

3 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट-1 एवं मिशनमोड परियोजनाएं कार्यक्रम (2006)

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) में देश भर में ई-शासन प्रयासों का एक समग्र सामूहिक दृष्टिकोण है। सरकार ने 27 मिशनमोड परियोजनाओं और 8 घटकों वाली राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) को 18 मई 2006 को अनुमोदित किया। वर्ष 2011 में सूची में 4 परियोजनाएं- स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडीएस और डाक जोड़ दी गईं और इस प्रकार अब 31 मिशनमोड परियोजनाएं (एमएमपी) हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना समग्र देशा में ई-गवर्नेंस पहलों का एक सामूहिक दृष्टिकोणों को एकीकृत करती है। नागरिकों और व्यवसायों को सार्वजनिक सेवा प्राप्ति को वैश्वीकरण के अनूकुल बनाने के लिए सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना इसका प्राथमिक दृष्टिकोण है।[7] भौगोलिक चुनौतियों तथा अंतिम लाभार्थी तक पहुँच के लिए साझा सेवा विवरण केन्द्रों तक सभी सरकारों कार्यलयों को राज्यव्यापी वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) के द्वारा जोड़ा गया। ‘‘कभी भी, कही भी’’ सेवा उद्देश्यों के साथ एकीकृत ऑन लाईन सेवा प्रदान करना इनका प्राथमिक उद्देश्य है। न्यूनतम मूल्य व न्यूनतम समय में सर्वसुलभ नागरिक केन्द्रित सेवाओं तक पहुँच इसका ध्येय वाक्य है। गरीब, वंचित, मुख्यधारा से करे अंतिम लाभार्थी तक सेवा पहुँच के सुशासन रूपी लक्ष्य के साथ सामाजिक और आर्थिक विषमता में कमी लाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कार्यक्रम में मानक, नीतिगत मार्गनिर्देशन, तकनीकी सहायता, क्षमता-निर्माण, अनुसंधान एवं विकास के लिए इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार में अंब्रेला स्ट्रक्चर के रूप में निम्न संस्थानों का गठन किया गया है-

 ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

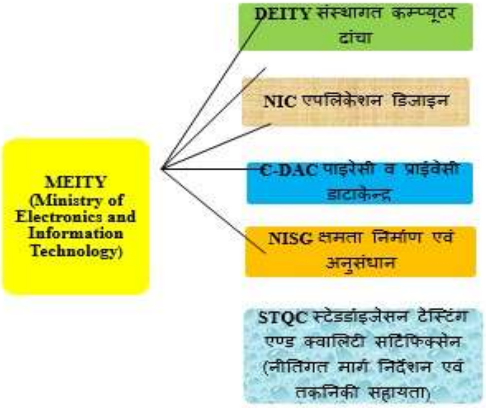

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट-1 का महत्व-

- भारत बढ़े हुए डिजिटलाइजेशन के एक नए युग के लिए तैयार हुआ है।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट-1 ने तेजी से परियोजना अनुमोदन और परियोजना और नियम ट्रैकिंग में सहायता की है।
- सेवाओं में आसानी- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट-1 ने संपत्ति के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, एकल-खिड़की शिकायत प्रशासन और महत्वपूर्ण सेवा रखरखाव, साथ ही कर भुगतान और सरकारी बकाया को आसान बनाया है।
- रीयल-टाइम गवर्नेंस- सार्वजनिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, मौसम और जलवायु संबंधी घटनाओं की निगरानी को आसान बनाया है।
- लागत में कटौती- सरकारी खर्च के बहुमत के लिए स्टेशनरी खातों की खरीद को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट-1 ने डिजिटलीकरण द्वारा आसान बनाया है।
- जवाबदेही- ई-गवर्नेंस ने विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन ट्रैक करके भ्रष्टाचार को कम करने में योगदान दिया है।

इस प्रकार राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट-1 ने डिजिटलीकरण द्वारा आर्थिक समावेश और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देकर 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसी परियोजनाओं के लिए आधार तैयार किया है।

4. डिजिटल इंडिया

ट्रांसफॉर्मिंग ई-गवर्नेंस फॉर ट्रांसफार्मिंग गवर्नेंस ध्येय वाक्य के साथ 25 मार्च 2015 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने इसका अनुमोदन किया था जो 2.5 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड आधारित नेटवर्क से जोड़ेगा।

डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां

डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों पर वर्तमान में एक लाख करोड़ से अधिक प्रशासनिक व्यय हो चुका है, जिसने डिजिटल साक्षरता की दिशा में व्यापक कार्य किया है। चार लाख पब्लिक इंटरनेट केन्द्रों, 2.4 लाख स्कूलों, विश्वविद्यालयों में वाई-फाई, लाखों लोगों को आईटी, टेलीकॉम और इलोक्ट्रोनिक सेक्टर में रोजगार, 2020 तक नेट जीरो प्राप्ति इसके लक्ष्य थे, अधिकांश की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर ली गई है।[8]

5. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NESDA)

ई-सरकार के प्रयासों और डिजिटल सरकार की उत्कृष्टता को बढावा देने के लिए 2019 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NESDA) का गठन किया था। यह संगठन द्विवार्षिक अध्ययन के रिपोर्ट प्रकाशन द्वारा राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों और केन्द्रीय मंत्रालयों की ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता व नागरिक केन्द्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद करता है, साथ ही विभिन्न अनुसंधान नवाचारों, तकनीकी प्रयोग आदि सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है।

NESDA की रिपोर्ट सात क्षेत्रों वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और सेवा उपायोगिता, समाज कल्याण और पर्यटन क्षेत्रों की सेवाओं को शामिल करता है। इसमें प्रत्येक राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 56 अनिवार्य सेवाएँ तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए 27 सेवाएँ शामिल है।

NESDA के दूसरे व नवीनतम संस्करण में प्रथम समूह में पहाडी व उत्तरी-पूर्वी राज्य आते है दूसरे समूह में भारतीय संघ के केन्द्रशासित प्रदेशों को सम्मलित किया गया है, शेष राज्यों को समूह ए व समूह बी में वर्गीकृत किया गया है।

NESDA रिपोर्ट का संक्षिप्त महत्व निम्न बिन्दुओं में दर्शाया गया है-

- राज्यों में ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए प्रोत्साहन होड।
- सेवाओं तक एकीकृत पहुँच।
- समान डिजिटल अनुभव व सहज ज्ञानयुक्त नेवीगेशन।
- बेहतर सामग्री उपलब्धता।
- मजबूत सूचना सुरक्षा।
- गोपनीय तंत्र के माध्यम से उपयोग में आसानी।
- वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से (वर्क फ्रॉम होम जैसी) लचीली कामकाजी नीतियां में एप्प और वेबसाइट का डिजाइन।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग से सेवा प्राप्ति तंत्र में क्षमता निर्माण।

NESDA 2021 रिपोर्ट में ई-सेवाओं की उत्कृष्टता की यात्रा के लिए उत्साहजनक निष्कर्ष प्रदान किए है जिसमें डिजिटल सेवा वितरण में और सुधार की गुंजाइश की संभावना को रेखांकित किया है। NESDA Report महामारी के समय शासन में VPN सुरक्षा उपायों के संचालन की आवश्यकता, वर्क-फ्राम-होम आधारित लचीली कार्यनीतियों, न्यू एप्प डिजाइनिंग, डाटा प्राइवेसी एवं सिक्योंरिटी बिल, हित धारक मार्गदर्शन, ऑन लाईन मूल्यांकन प्रोसेस, एडवाइजरी वर्कशॉप आदि को सेवा वितरण प्रणाली में शामिल करने व बढाने का सुझाव देता है। NESDA के ये प्रयास सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधनों का निर्माण करते हैं, साथ ही अंतिम लाभार्थी तक नागरिक सेवा वितरण को निर्बाध रूप से पहुचाने के लिए जिला प्रशासन की पहलों को भी सम्मलित करता है। इस संस्करण में डिलीटल NESDA फ्रेमवर्क G2B और G2C संस्तर के तहत सेवाओं को भी शामिल किया गया है, साथ ही ऑनलाइन सेवाओं के कवरेज प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के डिजाइन, सार्वजनिक खरीद जैसे पहलुओं को जगह दी गई है।

NESDA 2021 रिपोर्ट के निष्कर्ष-

नेस्डा की रिपोर्ट देशभर में ग्रुप ए के शेष राज्यों में शीर्ष स्थान केरल ने बनाए रखा है, तमिलनाडु ने द्वितीय व पंजाब ने तृतीय तथा गुजरात निम्नतम पायदान पर है। ग्रुप बी राज्यों में उड़ीसा शीर्ष पर है इसके बाद उत्तर-प्रदेश और बिहार है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों में नागालैड़, मेघालय और असम शीर्ष पर है। केन्द्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर सबसे उपर है और उसके बाद अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ है। केन्द्रीय मंत्रालयों के समग्र अनुपालन में गृह मंत्रालय का स्कोर उच्चतम था तत्पश्चात ग्रामीण विकास, शिक्षा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों ने सभी मूल्यांकन मापदड़ों में 80 प्रतिशत से उच्च स्कोर प्राप्त किया है।

NESDA 2023 में निम्नलिखित प्रवृतियां उभरकर आई है-

1. ई-सेवा वितरण में वृद्धि।
2. ई-सेवाओं हेतु केन्द्रीकृत पोर्टल के उपयोग में देशभर में वृद्धि।
3. मूल्यांकन पैरामीटर स्कोर में सुधार।
4. एकल साइलो विभागीय पोर्टल पर स्थानान्तरित होने वाली ई-सेवा वितरण की बढती प्रवृति।

6. राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम अर्थात मिशन कर्मयोगी

इसका उद्देश्य किसी भी पद पर तैनात सरकारी अधिकारी के लिए आवश्यक अधिकारी के लिए आवश्यक बिहेविरियल और फंक्शनल दक्षताओं को आईडेंटिफाई करके मैक्सिमम आउटपुट उसके ड्यूटीस के निर्वहन से प्राप्त करना। विभिन्न संवर्गों भौगोलिक क्षेत्रों में तैनात सभी सरकारी अधिकारियों तक वर्ल्ड क्लास लर्निंग पैटर्न के लिए इक्वल रिच (समान पहुँच) तैयार करना, एक ऑफिसर की रूचियों और कैरियर एम्बीसन्स को पहचानकर प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदर्शनीय विशेषज्ञता का निर्माण करना इसके लक्ष्य है।

 ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

प्रभाव

1. इच्छुक राज्य सरकारें भी अपनी क्षमता अनुसार विकास योजनाओं को इसी तर्ज पर तैयार करने में सक्षम हो सकेगी।
2. एक ऐसी पेशेवर, सुप्रशिक्षिति और भावी दृष्टिकोण रखने वाली सिविल सेवा का निर्माण करना जो-

a. भारत की विकासात्मक आकाक्षाओं राष्ट्रीय कार्यक्रमों व प्राथमिकताओं की साझा समझ।
b. दक्षता उन्मुख प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन प्रबंधन का एक व्यस्थित तंत्र।
c. नागरिक व समाज के परस्पर सम्बन्ध रखने वाली हो।

इस प्रकार मिशन कर्मयोगी केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के कार्यात्मक व व्यवहारात्मक दक्षताओं का विकास करने वाला एक समग्र विकास कार्यक्रम (Holistic Development Programme) है जिसका पूर्ण उपयोग अंतिम उत्पादन (End Production) सिविल सेवाओं को बेहतर सेवा प्राप्ति के लिए वैश्विक मानदंड़ो के आधार पर तैयार करना है।[9]

7. सुशासन सूचकांक (Good Governance Index (GGI)

सुशासन सूचकांक व्यापक व कार्यान्वयन योग्य फ्रेमवर्क में राज्यों/जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग बना कर राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन करके विकास हेतु प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना है।[10] Darpag ने 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस मनाने के उपलक्ष में 2019

में पहली बार इस रैंकिंग को जारी किया गया था। GGI की श्रेणियां निम्नलिखित आरेख में विभाजित की गई है-

सुशासन सूचकांक 2020-21 का संक्षिप्त मूल्यांकन निम्नानुसार है-

- 58 सूचकाकों के साथ गुजरात समेकित रैकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है।
- उत्तर-प्रदेश ने 8.9 प्रतिशत सुधार के साथ कम्पोजिट गुड गवर्नेंस स्कोर किया।
- हिमाचल प्रदेश ने कम्पोजिट रैकिंग की उत्तरी-पूर्वी/पहाड़ी राज्य श्रेणी में टॉप किया।
- केन्द्रशासित प्रदेशों की कम्पोजिट जीजीआई स्कोर में 3.7 प्रतिशत के साथ जम्मू-कश्मीर ने सुधार किया और केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली ने टॉप किया।
- समूह ए के राज्यों में गोवा ने उच्चतम वृद्धिशील परिवर्तन 24.7 के साथ प्रदर्शित किया।
- समूह ख के राज्य में मध्यप्रदेश टॉप पर रहा तत्पश्चात राजस्थान व छतीसगढ ने क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए।
- झारखण्ड ने सर्वाधिक वृद्धिशील परिवर्तन 12.6 प्रतिशत इस समूह में प्राप्त किया।

राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र- नेशनल सेन्टर फॉर गुंड गवर्नेस (NCGG) राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र यह मंच सुशासन सुधारों को लागू करने में सरकार के मार्गदर्शक की भांति कार्य करता है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

- यह संस्थान राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय स्तर पर उच्च स्तरीय शोध और क्षमता निर्माण संस्थान के रूप में कार्य करता है।[11]

- NCGG श्रेष्ठ पद्धतियों, पहल और कार्य प्रणालियों जो ई-गवर्नेंस, नवाचार और सरकार के भीतर चैंज मैनेजमेंट (Change Management) को प्रोत्साहित करे उसके इंफ़ॉर्मेशन कलेक्शन सेंटर (Information Collection Centre) के रूप में कार्य करता है।
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों में शासन के मुद्दों पर तालमेंल बिठाते हुए सुशासन को सार्थक बनाता है।
- लोक प्रबंधन के वैधानिक पहलुओं पर राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करता है।
- नवचारी विचारों व नवचारी कार्य-पद्धतियों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ शोध एवं क्षमता निर्माण के लिए सम्पर्क करता है।
- उन्नत शासन को प्रोत्साहित करने के लिए एडवाइजरी/वर्कशॉप/ सेमीनार/कॉनफ्रेंस/डायलॉग्स का आयोजन करता है।
- क्रियात्मक अनुसंधान/अध्ययन से सम्बंधित शासन के मुद्दों पर नागरिक-केन्द्रित अप्रोच विकसित करता है।
- सुशासन को बढावा देने वाली विशिष्ट पहलों के द्वारा शैक्षिक एवं बौद्धिक अन्तर-समन्वय को स्थापित करता है।[12]
- सुशासन सूचकांक को तैयार करने में पर्यवेक्षी के रूप में कार्य करता है।
- World Good Governance Report में भारत के लिए प्रतिनिधित्व करता है।[13]
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (नीति-आयोग) रिपोर्ट बनाने में मार्गदर्शक का कार्य करता है। Public Policy और Governance पर, सार्वजनिक नीति प्रशासन,राष्ट्रीय महत्व केंद्र, आईआईएम, आईआईटी विभिन्न केंद्रीय और डीम्ड विश्वविद्यालय आदि के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करता है।[14]

8. सेवोत्तम फ्रेमवर्क (Sevotam Frame work Modules)

सतत आधार पर सेवा प्राप्ति गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए मूल्यांकन सुधार ढांचा संस्थानिकरण ही सेवोत्तम फ्रेमवर्क कहलाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए यह विभिन्न स्टैक होल्डर (Government Private & Citizens) के मध्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य करता है।

भारत ने सार्वजनिक सेवा प्राप्ति के क्षेत्र में बुनियादी पहुँच प्रदान करने के क्षेत्र में व्यापक प्रदर्शन किया है परन्तु विभिन्न संस्थागत, प्रणालीगत, अनौपचारिक आदि कारणों की वजह से प्रदर्शन निम्नस्तरीय रहा है।

इस शोध अध्ययन में ऐसे ही कुछ कारकों की पहचान की गई है, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नानुसार बिन्दुओं में है-

- लोक सेवकों का अल्पवाधिक कार्यकाल, व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता निर्माण का अभाव और नौकरशाही जटिलताओं (लालफीताशाही, उच्च संभ्रात मानसिकता, राजनीतिक निकटता) के कारण भ्रष्टाचार के अवसरों में वृद्धि।
- राजनीतिक उदासीनता व पर्याप्त प्रोत्साहन न होने के कारण परिवर्तन के लिए प्रभावी नागरिक दबाव का उत्पन्न न होना।
- परस्पर अतिव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की बहुलता और धीमी भ्रष्टाचार विरोधी कानूनी प्रक्रियाएं, जवाबदेही तंत्रों की कमजोरियाँ, चुनावों की अविनियमित लागत और वित्त पोषण हेतु वैद्य स्रोतों का अभाव।
- सार्वजनिक सेवाओं की बहुविविध प्रकृति इसलिए मानकों को लागू करना कठिन होता है, क्योंकि गुणवत्ता व मात्रा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नही होती है।
- बुनियादी ढांचे के अभाव में ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में भौतिक पहुँच का अभाव और सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति व वितरण के दौरान ग्राहक के समय स्लॉट और बेमेल भाषा (विशेषतया अल्पंसख्यक भाषाई निवासित क्षेत्रों में)

- आर्थिक उदारीकरण के बाद मुक्त बाजार नीति से उत्पन्न प्रभाव जैसे असमानता का उच्च स्तर, श्रम उत्पादकता का प्रतिकूल प्रभाव जिससे न्यून मानव पूंजी विकास परिणाम के रूप में होता है।
- अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि दर और न्यून मानव पूंजी विकास से नवाचार व तकनीकी परिवर्तन की न्यूनदर फलस्वरूप अल्प आर्थिक विकास दर।

लोक प्रशासन की प्रभावशीलता सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। अतः इनके वितरण में निम्नानुसार सुधार व प्रयास अपेक्षित है-

- राजनीतिक दलीय विचारधारा व नेतृत्व के दृष्टिकोण से परे दलीय सहमति।
- लोक-सेवको के कार्यकाल की स्थिरता और प्रबन्धकीय स्वायत्तता।
- सेवा वितरण परिणामों में सुधार हेतु संस्थागत प्रतिस्पर्धा को बढावा देना।
- ई-गवर्नेंस, आईसीटी, मोबाइल गवर्नेंस जैसे प्रौद्योगिकी उन्मुख प्रणालियों के उपयोग माध्यम से लेन देन को सरल बनाना।
- कार्य संचालन प्रक्रियाओं में परिवर्तन जो राज्य व नागरिकों के मध्य सम्पर्क को सुगम बनाती है।
- केन्द्रीकृत निगरानी प्रणालियों का निर्माण, अंतर, एजेन्सी समन्वय में सुधार, प्रभावी सिविल सोसायटी सम्बन्ध जैसे अन्त:संगठनीय प्रक्रियाओं की री-इंजिनियरिंग।
- बेहतर सेवा वितरण के स्थानीय स्तरीय रक्षोपायों के साथ विकेन्द्रीकरण को अपनाना।
- सूचना तक पहुँच को बढावा देना, दुर्भावना के विरूद सार्वजनिक दबाव उत्पन्न करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों का उपयोग करना।
- मीडिया सिविल सोसायटी, नागरिक दबाव समूहों का क्षमता निर्माण
- सार्वजनिक सेवाओं की होम डिलीवरी, सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार जैसे प्रगतिशील कानूनों का निर्माण व अधिनियम।
- व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आईएफसी) अभियान जिससे नागरिक अधिकार व दायित्व की समझ उत्पन्न हो।

निष्कर्षत

उपरोक्त संदर्भित बिन्दु भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण पर प्रकाश डालते है। इसमें सुधार के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता वर्तमान की मांग है। नागरिक केन्द्रित सेवाओं में गुणवत्ता व क्रमिक सुधार के लिए केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर्याप्त नही है इनकी प्रभावी

वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सर्विस डिलीवरी के प्राइवेट स्टैक होल्डर को भी सम्मलित करना पडेगा, साथ ही संचार व सूचना के माध्यमों को प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकों से जोडना पडेगा ताकि सरकारी कार्यों व परियोजनाओं का अधिकतम आउटपुट मिल सके। नागरिकों की सेवा पहुँच को और अधिक व्यापक बनाना होगा। 5जी सेवा से जोडकर M. Governance जैसी Soft Application Based Services को ओर अधिक प्रभावी व सैंधप्रुफ बनाना होगा। सरकारी बेवसाईट को अद्यतन रखते हुए प्रक्रियाओं को सरल व बहुभाषी बनाना होगा जिससे आमजन की समझ व पहुँच बढ सके। नागरिक केन्द्रित सेवाओं की प्रभावी गुणवता सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी को निष्पादन एवं क्रियान्वयन के मानकों पर खरा उतरने के लिए इनको पारदर्शी निष्पक्ष, सुधारात्मक एवं गुणवतापूर्वक बनाना होगा। परम्परागत प्रशासन, प्रशासनिक जटिलताओं व प्रशासनिक कार्य संस्कृति की औपनिवेशिक मानसिकता से युक्त है जो काम को करने के बजाए टालने की प्रवृतिन्मुख होता है। जनसामान्य के व्यवहार के प्रति उदासीनता, कार्यालयिक संस्कृति का विस्तार को अगर किसी न रोका है तो वह कम्प्यूटर जनित सूचना प्रौद्योगिकी का सम्मलित अनुप्रयोग है, जिसने उपयुक्त परेशानियों को कम करके जनसामान्य को सेवान्मुख बनाया है। इसके लिए हितधारकों को सेवाओं की गुणवत्ता का आंकलन करने में समर्थ बनाने के साथ साथ नौकरशाही को प्राथमिकता के आधार पर सेवाओं का वितरण हेतु प्रोत्साहन तंत्र तैयार करना होगा। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं के फ्रंटलाइन डिलिवर्स को वेतन के साथ प्रदर्शन आधारित बनाना होगा जिससे पसंदीदा स्थान पर स्थानान्तरण वित्तीय प्रोत्साहन से अधिक प्रभाव होता है।

सार्वजनिक सेवाएँ और कार्यक्रम साधारणतया सरकारी नियमों और विनियमों के माध्यम से एक जटिलजाल द्वारा बिचौलियों से युक्त होकर अंतिम लाभार्थी तक पहुँचते है। वर्तमान में इन बिचौलियों को समाप्त करके सरकार व अंतिम लाभार्थी के बीच सीधा इंटरफेस बनाना है जैसे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से युक्त सब्सिडी युक्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाना। प्रशासन में पारदर्शिता बढाकर लोकतांत्रिक रूप से लामबंद समुदाय अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर अधिक दबाव डालने व बेहतर सेवाओं की डिलीवरी कराने में सक्षम होते है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण ग्राम परिषद की गतिविधियों में व्यापक जनभागीदारी स्थानीय नेताओं के साथ उच्च स्तर के राजनेताओं पर भी अधिक प्रभाव डालती है। राज्य की क्षमता को बढाने के उपायों में शासन के विकेन्द्रीकरण, लोकतांत्रिक लामबंद समुदायों के निर्माण हेतु प्रभावी जनचेतना, निगरानी तंत्र का विकास प्रत्यक्ष इंटरफेस का निर्माण, मानव पूंजी में निवेश आदि उपायों के साथ धीमी व बोझिल न्यायिक प्रणालियों के स्थान पर फास्ट ट्रेक न्यायालयों का निर्माण भी प्रशासनिक सुधारो में अपेक्षित है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावकारिता को बढा सकते है। अनौपचारिक निगरानी व प्रवर्तन सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी में राज्य की क्षमता वर्धन के प्रभावी उपायों में से एक है जो डिलीवरी की प्रक्रिया में बिचौलियों

की भूमिका को कम करने में कारगार होते है। नागरिकों को लाभ का सीधा वितरण सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी जैसे बायोमेट्रिक्स भी प्रभावी तंत्र है जो गवर्नेंस में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर का आधार-समर्थित नकद हस्तान्तरण से सम्बंधित है।

संदर्भ सूची

1. रिपोर्ट, प्रतिवेदन. (2016). ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नई दिल्ली: प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत निवारण विभाग भारत सरकार.
2. गुप्ता, स्मिता. द स्टेट सिटीजन एंड जस्टिस. मसूरी: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी प्रकाश
3. https://rti.gov.in/rti-act.pdf
4. आलम, अफरोज. (2007). सूचना का अधिकार. नई दिल्ली: जमात-ए-इस्लामी हिंद प्रकाशन.
5. https://home.rajasthan.gov.in/content/homeportal/en/homedepartment/nodalofficer/loksevaguranteeact.html
6. https://ccs.in/panel-discussion-power-people-strengthening-public-service-guarantee- laws-india
7. Bhargava Deepak, Impact of E-Governance on the Selected Processes of the police Department-A Case Study of Rajasthan Police.
8. https://digitalindia.gov.in/approach-methodology/
9. https://cbc.gov.in/acbp-approach-paper
10. रिपोर्ट, वार्षिक. (2020). भारत सुशासन सूचकांक सूची. नई दिल्ली: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार
11. https://darpg.gov.in/sites/default/files/GGI_2021.pdf
12. Swamy Raju Narayana, IAS, Effective e-Governance and Development, October, 2010, CSI Communications mazgine, p.26
13. https://www.iipa.org.in/publication/public/uploads/article/10291684475859.pdf

1. http://www.ncgg.org.in/sites/default/files/lectures-document/1_1.pd

1. रिपोर्ट, प्रतिवेदन. (2016). ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नई दिल्ली: प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत निवारण विभाग भारत सरकार.

[2] गुप्ता, स्मिता. द स्टेट सिटीजन एंड जस्टिस. मसूरी: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी प्रकाशन

[3] https://rti.gov.in/rti-act.pdf

[4] आलम, अफरोज. (2007). सूचना का अधिकार. नई दिल्ली: जमात-ए-इस्लामी हिंद प्रकाशन.

[5]https://home.rajasthan.gov.in/content/homeportal/en/homedepartment/nodalofficer/loksevaguranteeact.html

[6] https://ccs.in/panel-discussion-power-people-strengthening-public-service-guarantee- laws-india

[7] Bhargava Deepak, Impact of E-Governance on the Selected Processes of the police Department-A Case Study of Rajasthan Police.

[8] https://digitalindia.gov.in/approach-methodology/

[9] https://cbc.gov.in/acbp-approach-paper

[10] रिपोर्ट, वार्षिक. (2020). भारत सुशासन सूचकांक सूची. नई दिल्ली: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार

[11] https://darpg.gov.in/sites/default/files/GGI_2021.pdf

[12] Swamy Raju Narayana, IAS, Effective e-Governance and Development, October, 2010, CSI Communications mazgine, p.26

[13] https://www.iipa.org.in/publication/public/uploads/article/10291684475859.pdf

[14] http://www.ncgg.org.in/sites/default/files/lectures-document/1_1.pdf

दिव्यांग विद्यार्थियों से संबंधित सामाजिक मुद्दे: चुनौतियां और संभावनाएं

पूजा कुमारी शाह
poojashah50284@gmail.com

डॉ.हेमचंद्र लक्ष्मणराव ससाने
sasane.h43@gmail.com

शिक्षा शब्द का मूल **"शिक्षा विधोपदाने"** [75]धातु से हैं,तदनुसार, "शिक्षने उपदीयते विधा यथा सा शिक्षा:" अर्थात विधा का अपादान किया जाए वह शिक्षा हैं | शिक्षा साधन हैं ,विधा साध्य हैं ; इस प्रकार शिक्षा का आधार केवल पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक और अध्यापक ही नहीं अपितु ज्यों -ज्यों जीवन और समाज अपनी दिशाएँ बदलता रहता हैं , उसी प्रकार शिक्षा भी अपने स्वरूप [76] में परिवर्तन करती चलती हैं शिक्षा ग्रहण करने के स्रोत बहुत व्यापक हैं | कामंदक में कहा गया हैं कि

आचार्यत पादं आधंते , शिष्य: पादं स्वमेधया |
पादं सब्रह्चारिभ्यो, पादं कालक्रमेण तु ||[77]

इस प्रकार शिक्षा का एक चौथाई भाग सहपाठियों से , एक चौथाई अपनी बुद्धि से और शेष जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है | दिव्यांग विद्यार्थियों की चुनौतियां वर्तमान सन्दर्भ में शिक्षा , नोकरी , ज्ञान कोशल के आपसी सम्बन्धों पर ध्यान दे तो शिक्षा के प्रति आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम शिक्षा को किस प्रकार से सर्जन धर्मी बनाए | दिव्यांग बालक पूरी तरह से दृष्टहीन होते हैं। इन बालकों को शिक्षा देना अत्यन्त कठिन एवं श्रमसाध्य कार्य है। इनको केवल व्यक्तिगत रूप से ही शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का बाहरी दुनिया के साथ समायोजन स्थापित करना होता है। शिक्षक इन बच्चों के दोस्त या साथी की तरह कार्य करें तथा उसके और समाज के मध्य संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। इन बच्चों के लिये ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाये, जहाँ इनके अन्य अंगों का अधिकतम् उपयोग हो सके। नेत्रहीन बालकों के लिये विशेष शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि इन बच्चों को केवल व्यक्तिगत रूप से ही निर्देश देना संभव है। शैक्षिक सुविधायें, जो इन बालकों के समुचित विकास के लिये आवश्यक हैं, निम्नलिखित हैं-

[75] भारती(2016), शिक्षा में सुधार चुनौतियां अपार; आचार्य प्रकाशन इलाहाबद , पेज नंबर 13
[77] वही.....

1. **आवासीय विद्यालय**: नेत्रहीन बालकों को सामान्य विद्यालयों में नहीं रखा जा सकता। इनके लिये विशेष आवासीय विद्यालय हों, तो अधिक उपयुक्त होगा। इन विद्यालयों में नेत्रहीन बालकों को अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सफलतापूर्वक, बिना किसी की सहायता के पूरा करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इन विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं, जो स्वयं भी नेत्रहीन हो सकते हैं क्योंकि नेत्रहीन व्यक्ति ही दूसरे नेत्रहीन व्यक्ति की समस्याओं को सही प्रकार से समझ सकता है।
2. **विशेष उपकरण**: नेत्रहीन बालकों को शिक्षा के लिये विशेष उपकरणों एवं माध्यम की आवश्यकता होती है। ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकें, श्रवण कैसेट्स, प्रतिमान (models) इत्यादि आवश्यक हैं।
3. **विशिष्ट पाठ्य सहगामी क्रियायें**: नेत्रहीन बालकों के लिये विद्यालय में अनेक सामाजिक क्रियायें (social activities) जैमे नृत्य, संगीत, स्काउट, साहित्यिक क्लब, कला क्लब इत्यादि| अधिकाधिक रूप से आयोजित किया जाना चाहिये। चित्रकारी इन बालकों के लिये संभव नहीं है, उसके स्थान पर मिट्टी से मूर्ति बनाना (clay modelling) जैसे कार्य कराए जा सकते हैं। जिसे छूकर आकृति पहचान कर वैसा ही मिट्टी का मॉडल तैयार कर सकते हैं। ड्रामा अथवा नाटक, भ्रमण तथा शैक्षिक टूर इत्यादि क्रियायें नेत्रहीन बालकों को शिक्षित करने का महत्त्वपूर्ण साधन हैं।
4. **व्यावसायिक प्रशिक्षण**: विशेष प्रकार की कार्यशालायें, जिन्हें आश्रय कार्यशाला कहते हैं, नेत्रहीन बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार देने में सफल सिद्ध हुई हैं। मुम्बई में एक इसी प्रकार की कार्यशाला निर्मित की गयी है, जहाँ दृष्टि विकलांग बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार दिया जाता है।
5. **शारीरिक शिक्षा**: दृष्टिहीनता बालक की शारीरिक क्रियाओं को सीमित कर देती है, अतः इन बालकों को शारीरिक शिक्षा देकर इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इन बच्चों के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में जिम्नास्टिक, दौड़ना, तैराकी, कुश्ती इत्यादि सम्मिलित की जानी चाहिये। अब इन बालकों के लिये इस प्रकार की खेल सामग्री तैयार की जा रही है, जो ध्वनि करती है, जिन्हें आवाज के सहारे ये पहचान सकते हैं। नेत्रहीन बालिकाओं की शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में घरेलू कार्यों पर अधिक बाल दिया जाता है। यह सब क्रियायें इन्हें अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायक होती हैं।
6. **विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक** -नेत्रहीन बालकों को शिक्षित करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिये। नेत्रहीन व्यक्ति को भी यहाँ अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है। इससे दो लाभहो सकते हैं
   - एक नेत्रहीन अध्यापक नेत्रहीन बच्चों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकेगा।

- एक नेत्रहीन व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। नेत्रहीन बच्चों के अध्यापक को क्राफ्ट शिक्षण में भी प्रशिक्षित होना चाहिये।

दिव्यांग जन की शिक्षा

सैमुअल ए. किर्क ने आंशिक दृष्टहीनता एवं ज्ञानात्मक योग्यता (Cognitive ability) में सहसम्बन्ध देखने का प्रयास किया तथा यह पाया कि इस कमी से बच्चे के ज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल बच्चे का सामाजिक एवं संवगात्मक विकास प्रभावित होता है। ये बालक स्वयं को दूसरों से निम्न एवं उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। इन बालकों की शिक्षा के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं-

1. **समय समय पर चिकित्सीय परीक्षण**: एक बार दृष्टि दोष ज्ञात हो जाने पर वह बढ़ता तो नहीं जा रहा, इसकी जाँच के लिये समय-समय पर नेत्र चिकित्सीय परीक्षण करवाते रहना चाहिये। प्रायः अभिभावक इतने जागरुक नहीं होते हैं, अतः यह उत्तरदायित्व विद्यालय को पूरा करना चाहिये।
2. **विशिष्ट कक्षाये**: इन बालकों के लिये विशेष कक्षायें आयोजित की जा सकती हैं, जिनमें सामान्य कक्षा से सीखने में जो कमी रह गयी हो, उसे दूर करने के प्रयास किये जा सकते हैं। विशिष्ट अध्यापक हों, जो इन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्यायें सुलझाने में सहायता करें।
3. **विशिष्ट पाठ्य सहगामी क्रियायें**: ऐसी क्रियायें, जिनमें श्रवण तथा स्पर्श संवेदी अंगों (Hearing & touch sense organs) का अधिक उपयोग होता हो, इन बालकों के लिये आयोजित की जा सकती हैं। जैसे बजने वाली गेंद से खेलना, अन्त्याक्षरी, इत्यादि। इन क्रियाओं में उपलब्धि से इन बालकों में एक आत्मविश्वास पैदा होता है।
4. **दृश्य पर आधारित कार्यों में कमी**: ऐसे कार्य कम कराये जायें, जो दृष्टि पर आधारित हों, क्योंकि ये बालक उन कार्यों में सफल नहीं हो सकते हैं।
5. **कक्षीय व्यवस्था**: सामान्य कक्षा में इन बालकों के लिये कुछ विशेष सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं-
   - इन बालकों को आगे की पंक्ति में बैठायें।
   - शिक्षक श्यामपट पर कार्य करते समय मुँह से भी बोलता रहे।
   - श्यामपट पर अधिक बड़े आकार के एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखे।

दिव्यांगजनों के प्रति समाज अपने नजरिये में थोड़ा सा भी परिवर्तन ले आये और दिव्यांगों को अपना कर उनके उचित अधिकार दे तो यह आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है कि दिव्यांगों का समाज के प्रति योगदान दूसरे सामान्य जनों से अधिक हो जाता है और कई मामलों में वे समाज का न केवल नेतृत्व

 ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

करते हैं, वरन नये आविष्कार तक कर जाते हैं। लुइस ब्रेल का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने कई लिपि का आविष्कार किया। रूजवेल्ट का उदाहरण बताता है कि अपनी दिव्यांगता का कितना बड़ा उपयोग कर एक शारीरिक दिव्यांगता कोई नहीं चाहता, यह केवल परिस्थितियों पर निर्भर है। हमें उन विपरित परिस्थितियों को जिनसे दिव्यांगता हो गयी है, उन्हें दिव्यांग व्यक्ति के अनुकूल बनाना होगा, कि उसे कहाँ कमी है और उसकी उस कमी को पूर्ण करके उसके अन्दर छिपी अतिरिक्त विशिष्टता को उजागर कर उसकी प्रतिभा को सही प्रकार से उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाये। दिव्यांग व्यक्ति के परिवार, दोस्त, रिश्तेदार तथा समाज के लोगों को चाहिए कि उसको दिव्यांगता के साथ स्वीकार करें। उसे बार-बार उसकी कमियां याद न दिलाते रहें, बल्कि उसका हौंसला बढ़ाते रहें तथा उससे मेल जोल बढ़ाकर उसके जीवन को सफल बनाने के लिये उसको बिना अहसास दिलाए सहारा दें।

दिव्यांग व्यक्ति किस कारण से दिव्यांग हुआ है, यह परीक्षण करायें तथा यथानुसार उसका इलाज, उचित शिक्षा तथा पुनर्वसन की व्यवस्था करने में सहायता करें। दिव्यांग को नफरत अथवा कटाक्ष की नजरों से न देखे, उसके अन्दर हीन भावना उत्पन्न न होने दें। दिव्यांगता को अभिशाप न समझे तथा इसे पुनर्जन्म से न जोड़े। उसे सही और सामान्य जीवन का अवसर दें।

दिव्यांगों के पुनर्वसन की जिम्मेदारी आगे बढ़कर समाज को लेनी चाहिए। केवल सरकार के भरोसे यह कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, किन्तु उसके प्रयासों में कई कारणों से कहीं कमी रह जाती है। कई बार कम दिव्यांगता वाले लोग भ्रष्टाचार के बल पर अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगा कर नौकरी हासिल कर लेते हैं और दूसरों का हक मार लेते हैं, इससे सरकारी प्रयास सतही हो जाते हैं।

दिव्यांगों के प्रति समाज की सोच बदलना आवश्यक है, इससे दिव्यांगों के प्रति समाज में सुयोग्य वातावरण तैयार होगा। दिव्यांगों के आवागमन को सुगम बनाना होगा। नगर निगमों, महानगरों, छोटे बड़े शहरों में अधिनियम 1995 में दिव्यांगों के लिये 3 प्रतिशत रोजगार आरक्षण, शासन के बजट की 3 प्रतिशत धनराशि दिव्यांगों के लिये व्यय करने की व्यवस्था की गयी है, उस

सामान्य व्यक्ति भी कभी कभी बीमार पड़ते हैं और उनका इलाज कराना पड़ता है, इसी तरह दिव्यांगों का भी उपचार कराना चाहिए। उनके पुनर्वसन के प्रबंध करने चाहिए। सही उपचार और उचित शिक्षा से दिव्यांगता कम की जा सकती है।

- शासन द्वारा दिव्यांगों के हित में चलाये जा रहे कार्यक्रमों तथा उनके विशेषाधिकारों के बारे में दिव्यांगों को जानकारी दें तथा उनको अधिकार दिलवाने में मदद करें। इस कार्य में मानवीय, संवेदनशील व्यक्ति एवं गैर सरकारी संस्थाएं बहुत योगदान कर सकती हैं। विद्यालय, सामाजिक, राजनैतिक दल आदि भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

- दिव्यांगों के चलने फिरने तथा इधर उधर जाने को सुगम बनाया जाये।
- शासन द्वारा दिव्यांगों के लिए आवंटित बजट को शत-प्रतिशत पारदर्शिता पूर्वक उनके हितों के लिए चलाए जा सके, कार्यक्रमों पर व्यय किया जाये।

दिव्यांगजनों के लिए केन्द्र सरकार की योजनाएं

- मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2016 में डिसेबिलिटी बिल लागू किया व 21 प्रकार के दिव्यांग को इस बिल में शामिल किया।
- सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया गया है।
- दिव्यांगों को अपशब्द कहने पर एफआईआर का प्रावधान है।
- सुगम्य भारत अभियान के तहत सभी सरकारी इमारतों में रैम्प और लिफ्ट की व्यवस्था कराई गयी।
- दिव्यांगजनों के लिए, जिला दिव्यांगजन कोर्ट की व्यवस्था की गई, ताकि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
- दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना लागू की गई।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिव्यांगजनों को छूट।
- नगर निगम के गृहकर व जलकर में दिव्यांग प्रमाण पत्र के प्रतिशत के अनुसार छूट।
- घर, जमीन का बैनामा कराने के लिए स्टाम्प शुल्क में दिव्यांग प्रमाण पत्र के प्रतिशत के अनुसार छूट।
- जिन दिव्यांगजनों की वार्षिक आय तीस हजार रूपये है, उनको 2500 रूपये प्रति माह समाज कल्याण विभाग से पेट्रोल की सब्सिडी मिलती है।
- जो दिव्यांगजन दृष्टिबाधित है, उनको हवाई जहाज में यात्रा फ्री है।
- दिव्यांगजनों को रेल व बस में दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार यात्रा में छूट मिलती है। रेल में यात्रा के दौरान सहायक का रिजर्वेशन अब आवश्यक नहीं है।
- दिव्यांगजनों को शादी करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से 20 हजार रू. मिलते हैं।
- दिव्यांगजनों को छोटा रोजगार करने के लिए 10 हजार रू. का लोन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से मिलता है।
- दिव्यांगजनों को गाड़ी खरीदने में गाड़ी पर लगने वाली जीएसटी माफ होती है और आर.टी.ओ. का रजिस्ट्रेशन फ्री होता है व इश्योरेंस में दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार छूट मिलती है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिव्यांग विद्यार्थियों से संबंधित सामाजिक मुद्दे: चुनौतियां और संभावनाएं में दिव्यांग विद्यार्थियों की चुनौतियां व र्तमान सन्दर्भ में शिक्षा , नोकरी , ज्ञान कोशल के आपसी सम्बन्धों पर ध्यान दे तो शिक्षा के प्रति आज की सबसे बड़ी चुनौतियों को कम करने में साकार हो पाएँगे |

संदर्भ सूची

1. मिश्र, विनोद (2007), विकलांगता : सम्सयाएँ व समाधान, नई दिल्ली, जगतराम एंड संस प्रकाशन |
2. कुमार, संजीव (2008), विशिष्ट शिक्षा. नई दिल्ली, जानकी प्रकाशन |
3. मिश्र, गिरीश्वर(2017), भारत में शिक्षा चुनौतियां और अपेक्षाएं , नई दिल्ली, समसामयिक प्रकाशन
4. पाल, गौतम(2022), दिव्यांगता अभिशाप नहीं. नई दिल्ली, पुष्पांजलि प्रकाशन, पेज नंबर 32 से 35
5. राय ,(2022) दिव्यांगता का परिचय . नई दिल्ली,रिनोभा इंटेरनेशनल पब्लिकेशन्स

भारत की जनसंख्याः चुनौतियाँ एवं अवसरों पर अध्ययन

विकास टांक
शोधार्थी,सामाजिक प्रबंधन विभाग
सामाजिक विज्ञान संकाय
गुजरात केन्द्रिय विश्वविद्यालय।

आलेख

भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर युवा वर्ग, महत्वाकांक्षी आबादी, एक मजबूत व्यापारिक भावना और बहुत सारे प्राकृतिक और मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रखते हैं। यह एक ऐसा देश है जो तेज़ी से सभी आयामों में बढ़ रहा है। जैसे–जैसे देश आधुनिकता को अपना रहा है और गति से आगे बढ़ रहा है, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, कृषि भूमि और खाद्य उत्पादन जैसे कई क्षेत्रों में एक नए भारत के उभरने की कई संभावनाएँ हैं।

परिचय

भारत सरकार के लिए अवसर

भारत एक ऐसा देश है जो तेज़ी से बदल रहा है। इसका मुख्य स्तंभ यहाँ की युवा जनसंख्या, सक्रिय आबादी, मज़बूत अर्थव्यवस्था और समृद्ध संस्कृति है। जैसे–जैसे देश आगे बढ़ रहा है और आधुनिक होता जा रहा है, नए भारत को उभरने के कई अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। नए भारत के लिए सबसे अच्छे अवसरों में से एक प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास होना। भारत में बहुत से इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं जो अपने काम में बहुत पारंगत हैं, भारत में स्टार्टअप संस्कृति भी बहुत गति से बढ़ रही है। इससे भारत को प्रौद्योगिकी में विश्व का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है, जैसे कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिटकॉइन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में।

भारत में ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है जो उच्च गुणवत्ता वाली विद्यालय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा चाहते हैं। जैसे–जैसे देश आधुनिक होता जा रहा है, उसे उच्च स्तर के तकनीकी युक्त विद्यालयों, महाविद्यायों और चिकित्सालयों की आवश्यक्ता है जो लोगों को विश्वस्तरीय गुणवत्तायुक्त शिक्षा एंव चिकित्सा सेंवाएं प्रदान कर कर सकें। इससे व्यवसायों और निवेशकों को इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने का मौका मिलता है। नये भारत के पास प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कई अन्य क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करने के कई अवसर हैं। अगर उचित

योजनाएँ, निवेश और विचार बनाए जाएँ तो भारत दुनिया के सबसे गतिशील और समृद्ध देशों में से एक बनने की क्षमता रखता है।

साहित्य की समीक्षा

किसी विषय पर पहले से लिखी गई बातों की समीक्षा और अध्ययन करना शोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भारत कि जनसंख्या की समस्याओं और अवसरों की बात आती है, तो ऐसे कई अध्ययन, रिपोर्ट और लेख हैं जो देश की जनसंख्या से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में उपयोगी जानकारी देते हैं।

विश्व बैंक का कहना है कि भारत में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में अभी भी बड़ी खाई है। इन समस्याओं को हल करने के लिए, हमें ऐसी नीतियों की ज़रूरत है जो सामाजिक और आर्थिक समावेशन का समर्थन करें, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर पैसा खर्च करना और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार हों।

कुल मिलाकर, भारत की चुनौतियों और अवसरों पर शोध से पता चलता है कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास पर समग्र तरीके से काम करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर भारत कई अलग–अलग मोर्चों पर काम करता है तो वह अपने सभी लोगों के लिए अधिक समावेशी, स्थायी और सफल भविष्य का निर्माण कर सकता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश

जनसांख्यिकीय लाभांश वह समय होता है जब किसी देश में काम करने वाले लोगों की संख्या मदद की ज़रूरत वाले लोगों की आबादी से अधिक होती है। इससे अधिक आर्थिक वृद्धि और विकास होता है। जन्म दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण, अब अधिक लोग कामकाजी आयु के हैं, जिससे यह जनसांख्यिकीय अवसर संभव हो पाया है।

इस दौरान, जो लोग काम करने के लिए पर्याप्त उम्र के हैं, वे अधिक उत्पादक बनकर और कार्यशील जनसंख्या में शामिल होकर अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद कर सकते हैं। यह स्कूली शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश करके आसानी से किया जा सकता है, जिससे लोगों को बेहतर नौकरी पाने और काम शुरू करने पर अधिक पैसा कमाने में मदद मिल सकती है। अधिक सामान और सेवाएँ खरीदने वाले कामकाजी उम्र के लोगों की बढ़ती संख्या भी माँग को बढ़ा सकती है और अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद कर सकती है। इससे करों से अधिक धन भी आ सकता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं और निर्माण परियोजनाओं के भुगतान के लिए किया जा सकता है जो अर्थव्यवस्था को और भी अधिक बढ़ने में मदद करते हैं

लेकिन जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने के लिए, सरकारों और अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसा वतावरण बनाना होगा जो आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करे। इसका मतलब है शिक्षा और प्रशिक्षण पर अधिक निवेश करना, नौकरियाँ उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि सभी को स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग सेवाओं जैसी मुलभुत सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित हो।

अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अवसर

अर्थव्यवस्था में वृद्धि और प्रगति के कई प्रकार हैं। जब अर्थव्यवस्था स्वस्थ होती है और तेज गती से बढ़ती है, तो यह लोगों, कंपनियों और सरकारों को अच्छा करने और उनके लिए अच्छा करने के अवसर प्रदान करती है। व्यवसायों के विकास के लिए नौकरियों का सृजन सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। जैसे–जैसे व्यवसाय बढ़ते हैं और नई परियोजनाओं में निवेश करते हैं, वे श्रमिकों के लिए नौकरियां और नौकरी के अवसर पैदा करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ने और बेहतर होने में मदद मिल सकती है। इससे अधिक लोग सामान और सेवाएँ खरीदने की क्षमता बड जाती है, जिससे अधिक व्यावसायिक अवसर और आर्थिक विकास हो सकता है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था लोगों और व्यवसायियों को व्यापार और खर्च करने के अधिक अवसर भी दे सकती है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होती है, तो यह अक्सर विदेशी निवेशकों और व्यवसायों के लिए अधिक आकर्षक हो जाती है जो निवेश करना चाहते हैं। इससे अधिक निवेश, व्यापार और आर्थिक सहयोग हो सकता है, जिससे अधिक वृद्धि और विकास की संभावनाएँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को अपनी विकास संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विकास स्थायी हो और इसमें सभी का समन्वय हों। इसका मतलब है शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश को बढाना चाहिए ताकि श्रमिकों के पास ऐसे बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल हों जो हमेशा बदलता रहता है। इसका यह भी मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि विकास पृथ्वी के सभी वर्गो के लिए उपयोगी हो और यह सभी की मदद करता है, न कि केवल छोटे वर्ग की।

नये भारत के सामने चुनौती

भारत एक विकसित और समृद्ध देश बनने के अपने लक्ष्य तक पहुँचने की यात्रा में कई समस्याओं का सामना कर रहा है। देश को इस यात्रा में जिन सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटना है, उनमें से कुछ हैं.

गरीबी और असमानता – भारत ने पिछले कुछ दशकों में गरीबी को कम करने में बहुत सफलता हासिल की है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। गरीबी से छुटकारा पाना और अमीर गरीब के अंतर को कम करना अभी भी देश के लिए बड़ी समस्याएँ हैं।

शिक्षा – शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने ज्यादा लोगों को साक्षर करने में सफलता हासिल की है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अभी भी एक बड़ा लक्ष्य है।

स्वास्थ्य सेवाएं – भारत जैसे देश मध्यम एवं निम्न वर्ग के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अभी भी कठिन है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करना, कुपोषण और माताओं की मृत्यु जैसी समस्याओं से निपटना देश के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

बुनियादी ढांचा – भारत में बुनियादी ढांचे, जिसमें सड़कें, रेलगाड़ियाँ और हवाई अड्डे शामिल हैं, इन सभी को देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ बनाए रखने के लिए अत्यधिक धन और काम की ज़रूरत है। अगर आर्थिक विकास और प्रगति जारी रखनी है तो देश के बुनियादी ढांचे की कमी को ठीक करना ज़रूरी है।

जलवायु परिवर्तन – भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है, जैसे कि अधिक और मजबूत मौसम की घटनाएँ, समुद्र का बढ़ता जलस्तर और बारिश के समय मे हुआ बदलाव। देश के लिए एक बड़ा काम जलवायु परिवर्तन से निपटना और अधिक टिकाऊ और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है।

शासन – भ्रष्टाचार, अकुशलता और ज़िम्मेदारी की कमी सभी ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें भारत के सरकारी ढाँचों और संस्थानों में ठीक करने की ज़रूरत है। देश की विकास समस्याओं को हल करने के लिए, शासन में सुधार करना और सार्वजनिक संस्थानों को बेहतर ढंग से काम करने योग्य बनाना ज़रूरी है।

गरीबी एक गंभीर समस्या

भारत और दुनिया भर के कई अन्य देशों में गरीबी अभी भी एक समस्या है। जो लोग गरीब हैं, उन्हें आम तौर पर भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा, स्कूली शिक्षा और रहने के लिए जगह जैसी बुनियादी चीज़ों तक पहुँच नहीं होती है। गरीबी के कारण समाज से बाहर होना, वोट देने का अधिकार खोना और कई अन्य समस्याएँ भी हो सकती हैं, जो लोगों को गरीबी में रख सकती हैं और समय के साथ इसे और भी बदतर बना सकती हैं।

भारत में, हालाँकि हाल के वर्षों में गरीबी में काफी कमी आई है, फिर भी बहुत से लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। हाल के अनुमानों के अनुसार भारत में 270 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन से कम और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन से कम कमाने वाले के रूप में वर्णित किया गया है।

भारत में गरीबी की समस्या को हल करने के लिए, आपको इसे कई अलग–अलग दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। इसमें गरीब लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य बुनियादी सेवाओं पर पैसा खर्च करना शामिल है। इसके लिए ऐसी नीतियों की भी ज़रूरत है जो आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करें, जिससे लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने और बेहतर जीवन जीने के मौके मिल सकें। अंत में, गरीबी से छुटकारा पाने का मतलब है भेदभाव, सामाजिक अस्वीकृति और वोट न दे पाने जैसी सामाजिक समस्याओं से निपटना।

असमानता विकास की प्रमुख समस्या

किसी भी समाज में असमानता उन मुख्य चीजों में से एक है जो सभी के लिए विकास को धीमा कर देती है। जब समाज में बहुत अधिक असमानता होती है, तो इससे लोगों के लिए नौकरी पाना और समाज में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, लोगों के लिए बुनियादी सेवाएँ प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है और सामाजिक अशांति और अस्थिरता पैदा होती है। भारत में असमानता अभी भी एक बड़ी समस्या है। भारत की आय और संपत्ति असमानता अभी भी दुनिया में सबसे बड़ी है, भले ही हाल के वर्षों में गरीबी में काफी कमी आई है।

हाल के अनुमानों के अनुसार भारत के शीर्ष 10 प्रतिशत लोग देश की 75 प्रतिशत से अधिक संपत्ति को नियंत्रित करते हैं, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोग केवल 4.5 प्रतिशत को नियंत्रित करते हैं। भारत में, असमानता अक्सर जाति, लिंग और स्थान जैसे सामाजिक कारकों के आधार पर ज्यादा प्रभावित करती है।

अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे समूहों के लोग जिन्हें पहले छोड़ दिया गया था, अक्सर भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते हैं, जिससे उन्हें नौकरी पाना और बुनियादी सेवाओं का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं को भी नौकरी पाने और समाज में आगे बढ़ने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, उनके काम करने की संभावना कम होती है और स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुँच कम होती है।

भारत में असमानता से छुटकारा पाने के लिए व्यापक और बहुआयामी तरीके अपनाने होंगे। इसमें शिक्षा, नौकरी विकास और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में निवेश जैसी नीतियाँ शामिल हो सकती हैं जो लोगों को बेहतर नौकरी पाने और सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। इसके लिए भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और वोट न दे पाने जैसी सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए कानूनों की भी ज़रूरत है। कुल मिलाकर, असमानता को कम करना भारत में सभी के लिए विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत सभी के लिए एक निष्पक्ष और अधिक समृद्ध समाज बना सकता है यदि यह अधिक आर्थिक अवसर और सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है, अंतर्निहित सामाजिक समस्याओं से निपटता है और अधिक सामाजिक समावेश को प्रोत्साहित करता है।

पर्यावरण का क्षरण सतत विकास के लिए खतरा

पर्यावरण का क्षरण भारत और दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक बड़ा खतरा है। वनों की कटाई, वायु और जल प्रदूषण, प्रजातियों का विनाश और जलवायु परिवर्तन ऐसे सभी तरीके हैं जिनसे पर्यावरण खराब हो सकता है। इस तरह के पर्यावरणीय नुकसान लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण, आर्थिक विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।

भारत में, पर्यावरण क्षरण एक बड़ी चुनौती है। यह देश दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से एक है, जैसे कि अधिक मौसम सम्बन्धित घटनाएँ, समुद्र का बढ़ता जलस्तर और वर्षा चक्र में हुआ बदलाव। इसके अलावा, वायु प्रदूषण एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम भी है।

हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में हर साल 1.6 मिलियन से अधिक लोग वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले मर जाते हैं। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भारत को एक संपूर्ण और बहुआयामी योजना की आवश्यकता है। इसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उपाय शामिल हो सकते हैं; नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और अधिक ऊर्जा बचाना। इसके अलावा वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए भी उपाय करने की जरूरत है, जैसे उद्योग और परिवहन के लिए नियम सख्त बनाना।

स्कूली शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश

आर्थिक विकास, गरीबी को कम करने और एक स्वस्थ समुदाय के निर्माण के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना महत्वपूर्ण है जो अधिक समृद्ध और निष्पक्ष हो। शिक्षा और कौशल विकास लोगों को बेहतर नौकरियाँ पाने, अधिक पैसा कमाने और अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने में मदद कर सकता है। हालाँकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबा सफर तय किया है, फिर भी शिक्षा और नौकरी विकास में अभी भी बड़ी खाई है।

हाल के अनुमानों के अनुसार, 30 प्रतिशत से अधिक भारतीय लोग पढ़ या लिख नहीं सकते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। स्कूली शिक्षा और कौशल विकास में इन अंतरालों को पाटने के लिए, आपको एक पूर्ण और बहुआयामी योजना की आवश्यकता है। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा में खर्च शामिल हो सकता है। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए कानूनों की भी आवश्यकता

है जो लोगों के लिए शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करना कठिन बनाती हैं, जैसे गरीबी, भेदभाव और दूरदराज के इलाकों में रहना।

स्वरोजगार और स्वालंम्बन को प्रोत्साहित करना

अगर भारत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक विकास देखना चाहता है तो उसे नवाचार और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नवाचार और उद्यमिता से नई वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, नए बाजारों का खुलना और पहले से मौजूद व्यवसायों का विकास हो सकता है। ये सभी चीजें अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और नई नौकरियां पैदा करने में मदद कर सकती हैं।

इन समस्याओं को हल करने के लिए, आपको उन्हें कई अलग–अलग दृष्टिकोणों से देखने की ज़रूरत है। इसमें ऐसे उपाय शामिल हो सकते हैं जो स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए ज़रूरी आर्थिक सहयोग पाना आसान बनाते हैं, जैसे कि ऋण कार्यक्रम और उद्यम पूंजी निधि जो सरकार द्वारा समर्थित हैं। इसके लिए कानूनी बाधाओं से छुटकारा पाने और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए नीतियों की भी ज़रूरत है, जैसे कि नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सरकार को ज्यादा खुला और जवाबदेह बनाना।

अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अवसर

रोजगार सृजन व्यवसाय के विकास के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। जैसे–जैसे व्यवसाय बढ़ते हैं और नई परियोजनाओं में निवेश करते हैं, वे श्रमिकों के लिए रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ने और बेहतर होने में मदद मिल सकती है, और यह लोगों को खुश भी कर सकता है। इससे अधिक लोग सामान और सेवाएँ खरीदना चाहते हैं, जिससे अधिक व्यावसायिक अवसर और आर्थिक विकास हो सकता है। एक बढ़ती अर्थव्यवस्था लोगों को रचनात्मक होने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का मौका भी दे सकती है। जैसे–जैसे नए व्यवसाय शुरू होते हैं और स्थापित व्यवसाय बढ़ते हैं, वे नए उत्पाद, सेवाएँ और प्रौद्योगिकियाँ ला सकते हैं जो उद्योगों को बदल सकते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद कर सकते हैं।

एक बढ़ती अर्थव्यवस्था लोगों और व्यवसायों को व्यापार और खर्च करने के अधिक अवसर भी दे सकती है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होती है, तो यह अक्सर विदेशी निवेशकों और व्यवसायों के लिए अधिक आकर्षक हो जाती है जो विकास करना चाहते हैं। कुल मिलाकर, एक स्वस्थ और बढ़ती अर्थव्यवस्था लोगों और व्यवसायों को बढ़ने और बेहतर होने के बहुत सारे अवसर देती है। सही नीतियों और योजनाओं में पैसा लगाकर, लोग, कंपनियाँ और सरकारें सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता का उपयोग कर सकती हैं।

सतत विकास को प्रथामिकता

अगर भारत को दीर्घकालिक आर्थिक विकास और स्वस्थ पर्यावरण चाहिए तो उसे सतत विकास के तरीके अपनाने होंगे। सतत विकास का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय सभी संतुलन में हों। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल न बनाए। जब सतत विकास की बात आती है, तो भारत में पर्यावरण क्षरण, सामाजिक असमानता और गरीबी जैसी कई समस्याएँ हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको एक पूर्ण और एकीकृत योजना की आवश्यकता है जो आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक कारकों को ध्यान में रखे।

सतत विकास प्रथाओं को अपनाने में कई रणनीतियाँ शामिल हो सकती हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, अपशिष्ट और प्रदूषण को कम करना और सतत भूमि उपयोग और संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से निपटने के लिए नीतियों की भी आवश्यकता है, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करना, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों का समर्थन करना और लोगों के लिए स्वच्छ पानी और शौचालय प्राप्त करना आसान बनाना।

सुझाव

भारत को सतत विकास की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं –

1. **नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा –** भारत में सौर और पवन ऊर्जा के लिए बहुत संभावनाएं हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा के दो प्रकार हैं। भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती कर सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का समर्थन करके यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है।
2. **कचरा और प्रदूषण पर नियत्रंण –** भारत के शहरी क्षेत्रों में कचरा और प्रदूषण की बहुत समस्याएँ हैं। कचरे को कम करने और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने की नीतियाँ, साथ ही वायु और जल प्रदूषण को कम करने की रणनीतियाँ पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं।
3. **सतत भूमि उपयोग और संसाधन प्रबंधन –** भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि ने प्राकृतिक संसाधनों, खासकर भूमि और जल पर बहुत दबाव डाला है। वनों की रक्षा और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनों के माध्यम से संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और प्रबंधन को बढ़ावा देना पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकता है।
4. **सामाजिक और आर्थिक असमानताओं में सुधार –** गरीबी और लैंगिक असमानता सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उदाहरण हैं जो सतत विकास को प्राप्त करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी नीतियाँ जो इन समस्याओं को

ठीक करने का प्रयास करती हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करना, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का समर्थन करना और लोगों के लिए स्वच्छ पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सेवाएँ प्राप्त करना आसान बनाना, सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं।

5. **सार्वजनिक–निजी भागीदारी का समर्थन** – सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ–साथ नागरिक समाज और समुदायों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना, सहयोग और सूचना के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करके सतत विकास का समर्थन करने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर, भारत में सतत विकास का समर्थन करने के लिए एक व्यापक और एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर विचार करती है। भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि विकास सतत विकास का समर्थन करके भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान पहुँचाए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी संभावनाएँ और अवसर हैं, लेकिन यह गरीबी, असमानता, पर्यावरण को होने वाले नुकसान और विकास जैसी बड़ी समस्याओं का भी सामना करता है, जो टिकाऊ है। इन समस्याओं को हल करने के लिए, हमें एक पूर्ण और एकीकृत योजना की आवश्यकता है जो आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक कारकों को ध्यान में रखे। अगर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है, रोजगार पैदा करना चाहता है और पर्यावरण की रक्षा करना चाहता है, तो उसे शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करने, नवाचार और उद्यमिता का समर्थन करने और सतत विकास के तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। भारत इन नीतियों का समर्थन करके यह सुनिश्चित कर सकता है कि विकास भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान पहुँचाए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे। विकसित भारत /2047 का लक्ष्य को प्राप्त करने में यह सभी उपाय भारत को विकसित भारत बनाने में गति दे सकते है और भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विकसित भारत बनकर विश्व का मार्गदर्शन कर सकता हैं।

सन्दर्भ –

1. The World Bank. Poverty and shared wealth in 2020: A change in luck. Global Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34496
2. The Indian government. India's sustainable development plans, 2021. NITI Aayog. https://niti.gov.in/sdg-india-index-and dashboard-2020-21

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

3. India's Ascent: Five Opportunities for Growth and Transformation, McKinsey Global Institute, 2016. McKinsey and Company. https://www.mckinsey.com/featured-insights/india/indias-ascent-five-opportunities-for-growth-and-transformation
4. India Energy Outlook 2021, by the International Energy Agency (IEA), was published in 2021. https://www.iea.org/reports/india energy-outlook-2021
5. Poverty and shared wealth, World Bank, 2021 Changes in luck in 2020. Global Bank.
6. The Indian government. India's sustainable development plans, 2021. NITI Aayog.
7. The McKinsey Global Institute. India's rise to power: Five chances for growth and change. McKinsey and Company.
8. India Energy Outlook 2021, by the International Energy Agency (IEA), was published in 2021. Dasgupta, P. (2021). The
9. Dasgupta study looks at how the economics of biodiversity work. The UK Treasury.
10. India Vision 2020. (2014). Planning Commission.

साइबर अपराध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

मनीषा
(शोधार्थी) समाजशास्त्र
विभाग,मेरठ कॉलिज, मेरठ

प्रो. सुजाता मैनवाल
समाजशास्त्र विभाग,
कॉलिज, मेरठ

सारांश

इंटरनेट की दुनिया वर्तमान समय में जीवन का एक सामानान्तर रूप बन गई है। साइबर अपराध की अवधारणा पारंपरिक अपराध की अवधारणा से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है। साइबर अपराध को पारंपरिक अपराध की ही वह प्रजाति कहा जा सकता है जिसमें कम्प्यूटर इंटरनेट या मोबाइल टैक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कम्पनियों या संस्थानों पर हमला किया जाता है। साइबर अपराध को साइबर अपराधियों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों की विशाल श्रंखला के अंतर्गत माना जाता है। साइबर अपराधी इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई गुमनामी, गोपनीयता और परस्पर जुड़ाव का पूरा फायदा उठाते हैं और हमारे आधुनिक सूचना समाज की नींव पर हमला करते हैं। साइबर अपराध में हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी रैनसमवेयर और मैलवेयर हमले, बॉटनेट, कम्प्यूटर वायरस, साइबर स्टॉकिंग, साइबर पोर्नोग्राफी और स्पैम आदि शामिल हैं। इस अध्ययन में साइबर अपराधों और समाज पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस पेपर का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है ताकि साइबर अपराधों को रोकने के लिए राष्ट्रीय कानूनों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। यह पेपर वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक श्रेणी का है। साइबर अपराध को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई अन्त नहीं है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पीड़ितों को मुआवजा मिले या उन्हें न्याय मिले।

सूचक शब्द– (इंटरनेट, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधी, साइबर अपराध जागरूकता अधिनियम)

परिचय–

वर्तमान युग में इंटरनेट की वैश्विक महत्ता की भूमिका बढ़ गई है और इसका प्रभाव बहुत व्यापक हो गया है। साइबर अपराध कम्प्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किए जाने वाले अपराध होते हैं। साइबर अपराधों में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, डेटा उल्लंघन, कम्प्यूटर वायरस, घोटाले और अन्य दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को अंजाम देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। साइबर

अपराधी अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने, संवेदनशील जानकारी चुराने, सेवाओं को बाधित करने और व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को वित्तीय या प्रतिष्ठा सम्बन्धी नुकसान पहुंचाने के लिए कम्प्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं।
भारत में भी इंटरनेट का प्रयोग तेजी से बढ रहा है। इसने मनोरंजन, व्यापार, खेल, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में नए अवसरों को जन्म दिया है। इंटरनेट के आगमन और बढ़ते उपयोग के साथ व्यवसायों ने स्थानीय बाजारों की बाधाओं को पार कर लिया है और दुनिया के हर हिस्से में स्थित ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। कम्प्यूटर का व्यापक रूप से उद्यमों में न केवल सूचना प्रसंस्करण के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, बल्कि रणनीतिक और प्रतिस्पर्द्धी लाभ प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। कम्प्यूटर का उपयोग रचनात्मक और विनाशकारी दोनों कारणों से किया जाता है।

साहित्य की समीक्षा

अपर्णा और चौहान (2012): लेखक ने अपने शोध पत्र में साइबर अपराध जागरूकता पर ट्राइसिटी में एक शोध किया और बताया कि साइबर अपराध को उचित महत्व देकर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। इनके अनुसार एक सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद कम्प्यूटिंग वातावरण सुनिश्चित करना नेट उपयोगकर्ताओं के साथ–साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है।

मेहता और सिंह (2013): लेखक ने भारतीय समाज में साइबर कानूनों के बारे में जागरूकता का अध्ययन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि इंटरनेट सेवाओं के पुरूष और महिला उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर है। पुरूष नेटिजेन्स महिला उपयोगकर्ताओं की तुलना में साइबर कानूनों के बारे में अधिक जागरूक हैं।[78]

अग्रवाल (2015) : लेखिका ने अपने शोध पत्र में साइबर अपराध के प्रकारों और उससे निपटने के लिए बनाए गए साइबर कानूनों पर चर्चा की। उनका उद्देश्य यह विश्लेषण करना था कि क्या इंटरनेट उपयोगकर्ता साइबर अपराधों के बारे में जागरूक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे साइबर अपराधों और साइबर कानूनों के बारे में जागरूक रहें।

हसन एट ऑल, (2015): मलेशिया में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता का विश्लेषण करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि पुरूष छात्रों की तुलना में महिला छात्र साइबर अपराध के प्रति अधिक जागरूक हैं।

अर्चना चनुवाई नरहरि और ब्रजेश शाह (2016): इसमें लेखक ने 100 उत्तरदाताओं पर एक सर्वेक्षण किया ताकि विश्लेषण किया जा सके कि क्या नोटिजन्स वास्तव में साइबर

[78] नेटिजन्स– वह व्यक्ति होता है जो इंटरनेट का उपयोग करता है, खास तौर पर विचारों की अभिव्यक्ति और राजनीतिक समाज में भागीदारी के लिए एक मंच के रूप में।

अपराधों के बारे में जागरूक है, लेकिन फिर भी उनमें जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्होंने साइबर अपराधों के बारे में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता कार्यक्रमों को बनाए रखने और लागू करने के तरीके को समझाते हुए एक वैचारिक मॉडल का सुझाव दिया। **निधि आर्य** द्वारा लिखित **'भारत में साइबर परिदृश्य और न्यायिक प्रतिक्रिया'** पेपर में साइबर स्पेस साइबर अपराधों की परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई, साइबर कानूनों के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया गया और साइबर अपराधों के विभिन्न रूपों की जांच की गई है।

वी. एम. ईश्वर और अश्वथी राजन द्वारा **'भारतीय परिप्रेक्ष्य में साइबर कानून के सम्बन्ध में न्यायिक सक्रियता पर एक महत्वपूर्ण विश्लेषण'** शोध पत्र में विभिन्न साइबर अपराधों, उनके किए जाने के तरीके और भारत में साइबर कानूनों के कामकाज का विलेषण किया गया है।

ओटेन (1995): उन्होंने साइबर अपराध को कम्प्यूटर सिस्टम आधारित अपराधों के रूप में वर्णित किया।

पार्कर (1998): उनका अध्ययन इस बात पर केन्द्रित था कि साइबर अपराध कैसे पारंपरिक अपराधों से अलग है।

साइबर अपराध के प्रकार –

1. **हैकिंग :** हैकिंग एक ऐसा कार्य है जो धोखेबाज द्वारा दूसरों की अनुमति के बिना उनके कम्प्यूटर सिस्टम को पढ़कर किया जाता है। हैकर कम्प्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, जिन्हें कम्प्यूटर की नवीन समझ होती है और वे आमतौर पर धोखाधड़ी के कारणों से इस ज्ञान का दुरूपयोग करते हैं। उनके पास किसी विशेष प्रोग्राम या भाषा में अतिरिक्त कौशल होता है और वे इंटरनेट स्पेस में माहिर होते हैं। एक हैकर व्यक्तिगत बैकिंग जानकारी, किसी निगम का वित्तीय डेटा आदि चुराने के लिए सिस्टम में सेंध लगाता है। वे सिस्टम को बदलने की भी कोशिश करते हैं ताकि वे अपने मनचाहे काम पूरे कर सकें। इन लोगों को **ब्लैक हैट** कहा जाता है।

2. **वायरस :** कम्प्यूटर वायरस एक अवैध, हानिकारक या दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो कम्प्यूटर के चलने और कार्य करने के तरीके को बदल सकता है। वायरस, कम्प्यूटर के फाइल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, डेटा चुरा सकता है और सिस्टम की कार्यक्षमता को कम कर सकता है।

3. **फिशिंग :** फिशिंग एक प्रकार का सामाजिक इंजीनियरिंग और साइबर सुरक्षा हमला है, जिसमें हमलावर किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करके ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार विधियों, जिसमें सामाजिक नेटवर्क और लघु संदेश सेवा (एसएमएस) शामिल है, के माध्यम से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करता है।

4. **साइबर स्टॉकिंग :** साइबर स्टॉकिंग तब होती है, जब किसी व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रैक किया जाता है या उसका पीछा किया जाता है। साइबर स्टॉक सीधे पीड़ित का शारीरिक रूप से पीछा नहीं करता है बल्कि वह ऑनलाइन पीछा करता है और उसे परेशान करता है और मौखिक दबाव का उपयोग करके धमकी देता है। यह किसी की ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन है। इस अपराध के अधिकतम शिकार महिलाएं और बच्चे हैं, जिनका पीछा पुरूष और वयस्क शिकारी करते हैं।

5. **पहचान की चोरी और क्रेडिट कार्ड धोखाधडी :** पहचान की चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति दूसरे की पहचान चुरा लेता है और उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड बैंक खाते और अन्य लाभ जैसे संसाधनों तक पहुंचने के लिए उनका दिखावा करता है। धोखेबाज उस पहचान का उपयोग अन्य अपराध करने के लिए भी कर सकते हैं।

6. **सॉफ्टवेयर पाइरेसी :** सॉफ्टवेयर पाइरेसी सबसे आम अपराध है जिसे ज्यादातर लोग जानबूझकर या अनजाने में करते हैं। यह कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का अवैध उपयोग और वितरण है। सॉफ्टवेयर डेवलपर इन प्रोग्रामों को विकसित करते हैं और पाइरेसी उनके एप्लिकेशन विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त लाभ कमाने की क्षमता को सीमित कर देती है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित करता है क्योंकि अन्य क्षेत्रों से धन प्रेषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुसंधान में कम निवेश होता है।

7. **क्लोनिंग :** क्लोनिंग में किसी के विचारों की नकल की जाती है और उनका संदर्भ नहीं दिया जाता। यह कॉपीराइट का उल्लंघन है।

8. **साइबर पोर्नोग्राफी :** साइबर पोर्नोग्राफी का अर्थ है साइबर–स्पेस का उपयोग करके पोर्नोग्राफी का प्रकाशन, वितरण या उसे डिजाइन करना।

साइबर अपराध के सामाजिक प्रभाव–

अपराध रहित समाज मिथक है, अपराध सर्वव्यापी घटना है और यह सामाजिक अस्तित्व का अविभाज्य हिस्सा है। अपराध समाज का एक बुरा पहलू है। अपराध हर समाज में मौजूद है। इंटरनेट का गलत उपयोग करके किये गए अपराध साइबर अपराध कहलाते हैं। आज इंटरनेट के द्वारा अनगिनत कार्य किये जाते हैं, जैसे– ऑफिस के कार्य, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, रेलवे टिकट बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट आदि। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल कुछ लोग गलत और अवैध कार्यों के लिए करते हैं। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति के कम्प्यूटर नेटवर्क को बेकार मैसेज से भर देते हैं। साइबर अपराध समाज को अलग–अलग तरीकों से प्रभावित करता है। पहचान की चोरी और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के कारण आर्थिक नुकसान होता है, जब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या विचारों को बिना सहमति के कॉपी किया जाता है तो कॉपीराइट के उल्लंघन के मुद्दे सामने आते हैं, पाइरेसी के कारण सॉफ्टवेयर उद्योग में नुकसान होता है, इसी प्रकार अनेक रूपों में

साइबर अपराध समाज पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। साइबर अपराध आज समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। भारत में बढ़ते इंटरनेट उपयोग और डिजिटल गतिविधियों के कारण साइबर अपराध का दायरा व्यापक हो गया है। इन अपराधों का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार महसूस किया जा रहा है–

1. **मानसिक तनाव और असुरक्षा**
   - **साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग :** ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी और व्यक्तिगत हमलों के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है।
   - **सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न :**
     फर्जी प्रोफाइल और अपमानजनक टिप्पणियां व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है।

2. **गोपनीयता का उल्लंघन :**
   - **डाटा चोरी :**
     व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीय दस्तावेजों की चोरी से लोगों का डिजिटल माध्यमों पर भरोसा कम हो रहा है।
   - **फोटो और वीडियो का दुरूपयोग :**
     महिलाओं और किशोरों की निजी तस्वीरों का अश्लील रूप से उपयोग समाज में शर्मिंदगी और तनाव का कारण बनता है।

3. **सामाजिक अस्थिरता :**
   - **फेक न्यूज और अफवाहे :**
     साइबर अपराधियों द्वारा फैलाए गए फर्जी समाचार सांप्रदायिक हिंसा और सामाजिक अस्थिरता का कारण बनते हैं।

     धार्मिक एवं जातीय तनाव :
     सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक सामग्री के कारण सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है।

4. **युवा पीढ़ी पर प्रभाव**

   डिजिटल व्यसनों का खतरा :
   - साइबर संचार समाज में बातचीत करने का सबसे नया तरीका है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटें, टेक्स्ट संदेश और ईमेल उपयोगकर्ताओं को एक प्रभावी, त्वरित तरीका प्रदान करते हैं। विशेष रूप से किशोर हर दिन घंटो ऑनलाइन कम्प्यूटर या व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बिताते हैं तथा विश्व भर के लोगों के साथ संवाद करते हैं।

- ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल गतिविधियों में अत्यधिक समय बिताने से युवा पीढ़ी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
- **अपराधिक प्रवृत्तियों में वृद्धि:**
  इंटरनेट के माध्यम से आसानी से उपलब्ध जानकारी के कारण युवा साइबर अपराधों में शामिल हो रहे हैं।

5. आर्थिक शोषण

- **ऑनलाइन धोखाधड़ी :**
  वित्तीय धोखाधडी के कारण व्यक्ति और परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
- **फिशिंग और रैंसमवेयर अटैक :**
  डिजिटल लेनदेन के माध्यम से व्यक्तिगत और संस्थागत सम्पत्ति के नुकसान के मामले भी सामने आए हैं।

6. महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव

- **साइबर उत्पीड़न :**
  महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न और यौन शोषण का सामना करना पड़ता है।
- **बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार :**
  बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि, विशेषकर ऑनलाइन माध्यमों से हो रही है।

7. सामाजिक संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव

- **डिजिटल माध्यमों पर अविश्वास :**
  साइबर अपराधों के कारण लोग डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन सेवाओं से दूरी बनाने लगे हैं।
- **सामाजिक अलगाव :**
  साइबर बुलिंग और ट्रॉलिंग के कारण पीड़ित व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों से कतराने लगते हैं।
- **नैतिक और सांस्कृतिक पतन:**
  अश्लील सामग्री और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार से समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है।

भारत में साइबर सुरक्षा : वर्तमान स्थिति और उपाय

डिजिटल युग में भारत तेजी से तकनीकी प्रगति कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर खतरों की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। डिजिटल इंडिया अभियान और ऑनलाइन

सेवाओं के बढ़ते उपयोग ने साइबर सुरक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण बना दिया है। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत, संगठनों और राष्ट्रीय स्तर पर डेटा और सिस्टम को साइबर खतरों से बचाना है। साइबर सुरक्षा का तात्पर्य उन उपायों और तकनीकों से है, जो कम्प्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को अनाधिकृत पहुंच, हमलों और हानि से बचाने के लिए लागू किए जाते हैं। यह केवल तकनीकी उपाय नहीं, बल्कि कानूनी, सामाजिक और जागरूकता पहलुओं को भी शामिल करता है।

1. बढ़ते साइबर खतरों का परिदृश्य –

भारत में 2022 में 1.4 मिलियन से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाएं रिपोर्ट की गई। रैंसमवेयर, फिशिंग और डेटा ब्रीच हमले सबसे सामान्य साइबर अपराध हैं।

2. प्रमुख चुनौतियाँ

- **कम जागरूकता :**
  अधिकांश इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं को साइबर खतरों और सुरक्षा उपायों की पूरी जानकारी नहीं है।
- **तकनीकी अन्तर :**
  ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे व्यवसायों में साइबर सुरक्षा का अभाव।
- **डिजिटल सेवाओं का दुरूपयोग :**
  सोशल मीडिया और ऑनलाइन लेनदेन के बढते उपयोग से साइबर अपराधों में वृद्धि।
- **कुशल पेशेवरों की कमी :**
  साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों की कमी है।

भारत सरकार के साइबर सुरक्षा में प्रयास

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act):

भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए यह प्रमुख कानूनी ढांचा है। इसे 2008 में संशोधित किया गया।

2. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013:

साइबर खतरों से निटपने के लिए यह नीति बनाई गई। इसमें साइबर सुरक्षा जागरूकता, कुशलता विकास और साइबर खतरों की निगरानी का प्रावधान है।

3. कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In):

CERT-In भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है, जो साइबर घटनाओं की निगरानी और समधान करती है। यह साइबर हमलों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया देती है।

4. डिजिटल इंडिया पहल :
डिजिटल सेवाओं को सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए।
डिजिटल साक्षरता बढाने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर।

5. डेटा संरक्षण विधेयक :
डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उभरते खतरे :

1. रैंसमवेयर हमले :
संगठनों और व्यक्तियों से डेटा लॉक करके फिरौती की मांग करना।

2. फिशिंग हमले :
नकली वेबसाइट्स और ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना।

3. मालवेयर और वायरस :
कम्प्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम।

4. साइबर आतंकवाद :
राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले ऑनलाइन हमले।

5. सामाजिक इंजीनियरिंग :
लोगों को धोखे से संवेदनशील जानकारी देने के लिए मजबूर करना।

साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय –

1. तकनीकी समाधान :
डेटा एंक्रिप्शन और फायरवॉल का उपयोग।[79][80]
मजबूत पासवर्ड।
नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करना।

2. कानूनी और नीतिगत उपाय :
साइबर अपराधों के लिए सख्त दण्ड।
साइबर सुरक्षा कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन।
डेटा सुरक्षा कानून का त्वरित पारित होना।

3. जागरूकता और शिक्षा :
साइबर सुरक्षा के प्रति आम जनता को शिक्षित करना।
कॉलिजों में साइबर शिक्षा को बढ़ावा देना।

---

79 फायरवाल– फायरवाल अनाधिकृत जानकारी या गतिविधि को चिन्हित करते हैं और फिर उसे ब्लॉक कर देते हैं।
80 एक्रिप्शन–सूचना को गुप्त कोड में बदलना।

ISSN :3049-334X
वर्ष: 02 - अंक: 01 जनवरी - अप्रैल 2025

4. संगठनों के लिए :

नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट।
कर्मचारियों को साइबर खतरों के प्रति प्रशिक्षित करना।

6. अन्तरराष्ट्रीय सहयोग :

अन्य देशों के साथ साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित समझौते और ज्ञान साझा करना।

साइबर सुरक्षा के सफल उदाहरण

1. आधार डेटा सुरक्षा :

UIDAI ने आधार डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया।[81]

2. CERT-In की त्वरित कार्यवाई :

CERT-In ने कई महत्वपूर्ण साइबर हमलों को समय रहते रोका है।

3. इंडियन बैकिंग सिस्टम :

भारतीय बैंकों ने फिशिंग और रैंसमवेयर हमलों से बचाव के लिए उन्नत सुरक्षा प्रदान की है।

साइबर अपराध से निपटने के सामाजिक उपाय

1. जागरूकता अभियान :

स्कूलों, कॉलिजों और सामुदायिक स्तर पर साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
साइबर अपराधों की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए लोगों को शिक्षित करना।

2. सख्त कानून और उनका क्रियान्वयन :

साइबर अपराधों के लिए कठोर दण्ड और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को प्रभावी तरीके से लागू करना।

3. सामुदायिक समर्थन :

साइबर अपराध पीड़ितों के लिए काउंसलिंग और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।
सामाजिक संगठनों और सरकार के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

4. तकनीकी समाधान :

सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर फर्जी खातों की निगरानी।
डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग।

5. युवाओं और बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा :

[81] UIDAI - Unique Identifiction Authority of India.

डिजिटल साक्षरता को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाना।
ऑनलाइन सामग्री के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देना।[82]

साइबर अपराध की रोकथाम –

निवारण हमेशा इलाज से बेहतर है। नेट के संचालन के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए तथा इनको अपने साइबर जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए–

- अजनबियों और चैट मित्रों को ऑनलाइन कोई भी तस्वीर भेजने से हमेशा बचें क्योंकि, तस्वीरों के दुरूपयोग की घटनाएं सामने आई हैं।
- साइबर स्टॉकिंग को रोकने के लिए स्वयं से सम्बन्धित किसी भी जानकारी का खुलासा करने से बचें।
- बच्चों में उत्पीड़न या विक्रति की रोकथाम के लिए उन साइटों पर हमेशा नजर रखें, जिन तक आपके बच्चे पहुंच रहे हैं।
- धोखाधडी से बचने के लिए कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड नम्बर किसी ऐसी साइट पर न भेजें जो सुरक्षित न हो।
- इंटरनेट पर अश्लील साइटों को ब्लॉक करें, जो तस्वीरों का प्राथमिक स्त्रोत है।

निष्कर्ष –

सामाजिक अनुभव के रूप में व्यक्ति बातचीत कर सकते हैं, विचारों का आदान–प्रदान कर सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, तथा राजनीतिक चर्चा में शामिल हो सकते हैं, इत्यादि में इस वैश्विक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग अवैध रूप से करना साइबर अपराध कहा जाता है। सफेदपोश कर्मचारियों से लेकर आतंकवादियों तक और किशोरों से लेकर वयस्कों तक इंटरनेट की उपयोगिता स्वयं सिद्ध हो चुकी है। साइबर अपराध लगभग सभी देशों में होते हैं और सम्बन्धित सरकारें साइबर अपराधों से बचाव के लिए कदम उठा रही हैं। साइबर अपराध बढने का कारण उपकरणों की आसान पहुंच और कभी उपयोगकर्ताओं की लापरवाही भी है। भारत सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई तरीके अपनाएं हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई अन्त नहीं है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पीड़ितों को मुआवजा मिले या उन्हें न्याय मिले। साइबर अपराधों का समाज पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों पर सीधा असर डालता है। इसे रोकने के लिए जागरूकता, शिक्षा और कानूनी तंत्र को मजबूत करना अत्यन्त आवश्यक है। एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देकर ही हम साइबर अपराधों के सामाजिक प्रभाव को कम कर सकते हैं।

''सुरक्षित डिजिटल समाज ही एक सशक्त समाज की आधारशिला है।''

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. Ms. Anisha, Awareness and Strategy to prevent cybercrimes-Indian perspective, vol. VII. INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH, https://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research-(LJAR)/a e/awareness-and-strategy-to-prevent-cybercrimes-an-indian-perspective/MTE 3NDc=/?is=1.
2. Sunita, cybercrimes and laws, METRAIL, http://deac.du.ac.in/documents/E-Resource/2020/Metrial/408sunitayadav4.pdf
3. Cyberlaws in legal ibf.org.in/documents/cyber-laws-chapter-in-legal-aspects-book.pdf. perspective,
4. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, https://www.unodc.org/unode/en/about-unodc/index.html
5. Article 12, UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
6. Arun Prasad, Cybercrime in India- time series of study of state level date, RESEARCHGATE, https://www.researchgate.net/publication/342509526_Cyber_Crime_in_India_T ime_Series_Study_of_State_Level_data
7. Dr. Sudhir. Kumar, Cybersecurity: Legal perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INTERNET SECURITY. ISSN 0974-2247 Volume 9, (2017), ipublication.com/irph/ijcis17/ijcisv9n1_01.pdf
8. rjhssonline.com/HTMLPaper.aspx?Journal=Research%20Journal%20of%20Humanities%20 and%20Social%20Sciences;PID=2017-8-4-12

दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं चुनौतियां और संभावनाएं

ओमप्रकाश प्रजापत
व्याख्याता,राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुण्डावास
गांव-मोरिया, तहसील-रोहट, जिला-पाली ३०६४२१
ई–मेल acpmoriya@gmail.com

दिव्यांगता एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो विकासशील राष्ट्रो के विकास की गति को प्रभावित करती है। दिव्यांगता से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी या न करने की क्षमता है।

दिव्यांग शब्द भारत के वर्तमान प्रधानंमत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'मन की बात' कार्यक्रम में दिया गया था २०१६ से पहले दिव्यांग को विकलांग शब्द से अभिहित किया जाता रहा है।

दिव्यांगता अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय मुद्दा है सयुंक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष १९८१ को अंतराष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप चयन किया गया था, तथा प्रतिवर्ष ३ दिसम्बर को अंतराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। इस दिन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत की जाती है, उनकी जरूरतों और समावेशन के बारे मे जागरूकता बढाई जाती है। दिव्यांग व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक एंजेडा तैयार किया, जिसमें वर्ष २०३० तक कोशिश यह रहेगी की इसे भागती दौड़ती दुनिया की रफ्तार में कोई भी दिव्यांग पीछे नही रहे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की १० प्रतिशत जनसंख्या किसी ना किसी प्रकार की दिव्यागंता से ग्रसित है। दिव्यांगता के अनेक कारक है-खराब पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं में अभाव, आनुवांशिकी विकार इत्यादि। इस प्रकार दिव्यांगता एक वैश्विक और गंभीर मुद्दा है इससे विश्व के लगभग सभी देश ग्रसित है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा मे जोड़ने का प्रयास राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तरों पर पिछले कई दशकों से हो रहा है।

दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग है, क्योकी सामाजिक विकास अभिधारणा को सरोकार करने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना आवश्यक है। दिव्यांगजन आज भी कई सामाजिक आर्थिक और संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रहे है, शिक्षा रोजगार, सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच और सामाजिक स्वीकृति जैसे मुद्दा उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को सीमित करते है। हालाँकि जागरूकता बढने और नीतियों में सुधार के साथ उनके लिए नये अवसर और संभावनाए उभरती है।

भारत में दिव्यांगता से जुडे.आंकड़े-

२००१ की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या २१ करोड़ है जो २०११ की जनगणना के अनुसार जो २६.८ करोड़ हो गई है। २००१ की जनगणना के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति कुल जनसंख्या का २.२१ प्रतिशत है। लगभग १४.९ मिलीयन पुरूष तथा ११.९ मिलियन महिलाएं दिव्यांग है। दिव्यांगता १०-१९ वर्ष आयु वर्ग में सबसे अधिक है दिव्यांग व्यक्तियों का ६९ प्रतिशत ग्रामीण अंचल में निवास करता है।

दिव्यांगता वितरण

- भारत में २० प्रतिशत दिव्यांग चलने फिरने में अक्षम है।
- भारत में १९ प्रतिशत दिव्यांग दृष्टिबाधित है
- भारत में १९ प्रतिशत दिव्यांग श्रवणबाधित है।
- भारत में ८ प्रतिशत दिव्यांग बहुविकलांगता से ग्रसित है।
- भारत में ६ प्रतिशत लोग मानसिक मंदता से प्रभावित है।
- भारत में ७ प्रतिशत लोग वाक् क्षीणता से ग्रसित है।

दिव्यांगो हेतु संसदीय प्रयासः- संसद द्वारा दिव्यांगजनो के हितो की रक्षा हेतु समय-समय पर अधिनियम बनाए है

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम १९९५
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६

सर्वप्रथम १९९५ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लाया गया जिसमें ७ प्रकार की विकलांगताओ/ दिव्यांगताओं को सम्मिलत किया गया।

२०१६ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लाया गया जिसमें १९९५ के अधिनियम में अनेक परिवर्तन दिव्यांगो के हित में किए गए। २०१६ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में

दिव्यांगो की परिभाषा में बदलाव, आरक्षण व्यवस्था, शिक्षा संबधी सुधार, अवसंरचना सबंधी सुधारों का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ की मुख्य विशेषताएं

- इस अधिनियम में विकलांगता की परिभाषा को गतिशील और विकसित अवधारणा के तौर पर परिभाषित किया गया ।
- इस अधिनियम में दिव्यांगता के मौजूदा प्रकारों को ७ बढाकर २१ कर दिया गया।
- इस अधिनियम में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांगो के लिए ४ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई।
- इस अधिनियम में बेंचमार्क विकंलागता से पीड़ीत ६-१८ वर्ष तक के बच्चो के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई।
- इस अधिनियम में दिव्यांगो के लिए रोजगार, प्रशिक्षण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुच, सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों को लागू करने पर बल दिया गया।
- इस अधिनियम में सुलभ भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक इमारतों में दिव्यांगजनो की पहुंच सुनिश्चित करना है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६ में सम्मिलित दिव्यांगताए-

१. दृष्टिहीनता २. निम्न दृष्टि या अल्पदृष्टि ३. कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति ४. श्रवणबाधित ५. चलन संबधी दिव्यांगता (लोकोमीटर दिव्यांगता) ६. बौनापन ७. बौद्धिक विकलांगता ८. मानसिक रोग ९. ए.एस.डी (ऑटीज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर) १०. सेरीव्रल पॉल्सी ११. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी १२. क्रोनिक न्यूरोलॉजीक स्थिति १३. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबलिटि १४. मल्टीपल स्क्लेरोसिस १५ वाणी और भाषा संबधी दिव्यांगता १६. थैलसिमिया १७. हीमोफिलिया १८. सिकल सेल एनिमिया १९. बहुविकंलागता २०. तेजाब हमला पीड़ीत २१. पार्किंसन रोग

इस प्रकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ में शारीरिक मानसिक एवं दुर्लभ विकारो से पीड़ीत दिव्यांगताओं को सम्मिलित करके दिव्यांगो को देश की मुख्यधारा में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष समस्याएं-

दिव्यांगता का प्रभाव व्यक्ति की सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं मानसिक स्थिति पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है क्योंकी प्रत्येक दिव्यांग अपने जीवन में तनाव कुंठा और संघर्षो का अधिक सामना करते है जिससे उनके व्यवहार में विकृतियां उत्पन्न होने की अधिक

संभावनाए रहती है तथा कार्य करने की अक्षमताओं की स्थितियां दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक संवेगात्मक समस्याओं को जन्म देती है जिसके कारण उनमें चिंता, तनाव एवं खिन्नता के भाव उभरने लगते है, जिससे यदि कारणवश किसी बच्चे में एक से ज्यादा शारिरीक अपंगता होती है तो उस बालक की प्रभावी रूप से सामाजिक कार्य करने की क्षमता घट जाती है। दिव्यांग व्यक्ति को उचित वातावरण ना मिले तो उसके जीवन में अनेक समस्याएं आने लगती है जैसे-

१. शिक्षा तक सीमित पहुँच- शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे को है चाहे वो सामान्य हो या दिव्यांग, अगर शिक्षा के समान अवसर एवं उचित वातावरण नही मिलता है तो विकास रूक जाता है और वह जीवन भर पिछड जाता है हालांकि सरकार ने समावेशी शिक्षा की पहल की है, लेकिन आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण यह पूर्णरूपेण लागू नही हो पाई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चो हेतु विशेष अधिगम सामग्री एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है इनके अभाव में स्कूली शिक्षा का वह स्तर नही मिल पाता है जो सामान्य बच्चे को मिलता है जिससे वह शैक्षिक स्तर में पिछड़ जाता है।
२. सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन में दिक्कतें:- अधिकाशतः सार्वजनिक स्थान, सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड इत्यादि हर जगह दिव्यांगजनो के अनुकूल नही है। अधिकाशतः सार्वजनिक स्थानो पर रैंप, लिफ्ट, ब्रेल साईन और ओडीयो गाइडेंस सिस्टम की व्यवस्था नही है इस कारण दिव्यांगो को सार्वजनिक स्थानो एवं सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग हेतु अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकारो ने अनेक सार्वजनिक स्थानो को दिव्यागों के अनुकूल बनाने के प्रयास किए जा रह है।

आर्थिक समस्याएँ-

दिव्यांग व्यक्तियों को कम शिक्षा, रोजगार के निम्नस्तर, खराब स्वास्थ्य तथा उच्च गरीबी दर जैसे विपरित आर्थिक परिस्थितियों का आभास होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए दिव्यांग बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो वह अपने जीवन में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नही बना पाते है जिससे उसके अंदर कुंठा और चिंता बढने लगती है।

पारिवारिक समस्याएँ-

पारिवारिक माहौल में अगर दिव्यांग बच्चो को प्यार एवं अपनापन प्राप्त नहीं होता है तो उनके विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए माता पिता को अपने प्रत्येक बच्चों में समान प्यार और अपनापन बांटना चाहिए ताकि सभी का विकास एक समान हो सके।

सामाजिक समस्याएँ-

दिव्यांग व्यक्ति भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सामाजिक रूप से सभी को समानता का अधिकार है, दिव्यांग जनों की सर्वाधिक आबादी वाले देशों में भारत को गिना जाता है। इसके बावजूद दिव्यांगो को गरीबी और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को दिव्यांग लोगों के साथ सामान्य व्यवहार करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ते रहने में सहयोग देना चाहिए।

राजनीतिक समस्याएँ-

दिव्यांगजन की राजनीतिक सशक्तिकरण की बात की जाए तो उनकी राजनीति भागीदारी और वर्चस्व में कमी नजर आती है। राजनीति के क्षेत्र में अगर दिव्यांगजन आना भी चाहता है तो उन्हें सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पडता है। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका मे कुछ ही दिव्यांग राजनेता देखने को मिलते है। राजनीति दलों द्वारा सभी जन समूह का समुच्चयन किया जाता है, परन्तु किसी भी राजनीति दल की वरीयता की श्रेणी में दिव्यांगजन समूह नही है।

वैवाहिक समस्याएँ

दिव्यांग लोगो में सामान्य लोगों की अपेक्षा मात्रा में वर वधू के चयन में बहुत मुश्किलें आती है, क्योंकि एक जैसे दिव्यांग वर और वधू के विवाह के लिए परिवार तैयार न होने के कारण यह समस्या बनी रहती है जिससे कई दिव्यांग अविवाहित ही रह जाते है।

धार्मिक समस्याएँ-

धार्मिक स्थलों पर रूढ़िवादी परंपराओं और सोच की वजह से व्यक्तियों को भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है जबकि ईश्वर का घर सभी के लिए है। मानवता को प्राथमिकता देते हुए सभी के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ-

उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही होने से दिव्यांग व्यक्ति का जीवन कुंठाओं से भर जाता है जिसकी वजह से वह अपने जीवन में अपने आप को बोझ समझने लगता है। इसलिए परिवार और समाज का कर्तव्य एवं जिम्मेदारी बनती है कि दिव्यांग व्यक्ति को उचित चिकित्सा उपलब्ध करवाये जिससे की वे भी अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके।

मानसिक समस्याएँ-

मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को प्यार और सहानुभुति के साथ उचित वातावरण तथा चिकित्सा की आवश्यकता होती है जिससे उसका विकास सही ढंग से हो सके।

कार्यस्थल पर समस्याएँ-

दिव्यांग व्यक्तियों को कई बार अपने कार्य स्थलों पर अपने साथियों के हेय दृष्टि का सामना करना पड़ता है जिससे उसका मन तनाव ग्रस्त होने लगता है जिसका असर उनके कार्य पर भी पड़ता है।

आपराधिक समस्याएँ-

दिव्यांग व्यक्ति को अगर उचित वातावरण और सही शिक्षा न प्राप्त हो तो उनमें आपराधिक गुण विकसित होने लगते है, गलत संगति के लोगों के साथ मिलकर वह अपने जीवन को गलत दिशा में विकसित करने लगते है।

व्यावसायिक समस्याएँ-

समाज में बनाए गए रोजगार एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने नई स्कीम उपलब्ध तो कराई है पर उनकी पहुंच से अभी यह सब कुछ दूर है वे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पा रहे है। इसलिए दिव्यांग व्यक्तियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी जानकारी प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी बनती है।

संस्थागत अड़चने-

वर्तमान में भी देश में दिव्यांगता के संदर्भ में जागरूकता देखभाल अच्छी और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की कमी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पुनर्वास सेवाओं की पहुँच, उपलब्धता और सदुपयोग में भी कमी देखी गई है।

ये कारक दिव्यांग लोगो के लिए निवारक और उपचारात्मक ढाँचा सुनिश्चित करने में बाधक बने हुए है।

शिथिल कार्यान्वयनः-

सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के लिए कई सराहनीय पहलो की शुरूआत की गई है। हालांकि सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान के तहत सभी मंत्रालयो को दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अपने भवनों/इमारतों को सुलभ बनाने का निर्देश दिये जाने के बाद भी वर्तमान में अधिकांश भवन दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अनुकुल नहीं है। इसी प्रकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ के तहत सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारो पर सयुंक्त राष्ट्र अभिसमय का भी हिस्सा है।

सामाजिक नजरिया-

समाज का एक बड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्तियों को 'सहानुभूतिपूर्ण' और 'दया' की नजर से देखता है, जिससे उन्हे सामान्य से अलग या अन्य के रूप में देखे जाये और देश के तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में उनसे व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा एक बडी समस्या समाज के एक बड़े वर्ग की मानसिकता से है जो दिव्यांग व्यक्तियों को एक दायित्व या बोझ के रूप में देखते है इस प्रकार की मानसिकता से दिव्यांग व्यक्तियों के उत्पीड़न और भेदभाव के साथ मुख्याधारा से उनके अलगाव को बढ़ावा मिलता है।

समुदाय-आधारित पुनर्वास दृष्टिकोणः-

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहाँ सामुदायिक स्तर पर पुनर्वास के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते है। ब्ठत पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिसे आवश्यक है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने में सक्षम है साथ ही उन्हे सभी अवसरो और सेवाओं की नियमित पहुंच सुलभ हो तथा उन्हे समुदाय में पूर्ण एकीकरण की स्थिति प्राप्त हो सके।

दिव्यांगता को लेकर जागरूकता में वृद्धि-

सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पेशेवर संगठनों द्वारा दिव्यांगता से जुड़ी द्वेषपूर्ण मानसिकता या सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिये व्यापक सामाजिक अभियान चलाने पर विचार करना चाहिये। इस संदर्भ में मुख्य धारा की मीडिया ने फिल्मों (जैसे तारे जमीं पर, बर्फी आदि) के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सकारात्मक प्रतिनिधित्व के लिये सही मार्ग चुना है।

राज्यों की साथ साझेदारीः-

गर्भवती महिलाओं की देखभाल के संदर्भ में व्यापक जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उन्नत एवं सुलभ पहुँच सुनिश्चित करना दिव्यांगता की समस्या से निपटने के प्रयासो के दो महत्वपूर्ण स्तंभ है। दिव्यांगता की समस्या से निपटने के इन दोनों कारकों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के साथ-साथ केन्द्र सरकार को भी स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक निवेश करना चाहिये। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के तहत स्वास्थ्य को राज्य सूची में शामिल किया गया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६ के लागू होने के बाद से इस अधिनियम के तहत निर्धारित आरक्षण को लागू करने में गड़बड़ी से जुड़े कई मामले देखने को मिले है। कोई भी नया कानून अपने उद्धेश्य में तभी सफल हो सकता है जब दिव्यांग लोगों को उनके लिये आरक्षित पदो पर नियुक्त करने हेतु संबधित अधिकारियों द्वारा इस संदर्भ में मजबूत इच्छाष्शक्ति दिखाई जाए।

इसके साथ ही भारत में एक संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। जहाँ किसी भी बुनियादी ढ़ाँचे का निर्माण करते समय दिव्यांग लोगों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएं।

प्रमुख चुनौतियाँ-

- नीतियों और कानूनों का सही क्रियान्वयन-
  भारत में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६' लागू है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन अब भी एक चुनौती बना हुआ है। कई योजनाएँ कागजों तक सीमित रह जाती है और जमीनी स्तर पर लाभ नहीं पहुँच पाता।
- आर्थिक स्वतंत्रता और आजीविका के अवसर -
  दिव्यांग व्यक्तियों को स्वराजेगार और आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। हालांकि कुछ सरकारी योजनाएँ है, लेकिन उन्हें लागू करने में नौकरशाही अड़चने आती है।
- तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता:-
  सहायक तकनीक जैसे मोटराइज्ड, व्हीलचेयर, स्क्रीन रीडर, सॉफ्टवेयर, हियरिंग एड, और स्मार्ट उपकरण मंहगे है और सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते।
- मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन-
  दिव्यांग व्यक्तियों को मानसिक, तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। परिवार और समाज का सहयोग, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और सहायक समूह इस चुनौती को कम कर सकते है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष समस्याएँ-
  शहरों की तुलना में गांवों में दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं बेहद सीमित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवहन की समस्याएँ यहां अधिक गंभीर रूप से महसूस की जाती है।

संभावनाएं-

समावेशी शिक्षा का विस्तार

- स्कूलों और कॉलेजों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिएं।
- ब्रेल लिपि, साइन लैंग्वेज और डिजिटल लर्निंग टूल्स को बढ़ावा दिया जाए।
- ऑनलाईन शिक्षा और ई-लर्निंग प्लेटफॉमर्स में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ी जाएँ।

दिव्यांगजन के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि

- सरकार और निजी कंपनियो को दिव्यांगजन को आरक्षित नौकरियां देने के कानूनों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- वैकल्पिक रोजगार जैसे स्टार्टअप, कारीगरी, और होग-बेस्ड वर्क को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक स्थानों और परिहवन को अधिक सुलभ बनाना।
- स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में दिव्यांगजन की जरूररतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- सभी सरकारी और निजी भवनों में रैंप, लिफ्ट, ब्रेल साईन और नृत्य संकेतक होने चाहिए।
- सार्वजनिक परिवहन को दिव्यांगजन के अनुकूल बनाना अनिवार्य किया जाए।

दिव्यांगजन के लिए वित्तीय सहायता और योजनाएँ

- ऋण योजनाएँ, स्कॉलरशिप और अनुदान को सरल और प्रभावी बनाया जाए।
- दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौषल विकास पर जोर दिया जाए।
- आत्मनिर्भर दिव्यांगजन योजना जैसी सरकारी योजनाओं को मजबूत किया जाए।

तकनीकी समाधान और डिजिटल समावेशन

- सहायक तकनीकी को अधिक सुलभी और किफायती बनाया जाए।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉयस असिस्टेड टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया जाए।
- डिजिटल इंडिया मिशन में दिव्यांगजन के लिए विशेष तकनीकी नवाचारों को शामिल किया जाए।

मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन

- दिव्यांगजन के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ बढ़ाई जाए।
- सपोर्ट ग्रुप्स और कांउसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएं।
- दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं जाएं।

संदर्भ:

1.राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रो मे प्रकाशित आलेखों का विश्लेषण।
2. सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार के आकड़े।
3. दिव्यांजन अधिकार अधिनियम,2016